IDIKAK PA

Shree Sudharmaswami Gyanbhandar-Umara, Sura

www.umaragyanbhandar.com



सोमसेन-त्रिर्णाचार, धर्मपरीक्षा (क्वेताम्बरी), अकलंक-प्रतिष्ठापाठ और पूज्यपाद-उपासकाचारके परीक्षा-लेखोंका संग्रह ।

लेखक----

श्रीयुत पंडित जुगलिकशोर मुख्तार

सरसावा जि० सहारनपुर

[प्रन्थ-परीक्षा प्रथम द्वितीय भाग, उपासनातत्त्व, जिनपूजाधिकार-मीमांसा, विवाहसमुद्देश, विवाह-क्षेत्र-प्रकाश, स्वामीसमन्तभद्द (इतिहास), वीर-पुष्पांजलि, जैनाचार्योंका शासनभेद, आदि अनेक ग्रन्थोंके रचयिता, और जैनहितैषी आदि पत्रोंके भृतपूर्व सम्पादक]

प्रकाशक—

जैन-ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय, हीराबाग, पो० गिरगांव-बम्बई।

प्रथमावृत्ति }

भादों, सं०, १९८५ विक्रम सितम्बर, सन् १९२८

मुल्य १॥)

प्रकाशक

छगनमल बाकलीवाल मालिक—जैन-ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय हीराबाग, पो० गिरगांव-बम्बई।



मुद्रक

बाबू दुर्गाप्रसाद

दुर्गा प्रेस अजमेर

पेज संख्या १ से २४४ तक
और शेष अंश

मं. ना. कुळकर्णी कर्नाटक प्रेस

३१८ ए ठाकुरद्वार बम्बई ।

भूमिका।

--:∘: ---

वर्षाका जल जिस शुद्ध रूपमें बरसता है, उस रूपमें नहीं रहता: आकाशसे नीचे उतरते उतरते और जलाशयोंमें पहुँचते पहुँचते वह विकृत हो जाता है और इसके बाद तो उसमें इतनी विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती है कि उनके मारे उसके वास्तविक स्वरूपका हृद्यंगम कर सकना भी दुष्कर हो जाता है। फिर भी जो वस्तुतत्त्वके मर्मज्ञ हैं, पदा-थेंकि। विरुरेषण करनेमें कुशल या परीक्षाप्रधानी हैं, उन्हें उन सब विकृतियोंसे पृथक वास्तविक जलका पना लगानेमें देर नहीं लगती है। परमहितैवी और परम वीतराग भगवान् महावीरकी वाणीको एक कविने जलबृष्टिकी उपमा दी है, जो बहुत ही उपयुक्त माल्यम होती है। पिछले ढाई हजार वर्षोंका उपलब्ध इतिहास हमें बतलाता है कि भग-वान्का विश्वकल्याणकारी समीचीन धर्म जिस रूपमें उपदिष्ट हुआ था, उसी रूपमें नहीं रहा. धीरे धीरे वह विकृत होता गया, ज्ञात और अज्ञातरूपसे उसे विकृत कर-नेके बराबर प्रयत्न किये जाते रहे और अब तक किये जाते हैं। सम्प्रदाय, संघ, गण, गच्छ, आम्नाय, पन्थ आदि सब प्रायः इन्हीं विकृतियोंके परिणाम हैं। भगवानका धर्म सबसे पहले दिगम्बर और खेताम्बर दो सम्प्रदार्थीमें विभक्त हुआ, और उसके बाद मूल, यापनीय, द्रविड, काष्ठा, माधुर, आदि नाना संघों और उनके गणों तथा गच्छोंमें विकृत होता रहा है। यह असंभव है कि एक धर्मके इतने भेद प्रभेद होते जायँ और उसकी मल प्रकृतिपर विकृतियोंका प्रभाव नहीं पड़े । यद्यपि सर्वसाधारण जन इन सम्प्रदायों और पन्थोंके विकारसे विकृत हुए धर्मका वास्तविक शुद्ध स्वरूप अवधारण नहीं कर सकते हैं: परन्तु समय समयपर ऐसे विचारशील विवेकी महात्माओंका जन्म अवश्य होता रहता है जो इन सब विकारोंका अपनी रासायनिक और विश्लेषक बुद्धिसे पृथक्करण करके वास्तविक धर्मको स्वयं देख केते हैं और दूसरोंको दिखा जाते हैं।

जो लोग यह समझते हैं कि वर्तमान जैनधर्म ठीक वही जैनधर्म है जिसका उप-देश भगवान् महावीरकी दिन्यवाणीद्वारा हुआ था, उसमें जरा भी परिवर्तन, परिवर्द्धन या सम्मेलन नहीं हुआ है—अक्षरशः ज्योंका त्यों चला आ रहा है, उन्हें धर्मात्मा या श्रद्धाल भले ही मान लिया जाय; परन्तु विचारशील नहीं कहा जा सकता। यह संभव है कि उन्होंने शास्त्रोंका अध्ययन किया हो, वे शास्त्री वा पण्डित कहलाते हों; परन्तु शास्त्र पढ़ने या परीक्षायें देनसे ही यह नहीं कहा जा सकता है कि वे इस विषयमें कुछ गहरे पैठ सके हैं। जो लोग यह जानते हैं कि मनुष्य रागद्रेपसे युक्त हैं, अपूर्ण हैं और उन-पर देश-कालका कल्पनातीत प्रभाव पक्ता है, वे इस बातपर कभी विश्वास नहीं करेंगे कि ढाई हजार वर्षके इतने लम्बे समयमें, इतने संघों और गण-गच्छोंकी खींचातानीमें पढ़ कर भी उनके द्वारा भगवान्के धर्ममें जरा भी रूपान्तर नहीं हुआ है।

हमारे समाजके विद्वान् तो अभी तक यह माननेको भी तैयार नहीं थे कि जैना-चार्योंमें भी परस्पर कुछ मतभेद हो सकते हैं। यदि कहीं कोई ऐसे भेद नजर आते थे, तो वे उन्हें अपेक्षाओंकी सहायतासे या उपचार आदि कह कर टाल देते थे; परन्तु अब 'मन्थपरीक्षा'के लेखक पण्डित जुगलिकशोरजी मुख्तारने अपनी मुचिन्तित और मुपरीक्षित 'जैनाचार्योंका शासनभेद ' * नामकी लेखमालामें इस बातको अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है कि जैनाचार्योंमें भी काफी मतभेद थे, जो यह विश्वास करनेके लिए पर्याप्त हैं कि भगवानका धर्म ग्रुह्से अब तक ज्योंका त्यों नहीं चला आया है और उसके असली हपके सम्बन्धमें मतभेद हो सकता है।

संसारके प्रायः सभी धर्मोंमें रूपान्तर हुए हैं और बराबर होते रहते हैं। उदाहरणके लिए पहले हिन्दू धर्मको ही ले लीजिए। बड़े बड़े विद्वान् इस बातको स्वीकार करते हैं कि जैनधर्म और बौद्धधर्मके जबर्दस्त प्रभावोंमें पड़कर उसकी 'वैदिकी हिंसा' छुप्तप्राय हो गई है और वैदिक समयमें जिस गौके बछड़ेके मांससे ब्राह्मणोंका अतिथिसत्कार किया जाता था, (महोजं वा महोक्षं वा श्रोत्रियाय प्रकल्पयेत्) वही आज हिन्दु-ओंकी पूजनीया माता है और वर्तमान हिन्दू धर्ममें गोहत्या महापातक गिना जाता है। हिन्दू अब अपने प्राचीन धर्मग्रन्थोंमें बतलाई हुई नियोगकी प्रथाको व्यभिचार और अनुलोम-प्रतिलोम विवाहोंको अनाचार समझते हैं। जिस बौद्धधर्मने संसारसे जीव-हिंसाको उठा देनेके लिए प्रबल आन्दोलन किया था, उसीके अनुयायी तिब्बत और चीनके निवासी आज सर्वभक्षी बने हुए हैं—चूहे छछ्दर, कीड़े व मकोड़े तक उनके लिए अखाद्य नहीं हैं! महात्मा बुद्ध नीच ऊँचके भेदभावसे युक्त वर्णव्यवस्थाके परम विरोधी थे; परन्तु आज उनके नेपालदेशवासी अनुयायी हिन्दुओंके ही समान जातिभेदके रोगसे ग्रसित हैं! महात्मा कबीर जीवन भर इस अध्यात्मवाणीको सुनाते रहे कि—

जात पाँत पूछे नहिं कोई, हरिको भजे सो हरिका होई।

परन्तु आज उनके लाखों अनुयायी जातिपाँतिके की चढ़में अपने अन्य पहाँसि-योंके ही समान फँसे हुए हैं। इस ऊँच-नीचके भेदभावकी बीमारीसे तो सुदूर यूरोपसे आया हुआ ईसाई धर्म भी नहीं बच सका है। पाठकोंने सुना होगा कि मद्रास प्रान्तमें ब्राह्मण ईसाइयोंके गिरजाघर जुदा और शद्र ईसाइयोंके गिरिजाधर जुदा हैं और वे एक दूसरेको घृणाकी दृष्टिसे देखते हैं! ऐसी दशामें यदि हमारे जैनधर्ममें देशकालके प्रभा-

^{*} यह छेखमाला अब मुख्तारसाहबके द्वारा संशोधित और परिवर्द्धित होकर जैन-म्रन्थरत्नाकर कार्यालय बम्बईद्वारा पुस्तकाकार प्रकाबित हो गई है।

वसे और अपने पड़ोसी धर्मों के प्रभावसे कुछ विकृतियाँ घुस गई हों, तो इसपर किसी-को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इन विकृतियों में कुछ विकृतियाँ इतनी स्थूल हैं कि उन्हें साधारण बुद्धिके लोग भी समझ सकते हैं। यथा—

1—जेनधर्मसम्मत वर्णव्यवस्थाके अनुसार जिसका कि आदिपुराणमें प्रतिपादन किया गया है, प्रत्येक वर्णके पुरुष अपनेसे बादके सभी वर्णोंकी कन्याओंके साथ विवाह कर सकते हैं; बल्कि धर्मसंप्रहश्रावकाचारके अनुसार तो पहलेके तीन वर्णोंमें परस्पर अनुलोम और प्रतिलोम दोनों ही कमोंसे विवाह हो सकता है और पुराणग्रन्थोंके उदाहरणोंसे इसकी पुष्टि भी होती है *; परन्तु वर्तमान जैनधर्म तो एक वर्णको जो सैकड़ों जातियाँ बन गई हैं और जैनधर्मका पालन कर रही हैं, उनमें भी परस्पर विवाह करना पाप बतलाता है और इसके लिए उसके बड़े बड़े दिग्गज पण्डित शास्त्रोंसे खींच तानकर प्रमाण तक देनेकी धृष्टता करते हैं! क्या यह विकृति नहीं है ?

२—भगविज्ञनसेनके आदिपुराणकी 'वर्णलामिकया' के अनुसार प्रत्येक अजैनको जैनधर्मकी दीक्षा दो जा सकती हूँ और फिर उसका नया वर्ण स्थापित किया जा सकता हूँ, तथा उस नये वर्णमें उसका विवाहसम्बन्ध किया जा सकता हूँ। उसको उसके प्राचीन धर्मसे यहाँ तक जुदा कर डालनेकी विधि है कि उसका प्राचीन गोत्र भी बदल कर उसे नये गोत्रसे अभिहित करना चाहिए। परन्तु वर्तमान जैनधर्मके ठेके-दारोंने भोली भाली जनताको सुधारकोंके विरुद्ध भड़कानेके लिए इसी बातको एक हथि-यार बना रक्खा ह कि देखिए, ये मुसलमानों और ईसाइयोंको भी जैनी बनाकर उनके साथ रोटी-बेटी व्यवहार जारी कर देना चाहते हैं। मानो मुसलमान और ईसाई मनुष्य ही नहीं हैं! क्या यह विकृति नहीं है ? क्या भगवान् महावीरका विश्वधर्म इतना ही संकीण था ? लिब्धसारकी १९५ वीं गाथाकी टीकासे । स्पष्ट माल्यम होता है कि म्लेच्छ देशसे आये हुए म्लेच्छ पुरुष भी मुनिदीक्षा ले सकते थे और इस तरह मुक्तिप्राप्तिके अधिकारी बनते थे।

^{*} इस विषयको अच्छी तरह समझनेके लिए पंडित जुगलिकशोर मुस्तारकी लिसी हुई 'विवाहक्षेत्रप्रकाश' नामकी पुस्तक और मेरा लिसा हुआ 'वर्ण और जातिभेद' नामका निबन्ध देखिए। यह निबन्ध शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाला है।

[†] म्लेच्छभूमिजमनुष्याणां सकलसंयमप्रहणं कथं संभवतीति नाशंकितव्यं । दिग्वि-जयकाले नकवर्तिना सह आयंखण्डमागतानां म्लेच्छराजानां नकवर्त्यादिमिः सह जात-वैवाहिकसंम्बन्धानां संयमप्रतिपत्तेरिवरोधात् । अथवा तत्कन्यकानां नकवर्त्यादिपरिणीतानां गर्भेषूत्पन्नस्य मातृपक्षापेक्षया म्लेच्छव्यपदेशभाजः संयमसंभवात् तथाजातीयकानां दीक्षाईत्वे प्रतिवेधाभावात् ॥ १९५ ॥ पृष्ठ २४१ ।

३—सारत्रयके प्रसिद्ध टीकाकार श्री जयसेनसूरिके कथनानुसार सत्-शृद्ध भी मुनि-दीक्षा ले सकते हैं * । परन्तु वर्तमान जैनधर्म तो श्रूदोंको इसके लिए सर्वथा अयोग्य समझता है । श्रूद्ध तो खेर बहुत नीची दृष्टिसे देखे जाते हैं; परन्तु उन दक्षिणी जैनियोंके भी मुनिदीक्षा लेने पर कोलाहल मचाया जाता है जिनके यहाँ विधवाविवाह होता है । उदार जैनधर्मपर इस प्रकारकी विकृतियाँ क्या लाञ्छनस्वरूप नहीं हैं ?

जैसा कि प्रारंभमें कहा जा चुका है, इन विकृतियोंको पहिचान करके असली धर्मको प्रकाशमें लानेवाली विभृतियाँ समय समय पर होती रहती हैं। सारत्रयके कर्ता आचार्य कुन्दकुन्द ऐसी ही विभूतियों मेंसे एक थे। वर्तमान दिगम्बर संप्रदायके अधि-कांश लोग अपनेको कुन्दकुन्दकी आम्नायका बतलाते हैं। मालूम नहीं, लोगोंका कुन्द-कुन्दाम्नाय और कुन्दकुन्दान्वयके सम्बन्धमें क्या खयाल है: परन्तु मैं तो इसे जैनधर्ममें उस समय तक जो विकृतियाँ हो गई थीं उन सबको हटाकर उसके वास्तविक स्वरूपको आविष्कृत करके सर्व साधारणके समक्ष उपस्थित करनेवाले एक महान् आचार्यके अनु-यायियोंका सम्प्रदाय समझता हूँ। भगवान् कुन्दकुन्दके पहले और पीछे अनेक बड़े बड़े आचार्य हो गये हैं, उनकी आम्नाय या अन्वय न कहलाकर कुन्दकुन्दकी ही आम्राय या अन्वय कहलानेका अन्यथा कोई बलवत्कारण दृष्टिगोचर नहीं होता है । मेरा अनुमान है कि भगवत्कुन्दकुन्दके समय तक जैनधर्म लगभग उतना ही विकृत हो गया था, जितना वर्तमान तेरहपन्थके उदय होनेके पहले भट्टारकोंके शासन-समयमें हो गया था और उन विकृतियोंसे मुक्त करनेवाले तथा जैनधर्मके परम वीतराग शान्त मार्गको फिरसे प्रवर्तित करनेवाले भगवान कोण्डकुण्ड ही थे। परन्तु समयका प्रभाव देखिए कि वह संशोधित शान्तमार्ग भी चिरकाल तक शुद्ध न रहा, आगे चलकर वही भद्दारकोंका धर्म बन गया। कहाँ तो तिल-तुष मात्र परिग्रह रखनेका भी निषेध और कहाँ हाथी घोड़े और पालकियोंके ठाठवाट ! घोर परिवर्तन हो गया !

जब कुन्दकुन्दान्वयी ग्रुद्ध मार्ग धीरे धीरे इतना विकृत हो गया—विकृतिकी पराकाष्ठापर पहुँच गया, तब कुछ विवेकी और विक्लेषक विद्वानोंका ध्यान फिर इस ओर गया और जैसा कि मैंने अपने 'वनवासियों और चैत्यवासियोंके सम्प्रदाय या तेरह-पन्थ और बीसपन्थ '+शीर्षक विस्तृत टेखमें बतलाया है, विक्रमकी सत्रहवीं शताब्दिमें स्वर्गीय पं० बनारसीदासजीने फिर एक संशोधित और परिष्कृत मार्गकी नीव डाली, जो पहुळे 'वाणारसीय ' या 'बनारसी-पन्थ 'कहलाया और आगे चल कर तेरहपन्थके

 ^{* ...} एवं गुणविशिष्टपुरुषो जिनदीक्षात्रहणे योग्यो भवति । यथायोग्यं सच्छूद्रायपि
 —प्रवचनसारतात्पर्यवृत्ति, पृष्ठ ३०५ ।

⁺ देखो, जैनहितषी भाग १४, अंक ४।

नामसे प्रसिद्ध हुआ ! । इस पन्थने और इसके अनुयायी पं॰ टोड्रमळ्ळजी, पं॰ जयच न्दजी, पं॰ दौलतरामजी, पं॰ सदाधुखजी, पं॰ पन्नालालजी दूनीवाले आदि विद्वानोंने जो साहित्य निर्माण किया और जिस गुद्धमार्गका प्रतिपादन किया, उसने दिगम्बरसम्प्रदायमें एक बड़ी भारी कान्ति कर डाली और उस कान्तिका प्रभाव इतना वेगशाली हुआ कि उससे जैनधर्मके शिथिलाचारी महन्तों या भद्दारकोंके स्थायी समझे जानेवाले सिंहासन देखते देखते धराशायी हो गये और कई सौ वषोंसे जो धर्मके एकच्छत्रधारी सम्राद्ध बन रहे थे, वे अप्रतिष्ठाके गहरे गढ़ेमें फेंक दिये गये।

भद्वारकोंका उक्त विकृत मार्ग कितना पुराना है, इसका अनुमान पण्डितप्रवर आशा-धरद्वारा उद्दृत इस वचनसे होता है—

पण्डितैर्म्रष्टचारित्रैः बठरैश्चतपोधनैः । शासनं जिनचन्द्रस्य निर्मेष्ठं मिलनीकृतम् ॥

अर्थात् श्रष्टचरित्र पण्डितों और बठर साधुओं या भद्दारकोंने जिन भगवान्का निर्मल शासन मलीन कर डाला। पं० आशाधरजी विकमकी तेरहवीं शताब्दिके अन्तमें मौजूद थे और उन्होंने इस श्लोकको किसी अन्य प्रन्थसे उद्भृत किया है। अर्थात् इससे भी बहुत पहले भगवान् महावीरके शासनमें अनेक विकृतियाँ पैठ गई थीं।

तेरहपन्यके पूर्वोक्त मिशनने जैनधर्मकी विकृतियोंको हटाने और उसके शुद्ध स्वरूपको प्रकट करनेमें जो प्रशंसनीय उद्योग किया है, वह चिरस्मरणीय रहेगा। यदि इसका उदय न हुआ होता, तो आज दिगम्बर जैनसमाजकी क्या दुर्दशा होती, उसकी कल्पना भी नहीं हो सकती है। बागब प्रान्तमें दौरा करनेवाले बम्बई जैन प्रान्तिक सभाके एक उपदेशकने कोई १०-१२ वर्ष हुए मुझसे कहा था कि कुछ समय पहले वहाँके श्रावक शास्त्रस्वाध्याय आदि तो क्या करेंगे, उन्हें जिन भगवान्की मूर्तिका अभिषेक और प्रक्षाल करनेका भी अधिकार नहीं था! भट्टारकजीके विषय पण्डितजी ही जब कभी आते थे, यह पुण्यकार्य करते थे और अपनी दिक्षणा लेकर चले जाते थे! कहते थे, तुम बाल-बर्चोवाले अब्रह्मचारी लोग

[†] सुप्रसिद्ध इवेताम्बर साधु श्रीमेषविजयजी महोपाध्यायने अपना 'युक्तिप्रबोध ' नामका प्राकृत प्रन्य स्वोपक्ष संस्कृतटीकासहित इस 'वाणारसीय ' मतके खण्डनके लिए ही विक्रमकी अठारहवीं शताब्दिके प्रारंभमें बनाया था—'' वोच्छं सुयणहितत्थं वाणारसियस्स मयभेयं।'—सुजनोंके हितार्य वाणारसी मतका भेद कहता हूँ। इस प्रन्थमें इस मतकी उत्पत्तिका समय विक्रमसंवत् १६८० प्रकट किया है। यथा—

सिरिविक्कमनरनाहागपहिं सोलहसपहिं बासेहिं। असि उत्तरोहिं जायं वाणारसिथस्स मयमेयं॥१८॥

भगवान्की प्रतिमाका स्पर्श कैसे कर सकते हो ? और यह तो अभी कुछ ही वर्षोंकी बात है जब भट्टारकोंके कर्मचारी श्रावकोंसे मारमारकर अपना टैक्स वसूल करते थे तथा जो श्रावक उनका वार्षिक टैक्स नहीं देता था, वह बँधवा दिया जाता था! हम आज भले ही इस बातको महसूस न कर सकें; परन्तु एक समय था, जब समूचा दिगम्बर जैन समाज इन शिथिलाचारी साथ ही अत्याचारी पोपोंकी पीडित प्रजा था और इन पोपोंके सिंहासनको उलट देनेवाला यही शक्तिशाली तेरहपन्थ था। यह इसीकी कृपाका फल है, जो आज हम इतनी स्वाधीनताके साथ धर्मचर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं।

तेरहपन्थने भद्यारकों या महन्तोंकी पूजा-प्रतिष्ठा और सत्ताको तो नष्टप्राय करदिया; परन्तु उनका साहित्य अब भी जीवित है और उसमें वास्तविक धर्मको विकृत कर
देनेवाले तत्त्व मौजूद हैं। यद्यपि तेरहपन्थी विद्वानोंने अपने भाषाप्रन्थोंके द्वारा और
ग्राम ग्राम नगर नगरमें स्थापित की हुई शास्त्रसभाओंके द्वारा लोगोंको इतना सजग और
सावधान अवस्य कर दिया है कि अब वे बिथिलाचारकी बातोंको सहसा माननेके लिए
तैयार नहीं होते हैं और वे यह भी जानते हैं कि भेषी पाखण्डियोंने वास्तविक धर्मको
बहुतसी मिथ्यात्वपोषक बातोंसे भर दिया है; फिर भी संस्कृत ग्रन्थोंके और अपने पूर्वकालीन बड़े बड़े मुनि तथा आचार्योंके नामसे वे अब भी ठगाये जाते हैं। बेचारे सरल
प्रकृतिके लोग इस बातकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि धूर्त लोग आचार्य भद्रबाहु,
कुन्दकुन्द, उमास्वाति, भगविज्ञनसेन आदि बड़े बड़े पूज्य मुनिराजोंके नामसे भी ग्रन्थ
बनाकर प्रचलित कर सकते हैं! उन्हें नहीं माल्रम है कि संस्कृतमें जिस तरह सत्य और
महान् सिद्धान्त लिखे जा सकते हैं, उसी तरह असत्य और पापकथार्ये भी रची जा
सकती हैं!

अतएव इस ओरसे सर्वथा निश्चिन्त न होना चाहिए। लोगोंको इस संस्कृतभक्ति और नामभक्तिसे सावधान रखनेके लिए और उनमें परीक्षाप्रधानताकी भावनाको हढ़ बनाये रखनेके लिए अब भी आवश्यकता है कि तेरहपन्थके उस मिशनको जारी रक्खा जाय जिसने भगवान महावीरके धर्मको विद्युद्ध बनाये रखनेके लिए अब तक निःसीम परिश्रम किया है। हमें मुह्द्धर पण्डित जुगल किशोरजी मुस्तारका चिर कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने अपनी 'प्रन्थ-परीक्षा' नामक लेखमाला और दूसरे समर्थ लेखों-द्वारा इस मिशनको बराबर जारी रक्खा है और उनके अनवरत परिश्रमने भद्दारकोंकी गहियोंके समान उनके साहित्यके सिंहासनको भी उलट देनेमें कोई कसर बाकी नहीं रक्खी है।

लगभग १२ वर्षके बाद 'ग्रन्थपरीक्षा 'का यह तृतीय भाग प्रकाशित हो रहा है जिसका परिचय करानेके लिए मैं ये पंक्तियाँ लिख रहा हूँ। पिछले दो भागोंकी अपेक्षा यह भाग बहुत बड़ा है, और यही सोचकर यह इतने विस्तृत रूपमें लिखा गया है कि अब इस विषयपर और कुछ लिखनेकी आवश्यकता न रहे। महारकी साहित्यके प्रायः सभी अंग प्रत्यंग इसमें अच्छी तरह उघाइकर दिखला दिये हैं और जैनधर्मको विकृत करनेके लिए महारकोंने जो जो जधन्य और निन्य प्रयत्न किये हैं, वे प्रायः सभी इसके द्वारा स्पष्ट हो गये हैं।

मुख्तारसाहबने इन लेखोंको, विशेषकरके सोमसेन त्रिवर्णाचारकी परीक्षाको, कितने परिश्रमसे लिखा है और यह उनकी कितनी बड़ी तपस्याका फल है, यह बुद्धि-मान् पाठक इसके कुछ ही पृष्ठ पढ़कर जान लेंगे। में नहीं जानता हूँ कि पिछले कई सा वर्षोमें किसी भी जैन विद्वानने कोई इस प्रकारका समालोचक प्रन्थ इतने परिश्रमसे लिखा होगा और यह बात तो विना किसी हिचकिचाहटके कही जा सकती है कि इस प्रकारके परीक्षालेख जैनसाहित्यमें सबसे पहले हैं और इस बातकी सूचना देते हैं कि जैनसमाजमें तेरहपन्यद्वारा स्थापित परीक्षाप्रधानताके भाव नष्ट नहीं हो गये हैं। वे अब और भी तेजीके साथ बढ़ेंगे और उनके द्वारा मलिनीकृत जैनशासन फिर अपनी प्राचीन निर्मलनताको प्राप्त करनेमें समर्थ होगा।

विद्वज्ञनबोधक आदि प्रन्योंमें भी भद्दारकोंके साहित्यकी परीक्षा की गई है और उसका खण्डन किया गया है; परन्तु उन के लेखकोंके पास जाँच करनेको केवल एक ही कसौटी थी कि अमुक विधान वीतराग मार्गके अनुकूल नहीं है, अथवा वह अमुक बहे आचार्यके मतसे विरुद्ध है और इससे उनका खण्डन बहुत जोरदार न होता था; क्योंकि श्रद्धालु फिर भी कह सकता था कि यह भी तो एक आचार्यका कहा हुआ है, अथवा यह विषय किसी ऐसे पूर्वाचार्यके अनुसार लिखा गया होगा जिसे हम नहीं जानते हैं; परन्तु प्रन्य-परीक्षाके लेखक महोदयने एक दूसरी अलब्धपूर्व कसौटी प्राप्त की है जिसकी पहलेके लेखकोंको कल्पना भी नहीं थी और वह यह कि उन्होंने हिन्दुओं के स्पृतिप्रन्यों और दूसरे कर्मकाण्डीय प्रन्योंके सैकहों श्लोकोंको सामने उपस्थित करके बतला दिया है कि उक्त प्रन्योंमेंसे चुरा चुरा कर और उन्हें तोड मरोडकर सोमसेन आदिने ये अपने अपने 'मानमतीके कुनके' तैयार किये हैं। जाँच करनेका यह ढंग बिल्कुल नया है और इसने जैन— धर्मका तुलनात्मक पद्धतिसे अध्ययन करनेवालोंके लिए एक नया मार्ग खोल दिया है।

ये परीक्षाकेस इतनी सावधानीसे और इतने अकाक्ष्य प्रमाणोंके आधारसे लिखे गये हैं कि अमीतक उन लोगोंकी ओरसे जो कि त्रिवर्णाचारादि भद्दारकी साहित्यके परम पुरस्कर्ता और प्रचारक हैं, इनकी एक पंक्तिका भी सन्दन नहीं किया गया है और न अब इसकी आहाा ही है। प्रन्थपरीक्षाके पिछले दो मागोंको प्रकाधित हुए लगभग एक युग (१२ वर्ष) बीत गया। उस समय एक दो पण्डितमन्योंने इधर उधर घोषणायें की थी कि हम उनका सण्डन लिखेंगे; परन्तु वे अब तक लिख ही रहे हैं। यह तो असंभव है कि केसोंका

खण्डन लिखा जा सकता और फिर भी पिण्डितोंका दलका दल चुपचाप बैठा रहता; परन्तु बात यह है कि इनपर कुछ लिखा ही नहीं जा सकता। थोड़ी बहुत पोल होती, तो वह ढँकी भी जा सकती; परन्तु जहाँ पोल ही पोल है, वहाँ क्या किया जाय ? गरज यह कि यह लेखमाला प्रतिवादियोंके लिए लोहेके चने हैं, यह सब तरहसे सप्रमाण और युक्तियुक्त लिखी गई है।

मुझे विश्वास है कि जैनसमाज इस लेखमालाका पूरा पूरा आदर करेगा और इसे पढ़ कर जैनधर्ममें घुसे हुए मिथ्या विश्वासों, शिथिलाचारों और अजैन प्रशृत्तियोंको पहिचाननेकी शक्ति प्राप्त करके वास्तविक धर्मपर आरूढ़ होगा।

मेरी समझमें इस लेखमालाको पढ़कर पाठकोंका ध्यान नीचे लिखी हुई बातोंकी ओर आकर्षित होना चाहिए:---

- 9—किसी प्रन्थपर किसी जैनाचार्य या विद्वान्का नाम देखकर ही यह निश्चय न कर लेना चाहिए कि वह जैनप्रन्थ ही है और उसमें जो कुछ लिखा है वह सभी भगवानकी वाणी है।
- २—महारकोंने जैनधर्मको बहुत ही दूषित किया है। वे स्वयं ही श्रष्ट नहीं हुए थे, जैनधर्मको भी उन्होंने श्रष्ट करनेका प्रयत्न किया था। यह प्रायः असंभव है कि जो स्वयं श्रष्ट हो, वह अपनी श्रष्टताको शास्त्रोक्त सिद्ध करनेका कोई स्पष्ट या अस्पष्ट प्रयत्न न करे।
- ३—भद्वारकों के पास विपुल धनसम्पत्ति थी। उसके लोभसे अनेक ब्राह्मण उनके विष्य बन जाते थे और समय पाकर वे ही भद्वारक बनकर जैनधर्मके शासक पदको प्राप्त कर लेते थे। इसका फल यह होता था कि वे अपने पूर्वके ब्राह्मणत्वके संस्कार ज्ञात और अज्ञात रूपसे जैनधर्ममें प्रविष्ट करनेका प्रयत्न करते थे। उनके साहित्यमें इसी कारण अजैन संस्कारोंका इतना प्राबल्य है कि उसमें वास्तविक जैनधर्म बिल्कुल छुप गया है।
- ४—सुना गया है कि भद्दारक लोग ब्राह्मणोंको नौकर रखकर उनके द्वारा अपने नामसे ग्रन्थरचना कराते थे। ऐसी दशामें यदि उनके साहित्यमें जैनधर्मकी कलई किया हुआ ब्राह्मण साहित्य ही दिखलाई दे, तो कुछ आश्चर्य न होना चाहिए।
- ५—इस बातका निश्चय करना कठिन है कि महारकोंके साहित्यका कबसे प्रारंभ हुआ है; इसलिए अब हमें इस दूधसे जलकर छाँछको भी फूँक फूँककर पीना चाहिए। हमें अपनी एक ऐसी विवेककी कसौटी बना लेनी चाहिए जिसपर हम प्रत्येक प्रन्थको कस सकें। जिस तरह हमें किसी बड़े आचार्यके नामसे भुलावेमें न पढ़ना चाहिए, उसी तरह प्राचीनताके कारण भी किसी प्रन्थपर विश्वास न कर लेना चाहिए।

६— संस्कृतके विद्यार्थियों, पिष्डितों तथा शास्त्रियोंका घ्यान इन लेखमालाओंके द्वारा तुलनात्मक पद्धतिकी ओर आकर्षित होना चाहिए और उन्हें प्रत्येक विषयका अध्ययन खूब परिश्रमसे करनेकी आदत डालनी चाहिए। ये परीक्षा लेख बतलाते हैं कि परिश्रम करना किसे कहते हैं।

७—अभी जरूरत है कि और अनेक विद्वान्, इस मार्गपर काम करें। भट्टारकोंके रचे हुए कथायन्य और चिरतप्रन्थ बहुत अधिक हैं। उनका भी बारीकीसे अध्ययन किया जाना चाहिए और जिन प्राचीन यन्थोंके आधारसे वे लिखे गये हैं, उनके साथ उनका मिलान किया जाना चाहिए। भट्टारकोंने ऐसी भी बीसों कथायें स्वयं गढ़ी हैं जिनका कोई मूल नहीं है।

अन्तमें मुद्दूर पण्डित जुगल किशोरजीको उनके इस परिश्रमके लिए अनेकशः धन्यवाद देकर मैं अपने इस वक्तव्यको समाप्त करता हूँ। सोमसेन-त्रिवर्णाचारकी यह परीक्षा उन्होंने मेरे ही आग्रह और मेरी ही प्रेरणासे लिखी है, इस लिए मैं अपनेको सामाग्यशाली समझता हूँ। क्योंकि इससे जैनसमाजका जो मिध्याभाव हटेगा, उसका एक छोटासा निमित्त मैं भी हूँ। इति।

मुळुष्ड (ठाणा) भाद्रकृष्ण २, सं० १९८५

निवेदक— नाथूराम प्रेमी ।

विषय-सूची

~%%-{}}-%%~

विषय					9 8
१ भूमिका	•••	•••	•••	• • •	१ से ९
२ सोमसेन-त्रिवर्णाचा	रकी परी	क्षा	•••	•••	१ से २३६
प्राथमिक निवेदन	•••	•••	•••	•••	१
ग्रंथका संग्रहत्व	•••	•••	•••	•••	९
अजैन ग्रंथोंसे संग्रह	-	•••	•••	•••	२९
प्रतिज्ञादि-विरोध—	-भगवज्जिन	सेनप्रणीत व	मा <mark>दिपुरा</mark> णके	विरुद्ध कथ	ान ४९
	ज्ञानार्णव :	प्रंथके विरुद्ध	६ कथन		८७

दूसरे विरुद्ध कथन—(देव, पितर और ऋषियोंका घेरा, २ दन्तधावन करनेवाला पापी, ३ तेल मलनेकी विलक्षण फलघोषणा, ४ रविवारके दिन ह्नानादिकका निषेघ, ५ घरपर ठंडे जलसे ह्नान न करनेकी आज्ञा, ६-८ ग्रद्धत्वका अद्भुत योग, ९ नरकालयमें वास, १० नमकी विचित्र परिभाषा, ११ अधौतका अद्भुत लक्षण, १२ पितके विलक्षण धर्म, १३ आसनकी अनोखी फलकल्पना, १४ जूठन न छोड़नेका भयंकर परिणाम, १५ देवताओंकी रोक थाम, १६ एक वस्त्रमें भोजन-भजनादिपर आपत्ति, १७ सुपारी खानेकी सजा, १८ जनेऊकी अजीब करामात, १९ तिलक और दर्भके बँधुए, २० सूतककी विडम्बना, २१ पिप्पलादि पूजन, २२ वैधन्ययोग और अर्कविवाह, २३ संकीणेह्दयोद्वार, २४ ऋतुकालमें भोग न करनेवालोंकी गित, २५ अश्वीखता और अश्विष्टाचार, २६ त्याग या तलाक, २७ स्त्री-पुनर्विवाह, २८ तर्पण श्राद्ध और पिण्डदान।)

उपसंहार	•••	•••	•••	२३४
३ धर्मपरीक्षा (इवेताम्बरी)की परीक्षा	•••	•••	•••	२३७
४ अकलंक−प्रतिष्ठापाठकी जाँच	•••	•••	•••	રષ્ક
५ पूज्यपाद-उपासकाचारकी जाँच	•••	•••	•••	२६०

य्रन्थ परीत्ता।

(तृतीय भाग) सोमसेन-त्रिवर्णाचार की परीद्या।



स्त्र वर्ष हुए मैंन 'जैन हितैषी ' में 'प्रन्थ परीक्षा' नाम की एक लेखमाला निकालनी प्रारम्भ की थी, जो कई वर्ष तक जारी रही श्रीर जिसमें (१) उमास्यामि श्रावकाचार (२) कुन्दकुन्द श्रावका-चार (३) जिनसेन त्रिवर्णाचार, (४) भद्र-

बाहु संहिता और (ध) धर्म परीक्षा (श्वताम्बर) नामक प्रंथों पर विस्तृत आलोचनात्मक निबन्ध लिखे गये अधीर उनके द्वारा, गहरी खोज तथा जाँच के बाद, इन प्रंथों की असलियत को खोल कर सर्व साधारण के सामने रक्ला गया और यह सिद्ध किया गया कि ये सब

^{*} अकलंक-प्रतिष्ठा पाठ, निमचन्द्र संदिता (प्रतिष्ठा तिलक)
और पूज्यपाद-उपासकाचार नाम के प्रन्यों पर भी छोटे छोटे लेख
कि गये, जिनका उद्देश्य प्रायः प्रन्य कर्ता ग्रौर प्रन्थ के निर्माख-समयादि-विषयक नासमभी को दूर करना था और उनके द्वारा यह
स्पष्ट किया गया कि ये प्रन्थ क्रमशः तत्वार्थ राज्ञवार्तिक के कर्ता
भट्टाकलंकर्ष, गोरमटसार के प्रणेता भीनेमिचन्द्र सिद्धान्तककवर्ती
और सवार्थसिदि के रखायता भी प्रयणादावार्य के बनावे हुए
नहीं हैं।

प्रथ जाली तथा बनावटी हैं और इनका अवतार कुछ चुद्र पुरुषों अपका तस्कर लेखकों द्वारा आधुनिक भट्टारकी युग में हुआ है । इस लेखमाला ने समाज को जो नया सन्देश सुनाया, जिस भूल तथा यफ़लत का अनुभव कराया, अन्धश्रद्धा की जिस नींद से उसे जगाया और उसमें जिस विचारस्वातंत्र्य तथा तुलनात्मक पद्धति से प्रंथों के **श्र**ध्ययन को उत्तेजित किया, उसे यहाँ बतलाने की जरूरत नहीं है, उसका अन्द्रा श्रानुभव उक्त लेखों के पढ़ने से ही सम्बंध रखता है । हाँ इतना जरूर बतलाना होगा कि इस प्रकार की लेखमाला उस वक्त जैन समाज के लिय एक बिलकुल ही नई चीज थी. इसने उसके विचार वातावरण में अब्झी ऋान्ति उत्पन्न की, सहृदय विद्वानों ने इसे ख़ुशी से अपनायां, इसके अनेक लेख दूसरे पत्रों में उद्धृत किये गये, अनुमोदन किये गये, मराठी में अनुवादित हुए और अलग पुस्तकाकार भी छपाये गये *। स्याद्वादवारिधि पं ० गोपालदासजी वरैय्या ने, जिनसेन त्रिवर्णाचार की परीक्ता के बाद से, त्रिवर्णाचारों को अपने विद्यालय के पठनकम से निकास दिया और दूसर विचारशील विद्वान भी उस वक्त से बराबर अपने कार्य तथा व्यवहार के द्वारा उन लेखों की उपयोगितादि को स्वीकार करते अथवा उनका अभिनंदन करते आ रहे हैं। और यह सब उक्त लेखमाला को सफलता का अच्छा परिचायक है। उस वक्त-जिनसेन त्रिवर्णाचार की परीचा लिखते समय मैंने यह प्रगट किया था कि 'सोमसेन-त्रिवर्णा-चार की परीक्ता भी एक स्वतंत्र लेख द्वारा की जायगी'। परंतु खेद है कि अनवकाश के कारण इच्छा रहते भी, मुक्ते आज तक उसकी परीक्ता

[#] बर्म्बई के जैन प्रन्थरलाकर कार्यालय ने 'प्रन्थ परीक्षा' प्रथम भाग और द्वितीय भाग नाम से, पहले चार प्रन्थों के लेखों को दो भागें में छाप कर मकाशित किया है और उनका लागत मूल्य कम्म्यः छह आने तथा चार आने रक्खा है।

लिखने का कोई अवसर नहीं भिल सका | मैं उस वक्त से बराबर ही दूसरे ज़रूरी कामों से घिरा रहा हूँ | आज भी मेरे पास, यदापि, इसके लिये काफी समय नहीं है—दूसरे अधिक बरूरी कामों का ढेर का ढेर सामने पड़ा हुवा है और उसकी चिंता हृदय को व्यधित कर रही है—परंतु कुछ असें से कई मित्रों का यह लगातार आग्रह चल रहा है कि इस त्रिवर्णाचार की शींग्र परीचा की जाय | वे आज कल इसकी परीचा को खास तौर से आवश्यक महसूस कर रहे हैं और इसलिये आज दसी का यिकाचित प्रयन्न किया जाता है।

इस तिवर्णाचारका दूसरा नाम 'धर्म-रिसक' ग्रंथ भी है झौर बह तेरह अध्यायों में विभाजित है। इसके कर्ता सोमसन, यद्यपि, अनेक पद्यों में अपने को 'मुनि', 'गणी' और 'मुनीन्द्र' तक लिखते हैं अपरन्तु वे वास्ताव में उन आधुनिक भट्टारकों में से थे जिन्हें शिथिलाचारी और परिग्रह्यारी साधु अथवा अमणाभास कहते हैं। और इसलिये उनके विषय में विना किसी संदेह के यह भी नहीं कहा जा सकता कि वे पूर्णारूप से श्रावक की ७ वीं प्रतिमा के भी धारक थे। उन्होंने अपने को पुष्कर गच्छ के भट्टारक गुगाभद्रस्रिका पट्टशिष्य लिखा है और साथ ही महेन्द्रकारि गुरु का जिस रूप से उन्होंने किस यह जान पड़ता है कि वे इनके विद्या गुरु थे। भट्टारक सोमसेनजी कव हुए हैं और उन्होंने किस सन् सम्वत् में इस प्रंथ की रचना की है, इसका अनुसन्धान करने के खिये कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। स्वयं भट्टारकजी ग्रंथ के अत

^{*} वधाः—

[ः]श्रीभद्वारक सोमसेन मुनिभिः । ॥ २-११४ ॥

[ः]श्रीभट्टारक सोमसेन गणिन।ः।। ४-२१७॥

^{···}पुरायाश्विष्टेः सोमसेनैर्मुनीन्द्रै:···।। ६-११८॥

श्रान्दे तत्वरसर्तुचन्द्रकसिते श्रीविक्रमादित्यजे मास कार्तिकनामनीह धवले एके शरत्संभवे । वारेभास्त्रति सिद्धनामनि तथा योगेसुपूर्णातिथी । नक्तत्रे अध्विनिनास्त्रि धर्मरसिको प्रन्यश्च पूर्णाकृत: ॥२१७॥

श्रयीत्-यह धर्म रिसक प्रंथ विकास सं० १६६५ में कार्तिक शुक्ता पूर्णीमा को रिववार के दिन सिद्ध योग श्रीर श्रश्चिनी नक्तन्न में बनाकर पूर्ण किया गया है।

इस ग्रंथ के पहले अध्याय में एक प्रतिज्ञा-वाक्य निम्न प्रकार से दिया हुआ है---

यत्प्रोक्तं जिनसेनये। ग्यगिशिभः सामन्तभद्रैस्तथाः सिद्धान्तेगुणभद्रनाममुनिभिभेट्टाकलंकैः परैः श्रीस्रिजनामधेय विद्युधैराशाधरैर्वाग्वरै— स्तदुदृष्ट्वा रचयामि धर्मरिसकंशास्त्रंत्रिवर्णात्मकम् ॥६॥

अर्थात् — जिनसेनगर्गा, समंतभद्राचार्य, गुराभद्रमुनि, भट्टाकलंक, विद्युध ब्रह्मसूरि और पं० आशावर ने अपने २ प्रंथों में जो कुछ कहा है उसे देखकर में ब्राह्मरा, चत्रिय, वैश्य नाम के तीन वर्गों का आचार बतलाने वाला यह 'धर्मरसिक' नामका शास्त्र रचता हूँ।

प्रंथ के शुरू में इस प्रतिज्ञा वाक्य को देखते ही यह मालूम होने कागता है कि इस प्रंथ में जो कुछ भी कथन किया गया है वह सब उक्त विद्वानों के ही बचनानुसार—उनके ही प्रंथों को देखकर—किया गया है। परन्तु प्रंथके कुछ पत्र पलटने पर उसमें एक जगह ज्ञानार्णव प्रंथ को श्रनुसार, जो कि श्रुभचंद्राचार्य का बनाया हुआ है, ध्यान का कथन करने की श्रीर दूसरी जगह भट्टारक एकसंधि कृत संहिता (जिनसंहिता) के श्रनुसार होमकुएडों का लक्ष्ण कथन करने की प्रतिज्ञाएँ भी पाई जाती हैं। यथा—

" भ्यानं ताववृद्दं वदामि।विदुषांद्वानार्यवे यम्मतम् ॥१—२८॥ " " सद्यवं दोमकुण्डानां वस्ये शास्त्रानुसारतः । महारकैकंसघेश्च रुष्ट्या निर्मलसंदिताम् ॥ ४—१०४॥

इसके सिवाय कहीं २ पर खास तौर से ब्रह्मसूरि, श्रथवा जिन-सेनाचार्य के महापुराग्रा के अनुसार कथन करने की जो पृथक रूप से प्रतिद्वा या सूचना की गई है उसे पहली प्रतिद्वा के ही अंतर्गत अथवा उसी का विशेष रूप सममाना चाहिये, ऐसी एक सूचना तथा प्रतिद्वा नीचे दी जाती है —

श्रीब्रह्मस्रिजनंशरतं श्रीजैनपार्गविषुद्धतत्वः वाचंतु तस्यैवविलोक्यशास्त्रकृतंत्रिशपान्मुनिसोमसेनैः॥३-१४० ॥ जिनसेनमुनि नत्वा वैवाहविधिमुत्सवम् । वस्येपुराणमार्गेण लौकिकाचारसिद्धये ॥ ११--२ ॥

इन सब प्रतिज्ञा वाक्यों श्रीर सूचनाश्रों से प्रंथ कर्ता ने अपने पाठकों को दो बार्तो का विश्वास दिलाया है –

- (१) एक तो यह कि, यह त्रिवर्णाचार कोई संप्रह प्रंथ नहीं है बिक धानेक जैनप्रयों को देखकर उनके आधार पर इसकी स्वतंत्र रचना कीगई है।*
- (२) दूसरे यह कि इस प्रंथ में जो कुछ लिखा गया है वह उक्त जिनसेन।दि छुटों विद्वानों के अनुसार तथा जैनागम के अनुकूल

इति भी धर्मरसिक शास्त्रे त्रिवर्णाचार निकपके महारक भी सोमसेन विरचिते स्नानवस्त्राचमन संप्या तर्पव वर्षनो नाम तृती-बोऽप्यायः।

[ै] प्रश्य के नाम से भी यह कोई संग्रह प्रश्य गालूम नहीं होता और न इसकी संधियों में ही इसे संग्रह प्रश्य प्रकट किया गया है। एक संधि नमूने के तौर पर इस प्रकार है—

लिखा गया है श्रीर जहाँ कहीं दूसरे (शुमचन्द्रादि) विद्वानों के प्रंथा-नुसार कुछ कहा गया है वहाँ पर उन विद्वानों श्रयवा उनके प्रंथों का नाम देदिया गया है।

परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है । प्रंथ को परीचादि से अवलोकन करने पर मालूम होता है कि यह ग्रंथ एक श्रन्छ। खासा संग्रह ग्रंथ है, इसमें दूसरे विद्वानों के ढेर के ढेर वाक्यों को ज्यों का त्यों ठठ। कर या उनमें कहीं कहीं कुछ साधारणसा श्रथवा निरर्थकसा परिवर्तन करके रक्खा गया है, ने नाक्य प्रंथ के प्रतिपाद्य निषय को पुष्ट करने के लिये 'उक्तं च' त्रादि रूप से नहीं। दिये गये, बल्कि वैसे ही ग्रंथ का श्रंग बना कर अपनाये गये हैं और उनको देते हुए उनके लेखक विद्वानों का या उन प्रंथों का नाम तक भी नहीं दिया है. जिनसे उठाकर उन्हें रक्खा है! शायद पाठक यह सममें कि ये दूसरे विद्वान् वेही होंगे, जिनका उक्त प्रतिज्ञा-वाक्यों में उल्लेख किया गया है । परन्तु ऐसा नहीं है- उनके श्रातिरिक्त और भी बीसियों विद्वानों के शब्दों से प्रथ का कलेवर बढ़ाया गया है और वे विद्वान जैन ही नहीं किन्तु अजैन भी हैं। अजैनों के बहुत से साहित्य पर हाथ साफ़ किया गया है और उसे दुर्भाग्य से जैन साहित्य प्रकट किया गया है, यह बड़े ही खेद का विषय है ! इस व्यर्थ की उठा धरी के कारण प्रंथ की तरतीन भी ठीक नहीं बैठसकी-वह कितने ही स्थानों पर स्वलित अथवा कुछ बेढंगेपन को लिये हुए होगई है और साय में पुनक्षितयाँ भी हुई हैं। इसके सिवाय, कहीं २ पर उन विद्वानों के विरुद्ध भी कथन किया गया है जिनके वाक्यानसार कथन करने की प्रतिज्ञा अथवा सूचना की गई है और बहुतसा कथन जैन् सिद्धांत के विरुद्ध श्रयवा जैनादर्श से गिरा हुआ भी इसमें पाया जाता है। इस तरह पर यह अंथ एक बड़ा ही विचित्र प्रंथ जान पदक्ष है श्रीर ' कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनवा जोड़ा' नानी

कहाकत को भी कितने ही श्रंशों में चिरतार्थ करता है। यदापि यह प्रंथ उक्त जिनसेन त्रिवर्णाचारादि की तरह का जाली प्रंथ नहीं है— इसकी रचना प्राचीन बढ़े आचारों के नाम से नहीं हुई — फिर भी यह अर्थजाली जरूर है और इसे एक मान्य जैन प्रंथ के तौर पर स्वीकार करने में बहुत बड़ा संकोच होता है। नीचे इन्हीं सब बातों का दिग्दर्शन कराया जाता है, जिससे पाठकों को इस प्रन्थ के विषय में अपनी ठीक सम्मति स्थिर करने का अवसर मिल सके।

सब से पहले में अपने पाठकों को यह बतला देना चाहता हूँ कि उक्त प्रतिज्ञा पद्य नं र में जिन विद्वानों के नाम दिये गये हैं उनमें 'भट्टाकलंक' से भाभिप्राय राजवार्तिक के कर्ता मट्टाकलंक देन से नहीं है बिल्क अक्लंक प्रतिष्ठापाठ (प्रतिष्ठातिलक) आदि के कर्ता दूसरे भट्टाकलंक से है जिन्होंने भापने को 'भट्टाकलंकदेन' भी लिखा है और जो विक्रम की प्रायः १६ वीं शताब्दी के विद्वान ये अ। और 'गुराभद्र' मुनि संभवतः वेही भट्टारक गुराभद्र जान पड़ते हैं, जो प्रय कर्ता के पट्ट गुरु थे। गुराभद्र भट्टारक के बनाये हुए 'पूजाकल्प' नामक एक प्रथ का उल्लेख भी 'दिगम्बर जैन प्रथकर्ता और उनके प्रय' नामक सूची में पाया जाता है। होसकता है कि इस प्रथ के आधार

^{*} इस त्रिवणीचार में जिनसेन आदि दूसरे विद्वानों के वाक्यों का जिस त्रकार से उन्नेस पाया जाता है, उस प्रकार से राजवार्तिक के कर्ता भट्टाकर्सक देव के बनाये हुए किसी भी प्रंथ का मायः कोई उन्नेस नहीं मिलता। हाँ, अकसंक प्रतिष्ठापाठ के कितने ही कथनों के साथ त्रिवर्णाचार के कथनों का मेल तथा सादश्य ज़कर है और कुछ पद्मादिक दोनों प्रंथों में समान कप से भी पाये जाते हैं। इससे उस पद्म में भट्टाकलंकैः 'पद का बाच्य क्या है, यह बहुत कुछ स्पष्ट होजाता है।

पर भी प्रकृत त्रिवर्णाचार में कुछ कथन किया गया हो और इसके भी बाक्यों को बिना नाम धाम के उठा कर रक्खा गया हो। परन्तु मुक्ते गुराभद्र मुनि के किसी भी प्रंथ के साथ इस प्रंथ के साहित्य की जाँचने का अवसर नहीं मिल सका और इसलिये में उनके प्रंथ विषय का यहाँ कोई उल्लेख नहीं कर सकूँगा। बाकी चार विद्वानों में से जिनसेनाचार्य तो 'अविपुराण' के कर्ता, स्वामी समन्तभद्र 'रत्नकरण्डक' श्रावकाचार के प्रग्रेता, पं० श्राशाधर 'सागार धर्मामृत 'श्रादि के रचयिता और विबुध ब्रह्मसूरि 'ब्रह्मसूरि-त्रिवर्णाचार' अथवा 'जिनसंहितासारोद्धार' के विधाता हुए हैं जिसका दूसरा नाम 'प्रतिष्ठातिलक' भी है। आशाधर की तरह ब्रह्मसूरि भी गृहस्य विद्वान थे और उनका समय विक्रम की प्रायः १५वीं शताब्दी पाया जाता है । ये जैन धर्मानुयायी ब्राह्मगा थे। सोमसेन ने भी 'श्रीब्रह्मसूरिद्विजवंशरत्नं', ब्रह्मसूरिसुविशेष,' 'अञ्जिह्मसृरिवर विप्रकवीश्वरेण' आदि पदों के द्वारा इन्हें बाह्म ए बंश का प्रकट किया है । इनके पिता का नाम 'विजयेन्द्र' श्रीर माता का 'श्री' था । इनके एक पूर्वन गोविन्द भट्ट, जो वेदान्तानुयायी ब्राह्मण थे. खामी समन्तभद्र के 'देवागम' स्तोत्र को सुनकर जैनधर्म में दी जित होगये थे 1 उसी बक्त से इनके वंश में जैनधर्म की बराबर मान्यता चली आई है, और उसमें कितने ही विद्वान हुए हैं।

ब्रह्मसूरि-त्रिवर्णाचार को देखने से ऐसा मालूम होता है कि ब्रह्म-सूरि के पूर्वज जैनधर्म में दीचित होने के समय हिन्दूधर्म के कितने ही संस्कारों को अपने साथ लाये थे, जिनकी उन्होंने स्थिर ही नहीं रक्ष्मा बहिक उन्हें जैन का लिबास पहिनाने और त्रिवर्णाचार जैसे ब्रिक्टी हारा उनका बैनसमाज में प्रचार करने का भी आयोजन किया है। संभव है देश-काल की परिस्थित ने भी उन्हें वैसा करने के लिये

[†] देखो उक्त 'जिनसंहितासारोद्धार' की प्रशस्ति।

मजबूर किया हो-उस वक्त बाह्मण लोग जैन दिजों अथवा जैनधर्म में दीचितों को 'वर्णानः पाती' श्रीर संस्कारविद्दीनों को 'श्रूद्र' तक कहते थे; श्राक्षर्य नहीं जो यह बात नव दीन्नितों की-खास कर विदानों की-असहा हो उठी हो और उसके प्रतीकार के लिये ही उन्होंने अधवा उनसे पूर्व दीचितों ने उपर्युक्त आयोजन किया हो। परंतु कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि उस वह्त दिवाण भारत में इस प्रकार के साहित्य की-संहिता शास्त्रों, प्रतिष्ठा पाठों और त्रिवर्णाचारों की-बहुत कुछ सृष्टि हुई है। एक संधि भ० जिन संहिता, इन्द्रनन्दि संहिता, नेमिचंद्र # संहिता, भद्रवाहु संहिता, आशाधर प्रतिष्ठापाठ, अकलंक प्रतिष्ठा पाठ भीर जिनसेन त्रिवर्णाचार आदि बहुत से प्रंथ उसी वक्त के बने हुए हैं। इस प्रकार के सभी उपलब्ध प्रंथों की सृष्टि विक्रम की प्रायः दूसरी सहस्रार्द्ध में पाई जाती है- विक्रम की पहली सहस्रास्टी (दसवीं शताब्दी तक) का बना हुआ। वैसा एक भी प्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ-श्रीर इससे यह जाना जाता है कि ये प्रंथ उस जमाने की किसी खास इलचल के परिणाम हैं स्रौर इनके कितने ही नूतन विषयों का, जिन्हें खास तौर से बच्य में रखकर ऐसे प्रंथों की सृष्टि की गई है, जैनियों के प्राचीन साहित्य के साथ प्रायः कोई सम्बन्ध विशेष नहीं है । श्रस्तु,

ग्रन्थका संग्रहत्व।

(१) इस त्रिवर्णाचार में सब से ऋधिक संप्रह यदि किसी प्रंथ का किया गया है तो वह ब्रह्मसूरि का उक्त त्रिवर्णाचार ही है। सोमसेन ने अपने त्रिवर्णाचार की रलोक संख्या, प्रंथके अंत में, २७०० दी है और यह संख्या ३२ अद्धरों की रलोक गणना के अनुसार

[#] नेमिचंद्र संहिताके रखायेता 'नेमिचंद्र' भी एक गृहस्थ विद्वान थे और वे ब्रह्मस्रि के भानजे थे। देखो 'नेमिचंद्र संहिता' की ब्रशस्ति अथवा जैन हितैपी के १२ वें भाग का अंक नं० ४-४.

जान पड़ती है। परन्तु वैसे, प्रंथ की पद्य संख्या २०४६ है श्रीर बाक़ी का उसमें मंत्र भाग है जो ५५० या ६०० रलोकों के करीब होगा। कुछ अपवादों को छोड़ कर, यह सारा मंत्र भाग ब्रह्मसूरि- त्रिवर्णाचार से उठाकर—ज्यों का त्यों अथवा कहीं कहीं कुछ बदलकर— रक्खा गया है। रही पद्यों की बात, उनका जहाँ तक मुक़ाबला किया गया उससे मालूम हुआ। कि इस प्रन्थ में १६१ पद्य तो ऐसे हैं जो प्रायः ज्यों के त्यों और १७७ पद्य ऐसे हैं जो कुछ परिवर्तन के साथ ब्रह्मसूरि त्रिवर्णाचार से उठा कर रक्खे गये हैं। इस तरह पर प्रंथ का कोई एकितहाई भाग ब्रह्मसूरि त्रिवर्णाचार से लिया गया है आर उसे जाहिर में अपनी रचना प्रकट किया गया है। इस प्रन्थ संप्रह के कुछ नमूने इस प्रकार हैं:—

(क) ज्यों के त्यों उठाकर रक्खे हुए पद्य। सुखं वांछित्त सर्वेऽपि जीवा दुःखं न जातुचित्। तस्मात्सुखैषिणो जीवाः संस्कारायाभिसम्मताः ॥ २-७॥ एवं दशाहपर्यन्तमेतत्कर्म विश्वीयते। पिंड तिलोदकं चापि कर्त्ता द्यात्तदान्वहम्॥ १३-१७६॥

इन पद्यों में से पहला पद्य ब्रह्मसूरि-त्रिवर्णाचार का भ्रवाँ और दूसरा पद्य उसके अनितम पर्व का १३६ वाँ पद्य है। दूसरे पद्य के आगे पीछे के और भी पचासों पद्य ब्रह्मसूरि-त्रिवर्णाचार से ज्यों के त्यों उठाकर रक्खे गये हैं। दोनों प्रन्थों के अनितम भाग (अध्याय तथा पर्व) सूनक प्रेतक अथवा जननाशौच और मृताशौच नामके प्राय: एक ही विषय को लिये हुए भी हैं।

(स्त्र) परिवर्तन करके रक्स्वे हुए पद्य । कालादिलन्धितः पुंसामन्तःश्रद्धिः प्रजायते । मुख्यापेदयातु संस्कारो बाह्यश्रद्धिमपेस्रते ॥ २-८ ॥

[११]

चतुर्थे दिवसे स्नायात्मातर्गोसर्गतः पुरा । एवीद्वेषटिकाषद्कं गोसर्ग इति भाषितः ॥ १३-२२ ॥ ग्रुद्धाभर्तुश्चतुर्थेऽद्विभोजने रन्धनेऽपिवा । देवपूजा गुरूपास्तिहोमसेवासु पंचमे ॥ १३-२३ ॥

ये पद्य ब्रह्मसूरि-त्रिवर्णाचार के जिन पद्यों को परिवार्तित करके बनाये गये हैं वे ऋगशः इस प्रकार हैं—

भ्रन्तःशुद्धिस्तु जीवानां भवेत्कास्नादिलिध्यतः।
एषामुक्यापिसंस्कारे बाह्यशुद्धिरपेत्तते॥ ७॥
रजस्वलाचतुर्थेऽन्दि स्नायाद्रोसगंतः परं।
पूर्वाद्वे घटिकाषद्कं गोसर्ग इति भाषितः॥ ६-१३ ॥
तिसम्बद्दिन योग्या स्यादुद्दस्या गृहकर्मणि।
देवपूजा गुरूपास्तिद्दोमसेवासु पंचमे॥ ६-१४॥

इन पद्यों का परिवर्तित पद्यों के साथ मुकाबला करने से यह सहज ही में मालूम हो जाता है कि पहले पद्य में जो परिवर्तन किया गया है उससे कोई अर्थ-भेद नहीं होता, बिक्त साहित्य की दृष्टि से वह कुछ घटिया ज़रूर हो गया है। मालूम नहीं फिर इस पद्य को बदलने का क्यों परिश्रम किया गया, जब कि इससे पहला 'सुखं-चांछु किन ' नाम का पद्य ज्यों का त्यों उठाकर रक्ला गया था! इसे भी उसी तरह पर उठाकर रख सकते थे। शेष दोनों पद्यों के उत्तरार्ध ज्यों के त्यों हैं, सिर्फ पूर्वार्ध बदले गये हैं और उनकी यह तबदीली बहुत कुछ भदी जान पहली है। दूसरे पद्य की तबदीली ने तो कुछ विरोध भी उपस्थित कर दिया है-बहास् रि ने चौथे दिन रजलला के स्नान का समय पूर्वाह की छहघड़ी के बाद कुछ दिन चढ़े रक्ला था; परन्तु बहास् रि के अनुसार कथन की प्रतिज्ञा करने वाल सोमसेनजी ने, अपनी इस तबदीली के द्वारा गोसर्ग की उक्त छह घड़ी से पहले रात्रि में ही उसका विधान

कर दिया है ! इससे इन पद्यों के परिवर्तन की निश्धेकता स्पष्ट है श्रीर साथ ही सोमसेनजी की योग्यता का भी कुछ परिचय मिल जाता है ।

(ग) परिवर्तित और अपरिवर्तित मन्त्र।

इस प्रनथ के तीसरे श्रम्याय में, एक स्थान पर, दशदिक्पालों को प्रसन्न करने के मन्त्र देते हुए, लिखा है:----

तते। अपि मुकुलितकर कुड्मलः सन् "ॐनमे। हंते भगवते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविष्नप्रणाशनाय सर्व— रोगापमृत्युविनाशनाय सर्व परकृत चुद्रोपद्रविनाशनाय मम सर्वशान्तिर्भवतु " इत्युचार्य—

इसके बाद-'पूर्वस्यां दिशि इन्द्रः प्रसीदतु, आग्नेयां दिशि अग्निः प्रसीदतु, दिशि एमः प्रसीदतु' इत्यादि रूप से वे प्रसन्नता सम्पादन कराने वाले दसों मन्त्र दिये हैं। ये सब मन्त्र वेही हैं जो ब्रह्मसूरि-त्रिवर्णाचार में भी दिये हुए हैं, सिर्फ 'उत्तरस्यां दिशि कुवेरः प्रसीदतु' नामक मन्त्र में कुवेरः की जगह यहाँ 'यद्धः' पद का परिवर्तन पाया जाता है। परन्तु इन मन्त्रों से पहले 'ततोऽपिमुकुलितकरकुड्मलः सन् ' और 'इत्युचार्य' के मध्य का जो मंत्र पाठ है वह ब्रह्मसूरि त्रिवर्णाचार में निम्न प्रकार से दिया हुआ है: -

ॐ नमोर्हते श्रीशांतिनाथाय शांतिकराय सर्व शांतिर्भवतु खाद्दा। *

श्री ब्रह्मस्रि द्विजवंश रतं श्री जैनमार्ग प्रतिबुद्धतत्वः। वाचतु तस्यैव विलोक्य शास्त्रं कृतं विशेषान्मुनिसोमसेनैः॥

^{*} इस मंत्र में जिन विशेषण पदों को बढ़ाकर इसे ऊपर का रूप दिया गया है उसे सोमसेनजी के उस विशेष कथन का एक नमूना समभना चाहिये जिसकी स्चना उन्होंने अध्याय के अन्त में निम्न पद्य द्वारा की है—

इस प्रदर्शन से यह स्पष्ट जाना जाता है कि सोमसेनजी इन किया मंत्रों को ऐसे आर्थ मंत्र नहीं समऋते थे जिनके अन्तर जँचेत्ले अथवा गिने चुने होते हैं और जिनमें अव्हरों की कमी बेशी आदि के कारण कितनी ही बिडम्बना होजाया करती है अथवा यों कहिये कि यथेष्ट फल संघाटेत नहीं होसकता । वे शायद इन मंत्रों को इतना साधारण समऋते थे कि अपने जैसों को भी उनके परिवर्तन का अधिकारी मानते थे । यही वजह है जो उन्होंने उक्त दोनों मंत्रों में श्रीर इसी तरह श्रीर भी बद्धत से मंत्रों में अपनी इच्छानुसार तबदीली अथवा न्यूनाधिकता की है. जिस सबको यहाँ बतलाने की शावश्यकता नहीं है। मंत्रों का भी इस प्रंथ में कुछ ठिकाना नहीं — अनेक देवताओं के पूजा मंत्रों को छोड़कर, नहाने, धोने, कुल्ला दौँतन करने, खाने, पीने, वस्र पहनने, चलने फिरने, उठने बैठने श्रीर हगने मूतने श्रादि बात बात के मंत्र पाये जाते हैं-मंत्रों का एक खेलसा नजर श्राता है-और उनकी रचना का ढंग भी प्रायः बहुत कुञ्ज सीधा सादा तथा श्रासान है। ॐ, हीं, श्रहें स्वाहा आदि दो चार अन्तर इधर उधर जोड कर और कहीं कहीं कुछ विशेषगा पद भी साथ में लगाकर संस्कृत में वह बात कहदीगई है जिस विषय का कोई मंत्र है। ऐसे कुछ गंत्रों का सारांश यदि हिन्दी में दे दिया जाय तो पाठकों को उन मंत्रों की जाति तथा प्रकृति श्रादि के समझने में बहुत कुछ सहायता मिलेगी। श्रतः नीचे ऐसे ही कुछ मंत्रों का हिन्दी में दिग्दर्शन कराया जाता है-

१ ऊँ हीं, हे यहाँ के देत्रपाल ! समा करो, मुक्ते मनुष्य जानो, इस स्थान से चले जाओ, मैं यहाँ मल मूत्र का त्याग करता हूँ, स्वाहा ।

२ ऊँ, इन्द्रों के मुकुटों की रत्नप्रभा से प्रचानित पाद पद्म झाई-न्तभगवान को नमस्कार, मैं शुद्ध जन से पैर धोता हूँ, स्वाहा ।

३ ऊँ हीं हैं। ",मैं हाथ धोता हूँ, स्त्राहा।

४ ऊँ हीं स्त्रीं भत्तीं, मैं मुँह धोता हूँ, स्त्राहा ।

५ ऊँ परम पवित्राय, मैं दन्तधावन (दाँतन कुल्ला) करता हूँ, स्वाहा ।

६ ऊँ हीं श्रीं कीं एँ त्राहें ब्रासिब्राउसा, मैं स्नान करता हूँ, स्वाहा।

७ ऊँ हीं, संसार सागर से निकले हुए श्रर्हन्त भगवान को नमस्कार. मैं पानी से निकलता हूँ, स्वाहा ।

८ ऊँ हीं दर्शी भूनीं अर्दे हं सः परम पावनाय, में वक्ष पातित्र करता हूँ, स्वाहा |

र ऊँ, हे रवेतवर्ण वाली, सर्व उपद्रवों को हरने वाली, सर्व महाजनों का मनोरंजन करने वाली, धोती डुपटा धारण करने वाली हं भं वं मं सं तं मैं धोती डुपटा धारण करता हूँ स्वाहा ।

१० ऊँ भूभुवः स्वः असित्राउसा, मैं प्रागायाम करता हूँ, स्वाहा ।

११ ऊँ हीं ...,मैं सिरके ऊपर पानी के छींटे देता हूँ, स्वाहा !

१२ ऊँ हीं ...मैं चुल्लू में पानी लेता हूँ, स्वाहा।

१३ ऊँ हीं ,मैं चुल्लू का अमृत (जल) पीता हूँ, स्वाहा।

१४ ऊँ ही अहै, मैं कित्राड़ खोलता हूँ, स्वाहा।

१५ ऊँ हो ऋई मैं द्वारपालको (भीतर जाने की)सूचना देताहूँ,स्वाहा।

१६ ऊँ हीं, अर्हे ,मैं मंदिर में प्रवेश करता हूँ, खाहा।

१७ ऊँ हीं, मैं मुख वस्न को उघाड़ता हूँ, स्वाहा ।

१८ ऊँ हीं, ऋर्हं, मैं यागभूमि में प्रवेश करता हूँ, स्वाहा ।

११ ऊँ हीं, मैं बाजा बजाता हूँ, स्वाहा ।

२० ऊँ हों...मैं पृथ्वी को पानी से धोकर शुद्ध करता हूँ, खाहा ।

२१ ऊँ ह्री ऋहैं चां ठ ठ, मैं दर्भासन बिछाता हुँ, स्वाहा ।

२२ ऊँ हीं ऋईं निस्तरी हूँ फट् मैं दर्भासन पर बैठता हूँ, स्वाहा ।

२३ ऊँ हाँ हीं हूँ हीं हू:, श्री अहेंन्त भगवान को नमस्कार, मैं शुद्ध जल से बरतन धोता हूँ, स्वाहा । २४ ऊँ ही अर्ड ...,में पूजा के द्रव्य को घोता हूँ. स्वाहा ।
२५ ऊँ ही अर्ड,में हाथ जोड़ता हूँ. स्वाहा ।
२६ ऊँ ही स्वस्तये. में कलश उठाता हूँ, स्वाहा !
२७ ऊँ ऊँ ऊँ ऊँ रं रं रं रं, में दर्भ डालकर आग जलाता हूँ स्वाहा ।
२८ ऊँ हीं में पवित्र जलसे द्रव्य शुद्धि करता हूँ, स्वाहा ।
२१ ऊँ हीं, में कुश प्रहणा करता हूँ, स्वाहा ।
३० ऊँ हीं, में पवित्र गंधोदक को सिर पर लगाता हूँ, स्वाहा ।
३१ ऊँ हीं ..., में बासक को पालने में भुताता हूँ, स्वाहा ।
३२ ऊँ हीं अर्ड असिआउसा, में बालक को बिठलाता हूँ. स्वाहा ।
३३ ऊँ हीं औं अर्ड, में बालक के कान नाक बींधता हूँ, असि

३४ ऊँ भुक्ति शक्ति के देने वाले श्रार्टन्त भगवान को नमस्कार मैं बालक को भोजन कराता हूँ ...स्वाहा !

२५ ऊँ, मैं बालक को पैर धरना सिखलाता हूँ, स्वाहा। प्रायः ये सभी मंत्र ब्रह्मसूरि-त्रिवर्णाचार में भी पाये जाते हैं

श्रीर वहीं से उठाकर यहाँ रक्खे गये मालूम होते हैं। परंतु किसी २ मंत्र में कुछ श्रवरों की कमी बेशी श्रयवा तबदीली जरूर पाई जाती है श्रीर इससे उस विचार को श्रीर भी ज्यादा पुष्टि मिलती है जो ऊपर जाहिर किया गया है। साथ ही, यह मालूम होता है कि ये मंत्र जैन-समाज के लिये कुछ श्रधिक प्राचीन तथा रूढ नहीं हैं श्रीर न उसकी ज्यापक प्रकृति या प्रवृत्ति के श्रमुकूब ही जान पड़ते हैं। कितने ही मंत्रों की सृष्टि-उनकी नदीन कल्पना—भट्टारकी युग में हुई है श्रीर यह बात श्रागे चलकर स्पष्ट की जायगी।

(२) पं० आशाधर के प्रयों से भी कितने ही पदा, इस त्रिवर्णा-चार में, विना नाम धाम के संप्रद किये गये हैं। छुठे आध्याय में २२ श्रीर दसनें श्रध्याय में १३ पद्म सागार धर्मामृत से लिये गये हैं । इनमें से छठे श्रध्याय के दो पद्मों को छोड़कर, जिनमें कुछ परिवर्तन किया गया है, शेष ३२ पद्म ऐसे हैं जो इन श्रध्यायों में ज्यों के त्यों उठाकर रक्खे गये हैं । श्रमगारधर्मामृत से भी कुछ पद्म लिये गये हैं और श्राशाधर—प्रतिष्ठापाठ से भी कितने ही पद्मों का संप्रह किया गया है। छठे श्रध्याय के ११ पद्मों का श्राशाधर—प्रतिष्ठा पाठ के साथ जो मुकानबना किया गया तो उन्हें ज्यों का त्यों पाया गया। इन पद्मों के कुछ नम्ने इस प्रकार हैं:—

योग्य कालासनस्थानमुद्राऽऽवर्ताशरोनितः।
विनयेन यथाजातः कृतिकर्मामलं भजेत्॥१-६३॥
किमिच्छकेन दानेन जगदाशा प्रपूर्य यः।
चिक्रिभः क्रियते सोऽईचक्को कल्पदुमा मतः॥ ६-७६॥
जाती पुष्पसहस्राणि जप्त्वा द्वादश सदशः।
विधिनादत्त होमस्य विद्या सिद्धचित वर्णिनः॥ ६-४॥

इनमें से पहला पद्य अनगारधर्मामृत के द्रवें अध्याय का ७८ वाँ, दूसरा पद्य सागारधर्मामृत के दूसरे अध्याय का २८ वाँ और तीसरा पद्य आशाधर-प्रतिष्ठापाठ (प्रतिष्ठासारोद्धार) के प्रथमाध्याय का १३ वाँ पद्य है। प्रतिष्ठापाठ के अगले नं० १४ से २४ तक के पद्य भी यहीं एक स्थान पर ज्यों के त्यों उठाकर रक्खे गये हैं।

> जीविते मरणे लाभेऽ लाभे योगे विपर्यये । बन्ध्वावरी सुस्ने दुःस्ने सर्वदा समता मम ॥ १-६४॥

यह अनगारधर्मामृत के आठवें आध्याय का २७ वाँ पद है ! इसका चौभा चस्स यहाँ बदला हुआ है--'साम्यमेवाभ्युपैम्यहम्' की जगह 'सर्वदा समता मम' ऐसा बनाया गया है । मालूम नहीं इस परिवर्तन की क्या जरूरत पैदा हुई और इसने कौनसी विशेषता उत्पन्न की ! बिल्क नियतकालिक सामायिक के अनुष्टान में 'सर्वदा' शब्द का प्रयोग कुछ खटकता जरूर है ।

मद्यमांसमधून्युज्भेत्वंचत्तीरफलानि च । ष्राष्ट्रेतान् गृहिणां मूलगुणान् स्थूनवथाद्विदुः॥ ६-१६४ ॥

यह पद्य सागर-धर्मामृत के दूसरे अध्याय के पद्य नं ० २ और नं ० ३ बनाया गया है। इसका पूर्वार्ध पद्य नं ० २ का उत्तरार्ध भौर उत्तरार्ध पद्य नं० ३ का पूर्वार्घ है। साथ ही 'स्थूलवधादि वा ' की जगह यहाँ ' स्थूलवधाद्विदुः ' ऐसा परिवर्तन भी किया गया है। सागार-धर्मामृत के उक्त पद्य नं ० २ का पूर्वार्ध है 'तन्नादी अइधक्जैनीमाज्ञां हिंसामपासितुं ' श्रीर पद्म न० ३ का उत्तरार्ध **है 'फलस्थाने समरेद् यूतं मधुस्थान इहैव वा**। ये दोनों पद्य १० वें आपध्याय में ज्यों के त्यों उद्भृत भी किये गये हैं और वहाँ पर अष्टमूल गुर्गों का विशेष रूप से कथन भी किया गया है, फिर नहीं मालूम यहाँ पर यह अष्टमूल गुर्णो का कथन दोबारा क्यों किया गया है और इससे क्या लाभ निकाला गया । प्रकरण तो यहाँ त्याज्य श्रान भाषता भोजन का था-कोल्हापुर की छुपी हुई प्रति में 'ऋथ त्याउया-**झम् 'ऐसा उक्त पद्य से पहले लि**खा भी है-श्रौर उसके लिये इन श्राठ बातों का कथन उन्हें ऋष्टमूल गुरा की संद्या न देते हुए भी किया जा सकता या भ्रोर करना च।हिये या—ख़ासकर ऐसी हालत में जब कि इनके त्याग का मूलगुरा रूप से आगे कथन करना ही था। इसके सिवाय दूसरे 'रागजीववधापाय' * नामक पद्य में जो परिवर्तन किया गया है यह बहुत ही साधारण है। उसमें 'राश्रिभक्तं' की जगह 'रात्रीभुक्तिं' बनाया गया है भीर यह बिलकुल ही निरर्थक परिवर्तन जान पदता है।

[#] यह सागार-धर्मामृत के दूसरे अध्याय का १४ वाँ पद्य है और सोमसेन-त्रिवर्णाचार के छुठे अध्याय में नं० २०१ पर दर्ज है।

(३) इस ग्रंथ के दसवें अध्याय में रत्नकरएड-श्रावकाचार के 'विषयाशावशातीतां' आदि साठ पद्य तो ज्यों के त्यों और पाँच पद्य कुछ परिवर्तन के साथ संग्रह किय गये हैं। परिवर्तित पद्यों में से पहला पद्य इस प्रकार है।

श्रष्टांगैः पालितं शुद्धं सम्यक्त्वं शिवदायकम् । न हि मंत्रोऽत्तरन्यूनो निहन्ति विषवेदनाम् ॥ २८ ॥

यह पद्य रत्नकरएड श्रावकाचार के २१ वें पद्य रूपान्तर है। इसका उत्तरार्घ तो वही है जो उक्त २१ वें पद्य का है, परन्तु पूर्वार्घ को विलक्कल ही बदल डाला है और यह तबदीली साहित्य की टाप्ट से बड़ी ही भदी मालूम होती है। रत्नकरएड श्रावकाचार के २१ वें पद्यका पूर्वार्घ है-

नाङ्गहीनमलं छेत्तुं दर्शनं जन्मसन्ततिम्।

पाठकजन देखें, इस पूर्वार्ध का उक्त पद्य के उत्तरार्ध से कितना गहरा सम्बन्ध है। यहाँ सम्यग्दर्शन की अंग्रहीनता जन्मसंतित को नाश करने में आसमर्थ है और वहाँ उदाहरण में मंत्र की श्रव्हरन्यूनता विषवेदना को दूर करने में अशकत है—दोनों में कितना साम्य, कितना साहश्य और कितनी एकता है, इसे बतलाने की जरूरत नहीं। परन्तु खेद है कि भट्टारकजी ने इसे नहीं समका और इसलिये उन्होंने रत्न के एक दुकड़े को श्रलग करके उसकी जगह काच जोड़ा है जो बिल-कुल ही बेमेल तथा बेडौल मालूम होता है। दूसरे चार पद्यों की भी प्रायः ऐसी ही हालत है—उनमें जो परिवर्तन किया गया है वह व्यर्थ जान पड़ता है। एक पद्य में तो 'महाकुलाः' की जगह उत्तम-कुलाः' बनाया गया है, दूसरे में 'ज्ञेयं पाखिरडमोहनं' को 'ज्ञेया-पाखिरडमूदता' का रूप दिया गया है, तीसरे में 'समयमाहुर्ग-तस्मयाः' की जगह 'श्रीयते तन्मदाष्टकम्' यह चौथा चरण कायम किया गया है और चौथे पद्य में 'दिञ्यशरीरं च लभ्यन्ते'

के स्थान पर 'विद्यन्ते कामदा नित्यम्' यह नवीन पद जोड़ा गया है श्रौर इससे मूलका प्रतिपाद विषय भी कुछ कम होगया है।

(४) श्रीजिनसेनाचार्यप्रणीत ऋदिपुराण से भी कितने हैं। पद्य उठाकर इस प्रंथ में रक्खे गये हैं, जिनमें से दो पद्य नमूने के तौर पर इस प्रकार हैं—

> वतचर्यामहं वस्ये क्रियामस्योपविश्वतः। कद्युरूरः शिरोत्तिंगमनुत्रानवतोचितम्॥ ६-६७॥ वस्त्राभरणमाल्यादित्रहणं गुर्वनुश्वया। शस्त्रोपजीविवर्ग्यश्चेद्धारयेच्छस्त्रमप्यदः॥ ६-८०॥

इनमें से पहला पद्य तो आदिपुराण के ३८ वें पर्व का १०१ वाँ पद्य है-इसके आगे के और भी कई पद्य ऐसे हैं जो ज्यों के त्यों उठाकर रक्खे गये हैं और दूसरा उसी पर्व के पद्य नं० १२५ के उत्तरार्ध और नं० १२६ के पूर्वार्ध को मिलाकर बनाया गया है। पद्य नं० १२५ का पूर्वार्ध और नं० १२६ का उत्तरार्ध कमश: इस प्रकार हैं—

कृतद्विज्ञार्चनस्यास्य व्रतावतरणोवितम् ॥ पृ० १२४ ॥ स्वकृत्तिपरिरत्तार्थं शोभार्थं चास्य तद्ग्रहः ॥ उ० १२६ ॥

गालूम नहीं दोनों पद्यों के इन अंशों को क्यों छोड़ा गया और उसमें क्या लाग सोचा गया। इस व्यर्थ की छोड़ छाड़ तथा काट छाँट का ही यह परिणाम है जो यहाँ वतावतरण किया के कथन में उस सार्व-कालिक वत का कथन छूट गया है जो आदिपुराण के 'मद्यमांस परित्यागः' नामक १२३ वें पद्य में दिया हुआ है *। और इसलिये

मद्यमांसपारित्यागः पंचोदुम्थरवर्जनम् । हिंसादिविरतिश्चास्य वतं स्यात्सार्वकालिकम् ॥

 ^{# &#}x27;व्रतावतरणं चंदं' से पहले श्रादिपुराण का वह १२३ वाँ पद्य
 इस प्रकार है—

उक्त ८० वें पद्य से पहले आदिपुरागा का जो १२४ वाँ पद्य उद्धृत किया गया है वह एक प्रकार से बेढंगा तथा असंगत जान पदता है। वह पद्य इस प्रकार है—

> वतावतरणं चेदं गुरुसात्तिकृतार्चनम् । वत्सरात् द्वादशादृर्ध्वमथवा षोडशात्परम् ॥१-७६॥

इसमें 'इदं' शब्द का प्रयोग बहुत खटकता है और वह पूर्वकथन को 'व्रताचतरण' किया का कथन बतलाता है परन्तु प्रन्थ में वह 'व्रतचर्या' का कथन है और 'व्रतचर्यामहं चच्ये' इस ऊपर उद्धृत किये हुए पद्य से प्रारम्भ होता है। अतः भद्यारक्जी की इस काट छाँट और उठाई धरी के कारण दो कियाओं के कथन में कितना गोलमाल होगया है, इसका अनुभव विज्ञ पाठक स्वयं कर सकते हैं और साथ ही यह जान सकते हैं कि भद्यारक्जी काट छाँट करने में कितने निपुण थे।

(प्र) श्रीशुभचन्द्राचार्य-प्रगित ' ज्ञानार्ग्य ' प्रन्थ से भी इस त्रिवर्णाचार में कुछ पद्यों का संप्रह किया गया है । पहले श्रध्याय के पाँच पद्यों को जाँचने से मालूम हुआ कि उनमें से तीन पद्य तो ज्यों के त्यों और दो कुछ परिवर्तन के साथ उठा कर रक्खे गये हैं । ऐसे पद्यों में से एक एक पद्य नमुने के तौर पर इस प्रकार है:—

> चतुर्वर्शमयं मंत्रं चतुर्वर्गफलप्रदम्। चतूरात्रं जपेद्योगी चतुर्थस्य फलं भवेत्॥ ७४॥ विद्यां षड्वर्णसंभूतामजय्यां पुर्यशालिनीम्। जपन्त्रागुक्तमभ्येति फलंध्यानी शतत्रयम्॥७६॥

ये दोनों पद्य ज्ञानागार्व के ३ = वें प्रकरण के पद्य हैं श्रीर वहाँ क्रमशः नं ० ५१ तथा ५० पर दर्ज हैं — यहाँ इन्हें श्रागे पिछे उद्घृत किया गया है। इनमें से दूसरा पद्य तो ज्यों का त्यों उठा कर रक्खा गया है और पहले पद्य के उत्तरार्ध में कुछ परिवर्तन किये गये हैं—
'चतुःशतं 'की जगह 'चतृरात्रं', 'जपन् 'की जगह 'जपेत्'
श्रीर 'लभेत् 'की जगह 'भवेत् 'वनाया गया है । इन परिवर्तनों में से पिछले दो परिवर्तन निरर्थक हैं—उनकी कोई जरूरत ही न थी—श्रीर पहला परिवर्तन ज्ञानार्शव के मतसे विरुद्ध पड़ता है जिसके श्रनुसार कपन करने की प्रतिज्ञा की गई है × । ज्ञानार्शव के श्रनुसार 'चतुरव्हरी मंत्र का चारसी संख्या प्रमाण जप करने वाला योगी एक उपवास के फलको पाता है 'परन्तु यहाँ, जाप्य की संख्या का कोई वियम न देते हुए, चार रात्रि तक जप करने का विधान किया गया है श्रीर तब कहीं एक उपवास * का फल होना लिखा है । इससे

× वह प्रतिश्वा वाक्य इस प्रकार है-

ध्यानं तावदहं वदामि बिदुषां ज्ञानार्णवे यन्मतम्।

* पं० पन्नालाल जी सोनी ने अपने अनुवाद में, "चार रात्रि पर्यंत जर करें तो उन्हें मोसकी प्राप्ति होती है" ऐसा लिखा है और इससे यह जाना जाता है कि आपने उक्त ७४ वें पद्य में प्रयुक्त हुए 'चतुर्थ' शब्दका अर्थ उपवास न समभकर 'मोस्च' समभा है! परन्तु यह आपकी बड़ी भूल है—मोस्च इतना सस्ता है भी नहीं। इस पारिभाषिक शब्दका अर्थ यहाँ 'मोस्च' (चतुर्थवर्ग) न होकर 'चतुर्थ' नाम का उपवास है, जिसमें भोजन की चतुर्थ वेला तक निराहार रहना होता है। ७६ वें पद्य में 'प्रागुक्तं' पद के द्वारा जिस पूर्व-कथित फल का उन्नेख किया गया है उसे झानार्थव के पूर्ववर्ती पद्य नं० ४६ में 'चतुर्थतपस: फलं' लिखा है। इससे 'चतुर्थस्य फलं' और 'चतुर्थतपस: फलं' दोनों एकार्थवाचक पद हैं और वे पूरे एक उपवास-फल के द्योतक हैं। पं० पन्नालाल जी बाकलिवाल ने भी झानार्थव के अपने अनुवाद में, जिसे उन्होंने पं० जयवन्दजी की

दे। नों में परस्पर कितना अन्तर है और उससे प्रतिज्ञा में कहाँतक विरोध आता है इसे पाठक स्वयं समभ सकते हैं। इस अध्याय में और भी कितने ही कथन ऐसे हैं जो ज्ञानार्णव के अनुकूल नहीं हैं। उनमें से कुछ का परिचय आगे चलकर यथास्थान दिया जायगा।

(६) एकसंधि भट्टारक की 'जिनसंहिता 'से भी कितने ही पद्मादिकों का संप्रह किया गया है श्रीर उन्हें प्रायः ज्यों का त्यों अध्या कुछ परिवर्तन के साथ उठाकर श्रमेक स्थानों पर रक्खा गया है। चौथे श्राध्याय में ऐसे जिन पद्मों का संप्रह किया गया है उनमें से दो पद्म नमूने के तौर पर इस प्रकार हैं—

तिथिक्त स्राप्त्रच्छेषके वल्यन्तमहोत्सवे ।
प्राप्य ये पूजनाङ्गत्वं पवित्रत्व मुपागताः ॥ ११४ ॥
ते त्रयोपि प्रणेतच्याः कुरुडेष्वेषु महानयम् ।
गार्हेपत्याह्वनीयद्त्तिणाञ्जिप्रासिद्धयाः ॥ ११६ ॥

भाषा दीका का 'श्रनुकरण मात्र' लिखा है, 'चतुर्थ' का श्रर्थ श्रनेक स्थानों पर 'उपवास' दिया है। श्रीर प्रायश्चित ग्रंथों से तो यह बात श्रीर भी स्पष्ट है कि 'चतुर्थ' का श्रर्थ 'उपवास' है; जैसाकि 'प्रायश्चित्त चूलिका' की श्रीनिद्गुरुकृत टीका के निम्न वाक्यों से प्रकट है—

'त्रिचतुर्थानि त्रीणि चतुर्थानि त्रय उपवासा इत्यर्थः।'
'चतुर्थ उपवासः'। इससे सोनीजी की भूल स्वष्ट है और उसे इसिलये स्पष्ट किया गया है जिससे मेरे उक्त लिखने में किसी को भ्रम न हो सके। श्रम्यथा, उनके श्रम्यादकी भूलें दिखलाना यहाँ इष्ट नहीं है, भूलों से तो सारा श्रमुवाद भरा पड़ा है—कोई भी ऐसा पृष्ठ नहीं जिसमें श्रमुवाद की दसपाँच भूलें न हों—उन्हें कहाँतक दिखलाया जा सकता है। हाँ, मेरे लेखके विषय से जिन भूलोंका खास श्रयवा गहरा सम्बन्ध होगा उन्हें यथावसर स्पष्ट किया जायगा।

ये दोनों पद्य एक सांधि - जिनसंहिता के ७ वे परिच्छेद में कमशः नं० १६, १७ पर दर्ज हैं और वहीं से उठाकर रक्खे गये मालूम होते हैं। साथ में आगे पिछे के और भी कई पद्य लिये गये हैं। इनमें से पहला पद्य वहाँ ज्यों का त्यों और दूसरे में 'महानयम्' की जगह 'महाग्नयः' तथा 'मिद्ध्या 'की जगह 'मिद्ध्यः' ऐसा पाठ भेद पाया जाता है और ये दोनों ही पाठ ठीक जान पड़ते हैं। अन्यथा, इनके स्थान पर जो पाठ यहाँ पाये जाते हैं उन्हें पद्य के शेष भाग के साथ प्रायः असम्बद्ध कहना होगा। मालूम होता है ये दोनों पद्य संहिता में थोड़े से परिवर्तन के साथ आदिपुराण से लिये गये हैं। आदिपुराण के ४०वें पर्व में ये नं० ८३, ८४ पर दिये हुए हैं, सिर्फ पहले पद्य का चौथा चरण वहाँ 'प्जाङ्गत्वं समासाद्य' है और दूसरे पद्य का पूर्वार्ध है-'कुएडअये प्रणेतव्यास्त्रय एते महाग्नयः'। इनका जो परिवर्तन संहिता में किया गया है वह कोई अथिवशेष नहीं रखता—उसे व्यर्थ का परिवर्तन कहना चाहिये।

यहाँ पर इतना श्रीर भी बतला देना उचित मालूग होता है कि यह संहिता विक्रम की प्रायः १३ वीं शताब्दी की बनी हुई है श्रीर श्रादिपुराण विक्रम की ६ वीं १० वीं शताब्दी की रचना है।

(७) वसुनिन्दि-प्रतिष्ठापाठ से भी बहुत से पद्य लिये गये हैं। इक्रेड अपध्याय के १६ पद्यों की जाँच में ११ पद्य ज्यों के त्यों और द्र पद्य कुळ बदले हुए पाये गये। इनमें से तीन पद्य नमूने के तौर पर इस प्रकार हैं—

तास्त्रौरिष संयुक्तं विम्बं दिस्यविवार्जितम्।
न शोभते यतस्तरमात्कुर्याद् दिष्टमकाशनम् ॥ ३३ ः
प्रार्थनाशं विरोधं च तिर्यग्दिष्टेभयं तदा।
प्राथस्तात्पुत्रनाशं च भाषीमरखमूर्थ्वदक् ॥ ३४ ॥

शोकमुद्रेगसन्तापं सदा कुर्याद्धनत्त्वयम् । शान्ता सौभाग्यपुत्रार्थशान्तिवृद्धित्रदानदृक् ॥ ३४ ॥

ये तीनों पद्य वसुनन्दि-प्रतिष्ठापाठ (प्रतिष्ठासारसंप्रह) के चौथे पाश्चित्रंद के पद्य हैं श्रीर उसमें अमशः नं० ७२, ७५, ७६, पर दर्ज हैं। इनमें पहला पद्य ज्यों का त्यों श्रीर शेष दोनों पद्य कुछ परिवर्तन के साथ उठा कर रक्खे गये हैं। दूसरे पद्य में 'हिष्टिर्भयं' की जगह 'हिष्टेर्भयं', 'तथा' की जगह 'तदा' भौर 'ऊर्ध्वरा।' की जगह 'उर्ध्वहक' बनाया गया है। श्रीर तीसरे पद्य में 'स्तब्धा' की जगह 'सदा' श्रीर 'प्रदा भवेत् 'की जगह 'प्रदानहक' का परिवर्तन किया गया है। ये सब परिवर्तन निरर्थक जान पड़ते हैं, 'तथा' की जगह 'तदा' के परिवर्तन ने तो श्रि का श्रनर्थ ही कर दिया है। यही वजह है जो पन्नालालजी सोनी ने, श्रपने भानुवाद में, स्तब्धा दिया है के फल को भी ऊर्ध्व दृष्टि के फल के साथ जोड़ दिया है—श्रर्थात् श्रोक, उद्देग, सन्ताप श्रीर धनन्तय को भी ऊर्ध्व दृष्टि का फल बतला दिया है #!

यहाँ इतना श्रीर भी जान लेना चाहिये कि पहले पद्यमें जिस दि हि प्रकाशन की प्रेरणा की गई है, जिनिबम्ब की वह दृष्टि कैसी होनी चाहिये उसे बतलाने के लिये प्रतिष्ठापाठ में उसके श्रनन्तर ही निम्नलिखित दो पद्य श्रीर दिये हुए हैं—

नात्यन्तोन्मीलिता स्तब्धा न विस्फारितमीलिता।
तिर्यगृर्ध्वमधोर्हांष्टं वर्जियत्वा प्रयत्नतः॥ ७३ ॥

^{*} यथा—''(प्रतिमा की) दृष्टि यदि ऊपरको हो ते।स्त्रीका मरण होता है और वह शोक, उद्देग, सन्ताप श्लौरधनका स्वय करती है।"

[२५]

नासाम्रानिहिता शान्ता प्रसन्ना निर्विकेरिका । बीतरागस्य मध्यस्था कर्तन्या चोत्तमा तथा॥ ७४॥

मालूम नहीं इन दोनों पर्धे। को सोमसेनजी ने क्यों छोड़ा श्रीर क्यों इन्हें दूसरे पर्धों के साथ उद्भृत नहीं किया, जिनको उद्भृत किया जाना ऐसी हालत में बहुत जरूरी था श्रीर जिनके श्रस्तित्व के बिना श्रगला कथन कुछ अधूरा तथा लँडूरा सा मालूम होता है । सच है अच्छी तरह से सोचे सममे बिना योही पर्धों की उठाईधरी करने का ऐसा ही नतीजा होता है ।

(८) प्रत्य के दसर्वे श्रव्याय में वसुनिन्दिश्रात्रकाचार से छह स्रौर गोम्मटसार से स्राठ गाथाएँ प्रायः ज्यों की त्यों उठाकर रक्खी गई हैं, जिनमें से एक एक गाथा नमूने के तौर पर इस प्रकार है-

पुन्वत्त ग्राविद्वाणं पि मेहुणं सन्वदा विवज्जंतो । इत्थिकद्वादिणिवत्ती सत्तमं वंभवारी सो ॥ १२७॥ वत्तारि वि खेताई आउगवंधेण दोइ सम्पत्तं । अशुन्वयमद्वन्वयाई ग्राह्व देवाउगं मोर्नु ॥ ४१॥

इनमें से पहली माथा वसुनिद्धावकाचार की २१७ नम्बर की श्रीर दूसरी गोम्मटसार की ६५२ नम्बर की गाथा है। ये गाथाएँ भी किसी पूर्वकथित अर्थ का समर्थन करने के लिये ' उक्तं च ' रूप से नहीं दी गई बिल्कि वैसे ही अपनाकर प्रंथ का अंग बनाई गई हैं। प्राकृत की और भी कितनी ही गाथाएँ इस प्रन्थ में पाई जाती हैं; वे सूब भी ' मूलाचार' आदि दूसरे प्रन्थों से उठाकर रक्खी गई हैं।

(१) भूपाल कवि-प्रणीत ' जिनचतुर्विशितका ' स्तेत्र के भी कई पद्य प्रन्थ में संगृहीत हैं। पहले अध्याय में 'सुप्तोतिथतेन' भौर 'श्रीलीखायतनं' चौथे में 'किसलियतमन रुपं' और 'देव

त्वदंधि' तथा छठे में 'स्वामिन्नद्य' श्रीर 'हछं धामरसायनस्य' नाम के पद्य ज्यों के त्यों उद्धृत पाये जाते हैं। श्रीर ये सब पद्य उक्त स्तोत्र में ऋमशः नं० ११, १, १३, १६, ३ श्रीर २५ पर दर्ज हैं।

(१०) सोमदेवस्रि-प्रणीत 'यशस्तिलक' के भी कुछ पद्योंका संप्रद पाया जाता है, जिनमें से दो पद्य नम्ने के तौरपर इस प्रकार हैं—

> मृढत्रयं मदाश्चाष्टौ तथानायतनानि षद् । श्रष्टौ शंकादयो दोषाः सम्यक्त्वे पंचिवंशितः ॥१०-२६॥ श्रद्धा भक्तिस्तुष्टिर्वज्ञानमलुब्धता समा सत्वम् । यत्रैते सप्तगुणास्तं दातारं प्रशंसन्ति ॥१०-११८॥

इनमें से पहला 'यशितलक' के छुठ आश्वास का और दूमरा आठवें आश्वास का पद्य है। पहले में 'शंकाद्यश्चेति हरदोषाः' की जगह 'शंकाद्यो दोषाः सम्यक्तवे' का परिवर्तन किया गया है और दूसरे में 'शिक्तः' की जगह 'सत्वम्' बनाया गया है। ये दोनों ही परिवर्तन साहित्य की दृष्टे से कुछ भी महत्व नहीं रखते और न अर्थकी दृष्टि से कोई खास भेद उत्पन्न करते हैं और इसलिये इन्हें व्यर्थ के परिवर्तन समक्तना चाहिये।

(११) इसीतरह पर श्रीर भी कितने ही जैनग्रंथों के पद्य इस त्रिवर्णाचार में फुटकर रूप से इधर उधर संगृहीत पाये जाते हैं, उनमें से दो चार ग्रंथों के पद्योंका एक २ नमूना यहाँ श्रीर दिये देता हूँ—

त्रिवर्गसंसाधनमन्तरेश पशोरिवायुर्विफलं नरस्य।
तत्रापि धर्मं प्रवरं वदन्ति न तं विना यद्भवतोऽर्धकामौ ॥७-४॥
यह सोमप्रभाचार्यकी 'सूक्तमुक्तावली' का जिसे 'सिन्दूरप्रकर '
भी कहते हैं, तीसरा पद्य है।

स्दमाः स्थूलास्तथा जीवाः सन्त्युदुम्बरमध्यगाः । तिम्निमत्तं जिनोद्दिष्टं पंचोदुम्बरवर्जनम् ॥ १०-१०४ ॥

[२७]

यह 'पूज्याद-उपासकाचार 'का पद्य है श्रीर उसमें इसका संख्यानम्बर ११ है।

> वधादसत्याचौर्याच कामाद् प्रंथान्निवर्तनम् । पंचकाणुवतं रात्रिभुक्तिः षष्ठमणुवतम् ॥ १०-८४ ॥

यह चामुण्डराय-विरचित 'चारित्रसार' प्रंथ के अगुत्रत-प्रकरण का अन्तिम पद्य है।

> श्चन्होमुखेऽवसाने च यो द्वे द्वे घटिके त्यजेत्। निशाभोजनदोषक्षोऽश्चात्यसी पुण्यभोजनम् ॥ १०-८६॥

यह हेमचन्द्राचार्य के 'योगशास्त्र' का पद्य है और उसके तीसरे प्रकाश में नं ६३ पर पाया जाता है। इसमें 'त्यजन' की जगह 'त्यजेत्' और 'पुरायभाजनम्' की जगह यहाँ 'पुरायभोजनम्' बेनाया गया है। पद्यका यह परिवर्तन कुळ अच्छा मालूम नहीं होता। इससे 'सुबह शामकी दो दो घड़ी छोड़कर दिनमें भोजन करनेवाला मनुष्य पुरायका भाजन (पात्र) होता है' की जगह यह आशय हो गया कि 'जो सुबह शामकी दो दो घड़ी छोड़ता है वह पुराय भोजन * करता है, और यह आशय आयवा कथनका ढंग कुळ समीचीन प्रतीत नहीं होता।

श्चास्तामेतद्यदिह जननीं वज्जभां मन्यमाना निन्द्यां चेष्टां विद्वधित जना निस्त्रपाः पीतमद्याः । तज्ञाधिक्यं पथि निपतिता यत्किरत्सारमेयात् बक्ते मूत्रं मधुरमधुरं भाषमाणाः पिवन्ति ॥ ६-१६७॥

यह मद्यपान के दोपको दिखाने वाला पद्य पद्मनित्-आचार्य-विरचित 'पद्मनिद्पंचविंशति' का २२ वाँ पद्य है।

[#] पं० पन्नालालजी सोनी ने भी, भ्रापन अनुवाद में, यही लिखा है कि "वह पुरुष पुरुषभोजन करता है।"

खयमेवात्मनाऽऽत्मानं हिनस्त्यात्मा कषायवान् । पूर्वं प्राग्यन्तराणां तु पश्चात्स्याद्वा न वा वधः ॥ १०-७४ ॥

यह पद्य 'राजवार्तिक' के ७ वें अध्याय में 'उक्तं च' रूप से दिया हुआ है और इसिलये किसी प्राचीन प्रंथ का पद्य जान पड़ता है। हाँ, राजवार्तिक में 'कषायवान्' की जगह 'प्रमादवान्' पाठ पाया जाता है, इतना ही दोनों में अन्तर है।

यह तो हुई जैनप्रंथों से संप्रह की बात, श्रीर इसमें उन जैन-विद्वानों के वाक्यसंप्रह का ही दिग्दर्शन नहीं हुआ जिनके प्रंथों को देखकर उनके अनुसार कथन करने की—न कि उनके शब्दों को उठा कर प्रंथ का श्रंग बनाने की—प्रतिज्ञाएँ श्रथता सूचनाएँ की गईँ थीं बल्कि उन जैन विद्वानों के वाक्यसंप्रह का भी दिग्दर्शन होगया जिनके वाक्यानुसार कथन करने की बात तो दूर रही, प्रंथ में उनका कहीं नामो-स्नेख तक भी नहीं है । नं० ६ के बाद के सभी उन्नेख ऐसे ही विद्वानों के वाक्य—संप्रह को लिये हुए हैं ।

यहाँ पर इतना और भी बतला देना उचित मालूम होता है कि इस संपूर्ण जैनसंप्रह में ब्रह्मसूरि-त्रिवर्णाचार जैसे दो एक समकत्त प्रंथों को छोड़कर शेष प्रंथों से जो कुछ संप्रह किया गया है वह उस कियाकांड तथा विचारसमूह के साथ प्रायः कोई खास मेल अथवा सम्बंधविशेष नहीं रखता जिसके प्रचार अथवा प्रसार को लच्य में रखकर ही इस त्रिवर्णाचार का अवतार हुआ है और जो बहुत कुछ दूषित, शुटिपूर्ण तथा आपित के योग्य है। उसे बहुधा त्रिवर्णाचार के मूल अभिप्रेतों या प्रधानतः प्रति-पाद्य विषयों के प्रचारादि का साधनमात्र समक्तना चाहिये अथवा यों कहना चाहिये कि वह खोटे, जाली तथा अल्प मूल्य सिक्कों को चलाने के लिये उनमें खरे, गैर जाली तथा बहुमूल्य सिक्कों का संमिश्रण है और कहीं कहीं मुलम्मे का काम भी देता है, और इसलिये एक प्रकार का धोखा है। इस भोखं से सावधान करने के लिये ही यह परीक्षा की जारही है श्रीर यथार्थ वस्तुस्थिति को पाठकों के सामने रखने का यत किया जाता है। अस्तु।

श्रव उस संप्रह की भी बानगी लीजिये जो अजैन विद्वानों के प्रंथों से किया गया है श्रीर जिसके विषय की न कहीं कोई प्रतिज्ञा श्रीर न तत्सम्बंधी विद्वानों के नामादिक की कहीं कोई सूचना ही प्रंथ में पाई जाती है। प्रत्युत इसके, जैनसाहित्य के साथ मिलाकर श्रथवा जैनाचायों के वाक्यानुसार बतलाकर, उसे भी जैनसाहित्य प्रकट किया गया है।

अजेन ग्रंथों से संग्रह।

(१२) अजैन निद्वानों के प्रंथों से जो निशाल संप्रह भट्टारक जी ने इस प्रंथ में किया है—उनके सैंक ड़ें। पद-नाक्यों को क्यों का त्यों अथवा कु अपितर्तन के साथ उठाकर रक्खा है—उस सबका पूरा परिचय यदि यहाँ दिया जाय तो लेख बहुत बढ़ जाय, और मुक्ते उनमें से कितने हैं। पद-वाक्यों को आगे चलकर, निरुद्ध कथनों के अवसर पर, दिखलाना है—वहाँ पर उनका परिचय पाठकों को मिलगा ही। अतः यहाँ पर नम्ने के तौर पर, कु अपोड़े से ही पदों। का परिचय दिया जाता है:—

सन्तुष्टे। मार्यया भर्ता भर्ता भार्या तथैव च । यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वैधुवम् ॥ ८-४६ ॥

यह पद्म, जिसमें भार्या से भर्तार के और भर्तार से भार्या के नित्य सन्तुष्ट रहने पर कुल में सुनिश्चित रूप से वल्याण का विधान किया गया है, 'मनु' का वचन है, और 'मनुस्मृति' के तीसरे भध्याय में नं० ६० पर दर्ज है। वहीं से ज्यों का त्यों उठाकर रक्खा गया मालूम होता है।

> मांत्रं भीमं तथा अनेयं बायन्यं दित्र्यमेष च । बाठ्यं मानसं चैव सप्तस्तानान्यनुक्रमात् ॥ ३-४२ ॥

इस श्लोक में स्नान के सात भेद बतलाये गये हैं—मंत्र स्नान, भूमि (मृत्तिका) स्नान, श्राप्ति (भस्म) स्नान, वायुस्नान, दिव्यस्नान, जलस्नान तथा मानसस्नान—श्रीर यह 'योगि याज्ञवलक्य' का बचन है। बिहलात्मजनारायण कृत 'श्रान्हिकसूत्रावलि' में तथा श्रीवे-इस्टनाथ-रचित 'स्मृतिरत्नाकर' में भी इसे योगियाज्ञवलक्य का बचन बतलाया है श्रीर 'शब्द कल्पद्रुम' कोश में भी 'स्नान' शब्द के नीचे यह उन्हीं के नाम से उद्धृत पाया जाता है।

सिंद्दकर्कटयोर्मध्ये सर्वा नद्यो रजस्वलाः।
तासां तटे न कुर्वीत वर्जियत्वा समुद्रगाः॥ ७६॥
उपाकर्मिण चोत्सर्गे प्रातः स्नाने तथैव च।
चन्द्रसूर्यग्रद्दे चैव रजो दोषो न विद्यते॥ ७६॥
धनुस्सद्दस्राएयष्टौ तु गतिर्यासां न विद्यते।
न ता नद्यः समाख्याता गर्तास्ताः परिकीर्तिताः॥ ८०॥
—तृतीय श्रध्याय।

ये तीनों पद्य जरा र से परिवर्तन के साथ 'कात्यायन स्मृति' से लिये गये मालूम होते हैं और उक्त स्मृति के दसवें खएड में ऋगशः नं० ५ ७ तथा ६ पर दर्ज हैं। 'आन्हिक सूत्रावालि' में भी इन्हें 'कात्यायन' ऋषि के वचन लिखा है। पहले पद्य में 'मासद्वयं आवणादि' की जगह 'सिंहकर्कटयोमेंध्ये' और 'तासुस्नानं' की जगह 'तासांतटे' बनाया गया है, दूसरे में 'प्रेतस्नाने' वी जगह 'प्रातःस्नाने' का परिवर्तन किया गया है और तीसरे में 'नदीशब्दवहाः' की जगह 'नद्यः समाख्याताः' ऐसापाठ भेद किया गया है। इन चारों परिवर्तनों में पहला और अन्त का दोनों परिवर्तन तो प्रायः कोई अर्थभेद नहीं रखते परन्तु शेष दूसरे और तीसरे परिवर्तन ने बद्दा भारी अर्थभेद उपस्थित कर दिया है। कात्यायन

स्मृतिकार ने, श्रावण भादों में सब नदियों को रजस्वला बतलाते हुए, यह प्रतिपादन किया था कि 'उनमें (समुद्रगामिनी नदियों को छोड़कर) स्तान न करना चाहिये। भट्टारका ने इसकी जगह, अपने परिवर्तन द्वारा, यह त्रिधान किया है कि 'उनके तट पर न करना चाहिये।' परंतु क्या न करना चाहिये, यह उक्त पद्य से कुछ जाहिर नहीं होता। हाँ, इससे पूर्व पद्य नं० ७७ में आपने तीर्थ तट पर प्राणायाम. श्राचमन, संध्या, आद्ध और पिएइदान करने का विधान किया है और इसलिये उक्त पद्य के साथ संगति मिलाने से यह ऋर्य हो जाता है कि ये प्रागायाम आदि की क्रियाएँ रजस्वला नदियों के तट पर नहीं करनी चाहिये-भले ही उनमें स्नान कर लिया जाय। परन्त ऐसा विधान कुछ समीचीन अपवा सहेतुक मालूम नहीं होता और इसलिये इसे भट्टारकजी के परिवर्तन की ही खूबी सममना चाहिये | तीसरे परिवर्तन की हालत भी ऐसी ही है। स्मृतिकार ने जहाँ 'प्रेतस्नान' के अवसर पर नदी का रजस्वला दोष न मानने की बात कही है वहाँ आपने 'प्रात: स्नान' के लिये रजस्वला दोष न गानने का विधान कर दिया है ! स्नान प्रधानतः प्रातःकाल ही किया जाता है, उसीकी आपने खुट्टी देदी है, और इसलिये यह कहना कि आपके इस परिवर्तन ने स्नान के विषय में नदियों के रजस्वला दोष को ही प्रायः उठा दिया है कुछ भी अनुचित न होगा।

> कृत्वा यद्वोपवीतं च पृष्ठतः कएठलम्बितम् । विषम्त्रेतु गृही कुर्योदामकर्षे वतान्वितः॥ २-२७॥

यह 'श्रंगिरा' ऋषि की बचन है। 'श्रान्हिकस्त्रावालि' में मी इसे श्रंगिरा का बचन लिखा है। इसमें 'समाहितः' की जगह ' झतान्यितः' का परिवर्तन किया गया है भौर वह निरर्थक जान पदता है। यहाँ 'झतान्वितः' पद यद्यपि 'गृही' पद का विशेषण है और इस श्लोक में गृहस्थ के लिये मलमूत्र के त्याग समय यज्ञोपकीत को बाएँ कान पर रखकर पीठ की तरफ लम्बायमान करने का विधान किया गया है परन्तु पं० पन्नालालजी सोनी ने ऐसा नहीं समका और इसलिये उन्होंने इस पद्य के विषय को विभिन्न व्यक्तियों (व्रती-भव्रती) में बाँटकर इसका निम्न प्रकार से अनुवाद किया है—

"गृहस्थजन अपने यज्ञोपवीत (जनेक) की गर्दन के सहारे से पीठ पीछे लटकाकर टही पेशाब करे और व्रती श्रावक बाएँ कान में लगाकर टही पेशाब करे।"

इससे मालूम होता है कि सोनीजी ने यज्ञोपवीत दीन्ना से दीन्तित व्यक्ति को ' अवती ' भी समभा है । परन्तु भगविजनसेनाचार्य ने तो ' व्रताचिह्नं द्धत्स्यूत्रं' आदि वाक्यों के द्वारा यज्ञोपवीत को वर्ति ह वतलाया है तब सर्वथा 'अवती' के विषय में जनेऊ की कल्पना कैसी ? परन्तु इसे भी छोड़िये, सोनीजी इतना भी नहीं समभ सके कि जब इस पद्य के द्वारा यह विधान किया जारहा है कि वर्ता आवक्त तो जनेऊ को बाएँ कान पर रखकर और अवती उसे योंही पीठ पीछे लटका कर टही पेशाव करे तो फिर अगले पद्य में यह विधान किसके लिये किया गया है कि जनेऊ को पेशाव के समय तो दाहिने कान पर और टही के समय बाएँ कान पर टाँगना चाहिये। यही वजह है जो आप इन दोनों पद्यों के पारस्परिक विरोध का कोई स्पष्टीकरण भी अपने अनुवाद में नहीं करसके। अस्तु; वह अगला पद्य इस प्रकार है—

मूत्रे तु दिल्ले कर्षे पुरीले वामकर्णके । धारयेद्रह्मसूत्रं तु मैथुने मस्तके तथा ॥ २८॥ इस पद्य का पूर्वार्ध, जो पहले पद्य के साथ कुछ विरोध उत्पन्न करता है, वास्तव में एक दूसरे विद्वान का वचन है । श्रान्हिक सूत्रावित में इसे ' आन्हिक कारिका ' का वचन लिखा है और इसका उत्तरार्घ ' उपवीतं सदा घार्य मैथुने तूपवीतिवत्' दिया है। महारक्षजी ने उस उत्तरार्घ को ' घार येद्व ह्या सूत्रं तु मैथुने मस्तके तथा ' के रूप में बदल दिया है। परन्तु इस संप्रह और पिवर्तन के अवसर पर उन्हें इस बात का ध्यान नहीं रहा कि जब हम दो विद्वानों के परस्पर मतभेद को लिये हुए वचनों को अपना रहे हैं तो हमें अपने प्रन्थिवरेश को दूर करने के लिये कोई ऐसा शब्द प्रयोग साथ में जरूर करना चाहियं जिससे ये दोनों विधिविधान विकल्प रूप से समके जायँ। और यह सहज ही में 'तथा' की जगह ' ऽथवा' शब्द रखदेने से भी हो सकता था। महारकजी ने ऐसा नहीं किया, और इससे उनकी संप्रह तथा परिवर्तन सम्बंधी योग्य-ताका और भी अच्छा परिचय मिल जाता है।

श्चर्यवित्वफलमात्रा प्रथमा मृत्तिका मता।
द्वितीया तु तृतीया तु तदर्थार्था प्रकीर्तिता॥ २-४०॥
शौचे यद्वः सदा कार्यः शौचमूलो गृदी स्मृतः।
शौचाचारविद्वीतस्य समस्ता निष्फलाः कियाः॥ २-४४ ॥
श्चर्त्यस्तमितः कायो नविच्छद्रसमन्वितः।
स्वत्यंव दिवारात्रौ प्राप्तः स्नानं विशोधनम्॥ २-६०॥

ये 'द्त्त्समृति ' के वाक्य हैं । तीसरा पद्य दत्तस्मृति के द्सरे अध्याय से ज्यों का त्यों उठा कर रक्खा गया है— शब्दकल्य-द्रुम कोश में भी उसे 'द्त्त् ' ऋषि का बचन लिखा है। दूसरा पद्य उक्त स्मृति के पाँचनें अध्याय का पद्य है और उसमें नं० २ पर दर्ज है—स्मृतिरत्नाकर में भी वह 'दत्त् ' के नाम से उद्भृत पाया जाता है— उसमें सिर्फ 'द्विजः ' की जगह 'गृही ' का परिवर्तन किया गया है। पहला पद्य भी पाँचनें अध्यायका है। पद्य है और उसमें

नं ० ७ पर दर्ज है। इस पद्य में " प्रसृतिमात्रा तु " की जगह ' विरुवफलमात्रा', 'च 'की जगह 'तु' और 'तद्धी प-रिकीर्तिता ' की जगह 'तद्धीधी प्रकीर्तिता ' ये परिवर्तन किये गये हैं, जो साधारण हैं और कोई खास महत्व नहीं रखते। यह पद्य अपने दत्तस्मृति वाले रूप में ही आचारादर्श और शुद्धि-विवेक नामके प्रन्थों में 'दत्त ' के नाम से उद्घेखित मिलता है।

> श्चन्तर्ग्रहे देवगृहे वल्मिके मूषकस्थले। कृतशौचाविशेषे च न त्राह्याः पंचमृत्तिकाः॥ २-४४॥

यह श्लोक जिसमें शौच के लिये पाँच जगह की मिट्टी को त्याज्य ठहराया है * 'शातातप 'ऋषि के निम्न श्लोक को बदल कर बनाया गया मालूम होता है—

> श्चन्तर्जलादेवगृहाद्वस्मीकान्मूषकगृहात्। कृतशौचस्थलाचैव न ग्राह्याः पंचमृत्तिकाः॥

यह श्लोक ' आमिहक सूत्रावित ' में भी 'शातातप ' के नाम से उद्धृत पाया जाता है ।

श्रताभे दन्तकाष्टानां निषिद्धायां तिथाविष ।

श्रगां द्वादशगग्डूषैर्मुखशुद्धिः प्रजायते ॥ २-७३ ॥

यह ' ट्यास ' ऋषिका वचन है। स्मृतिरत्नाकर और निर्णय-सिन्धु में भी इसे ' व्यास ' का वचन लिखा है। हाँ, इसके पूर्वार्ध में 'प्रतिषद्धिद्देनेष्ट्यिप' की जगह ' निषिद्धायां तिथाविप ' और उत्तरार्ध में ' भविष्यित ' की जगह ' प्रजायते ' ऐसा पाठ भेद यहाँ पर जरूर पाया जाता है जो बहुत कुळु साधारण है और कोई खास अर्थनेद नहीं रखता।

प्रंथ के दूसरे श्रध्याय में मल-मूत्र के लिये निषिद्ध स्थानों का वर्गान करते हुए, एक श्लोक निम्न प्रकार से दिया हुआ है—

[३४]

इलकृष्टे जले चित्यां वर्त्मीके गिरिमस्तके । देवालये नदीतीरे दर्भपुष्पेषु शाद्वले ॥ २२ ॥

यह 'बौधायन 'नाम के एक प्राचीन हिन्दू लेखक का वचन हैं। स्मृतिरत्नाकर में भी यह 'बौधायन 'के नाम से ही उद्धृत मिलता है। इसमें 'फालकृष्टे 'की जगह यहाँ 'हलकृष्टे ' श्रीर 'दर्भपृष्ठे तु 'की जगह 'दर्भपृष्ठे पु ' बनाया गया है, श्रीर ये दोनों ही परिवर्तन कोई ख़ास महत्व नहीं रखते—बिल्क निरर्धक जान पड़ते हैं।

प्रभाते मैथुने चैष प्रसावे दन्तधावने । स्नाने च भोजने वान्त्यां सप्तमौनं विधीयते ॥२-३१ ॥

यह पद्य, जिसमें सात अवसरों पर मौन धारण करने की व्यवस्था की गई है—यह विधान किया गया है कि १ प्रातःकाल, २ गैथुन, ३ मूत्र, ४ दन्तधावन, ५ स्नान, ६ भोजन, और ७ वमन के अवसर पर मौन धारण करना चाहिये—'हारीत' ऋषि के उस वचन पर से कुछ परिवर्तन करके बनाया गया है, जिसका पूर्वार्ध 'प्रभाते' की जगह 'उचारे' पाठभेद के साथ बिलकुल वही है जो इस पद्य का है और उत्तरार्ध है 'आदे (स्नानें) भोजनकाले च षद्सुमीनं समाचरेत्।' और जो 'आन्हिक सूत्रावित' में भी 'हारीत' के नाम से उद्भृत पाया जाता है। इस पद्य में 'उचारे' की जगह 'प्रभाते'

^{*} इस स्तोक के बाद 'मलमूत्रसमीपे' नाम का एक पद्य और भी पंचमृत्तिका के निषेध का है और उसका अन्तिम चरण भी 'न ग्राह्याः पंचमृत्तिकाः' है। वह किसी दूसरे विद्वान की रचना जान पहता है।

^{† &#}x27;श्राद्धे' की जगह 'स्नाने' ऐसा पाठ भेद भी पाया जाता है। देको 'शन्द कल्पद्दम'।

का जो खास परिवर्तन किया गया है वह बड़ा ही विचित्र तथा विलक्त्रण जान पड़ता है और उससे मलत्याग के अवसर पर गौन का विधान न रहकर प्रातःकाल के समय मौन का विधान हो जाता है, जिसकी संगति कहीं से भी ठीक नहीं बैठती। मालूम होता है सोनीजी को भी इस पद्यकी विलक्त एता कुछ खटकी है और इसीलिये उन्होंने, पद्यकी अस-बियत को न पहचानते हुए, यों ही श्रापने मनगढ़न्त 'प्रभाते' का अर्थ 'सामायिक करते समय" और 'प्रस्तावे' का अर्थ ''टही पेशाय करते समय" दे दिया है, और इस तरह से अनुवाद की भर्ती द्वारा भट्टारकजी के पद्य की ऋटि को दूर करने का कुछ प्रयत । किया है । परन्त आपके ये दोनों ही अर्थ ठीक नहीं हैं-'प्रभात' का अर्थ 'प्रातःकाल' है न कि 'सामाधिक' और 'प्रस्नाव' का अर्थ 'मूत्र' * है न कि 'मल-मूत्र' (टई पेशाव) दोनों। ऋौर इसालिये श्रनुत्राद की इस लीपापोती द्वारा मूल की जाटि दूर नहीं हो सकती और न विद्वानों की नजरों से वह छिप ही सकती है। हाँ, इतना जरूर स्पष्ट हो जाता है कि अनुवादकजी में सत्य अर्थ को प्रकाशित करने की कितनी निष्ठा. तत्परता त्र्यौर चमता है।

खदिरश्च करंजश्च कदम्बश्च वटस्तथा।
तित्तिणी वेणुवृत्तश्च निम्ब श्राम्रस्तथैव च ॥ २-६३ ॥
श्रापामार्गश्च बिल्वश्च हार्क श्रामलकस्तथा।
एते प्रशस्ताः कथिता दन्तधावनकर्मणि ॥ २-६४ ॥

ये दोनों पद्य, जिनमें दाँतन के लिये उत्तम काष्ठ का विधान किया गया है 'नरसिंहपुराण' के वचन हैं। आचारादर्श नामक प्रंथ में भी इन्हें 'नरसिंहपुराण' के ही वाक्य लिखा है। इनमें से पहले पद्य में 'आम्निन्दों' की जगह 'निम्ब आम्नः' का तथा 'वेणुपृष्ठश्च' की जगह 'वेणुवृत्तश्च' का पाठभेद पाया जाता है, भौर दूसरे पद्य में 'अर्क ओ दुम्बरः' की जगह 'हार्क आमलकः' ऐसी परिवर्तन किया गया जान पड़ता है। दोनों पाठभेद साधारण हैं, भीर परिवर्तित पद के द्वारा उदुम्बर काष्ट की जगह आँवले की दाँतन का विधान किया गया है।

> कुगाः काशा यवा दूर्वा उशीराश्च कुकुन्द्राः। गोधूमा बीहयो मुंजा दश दर्भाः प्रकीर्तिताः॥ ३-८१॥

यह 'गोभिल' ऋषि का वचन हैं । स्मृतिरत्नाकर में भी इसे 'गोभिल' का वचन लिखा हैं । इसमें 'गोधूमाश्चाथ कुन्द्राः' की जगह 'उशीराश्च कुकुंद्राः' और 'उशीराः' की जगह 'गोधूमाः' का परिवर्तन किया गया है, जो व्यर्थ जान पड़ता है; क्योंकि इस परिवर्तन से कोई अर्थनेद उत्पन्न नहीं होता—सिर्फ दो पदों का स्यान बदल जाता है ।

एकपंक्युपाविष्टानां धर्मिणां सहभोजने । यद्येकोऽपि त्यजेत्पात्रं शेषैरन्नं न भुज्यते ॥ ६-२२० ॥

यह पद्य, जिसमें सहभोजन के अवसर पर एक पंक्ति में बैठे हुए किसी एक व्यक्ति के भी पात्र छोड़ देने पर शेप व्यक्तियों के लिये भोजन-त्याग का विधान किया गया है, जरा से परिवर्तन के साथ 'पराशर' ऋषि का वचन है और वह परिवर्तन 'विप्राणां' की जगह 'धार्मणां' और 'शेषमन्नं न भोजयेत्' की जगह 'शेष-रन्नं न भुजयते' का किया गया है, जो बहुत कुछ साधारण है।

^{*} यथाः- १ 'मूत्रं प्रस्नावः'--- इति श्रमरकोशः।

२ 'प्रस्नावः मूत्रं'—इति शब्दकल्पद्गमः।

३ 'उच्चारपस्त्रणेत्यादि' उच्चारः पुरीषः प्रस्नवणं मूर्त्रं ।
— इति क्रियाकलापटीकायां प्रभाचन्त्रः ।

श्रान्हिकसूत्रावालि त्यौर स्मृतिरत्नाकर नामके ग्रंथों में भी यह पद्य 'परा-शर' ऋषि के नाम से ही उद्भृत पाया जाता है।

> खगृहे प्राक्शिरः कुर्याच्छ्वाशुरे दित्तणामुखः । प्रत्यङ्मुखः प्रवासे च न कदाचिदुदङ् मुखः ॥ ८-२४॥

यह पद्य, जिसमें इस बात का विधान किया गया है कि अपने घर पर तो पूर्व की तरफ सिर करके, सासके घर पर दिच्च की ओर मुँह करके और प्रवास में पश्चिम की ओर मुँह करके सोना चाहिये तथा उत्तर की तरफ मुँह करके कभी भी न सोना चाहिये-धोड़े से परिवर्तनों के साथ-- 'गर्ग' ऋषि का वचन है। ऋान्हिकसूत्राविल में इसे गर्ग ऋषि के नाम से जिस तरह पर उद्धृत किया है उससे मालूम होता है कि यहाँ पर इसमें 'शेते श्वाशुर्य' की जगह 'कुर्याच्छाशुरे' का, 'प्राक्शिराः' की जगह 'प्राक्शिरः' का, 'तु' की जगह 'च' का त्रीर पिछुत्ते तीनों चरणों में प्रयुक्त हुए प्रत्येक 'शिराः' पद की जगह 'मुख:' पद का परिवर्तन किया गया है । श्रौर यह सब परिवर्तन कुछ भी महत्व नहीं रखता—'शेते'की जगह 'कुर्यात्' की परिवर्तन भद्दा है और 'शिराः 'पर्दो की जगह 'मुखः' पर्दो के परिवर्तन ने तो अर्थ का अनर्थ ही कर दिया है। किसी दिशा की श्रोर सिर करके सोना श्रोर बात है श्रीर उसकी तरफ़ मुँह करके सोना दूसरी बात है—एक दूसरे के विपरीत है । मालूम होता है भट्टारकजी को इसकी कुछ खबर नहीं पड़ी परन्तु सोनीजी ने खबर ज़रूर लेली है। उन्होंने ऋपने ऋनुवाद में मुख की जगह सिर बनाकर उनकी च्चिट को दूर किया है ब्यौर इस तरह पर सर्वसाधारण को अपनी सत्यार्थ-प्रकाशकता का परिचय दिया है।

> रात्रोवव समुत्पन्ने मृते रजिस सूतके। पूर्वमेव दिनं त्राह्यं यावकोदेति वै रविः॥ १३-६॥

यह पद्य, 'नोदिति वै 'की जगह 'नोद्यते 'पाठ भेद के साय, 'कश्यप 'ऋषि का वचन है। याञ्चवल्क्यस्मृति की 'मिता- चरा' टीका में भी, 'यथाह कश्यपः' वाक्य के साय, इसे 'कश्यप' ऋषि का वचन सूचित किया है।

पूर्वमायुः परीचेत पश्चाल्लच्चणमेव च।

ष्ट्रायुर्दीनजनानां च लत्त्त्त्त्तैः कि प्रयोजनम् ॥ ११-८॥

यह 'सामुद्रक 'शास्त्र का वचन है । शब्दकल्पद्रम कोश में इसे किसी ऐसे सामुद्रक शास्त्र से उद्भृत किया है जिसमें श्रीकृष्ण तथा महेश का संवाद है और उसमें इसका तीसरा चरण 'आयुर्हीनं नराणां चेत् 'इस रूप में दिया हुआ है ।

> महानद्यन्तरं यत्र गिरिर्वा व्यवधायकः । बाचो यत्र विभिद्यन्ते तदेशान्तरमुच्यते ॥ १३-६६ ॥

यह 'देशान्तर' का लक्षण प्रतिपादन करने वाला पद्य 'वृद्ध मनु' का वचन है, ऐसा शुद्धि निवेक नामक प्रंथ से मालूम होता है, जिसमें 'वृद्ध मनुरण्याह ' इस वाक्य के साथ यह उद्भृत किया गया है। यहाँ पर इसके चरणों में कुछ कम-भेद किया गया है—पहले चरण को तीसरे नम्बर पर और तीसरे को पहले नम्बर पर रक्खा गया है—बाकी पाठ सब ज्यों का त्यों है।

पितरे। चेन्मृतौ स्थातां दूरस्थाऽपि हि पुत्रकः। श्रुत्वा तहिनमारभ्य पुत्राणां दशरात्रकम् ॥१३-७१॥

यह पद्य, जिसमें माता पिता की मृत्यु के समाचार सुनने पर दूर देशान्तर में रहने वाले पुत्र को समाचार सुनने के दिन से दस दिन का सूतक बतलाया गया है, 'पैठीनिस 'ऋषि का वचन है। याइ-वल्क्यस्मृति की 'मिताद्यरा' टीका में भी, जो एक प्राचीन प्रंथ है और अदालतों में गान्य किया जाता है, 'इति पैठीनिस स्मरणात् '

बाक्य के द्वारा इसे 'पैठीन।से' ऋषि का वचन सूचित किया है। यहाँ इसका चौथा चरण बदला हुआ है—'दशाहं सूतकी भवेत्' की जगह 'पुत्राणां दशरात्रकम्' बनाया गया है। और यह तबदीली बिलकुल भदी जान पड़ती है—'पुत्रकः' आदि पदों के साथ इन परिवार्तित पदों का अर्थसम्बंध भी कुछ ठीक नहीं बैठता, खासकर 'पुत्राणां' पद का प्रयोग तो यहाँ बहुत ही खटकता है—सोनीजी ने उसका अर्थ भी नहीं किया—और वह भट्टारकजी की योग्यता को और भी अधिकता के साथ व्यक्त कर रहा है।

ज्वराभिभूता या नारी रजसा चेत्परिष्तुता।
कथं तस्या भवेच्छीचं शुद्धिः स्यात्केन कर्मणा॥ ६६॥
चतुर्थेऽहिन संवाते स्पृशेदन्या तु तां स्त्रियम्।
स्नात्वा चैव पुनस्तां वै स्पृशेत् स्नात्वा पुनः पुनः॥ ६७॥
दशद्वादशकृत्वो वा द्याचमेच पुनः पुनः।
स्नात्वे च वाससां त्यागं स्नात्वा शुद्धा भवेचु सा॥ ६६॥
—१३ वाँ स्रध्याय।

इन पद्यों में जबर से पीड़ित रजस्वला स्त्री की शुद्धि का प्रकार बतलाया गया है और वह यों है कि 'चौथे दिन कोई दूसरी स्त्री स्त्रान करके उस रजस्वला को खूबे, दोबारा स्त्रान करके फिर छूबे और इस तरह पर दस या बारह बार स्त्रान करके प्रत्येक स्त्रान के बाद उसे छूबे; साथ ही बारबार आचमन भी करती रहे | अन्त में सब कपड़ों का (जिन्हें रजस्वला ओढ़े पहने अथवा बिछाए हुए हो) त्याग कर दिया जाय तो वह रजस्वला शुद्ध होजाती है' | ये तीनों पद्य जरासे परिवर्तन के साथ 'उशना' नागक हिन्दू ऋषि के वचन हैं, जिनकी 'स्मृति ' भी ' ख्रोशनस्धर्मशास्त्र ' के नाग से प्रसिद्ध है । याइवल्क्य-स्मृति की मिताक्तर टीका, शुद्धिविवेक और स्मृतिरताकर अधि प्रन्थों

में भी इन्हें 'उशना' के बचन ।लिखा है । मिताच्या ऋदि प्रंथों में इन पर्यों का जो रूप दिया है उससे मालूम हाता है कि पहले पद्य में सिर्फ 'च' की जगह 'चेत्' बनाया गया है, दूसरे का उत्तरार्घ 'सा संचलावगाह्यापः स्नात्वा स्नात्वा पुनः स्वृशेत्' नामक उत्तरार्ध की जगह कायन किया गया है और तीसरे में ह्यागस्तनः' की जगह '**त्याग स्नाना'** का परिवर्तन हुआ है । इन तीनों परिवर्तनों में से पहला परिवर्तन निरर्थक है और उसके द्वारा पद्य का प्रतिपाद्य विषय कुछ कम हो जाता है - जं। स्त्री जबर से पीड़ित हो बह यदि रजस्वला हो जाय तो उसी की शुद्धि का विधान रहता है * किन्तु जो पहले से रजस्वला हो श्रीर पश्चि जिसे ज्वर श्राजाय उसकी शुद्धिकी कोई व्यवस्था नहीं रहती। 'चा' शब्द का प्रयोग इस दोप को दुर कर देता है ऋौर वह दोनों से से किसी भी अप्रवस्था की रजस्त्रला के लिये एक ही शुद्धि का विवान बनलाना है । अनः 'च'की जगइ 'चेत् 'का परिवर्नन यहाँ ठीक नहीं हुआ | दूमरा परिवर्तन एक विशेष परिवर्तन है और उसके द्वारा सचेल अवगाहन की बात को छोड़कर उस दूमरी स्त्री के साटा स्नान की बात को ही अपनाया गया है । रहा तीसरा परिवर्तन, वह बड़ा ही विलक्त्या जान पड़ता है, उसके **'स्ताता** 'पद का सम्बन्ध श्रंतिम 'सा' पद के साथ ठीक नहीं बैठना श्रीर 'त्यामं' पद तो उसका ऋोर भी ज्यादा खटकता है। हो सकता है, कि यह परिवर्तन कुञ्ज असाववान लेखकों की ही कर्त्त हो; उनके द्वारा 'त्यागस्ततः' का 'त्यागं स्नाता' लिखा जाना कुछ भी मुशकिल नहीं है, क्यों कि दोनों में अत्रत्रों की बहुत कुछ समानता है, परंतु सोनीनी ने

[#] शायद इसीलिये पं० पन्नालालजी सोनी इस पद्य के श्रनुवाद में लिखने हैं—' कोई ज्वर से पीडित स्त्री (यदि) रजस्वला होजाय तो उसकी शुद्धि कैसे हो ै कैसी किया करने से वह शुद्ध हो सकती है ["

'त्यागं स्नाता' पाठको ही शुद्ध समका है—शुद्धिपत्र में भी उसका संशोधन नहीं दिया— और अनुवाद में 'स्नाता' पद का सम्बंध उस दूसरी की के साथ जोड़ दिया है जो स्नान करके रमस्वला को छूवे। यह सब देखकर बड़ा ही खेद होता है! आप लिखते हैं-— 'अन्त में यह समर्थ करने वाली श्री अपने कपड़े भी उतार दे और उस रमस्वला के कपड़े भी उतार दे और स्नान करले।'' समक्त में नहीं श्राता, जब उस दूसरी श्री को अन्त में भी अपने कपड़े उतारने तथा स्नान करने की जरूरत वाकी रह जाती है और इस तरह पर वह उस अंतिम स्नान से पहले अशुद्ध होती है तो उस अशुद्धा के द्वारा रमस्वला की शुद्धि कैसे हो सकती है! सोनीजी ने इसका कुछ भी विचार नहीं। किया श्रीर वैसे ही खींचतान कर 'स्नाता' पद का सम्बंध उस दूसरी श्री के साथ जोड़ दिया है जिसके साथ पद्य में उसका कोई सम्बंध ठींक नहीं बैठता। और इसलिये यह परिवर्तन यदि भट्टारकजी का ही किया हुआ है तो इससे उनकी योग्यता की और भी अच्छी कर्लई खुल जाती हैं।

यहाँ तक के इस सम्पूर्ण प्रदर्शन से यह विसकुल स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रंथ, जैसा कि लेखारम्भ में जाहिर किया गया था, वास्तव में एक बहुत बड़ा संग्रह ग्रंथ है और इसमें जैन अजैन दोनों ही प्रकार के विद्वानों के बाक्यों का भारी संग्रह किया गया है— ग्रंथ की २७०० क्षीक संख्या में से शायद सौ डेटसौ क्षीक ही मुशकिल से ऐसे निकलें जिन्हें प्रंथकार की स्वतन्त्र रचना कहा जा सके, बाकी सब क्षीक ऐसे ही हैं जो दूसरे जैन-अजैन प्रंथों से ज्यों के त्यों अथवा कुछ परिवर्तन के साथ उठा कर रक्ले गये हैं — अधिकांश पद्य तो इसमें अजैन प्रंथों तथा उन जैन प्रंथों पर से ही उठा कर रक्ले गये हैं जो प्राय: अजैन मंथों के आधार पर या उनकी छाया को लेकर बने हुए हैं। साथ ही, पह भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रंथकार ने अपने प्रतिज्ञा—वाक्यों तथा

सूचनात्रों के द्वारा जो यह विश्वास दिलाया था कि ' उसने इस प्रंथ में जो कुञ्ज लिखा है वह उक्त जिनसेनादि छुहों विद्वानों के प्रंथानुसार लिखा है और जहाँ वहीं दूसरे विद्वानों के प्रथानुसार कुछ कथन किया है वहाँ पर उन विद्वानों का अपथवा उनके प्रंथों का नाम दे दिया है ' वह एक प्रकार का धोखा है । प्रंथकार महाशय (भट्टारकजी) अपनी प्रतिज्ञाओं तथा सूचनाओं का पूरी तौर से निर्वाह नहीं कर सके भौर न वैसा करना उन्हें इष्ट था, ऐसा जान पड़ता है — उन्होंने दो चार श्रपवादों को छोड़ कर कहीं भी दूसरे विद्वानों का या उनके ग्रंथों का नाम नहीं दिया और न प्रंथ का सारा कथन ही उन जैन विद्वानों के बक्क्यानुसार किया है जिनके प्रंथों को देख कर कथन करने की प्रानिज्ञाएँ की गई थीं; बल्कि बहुतसा कथन अजैन प्रंथों के आधार पर, उनके वाक्यों तक को उद्धृत करके, किया है जिनके श्रनुसार क्रथन करने की कोई प्रतिज्ञा नहीं की गई थी। श्रीर इसलिय यह कहना कि ' भद्दारकजी ने जान बुभ कर अपनी प्रतिज्ञाओं का विरोध किया है और उसके द्वारा पवलिक को धोखा दिया है ' कुन्न भी अनुचित न होगा। इस प्रकार के विरोध तथा धोखं का कुञ्ज और भी स्पष्टीकरण 'प्रतिज्ञादि-विरोध ' नाम के एक श्वलग शार्षक के नीचे किया जावेगा।

यहाँ पर मैं सिर्फ़ इतना और बतला देना चाहता हूँ कि भट्टारक-जी ने दूसरे विद्वानों के प्रंथों से जो यह बिना नाम धाम का भारी संप्रह करके उसे अपने प्रंथों में निबद्ध किया है—' उक्तं च '* आदि रूप से भी नहीं रक्खा—और इस तरह पर दूसरे विद्वानों की कृतियों को अपनी कृति अथवा रचना प्रकट करने का साहस किया है वह

[#] प्रंथ में दस पाँच पद्यों को जो 'उक्तंच' मादि रूप से देरसा है इनका यहाँ पर महस्र नहीं है।

[88]

एक बड़ा ही निन्द्य तथा नीच कर्म है। ऐसा जघन्य आचरण करने वालों को श्रीमोमदेवसूरि ने 'काव्यचोर' और 'पातकी' लिखा है। यथा:—

कृत्वा कृतीः पूर्वकृताः पुरस्तात्प्रत्यादशं ताः पुनशीसमाणः। तथैव जल्पेदथ योअन्यथा वा स काव्यचोरोअस्तु स पातकी च ॥
—यशस्त्रिककः।

श्री ऋजितसेनाचार्य ने तो दूसरे काव्यों के सुन्दर शब्दार्थी की छाया तक हरने वाले कवि को 'चोर' (परयतोहर) बत-लाया है। यथा:—

श्चन्यकाव्यसुशब्दार्थछायां नो रचयेत्कवि:। स्वकाव्य सोऽन्यथा लोके पश्यतोहरतामटेत् ॥६४॥ —श्चलङ्कारचिन्तामणि।

ऐसी हालत में महारक सोमसेनजी इस कलंक से किसी तरह भी मुक्त नहीं हो सकते । वे अपने प्रंथ की इस स्थिति में, उकत आचारों के निर्देशानुसार, अवश्य ही 'काटपचोर' और 'पातकी' कहलाये जाने के योग्य हैं और उनकी गणाना तस्कर लेखकों में की जानी चाहिये। उन्हें इस कलंक से बचने के लिये कमसे कम उन पद-वाक्यों के साथ में जो ज्यों के त्यों उठाकर रक्खे गये हैं उन विद्वानों अथवा उनके प्रत्यों का नाम जरूर देदेना चाहिये था जिनके वे वचन थे; जैसा कि 'आचारादर्श' और 'मिताचरा' आदि प्रत्यों के कर्ताओं ने किया है। ऐसा करने से प्रंथ का महत्व कम नहीं होता किन्तु उसकी उपयोगिता और प्रामाणिकता बढ़ जाती है। परन्तु भट्टारकजी ने ऐसा नहीं किया और उसके दो खास कारण जान पढ़ते हैं—एक तो यह कि, वे हिन्दू धर्म की बहुतसी बातों को प्राचीन जैनाचार्यों अथवा जैनविद्वानों के नाम से जैनसमाज में प्रचारित करना चाहते

थे ऋौर यह बात ऋजैन विद्वानों के वाक्यों के साथ उनका अधना उनके प्रन्थों का नाग देदेने से नहीं बन सकती थी, जैनी जन उसे मान्य न करते । दूसरे यह कि, वे मुक्त में अल्प परिश्रन से ही काव्य-कीर्ति भी कमाना चाइते थे--दूसरे कवियों की कृतियों को अपनी कृति प्रकट करके, सहज ही में एक ऋच्छे कवि का पद तथा सम्मान प्राप्त करने की उनकी इच्छा थी--श्रीर वह इच्छा पूरी नहीं हो सकती थी यदि सभी उद्भृत पद-वाक्यों के साथ में दूसरे विद्वानों के नाग देदिये जाते । तन तो आपको निजकी कृति प्रायः कुछ भी न रहती अथवा यो कहिये कि गहत्वशूर्य और तेजोहीनसी दिखलाई पड़ती। अतः मुख्यतया इन दोनों चित्तवृत्तियों से अभिभूत होकर ही आप ऐसा हीनाचरण करने में प्रवृत्त हुए हैं, जो एक सत्कित्र के लिये कभी शोभा नहीं देता, बिक्त उलटा लजा तथा शर्ग का स्थानक होता है । शायद इस लजा तथा शर्म को उतारने या उसका कछ परिगार्जन करने के लिये ही भट्टारकजी ने प्रत्थ के अन्त में, उसकी समाप्ति के बाद, एक पद्य निम्न प्रकार से दिया है —

> स्रोका येऽत्रपुरानना विलिखिना श्रास्माभिरन्वर्थत— स्तदीपा इव सत्सु काव्यरचनामुद्दीपयन्ते परम् । नानाशास्त्रमतःन्तरं यदि नवं प्रायोऽकरिष्यं त्वहम् काशा माऽस्य महस्तदेति सुधियः केचित्प्रयोगवदाः ॥

इस पद्य से जहाँ यह सूचना मिलती है कि प्रंथ में कुछ पुरातन पद्य भी लिखे गये हैं वहाँ प्रंथकार का उन पुरातन पद्यों के सहारे से अपनी कान्यरचना को उद्योतित करने अथवा कान्यकीर्ति कमाने का वह भाव भी बहुत कुछ न्यक्त हो जाता है जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। भट्टारकजी पद्य के पूर्वार्घ में लिखते हैं—'हमने इस प्रन्थ में, अकरणानुसार, जिन पुरातन क्लोंकों को लिखा है वे दीपक की तरह सत्युरुपों के सामने हमारी काव्यरचना को उद्दीपित (प्रकाशित) करते हैं'। परन्तु उन्होंने, अपने ग्रंथ में, जब स्वक्षीय ख्रीर परकीय पद्यें। का प्रायः कोई भेद नहीं रक्खा तब प्रंथ के कौन से पद्यों को 'दिपिक' श्रौर कौनसों को उनके द्वारा 'उद्दीपित' समभा जाय, यह कुछ समभ में नहीं त्राता । साधारण पाठक तो उन दस पाँच पद्यों को छोड़कर जिन्हें **'उक्तंच', 'मतान्तरं'** तथा **'अन्यमतम्'** अर्रादि नामों से उल्लेखित किया गया है ऋौर जिनका उक्त संग्रह में कोई खास जिक्र भी नहीं किया गया अथवा ज्यादा से ज्यादा कुछ परिचित पद्यों को भी उनमें शामिल करके, शेष सब पद्यों को भट्टारकजी की ही रचना समकते हैं श्रीर उन्हीं के नाम से उनका उन्नेख भी करते हुए देखे जाते हैं। क्या यहीं भट्टारकाजी की काव्यरचना का सचा उदीपन है ! श्रथवा पाठकों में ऐसी गलत समभ उत्पन्न करके काव्यकीर्ति का लाभ उठाना डी इसका एक उद्देश्य है ? मैं तो समकता हूँ पिछली बात ही ठीक है ऋैर इसीसे उन पर्यों के साथ में उनके लेखकों अथवा प्रंथों का नाम नहीं दिया गया और न दूसरी ही ऐसी कोई सूचना साथ में की गई जिससे वे पढ़ते हैं। पुरातन पद्य समक्त लिये जाते । पद्य के उत्तरार्ध में भट्टा-रकजी, अपनी कुछ चिन्तासी व्यक्त करते हुए, लिखते हैं-'यदि मैं नाना शास्त्रों के मतान्तर की नवीनप्राय रचना करता तो इस प्रंथ का तेज पड़ता-अथवा यह मान्य होता-इसकी मुक्ते कहाँ आशा थी। अशेर किर इसके भागन्तर ही प्रकट करते हैं-'इसीलिये कुछ सुधीजन 'प्रयोगंवद' होते हैं-प्राचीन प्रयोगों का उल्लेख करदेना ही उचित समकते हैं * ।'

^{*} पं० पन्नालालजी सोनी ने इस पद्य के उत्तरार्ध का श्रमुवाद बड़ा ही विलद्मण किया है श्रीर वह इस प्रकार है—

[&]quot; यद्यि मैंने अनेक शास्त्र और मतों से सार लेकर इस नवीन शास्त्र की रचना की है, उनके सामने इसका प्रकाश पड़ेगा यह आशा

श्रीर इस तरह पर आपने श्रपने को प्रयोगंबद (प्रयोगबादी) अध्या प्रयोगंत्रद की नीतिका अनुसरण करने वाला भी सूचित किया है। हो सकता है भट्टारक नी की उक्त चिन्ता कुछ ठीक हो – वे ऋपनी स्थिति श्रौर कमजोरी श्रादि को श्राप जानते थे-परन्तु जब उनको श्रपनी रचना से तेज अथवा प्रभाव पड़ने की कोई आशा नहीं थी तब तो उन्हें दूसरे ।विद्वानों के वाक्यों के साथ में उनका नाम देदेने की ऋौर भी ज्यादा जरूरत थी। ऐसी हालत में भी उनका नाम न देना उक्त दोनों कारगों के सित्राय त्र्यौर किसी बातको सूचित नहीं करता । रही 'प्रयोगंवद' की नीतिका अनुसरण करने की बात, प्रयोगंबद की यह नीति कदापि नहीं होती कि वह दूसरे की रचना को अपनी रचना प्रकट करे। यदि ऐसा हो तो 'काठ्यचोर' और 'प्रयोगंवद' में फिर कुछ भी अन्तर नहीं रह सकता। वह तो इस बात की बड़ी सावधानी रखता है और इसी में अ।नन्द मानता है कि दूसरे विद्वान का जो वाक्य प्रयोग उद्धृत किया जाय उसके विषय में किसी तरह पर यह जाहिर कर दिया जाय कि यह अभूक विद्वान का वाक्य है अथवा उसका अपना वाक्य नहीं है। उसकी रचना-प्रणाली ही अलग होती है और वह

महीं, तो भी कितन ही बुद्धिमान नवीन नवीन प्रयोगों को एसंद करते हैं. अत: उनका चित्त इससे अवश्य अनुरंतित होगा।''

अनुवादकजी और तो क्या, लड्लकार की अकिरिद्यं ' किया का अर्थ भी ठीक नहीं समक्ष सके ! तब 'इति सुधियः केचित्प-योगंचदाः 'का अर्थ समक्षता तो उनके लिये दूर की बात थी । आगत पुरातन पद्माद्धरण के समर्थन में नवीन नवीन प्रयोगों के। पसंद करने की बात तो खूब कही !! और 'उनका चित्त इससे अवश्य अनुगंजित होगा' इस अन्तिम वाक्यावतार ने तो आपके राज्य ही दा दिया !!! दूसरों के प्रयोगों को बदल कर रखने की जरूरत नहीं समभता और न श्रपने को उसका अधिकारी ही मानता है । सोमसनजी की स्थिति प्रथ पर से ऐसी मालूम नहीं होती, वे इस विषय में प्राय: कुछ भी सात्रधान नजर नहीं आते. उन्होंने सैकड़ों पुरातन पद्यों को बिना जरूरत ही बदल डाला है ऋौर जिन पद्यों को ज्यों का त्यों उठाकर रक्खा है उनके विषय में प्राय: कोई सूचना ऐसी नहीं कि जिससे वे दूसरे विद्वानों के वाक्य समके जाँय । साथ ही, प्रंथ की रचना-प्रणाली भी ऐसी मालूम नहीं होती जिसे प्राय: 'प्रयोगंवद' की नीतिका अनुसरण करने वाली कहा जा सके 🗱 । एसी हालत में इस पद्य द्वारा जिन बातों की सूचना की गई है वे काव्यचे री के उक्त कलंक को दूर करने के लिये किसी तरह भी समर्थ नहीं हो सकतीं। उन्हें प्राय: ढौंग मात्र सममना चाहिये अथवा यों कहना चाहिये कि वे पछि से कुञ्ज शर्म सी उतारने अथवा अपने दुष्कर्म पर एक प्रकार का पदी डालने के लिये ही लिखी गई हैं । अन्यथा, विद्वानों के समक्त उनका कुञ्ज भी मूल्य नहीं है।

*प्रनथ में एक जगह कली तु पुनरुद्वाहं यर्जयेदितिगालवः'
ऐसा लिखा है। यह वाक्य बेशक प्रयोगंवर की नीतिका अनुमरण
करने वाला है—इसमें 'गालव' ऋषि के वाक्य का उनके नाम के
साथ उल्लेख हैं। यदि सारा प्रन्थ अथवा प्रन्थ का अधिकांश भाग
इस तरह से भी लिखा जाता तो वह प्रयोगंवर की नीति का एक
अच्छा अनुसरण कहलाता। और तब किसी को उपर्युक्त आपित्त का
अवसर ही न रहता। परन्तु प्रन्थ में, दो चार उदाहरणों को छोड़कर,
इस प्रकार की रचना का प्रायः सर्वत्र अभाव है।

[38]

प्रतिज्ञादि-विरोध।

यह त्रिवर्णाचार श्रनेक प्रकार के विरुद्ध तया श्रानिष्ट कथनों से भरा हुआ है। प्रंथके संप्रहत्व अमृदि का दिग्दर्शन कराने के बाद, श्रव में उन्हीं को लेता हूँ और उनमें भी सब से पहले उन कथनों का दिग्दर्शन कराना चाहता हूँ जो प्रतिज्ञा श्रादि के विरोध को लिये हुए हैं। इस सब दिग्दर्शन से प्रंथ की रचना, तरतीब, उपयोगिता श्रीर प्रमाणता श्रादि विषयों की श्रीर भी कितनी ही बातें पाठकों के श्रवुभव में श्राजाएँगी श्रीर उन्हें यह श्रव्ही तरह से मालूम पड़ जायगा कि इस प्रंथ में कितना धोखा है, कितना जाल है श्रीर वह एक मान्य जैन प्रनथ के तौर पर खीकार किये जाने के लिये कितना श्रयोग्य है श्रथवा कितना श्रिक श्रापत्ति के योग्य है:---

(१) भट्टारक सोमसेनजी ने, प्रत्य के शुरू में, ' यत्प्रोक्तं जिनसेनयोग्यगिषा भिः' नामक पद्य के द्वारा जिन विद्वानों के प्रत्यों को देख कर—उनके वचनानुसार—प्रत्य रचना की प्रतिज्ञा की है उनमें ' जिनसेनाचार्य' का नाम सब से प्रथम है श्रीर उन्हें श्रापने ' योग्यगणी ' भी, सूचित किया है ! इन जिनसेनाचार्य का बनाया हुआ एक ' पुरागा ' प्रत्य सर्वत्र प्रसिद्ध है जिसे ' आदि — पुरागा ' श्रायता ' महापुरागा ' भी कहते हैं श्रीर उसकी गणाना बहुमान्य आर्व प्रत्यों में की जाती है । इस पुरागा से पहले का दूसरा कोई भी पुरागा प्रत्य ऐसा उपलब्ध नहीं है जिसमें गर्भाधानादिक कियाओं का संकाप अथवा विस्तार के साथ कोई खास वर्णन दिया हो । यह पुरागा इन कियाओं के लिये खास तीर से प्रसिद्ध है । भट्टारकजी ने प्रत्य के आठवें श्राय्याय में इन कियाओं का वर्णन आरम्भ करते हुए, एक प्रतिज्ञा-वःक्य निम्न प्रकार से दिया है—

गर्भाधानादयो भव्यास्त्रित्रिशतसुक्रिया मताः । वद्येऽधुना पुराणे तु याः प्रोक्ता गणिभिः पुरा ॥३॥

इस वाक्य के द्वारा यह प्रतिज्ञा की गई है कि ' प्र!चीन श्राचार्य महोदय (जिनसेन) ने पुरागा (श्रादिपुरागा) में जिन गर्भाधान।दिक ३३ कियाओं का कथन किया है उन्हीं का मैं अब कथन करता हूँ।' यहाँ बहुवचनान्त 'गाणिभिः' पदका प्रयोग वही है जो पहले प्रतिज्ञा-वाक्य में जिनसेनाचार्य के लिय उनके सम्मानार्थ किया गया **है** अप्रैर उसके साथ में 'पुराएं। ' अक्ष पद का एकवचनान्त प्रयोग उनके उक्त पुराण प्रन्थ को सूचित करता है। श्रीर इस तरह पर इस विशेष प्रतिज्ञा-वाक्य के द्वारा यह घोषणा की गई है कि इस ग्रंथ में गर्भाधान।दिक क्रियाओं का कथन जिनसेनाचार्य के आदिपुराणा-नुसार किया जाता है। साथ ही, कुछ पद्य भी ऋादिपुराण से इस पद्य के अनन्तर उद्धृत किये गये हैं, 'ब्युष्टि 'नामक किया की आदिपुराण के ही दोनों पद्यों ('ततोऽस्य हायने ' आदि) में दिया है और 'व्रतचर्या 'तथा 'व्रतावतरण 'नामक कियाओं के भी कितने ही पद्य (' व्रतचर्यामहं वच्ये ' आदि) आदिपुराण से ज्यों के त्यों उठाकर रक्खे गये हैं। परंतु यह सब कुछ होते हुए भी इन कियाओं का अधिकांश कथन आदिपुराण अथवा भगवज्जिनसे-नाचार्य के वचनों के विरुद्ध किया गया है, जिस्का कुछ खुलासा इस प्रकार है:--

^{*} पं० पन्नालालजी सोनी ने 'पुराणे' पद का जो बहुवचनान्त श्रार्थ "शास्त्रों में " ऐसा किया है वह ठीक नहीं है। इसी तरह 'गाणिभिः 'पद के बहुवचनान्त प्रयोग का श्राशय भी श्राप ठीक नहीं समससके श्रीर श्रापने उसका अर्थ " मद्दियों ने " दे दिया है।

[48]

(क) भगवजिनसेन ने गर्भाधानादिक कियाओं की संख्या ५३ दी है भौर साथ ही निम्न पब द्वारा यह प्रतिपादन किया है कि गर्भाधान से लेकर निर्वाण तक की ये ५३ कियाएँ परमागम में 'गर्भान्वय किया' मानी गई हैं—

त्रयपंचाशदेता हि मता गर्भान्वयक्तियाः।
गर्भाधानिदिनिर्वाणपंयन्ताः परमागमे ॥

परन्तु जिनसेन के वचनानुसार कथन करने की प्रतिज्ञा से बँधे हुए भट्टारक जी उक्त कियाओं की संख्या ३३ बतलाते हैं और उन्होंने उन ३३ के जो नाम दिये हैं वे सब भी वे ही नहीं हैं जो आदिपुराख की ५३ कियाओं में पाय जाते हैं। यथा:—

श्राधानं श्रीतिः सुश्रीतिष्ट्रीतमाँदः प्रियोद्भवः ।
नामकमं बिद्यांनं निषचा प्राशनं तथा ॥ ४ ॥
च्युष्टिश्च केश्वरापश्च तिपिसंस्थानसंग्रदः ।
उपनीतिर्वतचर्या वतावतरणं तथा ॥ ४ ॥
विवादो वर्णनाभश्च कुलचर्या गृहीशिता ।
प्रशान्तिश्च गृहत्यागो दीचाद्यं जिनरूपता ॥ ६ ॥
सृतकस्य च संस्कारो निर्वाणं पिरुद्धानकम् ।
धादं च स्तकद्वैतं प्रायश्चित्तं तथैव च ॥ ७ ॥
तीर्थयात्रेति कथिता द्वर्शिंशत्संख्यया कियाः ।
व्यासिश्च धर्मस्य देशनाख्या विशेषतः ॥ ६ ॥

इनमें से पहले तीन पद्म तो आदिपुरागा के पद्म हैं और उनमें गर्भाशन को आदि लेकर २४ कियाओं के नाम दिये हैं, बाक्षी के दो पद्म भट्टारकजी की प्राय: अपनी रचना जान पड़ते हैं और उनमें ६ कियाओं के नाम देकर तेतीस कियाओं की पूर्ति की गई है। और पड़ी से प्रकृत विषय के बिरोध अथवा छुस का आरम्भ हुआ है। इब र ित्रयात्रों में, 'निर्वाण' ित्रया को छोड़कर, मृतक संस्कार, िपउडदान, श्राह्व, दोनों प्रकार के सूतक (जननाशीच, मृताशीच), प्रायिक्षित्र, तीर्थयात्रा श्रीर धमेदेशना नाम की कि ित्याएँ ऐसी हैं जो श्रादिपुराण में उक्त २४ ित्रयाशों के बाद 'मीनाध्ययनत्व' श्रादि २१ ित्रयाएँ श्रीर दी हैं श्रीर उनमें श्रन्तिम ित्रया 'निर्वृति' श्र्यात् निर्वाण बतलाई है । श्रीर इसीसे ये ित्रयाएँ गर्भाधानादि निर्वाणान्त ' कहलाती हैं । भगवाजिनसेन ने इन गर्भाधान से लेकर निर्वाणा तक की ५३ ित्रयाशों को 'सम्यक् ित्रया ' बतलाया है श्रीर उनसे भिन्न इस संग्रह की दूसरी ित्रयाशों को श्रथवा 'गर्भी-धानादि रमशानान्त ' नाम से प्रसिद्ध होने वाली दूसरे लोगों श्रकी ित्रयाशों को सिथ्या ित्रया ठहराया है । यथा:—

*हिन्दुत्रों की कियाएँ 'गभिधानादिशमशानांत' नाम से प्रसिद्ध हैं,यह बात 'ग्राज्ञवलक्यस्मृति' के निम्न वाक्य से स्पष्ट है—

> ब्रह्मच् त्रियविद्शूद्रा वर्णास्त्वाद्यास्त्रयो द्विजाः । निषेकाद्याः श्मशानान्तास्तेषां वै मंत्रतः क्रियाः ॥ १० ॥

भट्टारकजी ने अपनी ३३ कियाएँ जिस कमसे यहाँ (उक्त पद्यों में) दी हैं उसी कम से उनका आगे कथन नहीं किया, 'मृतक संस्कार' नाम की किया को उन्होंने सब के अन्त में रक्सा है और इसलिये उनकी इन कियाओं को भी 'ग्राभीधानादिश्मशानांत' कहना खाहिये। यह दूसरी बात है कि उन्हें अपनी कियाओं की सूची उसी कम से देनी नहीं आई, और इसलिये उनके कथन में कम-विरोध हो गया, जिसका कि एक दूसरा नमूना 'वतावतरण' किया के बाद 'विवाह' को न देकर 'प्रायाक्कित्त' का देना है। किया गर्भादिका यास्ता निर्वाणान्ता पुरोदिताः। श्राधानादि श्मशानान्ता न ताः सम्यक् कियामताः॥ २४ ॥ —३६ वाँ पर्व ।

श्रीर इसिलिये भद्दारक जी की 'पिगडदान' तथा 'श्राद्ध' आदि नाम की उक्त कियाओं को भगविजनसेनाचार्य के केवल विरुद्ध ही न समम्बना चाहिये बल्कि 'सिध्या कियाएँ' भी मानना चाहिये।

(स्व) अपनी उदिष्ट कियाओं का कथन करते हुए, भट्टारकजी ने गर्भाधान के बाद प्रीति, सुप्रीति, और धृति नाम की कियाओं का कोई कथन नहीं किया, जिन्हें आदिपुराण में क्रमशः तीसरे, पाँचवें और सातवें महीने करने का विधान किया है, बल्कि एकदम 'मोद' किया का वर्णन दिया है और उसे तीसरे महीने करना लिखा है। यथाः—

> गर्भेस्थिर अथ संजाते मासे तृतीयके ध्रुवम् । प्रमोदेनैव संस्कार्यः कियामुख्यः प्रमोदकः ॥ ४२॥

परन्तु आदिपुराण में 'नवमे मास्यतो ऽभ्याणे मोदोनाम कियाविधिः' इस वाक्य के द्वारा 'मोद' किया र वें महीने करनी लिखी है। और इसलिये भद्वारकजी का कथन आदिपुराण के विरुद्ध है।

यहाँ पर इतना और भी बतला देना उचित मालूम होता है कि भद्दारक जी ने 'प्रीति' और 'सुप्रीति' नामकी कियाओं को 'प्रियोद्धन' किया के साथ पुत्रजन्म के बाद करना लिखा है * । और साथ ही, सज्जनों में उत्कृष्ट प्रीति करने को 'प्रीति', पुत्र में प्रीति करने को 'सुप्रीति' और देनों में महान् उत्साह फैलाने को 'प्रियोद्धन' किया बतलाया है। यथा:—

^{* &#}x27;घृति' किया के कथन को आप यहाँ मी छोड़ गये हैं और उसका वर्णन प्रंथ भर में कहीं भी नहीं किया। इसी तरह 'तीर्थयात्रा' आदि और भी कुछ कियाओं के कथन को आप विसक्त ही छोड़ गये अथवा भुता गये हैं।

[48]

पुत्रजन्मिन संजाते प्रीतिसुषीतिके क्रिये । प्रियोक्सवश्च सोत्सादः कर्तव्यो जातकर्मणि ॥ ६१॥ सज्जनेषु परा प्रीतिः पुत्रे सुप्रीतिरुच्यते । प्रियोक्सवश्च देवेषुत्सादस्तु क्रियते महान्॥ ६२॥

यह सब कथन भी भगवाजिनसेनाचार्य के विरुद्ध है-क्रमविरोध को भी लिये हुये है-क्रौर इसमें 'प्रीति' क्रादि तीनों क्रियाक्रों का जो खरूप दिया है षह बड़ा ही विलक्षण जान पड़ता है | क्रादिपुराण के साथ उसका कुळ भी गेल नहीं खाता; जैसा कि क्रादिपुराण के निम्न वाक्यों से प्रकट है—

> गर्भाधानात्परं मासे तृतीये संप्रवर्तते । प्रीतिर्नाम किया प्रीतैर्या अनुष्ठेया द्विजन्मभिः ॥ ७७ ॥ श्राधानात्पंचमे मासि किया सुप्रीतिरिष्यते । या सुप्रीतैर्प्रयोक्तव्या परमोपासकवतैः ॥ ८० ॥ वियोद्भवः प्रस्तायां जातकर्मविधिः स्मृतः । जिनजातकमाध्याय प्रवर्त्यो यो यथाविधि ॥८४॥

> > -- ३८ वाँ पर्व ।

पिछले श्लोक से यह भी प्रकट है कि आदिपुराण में 'जातकर्मविधि' को ही 'प्रियोद्भव' किया बतलाया है । परन्तु भट्टारकर्जी ने 'प्रियोद्भव' को 'जातकर्म' से भिन एक दूसरी किया प्रतिपादन किया है । यही वजह है जो उन्होंने अध्याय के अन्त में, प्रतिपादित कियाओं की गण्यना करते हुए, दोनों की गण्यना अलग अलग कियाओं के रूप में की है । और इसलिये आपका यह विधान भी जिनसेनाचार्य के विरुद्ध है ।

एक बात और भी बतला देने की है और वह यह कि, भट्टा-रकजी ने 'जातकर्म विधि ' में 'जननाशीच ' को भी सामिल किया है और उसका कथन छह पद्यों में दिया है। परंतु 'जननाशीच 'को स्मापन अलग किया भी बतलाया है, तब दोनों में अन्तर क्या रहा, यह सोचनें की बात है। परंतु अन्तर कुछ रहो या न रहो, इससे प्रंथ की बेतरतीबी और उसके बेढंगेपन का हाल कुछ जरूर मालूम हो जाता है।

(ग) 'मोद' किया के बाद, त्रिवर्णाचार में 'पुंस्वन' और 'सीमन्त' नाम की दो क्रियाओं का क्रमशः निर्देश किया गया है और उन्हें यथाक्रम गर्भ से पाँचवें तथा सातवें महीने करने का विधान किया है। यथाः—

> सद्गभस्याथ पुष्टश्यर्थं कियां पुंसवनाभिधाम् । कुर्वन्तु पंचमे मासि पुगांसः त्तेमभिच्छवः ॥६३॥ भ्रथ सप्तमके मासे सीमन्तविधिष्ठच्यते । केशमध्ये तुगर्भिएयाः सीमा सीमन्तमुच्यते ४७२॥

ये दोनों कियाएँ आदिपुराण में नहीं हैं और न भट्टारकर्जा की उक्त ३३ कियाओं की सूची में ही इनका कहीं नामोक्षेण है। फिर नहीं मालूम इन्हें यहाँ पर क्यों दिया गया है। क्या भट्टारकर्जा को अपनी प्रतिज्ञा प्रंथ की तरतीत्र और उसके पूर्वापर सम्बंध आदि का कुछ भी ध्यान नहीं रहा? वैसे ही जहाँ जो जी में आया लिख मारा! और क्या इसी को प्रंथरचना कहते हैं ! वास्तव में ये दोनों कियाएँ हिन्दू धर्म की ख़ास कियाएँ (संस्कार) हैं। हिन्दुओं के धर्म प्रंथों में इनका विस्तार के साथ वर्णन पाया जाता है। गर्भिणी की के केशों में माँग पाइने को 'सीमन्त' किया कहते हैं, जिसके द्वारा वे गर्भ का ख़ास तौर से संस्कारित होना मानते हैं। और 'पुंसवन' किया का अभिप्राय उनके यहाँ यह माना जाता है कि इसके कारण गर्भिणी के गर्भ से लड़का पैदा होता है, जैसा कि मुहूर्तचितागणि की पीयूपधारा टीका के निम्न वाक्य से भी प्रकट है—

"पुमान् स्यते अनेन कर्मश्रीत व्युत्पत्या पुंसवनकर्मणा पुंस्त्वहेतुना।"

परंतु जैन सिद्धांत के अनुसार, इस प्रकार के संस्कार से, गर्भ में आई हुई लड़की का लड़का नहीं बन सकता। इसालिये जैन धर्म से इस संस्कार का कुछ सम्बंध नहीं है। भगविष्जनसन के वचनानुसार इन दोनों

किया श्रों को भी मिध्या कियाएँ समभना चाहिये। मालूम होता है कुछ विद्वानों ने दूसरों की इन किया श्रों को किसी तरह पर अपने प्रंथों में अपनाया है और भट्टारक जी ने उन्हीं में से किसी का यह श्रंथा ऽनुकरण किया है। अन्यथा, आपकी तेतीस किया श्रों से इनका कोई सम्बंध नहीं था।

(घ) त्रिवर्णाचार में, निधन के लिखे, गर्भाधान, प्रमोद, सीमंत श्रीर पुंसवन नाम की चार क्रियाश्रों को एक साथ १ वें महीने करने का भी विधान किया गया है। यथा:—

> गर्भाधानं प्रमोदश्च सीमन्तः पुंसवं तथा। नवमे मासि चैकत्र कुर्यात्सर्वतु निर्धनः॥८०॥

यह कथन भी भगवजिनसेनाचार्य के विरुद्ध है--आदिपुराण में गर्भा-धान और प्रमोद नाम की कियाओं को एक साथ करने का विधान ही नहीं। यहाँ 'गर्भाधान' किया का, जिसमें भट्टारकजी ने स्त्रीसंभोग का खासतीर से तफ़सीलवार विधान किया है, ६वें महीने किया जाना बड़ा ही विलक्षा जान पड़ता है और एक प्रकार का पाखरड मालूम होता है। उस समय भट्टारकजी के उस 'कामयज्ञ' का रचाया जाना जिसका कुछ परिचय आगे चल कर दिया जायगा, निःसन्देह, एक बड़ा ही पाप कार्य है श्रौर किसी तरह भी युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता । स्वयं भट्टारकजी के 'मासानु पंचमा-दृर्ध्व तस्याः संगं विवर्जयेत्' इस वाक्य से भी उसका विरोध अ।ता है, जिसमें लिखा है कि 'पाँचवें महीने के बाद गर्भिणी स्नी का संग छोड देना चाहिये - उससे भोग नहीं करना चाहिये । श्रीर वैसे भी गर्भ रह जाने के आठ नौ महीने बाद 'गर्भाधान' किया का किया जाना महज एक दौंग रह जाता है, जो सत्पुरुषों द्वारा आदर किये जाने के योग्य नहीं। भट्टारकजी निर्धनों के लिये ऐसे ढौंग का विधान करते हैं, यह आपकी बड़ी ही विचित्र लीला अथवा परोपकार बुद्धि है! आपकी राय में शायद ये गर्भा-बान आदि की कियाएँ विपुलयन-साध्य हैं श्रीर उन्हें धनकान लोग ही कर

सकते हैं । परन्तु आदिपुराण से ऐसा कुळ भी मालूम नहीं होता । वहाँ अनेक कियाओं का विधान करते हुए 'यथावि मवं' 'यथा वि भव-म्यापि' आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है और उससे मालून होता है कि इन कियाओं को सब लोग अपनी अपनी शक्ति और सम्पत्ति के अनुसार कर सकते हैं— धनवानों का ही उनके लिये कोई ठेका नहीं है।

(ङ) भट्टारक जी ने. निम्न पद्य द्वारा, ब्रह्मण, क्तिय, वैश्य स्रोर शूद्र चारों जातियों के लिये क्रमशः १२ वें, १६ वें, २० वें, स्रोर ३२ वें दिन बालक का नाम रखने की व्यवस्था की है—

> * द्वादशे पोड़शे विशे द्वात्रिशे दिवसेऽपि वा। नामकर्म स्वजातीनां कर्तव्यं पूर्वमार्गतः ॥ १११॥

श्रापकी यह व्यवस्था भी भगविजनसेन के विरुद्ध है। श्रादिपुराण में जनम दिन से १२ दिन के बाद — १३ वें, १४ वें, श्रादि किसी भी श्रवु-कूल दिवस में — नाम कर्म की सबके लिये सगान व्यवस्था की गई है श्रीर उसमें जाति श्रयवा वर्णभेद को कोई स्थान नहीं दिया गया। यथा: —

^{*} सोनीजी ने इस पद्य के अनुवाद में कुछ गलती खाई है। इस पद्य में प्रयुक्त हुए 'स्वजानीनां 'पद और 'अपि' तथा 'वा ' शब्दों का अर्थ वे ठीक नहीं समक्त सके। 'स्वजातीनां 'पद यहाँ चारों जातियों अर्थात् वलें का वाचक है और 'अपि 'समुख्यार्थ में तथा 'वा 'शब्द अवधारण अर्थ में प्रयुक्त हुआ है—विकल्प अर्थ में नहीं। हिन्दुओं के यहाँ भी, जिनका इस प्रन्थ में प्रायः अनु-सरण किया गया है, वर्ण-क्रम से ही नाम कर्म का विधान किया गया है. जेना कि 'सारसंग्रह 'के निम्न वाक्य से प्रकट है जो मु० चिन्तामणि की 'पीय्पधारा ' टीका में दिया हुआ है —

द्वादशादात्परं नाम कर्म जन्मदिनान्मतम् । श्रनुकृते सुतस्यास्य पित्रोरपि सुखावदे ॥ ३८-८७॥

(च) त्रिवर्णाचार में, 'नाम ' त्रिया के अनन्तर, बालक के कान नाक बींधने श्रीर उसे पालने में बिठलाने के दो मंत्र दिये हैं श्रीर इस तरह पर 'कर्णवेधन 'तथा ' आदिोलारोपण 'नाम की दो नवीन कियाओं का विधान किया है, जिनका उक्त ३३ ित्रयाओं में कहीं भी नामोल्लेख नहीं है। आदिपुराण में भी इन कियाओं का कोई कथन नहीं है। ऋौर इसलिये भट्टारकजी का यह विधान भी भगविजनसेन के विरुद्ध है और उनकी इन कियाओं को भी 'मिथ्या-कियाएँ समभना चाहिये। ये कियाएँ भी हिन्दू धर्म की खास कियाएँ हैं श्रौर उनके यहाँ दो त्रालग संस्कार माने जाते हैं। मालूम नहीं भट्टारकजी इन दोनों कियाओं के सिर्फ मंत्र देकर ही क्यों रह गये और इनका पूरा विधान क्यों नहीं दिया ! शायद इसका यह कारण हो कि जिस प्रन्थ से श्राप संप्रह कर रहे हों उसमें कियात्रों का मंत्र भाग अलग दिया हो और उस पर से नाम किया के मंत्र की नकल करते हुए उसके अनन्तर दिये हुए इन दोनों मंत्रों की भी आप नकल कर गये हों और आपको इस बात का खयाल ही न रहा हो कि हमने इन कियाओं का अपनी तेतीस कियाओं में विधान अथवा नामकरण ही नहीं किया है । परन्तु कुळ भी हो, इससे आपके प्रनथ की अव्यवस्था और बेतरतीबी जरूर पाई जाती है।

यहाँ पर में इतना ऋौर भी बतला देना चाहता हूँ कि मेरे पास ब्रह्मपूरि-त्रिवणीचार की जो हस्तिलिखित प्रति पं० सीताराम शास्त्री की लिखी हुई है उसमें आन्दोलारोपण का मंत्र तो नहीं –शायद छूटगया हो –परन्तु कर्णवेधन का मंत्र जरूर दिया हुआ है श्रीर वह नामकर्म के मंत्र के अनन्तर ही दिया हुआ है। लेकिन वह मंत्र इस त्रिवणी-चार के मंत्र से कुळू भिन्न है, जैसा कि दोनों के निम्नरूपों से प्रकट है –

[3, x]

ऊँ हीं हू: कर्णनासावेधनं करोमि ॐ स्वाहा ।

—ब्रह्मस्रित्रवर्णाचार।

ऊँ ह्रीं श्रीं श्रह बालकस्य हूं: कर्णनासावेश्वनं करोमि श्रीसश्चाउसा खाहा — सोमसेनिववर्णाचार ।

इससे ब्रह्मस्रित्रिवर्णाचार के मंत्रों का आंशिक विरोध पाया जाता है और उसे यहाँ बदलकर रक्खा गया है, ऐसा जान पढ़ता है। इसी तरह पर और भी कितने ही मंत्रों का ब्रह्मस्रि-न्निवर्णाचार के साथ विरोध है और वह ऐसे मंत्रों के महत्व अथवा उनकी सभीचीनता को और भी कम किये देता है।

(छुं) भट्टारक जी ने 'अन्नप्राशन' के बाद और 'व्युष्टि' किया से पहले ' गमन ' नाम की भी एक किया का विधान किया है, जिसके द्वारा बालक को पैर रखना सिखलाया जाता है। यथाः—

> श्रधास्य नवमे मासे गमनं कारयेत्पिता। गमने।चितनन्ने सुवारे शुभयोगके ॥१५०॥

यह किया भी आदिपुराण में नहीं है — आदिपुराण की दृष्टि से यह मिथ्या किया है — और इसलिये इसका कथन भी भगविजनसेन के विरुद्ध है। साथ ही, पूर्वापर — विरोध को भी लिये हुए हैं; क्यों कि भट्टारक जी की तेतीस कियाओं में भी इसका नाम नहीं है। नहीं मालूग भट्टारक जी को बारबार अपने कथन के भी विरुद्ध कथन करने की यह क्या धुन समाई थी! जब आप यह बतला चुके कि गर्भाधानादिक कियाएँ तेतीस हैं और उनके नाम भी दे चुके, तब उसके विरुद्ध बीच बीच में दूसरी कियाओं का भी विधान करने जाना और इसतरह पर संख्या आदि के भी विरोध को उपस्थित करना चलचित्तता, असमी द्यकारिता अथवा पागलपन नहीं तो और क्या है! इस तरह की प्रवृत्ति नि:सन्देह आपकी प्रयुक्ता-सम्बन्धी अयोग्यता को अच्छी तरह से ख्यापित करती है।

यहाँ पर मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि 'लिपिसंस्थानसंग्रह' (अन्तराभ्यास) नामक किया के बाद भी एक किया और बढ़ाई गई है और उसका नाम है 'पुस्तकग्रहण'। यह किया भी आदिपुराण में नहीं है और न तेतीस कियाओं की सूची में ही इसका नाम है। लिपिसंस्थान किया का विधान करते हुए, 'मौजी-बंधनतः पश्चाच्छास्त्रारंभो विधीयते' इस वाक्य के द्वारा, यद्यपि, यह कहा गया था कि शास्त्राध्ययन का आरम्भ गीजीबन्धन (उपनयन किया) के पश्चात् होता है परन्तु यहाँ 'पुस्तकग्रहण' किया को बढ़ा कर उसके द्वारा उपनयन संस्कार से पहले ही शास्त्र के पढ़ने का विधान कर दिया है और इस बात का कुछ भी ध्यान नहीं रक्खा कि पूर्व कथन के साथ इसका विरोध आता है। यथाः—

उपाध्यायेन तं शिष्यं पुस्तकं दीयते मुद्रा । शिष्योऽपि च पठेच्छास्त्रं नान्दीपठनपूर्वकम् ॥१८१॥

(ज) भट्टारक जी ने 'लिपि-संस्थान-संग्रह' नामक किया को देते हुए उसका मुहूर्त भी दिया है, जब कि दूसरी कियाओं में से गर्भाधान, उप-नयन (यज्ञोपत्रीत) और विवाह संस्कार जैसी बड़ी कियाओं तक का आपने कोई मुहूर्त नहीं दिया। नहीं मालूम इस किया के साथ में मुहूर्त देने की आपको क्या सूभी और आपका यह कैसा रचना-क्रम है जिसका कोई एक तरीका, नियम अथवा ढंग नहीं! अस्तु, इस मुहूर्त के दो पद्य इस प्रकार हैं:-*स्गादिपंचस्विप ते [भे] पु मूले, इस्तादिक च कियते [त्रितये] ऽश्विनी पु

^{*} इस पद्य में जो पाठ भेद ब्रैकिटों में दिया गया है वही मूलका शुद्ध पाठ है, सोनीजी की अनुवाद-पुस्तक में वह शलत रूप से दिया हुआ है। पद्य का अनुवाद भी कुछ शलत हुआ है। कमसे कम 'चित्रा' के बाद 'स्वाती' का और 'पूर्वाप हुं से पहले 'पूर्वाफाल्गुनी' नज्ञ का नाम और दिया जाना का दिये था।

पु [पु] र्वात्रये च श्रवणत्रये च, विद्यासमारम्भमुशन्तिसिद्धयै॥१६४ उदग्गते भास्त्रति पंचमेऽद्दे, त्राप्तेऽत्तरस्वीकरणं शिश्नुनाम् । सरस्वर्ती वेत्रसुपालकं च, गुडौदनाद्यैरभिपूज्य कुर्यात् ॥१६६॥

इनमें से पहला पद्य 'श्रीपित 'का और दूसरा 'विशिष्ठ ' ऋषि का वचन है। मुहूर्त चिन्तामिश की पीयूपधारा टीका में भी ये इन्हीं विद्वानों के नाम से उद्धृत पाये जाते हैं। दूसरे पद्य में 'विश्वविनायकं' की जगह 'चेत्रसुपालकं' का परिवर्तन किया गया है और उसके द्वारा 'गेश्राजी 'के स्थान में 'चेत्र-पाल 'की गुड़ और चावल वगैरह से पूजा की व्यवस्था की गई है।

त्तेत्रपाल की यह पूजन-व्यवस्था आदिपुराण के विरुद्ध है। इसीतरह पर दूसरी कियाओं के वर्णन में जो यत्त, यत्ती, दिक्पाल मीर जयादिदेवताओं के पूजन का विधान किया गया है, अधवा 'पूर्ववत्पूजयेत' 'पूर्ववद् होमं पूजां च कृत्वा' आदि वाक्यों के द्वारा इसीप्रकार के दूसरे देवताओं की भी पूजा का-जिसका वर्णन चौथे पाँचवें अध्यायों में है—जो इशारा किया गया है वह सब भी आदिपुगण के विरुद्ध है। अदिपुगण में भगविज्जनसेन ने गर्भाधानादिक कियाओं के अवसर पर, इसप्रकार के देवी देवताओं के पूजन की कोई व्यवस्था नहीं की। उन्होंने आमतीर पर सब कियाओं में 'सिद्धों' का पूजन रक्खा है, जो 'पीठिका' मंत्रों द्वारा किया जाता है +। बहुतसी कियाओं में अर्हन्तों का, देवगुरु का और किसी में आचार्यों आदि का पूजन भी बतलाया है, जिसका विशेष हाल आदिपुराण के देव वें और ४० वें पर्यों को देखने से मालूग हो सकता है।

⁺ यथाः —

एतै: (वीडिका मंत्रेः) सिद्धार्चनं कुर्यादाधानादि कियाविधी।

यहाँ पर मैं त्रिवर्णाचार की एक दूसरी विलक्ष प्जा का भी उल्लेख कर देना उचित समभता हूँ, श्रीर वह है 'योनिस्थ देवता' की प्जा। भट्टारकजी ने, गर्भाधान किया का विधान करते हुए, इस श्रप्वे श्रथवा श्रश्रुतपूर्व देवता की प्जा का जो मंत्र दिया है वह इस प्रकार है—

ऊँ हीं क्षीं ब्लूँ योनिस्थदेवते मम सत्पुत्रं जनयस्व श्रासिश्राउसा स्वाहा।

इस मंत्र में यह प्रार्थना की गई है कि 'हे योनिस्थान में बैठे हुए देवता ! मेरे सत्युत्र पैदा करो ।' भट्टारकजी लिखते हैं ।कि 'यह मंत्र पढ़कर गोबर, गोम्त्र, दूध, दही, घी कुश (दर्भ) सौर जल से योनिका श्रच्छी तरह से प्रचालन करे श्रीर फिर उसके ऊपर चंदन, केसर तथा कस्तूरी श्रादि का लेप कर देवे । यथा—

'इति मंत्रेण गोमयगोमूत्रज्ञीरदधिसार्पः कुशोदकैयोंनिं सम्प्रज्ञालय श्रीगंधकुंकुमकस्तृरिकाचनु लेपनं कुर्यात्।'

यही योनिस्थ देवता का सप्रचाल पूजन है। श्रीर इससे यह माल्म होता है कि भट्टारकजी ऐसा मानते थे कि स्त्री के योनि स्थान में किसी देवता का निवास है, जो प्रार्थना करने पर प्रार्थी से अपनी पूजा लेकर उसके लिये पुत्र पैदा कर देता है। परन्तु जैनधर्म की ऐसी शिचा नहीं है श्रीर न जैनमतानुसार ऐसे किसी देवता का अस्तित्व या व्यक्तित्व ही माना जाता है। ये सब वाममार्गियों अथवा शाक्तिकों जैसी बातें हैं। भट्टारकजी ने सम्भवत: उन्हीं का अनुकरण किया है, उन्हीं जैसी शिचा को समाज में प्रचारित करना चाहा है, श्रीर इसलिये 'गर्भाधान' किया में आपका यह पूजन-विधान महज्ज प्रतिज्ञा-विरोध को ही लिये हुये नहीं है बलिक जैनधर्म श्रीर जैननीति के भी विरुद्ध है, श्रीर आपके इस किया मंत्र को अध्यर्ध मंत्र समक्षना चाहिये।

(भत्) इस आठवें अध्याय में, और आगे भी, आदिपुराण वर्णित कियाओं के जो भी मंत्र दिये हैं वे प्रायः सभी आदिपुराण के विरुद्ध हैं । आदिपुराण में गर्भाधानादिक कियाओं के मंत्रों की दो भागों में विभाजित किया है—एक 'सामान्यविषय मंत्र' और दूसरे 'विशेषविषय मंत्र' । 'सामान्यविषय मंत्र' वे हैं जो सब कियाओं के लिये सामान्य रूप से निर्दिष्ट हुए हैं और 'विशेषविषय' उन्हें कहते हैं जो खास खास कियाओं में अतिरिक्त रूप से नियुक्त हुए हैं । सामान्यविषय मंत्र १ पीठिका, २ जाति, ३ निस्तारक, ४ ऋषि, ५ सुरेन्द्र, ६ परमराज और ७ परमेष्ठि मंत्र—भेद से सात प्रकार के हैं। इन सबों को एक नाम से 'पीठिका—मंत्र' कहते हैं; किया—मंत्र, साधन—मंत्र तथा आहुति—मंत्र भी इनका नाम है और ये 'उत्सर्गिक—मंत्र' भी कहलाते हैं, जैसािक आदिपुराण के निम्न वाक्यों से प्रकट है ।

पते तु पीठिका मंत्राः सप्त क्षेया द्विजोत्तमैः।

एतैः सिद्धार्चनं कुर्यादाधानादिकियाविधौ ॥ ७७ ॥

कियामंत्रास्त पतेस्युराधानादिकियाविधौ ।

स्त्रे गण्धरोद्धार्ये यान्ति साधनमंत्रताम् ॥ ७६ ॥
संध्यास्त्रीप्तत्रत्र्ये देवपूजने नित्यकर्माण् ।

भवन्त्याद्वतिमंत्राश्च त पते विधिसाधिताः ॥ ७६ ॥

साधारणास्त्रिक्षे मंत्राः सर्वत्रैव कियाविधौ ।

यथासंभवमुत्रेष्ये विशेषविषयांश्च तान् ॥ ६१ ॥

कियामंत्रास्त्रिद्ध क्षेया ये पूर्वमनुवर्णिताः ।

सामान्यविषयाः सप्त पीठिकामंत्रकृदयः ॥ २१४ ॥

ते द्वि साधारणाः सर्वक्रियासु विनियोगिनः ।

तत्त उत्सर्गिकानेतान्मंत्रान्मत्रविद्यो विदुः ॥ २१६ ॥

विशेषविषया मंत्राः कियास्कासु दार्शिताः ।

इत: प्रभृति चाभ्यूद्यास्ते यथाम्नायमग्रज्ञैः ॥ २१७ ॥ मंत्रानिमान्यथा योग्यं यः क्रियासु विनियोजयेत् । स लोके सम्मति याति युक्ताचारो द्विजोत्तम् : ॥ २१८ ॥ ---४० वाँ पर्व ।

इन वाक्यों से आदिपुराण-वर्णित मंत्रों का खास तौर से महत्व पाया जाता है और यह मालूम होता है। कि व जैन आम्नायानुसार ख़सूसियत के साथ इन कियाओं के मंत्र हैं। गणधर रचित सूत्र (उपासकाध्ययन) अथवा परमागम में उन्हें 'साधनमंत्र' कहा है—िकियाएँ उनके द्वारा सिद्ध होती हैं ऐसा प्रतिपादन किया है—और इसिलये सब कियाओं में उनका यथायोग्य विनियोग होना चाहिये। एक दूसरी जगह भी इस विनियोग की प्रेरणा करते हुए लिखा है कि 'जैनमत' में इन मंत्रों का सब कियाओं में विनियोग माना गया है, अतः श्रावकों को चाहिये कि व व्यामोह अथवा भ्रम छोड़ कर—िःसंदेह रूप से—इन मंत्रों का सर्वत्र प्रयोग करें। यथाः

विनियोगस्तु सर्वासु कियास्वेषां मतो जिनै: ।

श्रव्यामोहादतस्तज्ज्ञैः प्रयोज्यास्त उपासकै: ॥ ३८-७४ ॥

परन्तु, यह सब कुछ होते हुए भी, भट्टारकजी ने इन दोनों प्रकार के सनातन और यथाम्नाय + मंत्रों में से किसी भी प्रकार के मंत्र का यहाँ * प्रयोग

⁺ आदिपुराण में 'तन्मंत्रास्तु यथाम्नायं ' आदि पश के द्वारा इन मंत्रों को जैन आसाय के मंत्र बतलाया है।

^{*} पाँचवें श्रध्याय में, तित्यपूजत के मंत्रों का विधान करते, हुए, सिर्फ एक प्रकार के पीठिका मंत्र दिये हैं परन्तु उन्हें भी उनके श्रसली रूप में नहीं दिया—बदलकर रक्खा है—सब मंत्रों के श्रुरू में ऊँ जोड़ा गया है और कितनेही मंत्रों में 'नमः' श्रादि शब्दों के द्वित्व प्रयोग की जयह एकत्व का प्रयोग किया गया है। इसी तरह श्रीर भी कुछ न्यूना श्रिकता की गई है। श्रादिपुराण के मंत्र जैंचे तुले श्रीकों में बृद्ध हैं।

नहीं किया, बल्कि दूसरे ही मंत्रों का व्यवहार किया है जो आदिपुराश से बिलकुल ही विलक्ष अथवा मिन्न टाइप के मंत्र हैं के | इससे अधिक भगविजनसेन का—और उनके बचनानुसार जैनागम का भी—विरोध और क्या हो सकता है ? में तो इसे भगविजनसेनकी खासी अवहेलना और साथ ही जनसाधारण की अच्छी प्रतारणा (वंचना) सगमता हूँ। अस्तु; भगविजनसेनने 'मंत्रास्त एव धम्पी: स्युर्गे कियासु विनियोजिता: 'इस ३६ वें पर्व के वाक्य द्वारा उन्हीं मंत्रों को 'धम्पेमंत्र 'प्रतिपादन किया है जो उक्तप्रकार से कियाओं में नियोजित हुए हैं, और इसिलिये भद्यारक्ती के मंत्रों को 'अधम्पे मंत्र ' अपवा 'मूठेमंत्र ' कहना चाहिये। जब उनके द्वारा प्रयुक्त हुए मंत्र वास्तव में उन कियाओं के मंत्र ही नहीं, तब उन कियाओं से लाभ मी क्या हो सकता है ? बल्कि मूठे मंत्रों का प्रयोग साथ में होने की वजह से कुछ बिगाइ हो जाय तो आश्चर्य नहीं।

यहाँ पर में इतना श्रीर भी बतला देना चाहता हूँ कि, त्रिवर्णा-चार में जो किया-मंत्र दिये हैं वे श्रादिपुराण से पहले के बने हुए

^{*} उदाहरण के तौर पर 'निषद्या' किया के मंत्र को लिजिये। आदि पुराण में 'सत्यजाताय नमः' आदि पीठिक। मंत्रों के अतिरिक्त इस किया का जो विशेष मंत्र दिया वह है—' दिव्यसिहासन भागी भव, परमसिहासन भागी भव, परमसिहासन भागी भव "। और त्रिवर्णाचार में जो मंत्र दिया है वह है—ऊँहीं अहै असि आ उसा बालक मुपवेश यामि स्वाहा ''। दोनों में कितना अन्तर हैं इसे पाठक स्वयं समभ सकते हैं। एक उसम आशीर्वादात्मक अथवा भावनात्मक है तो दूसरा महज़ स्वनात्मक है कि में बालक को विठलाता हूँ। प्रायः ऐसी ही हालत दूसरे मन्त्रों की समभनी चाडिये।

किसी भी प्रन्थ में नहीं पाये जाते, श्रौर श्रादिपुराण से यह स्पष्ट मालूम हो रहा है कि उसमें जो किया—मंत्र दिये हैं वे ही इन कियाश्रों के श्रमली, श्रागम—काथित, सनातन श्रौर जैनाम्नायी मंत्र हैं । ऐसी हालत में त्रिवणीचार वाले मंत्रों की बाबत यही नतीजा निकलता है कि वे श्रादिपुराण से बहुत पीछे के बने हुए हैं । उनकी श्रथवा उन जैसे मंत्रों की कल्पना भद्रारकी युग में—संभवत: १२ वीं से १५ वीं शताब्दी तक के मध्यवर्ती किसी समय में—हुई है, ऐसा जान पड़ता है ।

(आ) अध्याय के अन्त में, 'पुस्तकप्रहण ' किया के बाद, भट्टारकजी ने एक पद्य निम्नप्रकार से दिया है:-

मर्भाधानसुमोदपुंसवनकाः सीमन्तजन्माभिधाः
 बाह्यसुयानभोजने च गमनं चौलात्तराभ्यासनम् ।
 सुशीतिः प्रियस्क्रवो ग्रुरुमुखाच्छास्त्रस्यसंत्राह्यं
 एताः पंचदश्च कियाः समुदिता श्रह्मिन् जिनेन्द्रागमे ॥१८२॥

इसमें, श्रध्याय-वर्णित कियाश्रों की उनके नामके साथ गणना करते हुए, कहा गया है कि ' ये पंद्रह कियाएँ इस जिनेन्द्रागम में भलेप्रकार से कथन की गई हैं', परन्तु कियाश्रों के जो नाम यहाँ दिये हैं वे चौद्रह हैं—-१ गर्भाधान, २ मोद, पुंसवन, ४ सीमन्त, ५ जन्म, ६ श्रमिधा (नाम), ७ बहिर्यान, = भोजन, १ गमन, १० चौल, ११ श्रद्धरा-भ्यास, १२ सुप्रांति, १३ प्रियोद्भव तथा १४ शास्त्रप्रहण — श्रौर श्रध्याय में जिन कियाश्रों का वर्णन किया गया है उनकी संख्या उनीस है। प्रींति, निषद्या (उपवेशन), व्युष्टि, कर्णवेधन श्रौर श्रान्दोलारोपरा

^{*} इस पद्य के अनुवाद में सोनीजी ने जो व्यर्थ की सींचातानी की है वह सहदय विद्यानों को अनुवाद के देखते ही मालूम पड़जाती है। उस पर यहाँ कुछ टीका टिप्पण करने की ज़करत नहीं है।

नामकी पाँच क्रियाच्यों का वहाँ तो वर्णन है, परन्तु यहाँ गणाना के श्रवसर पर उन्हें बिलकुल ही भुला दिया है । इससे श्रापका महज वचन-विरोध ही नहीं पाया जाता, बल्कि यह भी आपकी प्रन्थ रचना की विलक्ष्मता का एक श्रच्छा नमूना है और इस बात की जाहिर करता है कि आपको अच्छी तरह से प्रंथ रचना करना नहीं आता था। इतने पर भी. खेद है कि, आप अपने इस प्रंथ को 'जिनेन्द्रागम' बतलाते हैं ! जो प्रंथ प्रतिज्ञाविरोध, श्रागमीवरोध, श्राम्नायविरोध, ऋषि-बाक्यविरोध, सिद्धान्तविरोध, पूर्वापरविरोध, युक्तिविरोध श्रीर ऋगविरोध आदि दोपों को लिये हुए है, साथ ही चोरी के कलंक से कलंकित है. उसे 'जिनेद्वागम' बतलाते हुए आपको जरा भी लज्जा तथा शर्म नहीं आई ! x इससे अधिक धृष्टता श्रीर धूर्नता श्रीर क्या हो सकती है ? यदि ऐसे हीन प्रन्य भी ' जिनेन्द्रागम ' कहलाने लगें तब तो जिने-न्द्रागम की श्रच्छी खासी मिट्टी पलीद हो जाय शौर उसका कुछ भी महत्व न रहे । इसीलिए ऐसे छग्रवेषधारी प्रंथों के नम्र रूप की दिखला कर उनसे सावधान करने का यह प्रयत किया जा रहा है।

(ट) त्रिवर्णाचार के १ वें भध्याय में, 'यज्ञोपवीतसत्कर्भ वच्ये नत्वा गुरुक्तमात्' इस वाक्य के द्वारा गुरु-परम्परा के अनुसार यज्ञोपवीत (उपनीति) किया के कथन की विशेष प्रतिहा करते हुए, निम्न पद्य दिये हैं:—

गर्भाष्टमे उन्हें कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम् । गर्भादेकादरो राष्ट्रो गर्भात्तु द्वादरो विशः ॥ ३ ॥ ब्रह्मवर्चसकामस्य कार्य विशस्य पंचमे । राष्ट्रो ब्रह्मार्थिनः वष्टे वैश्यस्येदार्थिनो उप्रमे ॥ ४ ॥

×हाँ सोनीजी को अनुवाद के समय कुछ भिभक ज़कर पैरा हुई है और इस क्षिये उन्होंने ''जिनेन्द्रागम'' को "अध्याय" में बहल दिया है। * आषोडशाच [दा] द्वाविंशाचतुर्विंशात्तु [च] वत्सरात्।

ब्रह्मत्तत्रविशां कालो इ्युपनयनजः [ल श्रोपनायनिकः] परः॥४॥
श्रत र्ऊष्वं पतन्त्येते सर्वधर्मबहिष्क्षताः।

प्रतिष्ठादिषु कार्येषु न योज्या ब्राह्मणोत्तमैः ॥ ६ ॥

इन पर्धों में से पहले पद्य में उपनयन के साधारण काल का, दूसरे में विशेष काल का, तीसरे में वाल की उत्कृष्ट मर्यादा का श्रीर चौथे में उत्कृष्ट मर्यादा के भीतर भी यज्ञोपवीत संस्कार न होने के फल का उल्लेख किया गया है, श्रीर इस तरह पर चारों पद्यों में यह बत-लाया गया है। कि-'गर्भ से ऋाठवें वर्ष ब्राह्मण का ग्यारहवें वर्ष चत्रिय का ऋौर बारहवें वर्ष वैश्य का यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिये। परंत जो ब्राह्मण (विद्याध्ययनादि द्वारा) ब्रह्मतेज का इच्छुक हो उसका गर्भ से पाँचर्ने वर्ष, राज्यवल के ऋर्थी क्रिय का छठे वर्ष और व्यापासदि द्वास श्रापना उत्कर्ष चाहने वाले वैश्य का आठवें वर्ष उक्त संस्कार किया जाना चाहिये । इस संस्कार की उत्कृष्ट मर्यादा ब्राह्मण के लिये १६ वर्ष तक. न्नत्रिय के लिये २२ वर्ष तक ऋौर वैश्य के लिये २४ वर्ष तक की है। इस मर्यादा तक भी जिन लोगों का उपनयन संस्कार न हो पावे, वे अपनी अपनी मयीदा के बाद पतित हो जाते हैं. किसी भी धर्म कर्म के ऋधिकारी नहीं रहते-- उन्हें सर्व धर्मकायों से बहिष्कृत सगमना चाहिय-शौर इसालिये ब्राह्मणों को चाहिये। के वे प्रतिष्ठादि धर्मकार्थों में उनकी योजना न करें'।

यह सब कथन भी भगविजनसेन के विरुद्ध है। आदिपुरास में वर्सा-भेद से उपनयनकाल में कोई भेद ही नहीं किया-- सब के लिये गर्भ से आठवें वर्ष का एक ही उपनयन का साधारस्मकाल रक्खा गया है। यथा:--

^{*} इस पद्य में ब्रैकिटों के भीतर जो पाठभेद दिया है वह पद्य का मूल पाठ है जो अनेक ग्रंथों में उद्धे खित मिलता है और जिसे संभवतः यहाँ बदल कर रक्खा है।

[६६]

क्रियोपनीतिनांमाऽस्य वर्षे गर्भाष्ट्रमे मता । यत्रापनीतकेशस्य मीञ्जी सवनबन्द्रना ॥ ३८-१०४ ॥

श्रीर यह बात जैननीति के भी बिरुद्ध है कि जिन ले.गों का उक्त मर्यादा के भीतर उपनयन संस्कार न हुआ हो उन्हें सर्व धर्म-कुलों से बहिष्कृत स्मीर बंचित किया जाय श्रयवा धर्म-सेवन के उनके सभी ऋधिकारों को छीन लिया जाय । जैनधर्ग का ऐसा न्याय नहीं है श्रीर न उसमें उपनयन संस्कार की इतना महत्व ही दिया गया है कि उसके बिना किसी भी धर्म कर्म के करने का कोई अधिकारी ही न रहे। उसमें धर्मसेवन के अनेक गार्ग बतलाये गये हैं जिनमें उपनयन-संस्कार भी एक मार्ग है अथवा एक गार्ग में दाखिल है । जेनी बिना यज्ञोपत्रीत संस्कार के भी पूजन, दान, स्वाध्याय, तप और संयम जैसे धर्मकृत्यों का आचरण कर सकते हैं, करते हैं और करते आए हैं; श्रावक के बारह बतों का भी वे खंडशः अथवा पूर्णरूप से पालन कर सकते हैं और अन्त में सङ्कोखना व्रत का भी अनुष्ठान कर सकते हैं। प्रतिष्टाकार्यों में भी बड़े बड़े प्रतिष्टाचार्यों द्वारा ऐसे लोगों की नियुक्ति देखी जाती है जिनका उक्त मर्यादा के भीतर यज्ञीपत्रीत संस्कार नहीं हुन्ना होता । यदि उक्त मर्यादा से ऊपर का कोई भी अजैन जैनधर्म की शरण में आए तो जैनधर्भ उसका यह कह कर कभी त्याग नहीं कर सकता कि 'मर्यादा के भीतर तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ इसलिये अन्न तुग इस वर्ग को धारस तथा पालन करने के अधिकारी नहीं रहे'। ऐसा कहना और करना उसकी नीति तथा सिद्धान्त के विरुद्ध है। वह ख़ुशी से उसे अपनाएगा, अपनी दीन्। देगा ऋौर बरूरत समग्रेगा तो उसके लिये यह्नोपबीत का भी विधान करेगा। इसी तरह पर एक जैनी, जो उक्त मर्यादा तक अन्नती अथवा धर्म कर्म से पराङ्मुख रहा हो, अपनी भूल को मालूम करके श्रावकादि के वत बेना चाहे तो जैनधर्म उसके लिये भी यथायोग्य व्यवस्था करेगा। इसका मर्यादा के भीतर यज्ञापवीत संस्कार से संस्कारित न होना, उसमें कुछ भी बाधक न होगा। श्रीर इन सब बातों को पुष्ट करने के लिये जैन शास्त्रों से सैंकड़ों कथन, उपकथन श्रीर उदाहरण उद्धृत किये जा सकत हैं, जिनकी यहाँ पर कोई जरूरत मालूग नहीं होती। श्रतः भट्टारक्रणी का उक्त लिखना जैनधर्म की नीति श्रीर प्रकृति के विरुद्ध है। वह हिन्दूधर्म की शिक्षा को लिये हुए है। भट्टारकजी के उक्त पट्टा भी हिन्दूधर्म की शिक्षा को लिये हुए है। भट्टारकजी के उक्त पट्टा भी हिन्दूधर्म की शिक्षा को लिये हुए है। भट्टारकजी के उक्त पट्टा भी हिन्दूधर्म की शिक्षा को लिये हुए है। भट्टारकजी के उक्त पट्टा भी हिन्दूधर्म की शिक्षा को लिये हुए है। भट्टारकजी के उक्त पट्टा भी हिन्दूधर्म की चीज़ हैं पट्टा य वेथे पट्टा का पूर्वार्ध दोनों प्राज्ञवलक्य श्रव्ध के क्या दर्ज हैं; तीसरा पट्टा श्रीर चौथे पट्टा का पूर्वार्ध दोनों 'याज्ञवलक्य' श्रव्ध के वचन हैं श्रीर 'याज्ञवलक्यस्मृति' के पहले श्रव्याय में क्रमशः नं० ३७ तथा ३८ पर दर्ज हैं। रहा चौथे पट्टा का उत्तरार्ध, वह भट्टारकजी की प्रायः श्रपनी रचना जान पदता है श्रीर याज्ञवलक्य स्मृति के 'साविश्रीपतिता बाल्या वाल्यस्तोमाहते कतोः 'इस उत्तरार्ध के स्थान में बनाया गया है।

यहाँ पर पाठकों की समभ में यह बात सहज ही आजायगी कि कि जब भद्दारकार्जी ने गुरुपरम्परा के अनुसार कथन करने की प्रतिज्ञा की तब उसके अनन्तर ही आपका 'मनु' और 'याज्ञवल्क्य' के वाक्यों को उद्धृत करना इस बातको साफ सूचित करता है कि आपकी गुरु परम्परा में मनु और याज्ञवल्क्य जैसे हिन्दू ऋषियों का खास स्थान था। आप बजाहिर अपने भद्दारकी वेष में मले ही, जैनी तथा जैनगुरु बने हुए, अजैन-गुरुओं की निन्दा करते हों और उनकी कृतियों तथा विधियों को अच्छा न बतलाते हों परन्तु आपका अन्तरंग उनके प्रति मुक्ता हुआ जरूर था, इसमें सन्देह नहीं; और यह आपका मान-सिक दीर्बल्य था जो आपको उन अजैन-गुरुओं या हिन्दू ऋषियों के बाक्यों अथवा विधि-विधानों का प्रकट रूप से अभिनन्दन करने का

साइस नहीं होता था और इसीलिय आपकी छल वरना पड़ा। आपने, जैनी होने के कारण, 'गुरुक्तमान्' पर के प्रयोग द्वारा अपने पाठकों को यह विश्वास दिलाया कि आप जैनगुरुओं की (जिनसेनादि की) कथन-परम्परा के अनुसार यहापनीत किया का कथन करते हैं परंतु कथन किया आपने 'मनु' और 'याइनल्क्य' जैसे हिन्दू ऋषियों की परम्परा के अनुसार, उनके वचनों तक को उद्धृत करके । यही आपका छल है, यही घोस्ना है और इसे आपकी ठगनिया का एक खासा नमूना समस्ता चाहिये।

इस किया के वर्णन में नान्दिशाद्ध श्रोर पिष्पलपूजनादिक की श्रोर भी कितनी है। विरुद्ध बातें ऐसी हैं जो हिन्दूधर्म से ली गई हैं श्रोर जिनमें से कुछ का विचार श्रागे किया जायगा।

(ठ) 'व्रतचर्या' किया का कथन, यद्यपि, भट्टारकर्जा ने आदिपुराण के पद्यों में ही दिया है परन्तु इस कथन के 'याचद्विद्यासमाप्तिः'
(७७), तथा 'सूत्रमीपासिकं' (७८) नाम के दो पद्यों को आपने
'व्रतावतर्ण' किया का कथन करते हुए उसके मध्य में दे दिया है, जहाँ
वे सासंगत जान पहते हैं। और इन पद्यों के अनन्तर के निम्न दो पद्यों
को विलक्षल ही छोड़ दिया है—उनका आश्रय भी नहीं दिया—

श्रम्दिद्याऽर्थशास्त्रादि चाध्येयं नाऽस्य दूष्यते । सुसंस्कारप्रबोधाय वैयात्यस्यातयेऽपि च ॥ ३८-११६ ॥ ज्योतिर्कानम्य सुन्दो द्वानं द्वानं च शाकुनम् । संस्थाद्वानमितीदं च तेनाध्येयं विशेषतः ॥ १२० ॥

इन पर्यों को छोड़ देने अथवा इनका आशय भी न देने से प्रकृत किया के अभ्यासी के लिये उपासकसूत्र और अध्यात्मशास के पढ़ने का ही विधान रह जाता है परंतु इन पर्यों द्वारा उसके लिये व्याकरण-शास, अर्थशासादिक, उयोति:शास, छन्द:शास, शकुनशास और गाग्रीत शास्त्र के अध्ययन का भी साविशेष रूप से विधान पाया जाता है, *
जिसे भट्टारकानी ने शायद अनुपयोगी समभा हो। इसी तरह पर व्रतावतरण' किया के कथन में, 'व्रतावतरणं चेदं' से पहले के निम्न
दो पद्यों को भी आपने छोड़ दिया है, जिनमें से दूसरा पद्य जो 'सार्वकािलेक व्रत' का उल्लेख करने वाला है, खासतीर से जरूरी था—

ततोऽस्याधीतविद्यस्य वतत्रुत्यवतारणम् । विशेषविषयं तद्य स्थितस्यौत्सर्गिके वर्ते ॥ १२२ ॥ मधुमांसपरित्यागः पंचोदुम्वरवर्जनम् । दिसद्विरितिश्चास्य वर्तं स्थात्सार्वकालिकम् ॥ १२३ ॥

इन पद्यों के न होने से 'व्रतायतरणं चेदं' नाम का पद्य श्रसम्बद्ध जान पड़ता है— 'याबीद्व द्या समाप्तिः ' श्रादि पूर्व पद्यों के साथ उसका कोई सम्बन्ध ही ठीक नहीं बैठता । श्रीर 'वस्त्राभरण' नाम का उत्तर पद्य भी, श्रादिपुराण के पद्य नं० १२५ श्रीर १२६ के उत्तरार्ध तथा पूर्वार्ध को मिलाकर बनाए जाने से कुछ बेढंगा हो गया है जिसका उद्धेख प्रंथ के संप्रहत्व का दिग्दर्शन कराते हुए किया जाचुका है । इसके सिवाय, भद्रारकजी ने वतावतरण किया का निम्न पद्य भी नहीं दिया श्रीर न उसके श्राशय का ही श्रपने शब्दों में उद्धेख किया है, जिसके श्रनुसार 'कामब्रह्मवत' का श्रवतार (त्याग) उस वक्त तक नहीं होता— वह बना रहता है — जब तक कि विवाह नाम की उत्तर किया नहीं हो लेती:—

भोगब्रह्मवतादेवमवतीर्णो भवेत्तदा । कामब्रह्मवतं चास्य तावद्याचित्रयोत्तरा ॥ १२७ ॥

^{*} पं॰ पन्नालालजी सोनी ने भी इस विधान का श्रपने श्रनुवाद में उल्लेख किया है परन्तु श्राप से यह सक्त गलती हुई जो श्रापने 'यावद्विया समाप्तिः' श्रादि चारों ही पर्यों को वतावतरण किया के पद्य बतला दिया है। श्रापके "इसी (वतावतरण) किया में यह श्रीर भी बतलाया है" शब्द बहुत खटकते हैं।

[98]

थही सब इस ग्रंथ की दोनों (बतचर्या और बतावतरणा) कियाऔं का अपदिपुराण के साथ विरोध है। मालूम नहीं जबे इन क्रियाओं को प्रायः श्रादिपुराण के शब्दों में हो रखना था तो फिर यह व्यर्थ की गड़बड़ी क्यों की गई ऋौर क्यों दोनों कियाओं के कथन में यह श्रमामंजस्य उत्पन्न किया गया !! भट्टारकी लीला के सिवाय इसे और क्या कहा जा सकता है ? भट्टारक जी ने ती अप्रध्याय के अपन में जा कर इन कियाओं के अस्तित्व तक को भुला दिया है और 'इत्धं में जि-बन्धनं पालनीयं ' आदि पदा के द्वारा इन कियाओं के कथन को भी मीं जीवन्धन का-यहाँ पवीत किया का-ही कथन बतला दिया है !! इसके सिवाय, एक बात ऋौर भी जान लेने की है ऋौर वह यह कि श्रावकाचार श्रथवा श्रावकीय वर्तों का जो उपदेश 'वतचर्या' किया के अवसर पर होना चाहिये था * उसे भट्टारक जी ने ' बतावतरण ' किया के भी बाद, दसर्वे ऋध्याय में दिया है और वतचर्या के कथन में वैसा करने की कोई सूचना तक भी नहीं दी । ये सब बातें श्रापके रचना-विरोध श्रीर उसके बेढ़ंगेपन को सूचित करती हैं । अ।पको कम से कम ' व्रतावतरण ' किया को दस्तें अध्याय के अन्त में, अथवा ग्यारहवें के शुरू में-विवाह से पहले-देना चाहिये था। इस प्रकार का रचना-सम्बन्धी विरोध अथवा बेढंगापन और भी बहुत से स्थानों पर पाया जाता है, स्रौर वह सब मिलकर भट्टारकर्ना की प्रंथरचना-संबंधी योग्यता को चौपट किये देता है।

अधाते।ऽस्य प्रवच्यामि वतचर्यामनुकमात् । स्याद्यत्रे।पासकाध्यायः समासनानुसंहृतः ॥ ४०-१६४ ॥

[#]वतचर्या के अवसर पर उपासकाध्ययन के उपदेशों का संचेप में संग्रह होता है, यह बात आदिपुराण के निम्न वाक्य से भी प्रकट है:-

[98]

(ड) त्रिवर्णाचार के ग्यारहवें ऋष्याय में, तेतीस कियाओं में से सिर्फ 'विवाह ' नामकी किया का वर्णन है और उसका प्रारम्भ करते हुए एक पद्य निम्न प्रकार से दिया है:—

जिनसेनमुर्नि नत्वा वैवाहवित्रिमुत्सवम् । वस्ये पुराणमार्गेण सौकिकाचारसिद्धये ॥ २॥

इस पद्य में जिनसेन मुनि को नमस्कार करके पुराख अनुसार विवाह-विधि के कथन करने की प्रतिज्ञा की गई है श्रीर इ तरह पर-पूर्वप्रतिज्ञाश्चों की मौजूदगी में श्रावश्यकता न होते हुए भी इस प्रतिज्ञाद्वारा सविशेष रूप से यह घोषणा की गई है अपथवा विश्व दिलाया गया है कि इस किया का सब कथन भगवाजिनसेन के आदि पुरागानुसार किया जाता है। परन्तु अध्याय के जब पत्र पलटते हैं र नक्रशा विलकुल ही बदला हुन्ना नज्र स्नाता है त्रौर यह मालूम होने लगता है कि अध्याय में वर्णित अधिकांश बातों का आदिपुराण के सा प्रायः कोई सम्बन्धविशेष नहीं है । **बहुतसी बातें हिन्दू धर्म वे** श्राचारविचार को लिये हुए हैं—हिन्दुश्रों की रीतियाँ, विधियाँ अथवा कियाएँ हैं — और कितनी ही लोक में इधर उधर प्रचलित अनावश्यक रूढियाँ हैं, जिन सब का एक बेढंगा संग्रह यहाँ पर किया गया है। इस संग्रह से भट्टारकजी का श्रभिप्राय उक्त प्रकार की सभी बातों को जैनियों के ाबिये शास्त्रसम्मत करार देने स्राथवा उन्हें जैनों की शास्त्राज्ञा प्राप्त करा देने का जान पड़ता है, झौर यह बात आपके ' लौकिकाचार-सिद्धये 'पद से भी ध्वनित होती है। आप 'लौकिकाचार' के बड़े ही अन्ध भक्त थे ऐसा जान पड़ता है, बूढ़ी स्त्रियाँ जो कुछ बतलाएँ उन सब कियाओं तक को बिना चूँ चरा करने की आपने पर-बानगी दी है श्रीर एक दूसरी जगह तो, जिसका विचार आगे किया

॥यगा, श्राप यहाँ तक लिख गये हैं कि ' एवं कृते न मिध्यात्वं बौकिकाचारवर्तनात् '- अर्थात्, ऐसा करने से मि-्यात्व का दोष नहीं लगता; क्योंकि यह तो लोका-बार का वर्तना है। आपकी इस अद्भुत तर्कणा और अन्धमित ा ही यह परिणाम है जो आप बिना विवेक के कितने ही विरुद्ध याचरणों तथा मिध्या कियाओं को भ्रापने प्रंथ में स्थान दे गये हैं. गौर इसी तरह पर कितनी ही देश, काल, इच्छा तथा शक्ति आदि पर ानेर्भर रहने वाली वैकल्पिक या स्थानिकादि बातों को सबके लिये अवश्य-कराणीयता का रूप प्रदान कर गये हैं । परन्तु इन बातों को छोड़िये. यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही बनलाना चाहता हूँ कि आदिपुराण में विवाह-किया का कथन, यदापि, सूत्ररूप से बहुत ही संत्तेप में दिया है परन्तु जो कुछ दिया है वह सार कथन है और त्रिवर्णाचार का कथन उससे बहुत कुछ विरोध को लिये हुए है। नीचे इस विरोध का ही कुञ्च दिग्दर्शन कराया जाता है, जिसमें प्रसंगवश दो चार दूसरी बातें भी पाठकों के सामने आजाएँगी:---

१-भट्टारकजी, सामुद्रकशास्त्रीद के अनुसार विवाह्याग्य कन्या का वर्णन # करते हुए, लिखते हैं—

> इत्यं सद्मयसंयुक्तां पद्मश्राशिवार्षिताम्। वर्णविषदसंत्यकां सुभगां कन्यकां वरेत्॥ ३४॥

^{*} इस वर्षन में 'सामुद्रक' के अनुसार करवाओं अथवा कियों के जो सच्च फल सिंदित दिये हैं वे फल दिए से बहुत कुछ आपि के योग्य हैं — कितने ही प्रत्यच्चविषद हैं और कितने ही दूसरे सामुद्रक शासों के साथ विरोध को किये हुए हैं — इन सब पर विचार करने का वहाँ अवसर नहीं है। इस लिये उनके विचार की छोड़ा जाता है।

इस पद्य में, अन्य बातों को छोड़कर, एक बात यह कही गई है कि जो कत्या विवाही जाय वह वर्णाविरोध से रहित होनी चाहिय— अर्थात, असवणां न हो किन्तु सवणां हो । परन्तु यह नियम आदिपुराण के विरुद्ध है । आदिपुराण में त्रैवर्णिक के लिये सवर्णा और असवर्णा दोनों ही प्रकार की कत्याएँ विवाह के योग्य बतलाई हैं। उसमें साफ लिखा है कि वैश्य अपने वर्ण की और शद्भ वर्ण की कन्याओं से जीत्र अपने वर्ण की और वैश्य तथा शद्भ वर्ण की कन्याओं से और बाह्मण चारों ही वर्ण की कन्याओं से विवाह कर सकता है। सिर्फ शद्भ के लिये ही यह विधान है कि वह शद्भा अर्थात् सवर्णा से ही विवाह करे असवर्णा से नहीं। यथा:—

श्रद्धा श्रद्धेण वेःढव्या नान्या खां तां च नैगमः। बहेत्स्वां ते च राजन्यः स्वां द्विजन्मा क्विच ता :॥१६-४०॥

इस पूर्वविधान को ध्यान में रखकर ही आदिपुरास में विवाहकिया के अवसर पर यह वाक्य कहा गया है कि ' वैवाहिके कुले किन्यामुचितां परिसेष्ट्यते '—अर्थात् विवाहयोग्य कुल में से उचित कन्या का परिस्पयन करे। यहाँ कन्या का ' उचिता ' विशेष्ण बड़ा ही महत्वपूर्ण, गम्भीर तथा व्यापक है और उन सब ब्रुटियों को दूर करने वाला है जो त्रिवर्णाचार में प्रयुक्त हुए सुभगा, सुलच्नसा अन्यगोत्रभवा, अनातङ्का, आयुष्मती, गुस्साद्ध्या, पितृदत्ता और रूपवती आदि विशेषसों में पाई जाती हैं। उदाहरस के लिये ' रूपवती ' विशेषसा को ही लीजिये। यदि रूपवती कन्याएँ ही विवाह के योग्य हों तब ' कुरूपा ' सब ही विवाह के अयोग्य ठहरें। उनका तब क्या बनाया जाय ? क्या उनसे जवरन ब्रह्मचर्य का पालन कराया जाय अथवा उनहें वैसे ही व्यभिचार के लिये छोड़ दिया जाय ? दोनों ही बातें अमिष्ट तथा अस्वायमूलक हैं। परन्तु एक कुरूपा का उसके

अनुरूप कुरूप वर के साथ विवाह हो जाना अनुचित नहीं कहा जा सकता—उस कुरूप के लिये वह कुरूपा ' उचिता ' ही है । अतः विवाहयोग्य कन्या ' रूपवती ' ही हो ऐसा व्यापक नियम कदापि आदरणीय तथा व्यवहरणीय नहीं हो सकता—वह व्यक्तिविशेष के लिये ही उपयोगी पड़ सकता है । इसी तरह पर 'पितृद्ता' आदि दूसरे विशेषणों की बृटियों का भी हाल जानना चाहिये।

भद्दारक्जी उक्त पद्य के बाद एक दूसरा पद्य निम्न प्रकार से देने हैं:— रूपथती स्वजातीया स्वतीलघ्वन्यगेक्जिता। भोक्तुं भोजयितुं योग्या कन्या बहुकुदुम्बिनी॥ ३६॥

यहाँ विवाहयोग्य कत्या का एक विशेषणा दिया है 'स्वजातीया'-श्रपनी जाति की - श्रीर यह विशेषण 'सवर्णा' का ही पर्यायनाम जान पड़ता है; क्यों कि 'जाति' शब्द 'वर्षों अर्थ में भी प्रयुक्त होता है — आदिपुराण में भी वह बहुधा 'वर्ण' अर्थ में प्रयुक्त हुआ है — मूल जातियाँ भी अर्गा ही हैं । परन्तु कुछ विद्वानों का ऋहना है कि यह विशेषणा-पद अप्रवाल, खंडेलवाल आदि उपनातियों के लिये प्रयुक्त हुआ है और इसके द्वारा अपनी अपनी उपजाति की कर्या से ही विवाह करने को सीमित किया गया है। अपने इस कथन के समर्थन में उन लोगों के पास एक युक्ति भी है और वह यह कि 'यदि इस पद्यका] आशय सवर्णा का ही होता तो उसे यहाँ देने की जरूरत ही न होती: न्योंकि भद्दारकजी पूर्वपद्य में इसी आशय की 'वर्णाविरुद्ध संत्यकां' पद के द्वारा व्यक्त कर चुके हैं, वे फिर दोबारा उसी बात को क्यों लिखते ? परन्तु इस युक्ति में कुछ भी दम नहीं है । कहा जा सकता है। कि एक पद्य में जो बात एक ढंग से कही। गई है वही दूसरे पद्य में दूसरे दंग से बतलाई गई है । इसके सित्राय, भट्टारकजी का सारा प्रंथ पुनरुक्तियों से भरा हुआ है, वे इतने सावधान नहीं थे जो ऐसी बारी-

कियों पर ध्यान देते, उन्होंने इधर उधर से प्रंथ का संप्रह किया है मौर इसालिये उसमें बहुतसी पुनक्तियाँ हो गई हैं । उदाहरण के लेये इसी अपध्याय को लीजिय, इसके तीसरे पद्य में आप विवाहयोग्य न्या का विशेषण 'श्रम्यगोन्नभवा' देते हैं श्रीर उक्त पद्य नं० ३६ ं 'अन्यगोत्रजा' लिखते हैं, दोनों में कौनसा अर्थ-भेद है ? फिर यद पुनरुक्ति क्यों की गई ? इसी तरह पर १६० ने पद्य में 'उत्रध्वे विवाहात्तनयस्य नैव कार्यो विवाहो दुहितुः समार्धम्' इस वाक्य के द्वारा जो 'पुत्र विवाह से छह महीने बाद तक पुत्री का विवाह न करने की 'बात कही गई है वही ११२वें पद्य में 'न षुंविवाहोर्ध्वमृतुत्रयेऽपि विवाहकार्यं दुहितुश्च कुर्यात्' इन शब्दों में दोहराई गई है। ऐसी हालत में उक्त हेत साध्य की ासिद्धि करने में असमर्थ है। फिर भी यदि वैसे है। यह मान लिया जाय कि भट्टारकजी का आशय इस पद्य के प्रयोग से अपनी अपनी उप-जाति की कत्या से ही था तो कहना होगा कि आपका यह कथन भी श्रादिपुराण के विरुद्ध है; क्योंकि स्नादिपुराण में विद्याधर जाति की कन्यात्रों से ही नहीं किन्तु म्लेच्छ जाति जैसी विजातीय कन्यात्रों से भी विवाह करने का विधान है-स्वयं भरतजी महाराज ने, जो श्रादिपुराण-वार्णित बहुत से विधि-विधानों के उपदेष्टा हुए हैं श्रीर एक प्रकार से 'कुलकर' माने गये हैं, ऐसी बहुतसी कन्यात्रों के साथ विवाह किया है; जैसाकि श्रादिपु-रागा के निम्न पद्यों से प्रकट है---

> इत्युपायेरुपायञ्चः साधयनम्बेच्छभूभुजः । तेभ्यः कन्यादिरत्नानि प्रभाभौग्यान्युपाइरत् ॥ २१-१४१ ॥ कुलजात्यभिसम्पन्ना देव्यस्तावत्त्रमाः स्मृताः । कृपकावण्यकान्तीनां याः शुद्धाकरभूमयः ॥ ३७-३४ ॥

भ्लेच्छुराज्ञादिभिर्दत्तास्तावन्त्यो मृपवल्लभाः । स्रप्तरः संकथा स्रोणीं यक्ताभिरवतारिताः ॥ ३७-३४ ॥

इन पद्यों से यह भी प्रकट है कि खजातीय कन्याएँ ही भोगयोग्य नहीं होतीं बल्कि म्लेच्छ जाति तक की विजातीय कन्याएँ भी भोगयोग्य होती हैं; श्रीर इसिंखे भद्यारक्षजी का खजातीय कन्याश्रों को ही 'मोक्तुं मोजियतुं योग्या' लिखना ठीक नहीं है—वह श्रादिपुराण की नीति के विरुद्ध है।

२-एक स्थान पर भद्वारकजी, कन्या के स्वयंवरा ऽधिकार का नियंत्रण करते हुए लिखते हैं:—

> वित्र।दिदात्रभावे तु कन्या कुर्यात्स्वयंवरम् । इत्येवं केविदाचार्याः प्राहुर्महति संकटे ॥ ८३॥

इस प्दा में कन्या को 'स्वयंवर' का अधिकार सिर्फ उस हालत में दिया गया है जबिक उसका पिता, पितामह, भाई आदि कोई भी बांधव वत्यादान करने वाला मौज्द न हो । और साथ ही यह भी कहा गया है कि स्वयंवर की यह विधि कुछ आचायों ने महासंकट के समय बतलाई है। परन्तु कौन से आचायों ने बतलाई है ऐसा कुछ लिखा नहीं—भगवाजिनसेन ने तो बतलाई नहीं। आदिपुरागा में स्वयंवर को संपूर्ण विवाहविधियों में 'श्रेष्ठ' (विरिष्ठ) बतलाया है और उसे 'सनातनमार्ग' लिखा है। उसमें राजा अकरणन की पुत्री 'सुलोखना' सती के जिस स्वयंवर का उझेख है वह सुलोचना के पिता आदि की मौज्दगी में हैं। बदी खुरी के साथ सम्पादित हुआ या। साथ ही, भरत चक्रवर्ती ने उसका बड़ा अभिनंदन किया या और उन लोगों को सत्युक्यों द्वारा पूज्य ठहराया था जो ऐसे सनातन मार्गों का पुनरुद्धार करते हैं। यथा:— सनातनोऽस्ति मार्गोऽयं श्रुतिस्मृतिषु भाषितः ।
विवाहिविधिभेदेषु वरिष्ठो हि स्वयंवरः ॥ ४४-३२ ॥
तथा स्वयंवरस्येमे नाभूवन्यद्यक्तम्पनाः ।
कः प्रवर्तियताऽन्योऽस्य मार्गस्यैप सनातनः ॥ ४४-४४ ॥
मार्गाश्चिरंतनान्येऽच भोगभूमितिरोहितान् ।
कुर्वन्ति नृतनान्सन्तः सद्भिः पूज्यास्त एव हि ॥ ४४-४४ ॥

ऐसी हालत में भट्टारक जी की उक्त व्यवस्था आदिपुराण के विरुद्ध है और इस बात को सूचित करती है कि आपने आदिपुराण की रीति, नीति अथवा मर्यादा का प्रायः कोई खयाल नहीं रक्खा।

३-एक दूसरे स्थान पर भट्टारक जी, विवाह के ब्राह्म, दैव, ब्रार्घ, प्राजापत्य, ब्राह्मर, गान्धर्व, राज्ञस ब्रार पैशाच, ऐसे ब्राठ भेद करके, उनके खरूप का वर्णन निम्न प्रकार से देते हैं—

ब्राह्मो दैवस्तथा चा [थैवा] र्षः प्राजापत्यस्तथाऽऽसुरः।
गान्थवो राक्तसश्चेव पैशाचश्चाष्टमोऽश्वमः॥ ७०॥
श्चाच्छाद्य चार्ह [र्च] यित्वा च वतशीलवते स्वयम्।
श्चाह्य दानं कन्याया ब्राह्मो धर्मः प्रकाितितः॥ ७१॥
यक्षे तु वितते सम्यक् जिनार्चा [स्वृत्विजे] कर्म कुर्वते।
श्चलंकृत्य सुतादानं दैवो धर्मः प्रचच्यते॥ ७२॥
एकं वस्त्रयुगं [गोमिथुनं] ह्रे वा वरादादाय धर्मतः।
कन्याप्रदानं विधिवदार्घो धर्मः स उच्यते॥ ७३॥
सहोभौ चरतां धर्ममिति तं [वा] चानुभाष्य तु [च]।
कन्याप्रदानमभ्यच्यं प्राजापत्यो विधिः स्मृतः॥ ७४॥
बातिभ्यो द्रविणं दत्वा कन्यायै चैव शक्तितः।
कन्याऽऽदानं [प्रदानं] यत्कियते चा [स्वाच्छन्दादा] सुरोधर्म
उच्यते॥ ७४॥

स्वे [इ] च्छ्रयाऽन्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च ।
गान्यर्वः स तु विश्वेयो मैथुन्यः कामसंभवः ॥ ७६ ॥
हत्वा भित्वा च छित्वा च कोशन्तीं रुद्तीं गृहात् ।
प्रसह्य कन्याहरणं राच्नसो विधिरुच्यते ॥ ७७ ॥
सुतां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति ।
स पापिष्ठो विवाहानां पैशाचः कथितोऽष्टमः [चाष्टमोऽधमः] ॥ ७५॥

विवाह मेदों का यह सब वर्णन आदिपुराण सम्मत नहीं है—उससे नहीं लिया गया—किन्तु हिन्दुओं के प्रसिद्ध प्रंथ ' मनुस्मृति ' से उठाकर रक्खा गया है। मनुस्मृति के तीसरे अध्याय में ये सब श्लोक, ब्रैकिटों में दिये हुए पाठमेद के साथ, क्रमशः नं० २१ तथा नं० २७ से ३४ तक दर्ज हैं *। और इनमें 'ऋत्विजे ' की जगह 'जिन्नाची' तथा 'गोमिथुनं ' की जगह ' वस्त्रयुगं ' जैसे पाठमेद भट्टारकर्जा के किये हुए जान पड़ते हैं।

४-इस विवाहिकिया में भट्टारकर्जी ने 'देवपूजन ' का जो विधान किया है वह अदिपुराण से बड़ा ही विलक्षण जान पड़ता है। आदिपुराण में इस अवसर के लिये ख़ास तौर पर सिद्धों का पूजन रक्खा है——जो प्रायः गाईपत्यादि अग्निकुएडों में सप्त पीठिका मंत्रों द्वारा किया जाता है——और किसी पुण्याश्रम में सिद्ध प्रातिमा के सन्मुख वर और कन्या का पाणिग्रह्णोत्सव करने की आज्ञा की है। यथा:——

सिद्धार्चनिविधि सम्यक्षिवर्त्य द्विजसत्तमः।
कृताक्षित्रयसंपूजाः कुर्युस्तत्साचि तां क्रियाम्॥ २८-१२६॥
पुण्याश्रमे कवित्सिद्धप्रतिमाभिमुखं तयोः!
दम्यत्योः परया भृत्या कार्यः पाणिप्रदोत्सवः॥—१३०॥

^{*} देखो ' मनुस्मृति ' निर्णयसागर प्रेस बम्बई द्वारा सन् १६०६ की खुपी हुई। अन्यत्र भी इसी पडीशन का हवाला दिया गया है। ११

परंतु भट्टारक जी ने सिद्धपूजनादि की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की। आपने व्यवस्था की है जलदेवता आं की गंध, अक्त, पुष्प तथा फलों से पूजा करने की, घर में वेदी बना कर उसमें गृहदेवता + की स्थापना करने तथा दीपक जलाने आदि रूप से उसकी पूजा करने की, पंचमंडल और नवग्रह देवता आं के पूजन की, अघोर-मंत्र से होम करने की और नागदेवता आं की बिल देने आदि की; जैसा कि आपके निम्न वाक्यों से प्रकट है—

- " फलगन्धात्ततैः पुष्पैः सम्पूच्य जलदेवताः।" (६१)
- " वेद्यां गृहाधिदेवं संस्थाप्य दीपं प्रज्वालयेत्।" (६३)
- " पुरायाहवाचनां पश्चात्पश्चमराडल पूजनम् । नवानां देवतानों च पूजनं च यथाविधि ॥ १३३ ॥ तथैवाऽघोरमंत्रेस होमश्च समिधाहुतिम् । लाजाहुतिं वधूहस्तद्वयेन च वरेस च " ॥ १३४ ॥ "ग्रुभे मंडपे दिख्सिक्टिय तं वै प्रदायाशु नागस्य साद्वाद्वालें च ।" (१६४)

इससे साफ ज़ाहिर है कि त्रिवर्णाचार का यह पूजन-विधान आदिपुराण-सम्मत नहीं किन्तु भगविजनसेन के विरुद्ध है। रही मंत्रों की बात, उनका प्राय: वहीं हाल है जो पहले लिखा जा चुका है— आदिपुराण के अनुसार उनकी कोई व्यवस्था नहीं की गई। हाँ, पाठकों

विश्वेश्वरीधराधीशश्चीदेवीधनदास्तथा।
गृहत्तदमीकरा क्षेयाश्चतुर्धा वेश्मदेवताः॥ २०४॥

⁺ संतिज्ञी ने 'गृहाधिदेव 'को "कुल देवता" समका है परन्तु यह उनकी भूल है; क्योंकि भट्टारकजी ने चौथे श्रध्याय में कुल देवता से गृहदेवता को श्रलग वतलाया है श्रौर उसके विश्वेश्वरी, धरणेन्द्र, श्रीदेवी तथा कुबेर ऐसे चार भेद किये हैं। यथा—

को यहाँ पर यह जानने की ज़क्तर इच्छा होगी कि वह अघोर मंत्र कौनसा है जिससे भट्टारकजी ने विवाह के अवसर पर होम करने का विधान किया है और जिसे 'कुर्याद् होमं सन्मंत्रपूर्वकम् ' वाक्य के द्वारा 'सन्मंत्र 'तक लिखा है। भट्टारकजी ने इस मंत्र को नहीं दिया परंतु वह जैन का कोई मंत्र न हो कर वैदिक धर्म का एक प्रसिद्ध मंत्र जान पड़ता है जो हिन्दुओं की विवाह—पुस्तकों में निम्न प्रकार से पाया जाता है और जिसे 'नवरत्निवाह पद्धति' के छठे संस्करण में अधर्वन् वेद के १४ वें काएड के ६ वें अनु० का १८ वाँ मंत्र लिखा है—

" ॐ श्रघोरचजुरपतिष्म्येथि ।शिवा पश्चभ्यः सुमनाः सुवर्चा चीरस्ट्रेवकामास्योगा शन्नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे । "

इस सब विधिविधान से पाठक सहज ही में समक सकते हैं कि भट्टारकजी हिन्दू धर्म की तरफ कितने कुके हुए ये अथवा उनके संस्कार कितने अधिक हिन्दू धर्म के आचार विचारों को लिये हुए ये और वे किस ढंग से जैनसमाज को भी उसी रास्ते पर अथवा एक तीसरे ही विलक्ष मार्ग पर चलाना चाहते थे। उन्होंने इस अध्याय में वर का मधुपर्क अ

^{*} यह मधु (शहद) का एक मिक्सचर (सम्पर्क) होता है, जिसमें दही छौर घी भी मिला रहता है। हिन्दुश्रों के यहाँ दान-पूजनादि के श्रवसरों पर इसकी बड़ी महिमा है। भट्टारकजी ने मधुपर्क के लिये (मधुपकीर्थ) एक जगह वर को महज़ दही चटाई है परंतु सोनीजी को आपकी यह फीकी दही पसन्द नहीं श्राई और इसलिय उन्होंने पीछे से उसमें 'शकर' और मिलादी है छौर इस तरह पर मधु के स्थान की पूर्ति की है जिसका खाना जैनियों के लिये वर्जित है। यहाँ मधुपर्क के लिये दही का चटाया जाना हिन्दुश्रों की एक प्रकार की नक्षल को साफ़ ज़ाहिर करता है।

से पूजन, वर का ब्राह्मणों को दान्तिणा देकर अपने लिये कन्या-वरण की प्रार्थना करना, वधू के गले में वर की दी हुई ताली बाँधना, सुवर्णदान और देवोत्थापन आदि की बहुत सी बातें हिन्दू धर्म से लेकर अथवा इधर उधर से उठाकर रक्खी हैं और उनमें से कितनी ही बातें प्रायः हिन्दू प्रंथों के शब्दों में उल्लेखित हुई हैं, जिसका एक उदाहरण 'देवोत्थापन-विधि' का निम्न पदा है—

समे च दिवसे कुर्यादेवतोत्थापनं बुधः । षष्ठे च विषमे नेष्टं त्यत्का पंचमसप्तमौ ॥ १८०॥

यह 'नारद' ऋषि का वचन है। मुहूर्त चिन्तामाणि की 'पीयूषधारा' टीका में भी इसे 'नारद' का वचन लिखा है। इसी प्रकरण में भट्टारकजी ने 'विवाहात्प्रथमे पीषे' नाम का एक पद्य और भी दिया है जो 'ज्योतिर्निवन्ध' प्रंथ का पद्य है। परंतु उसका इस 'देवोत्थापन' प्रकरण से कोई सम्बंध नहीं, उसे इससे पहले 'वधू-गृह-प्रवेश' प्रकरण में देना चाहिये था, जहाँ 'वधूप्रवेशनं कार्य' नाम का एक दूसरा पद्य भी 'ज्योतिर्निवन्ध' प्रंथ से बिना नाम धाम के उद्धृत किया गया है। मालूम होता है भट्टारकजी को नक्रल करते हुए इसका कुछ भी ध्यान नहीं रहा ! और न सोनीजी को ही अनुवाद के समय इस गड़बड़ी की कुछ ख़बर पड़ी है!!

५-आदिपुराण में लिखा है कि पाणिप्रहण दीना के अवसर पर वर और वधू दोनों को सात दिन का ब्रह्मचर्य लेना चाहिये और पहले तीर्थभूमियों आदि में विद्यार करके तब अपने घर पर जाना चाहिये | घर पर पहुँच कर कङ्कण खोलना चाहिये और तत्पश्चात् अपने घर पर ही शयन करना चाहिये—श्वशुर के घर पर नहीं । यथाः—

> पाणित्रहणदीत्तायां नियुक्तं तद्वधूवरम् । आसप्ताहं धरेदुब्रह्मवतं देवाग्निसान्तिकम् ॥ १३२॥

[= 1

कान्त्वा स्वस्योचितां भूमि तीर्थभूमीविद्धत्य च ।
स्वगृहं प्रविशेद्भत्या परया तद्धस्र्वरम् ॥ १३३ ॥
विमुक्ककक्कणं पश्चात्स्वगृहे शयनीयकम् ।
श्रिधशय्य तथाकालं भोगाङ्गैरुपलालितम् ॥ १३४ ॥
—३८वाँ पर्व ।

परंतु भट्टारकजी ने उन दोनों के ब्रह्मचर्य की अबधि तीन रात की रक्खी है, गृहप्रवेश से पहले तीर्थयात्रा को जाने की कीई व्यवस्था नहीं की, बलित सीधा अपने घर को जाने की बात कही है और यहाँ तक बन्ध लगाया है कि एक वर्ष तक किसी भी अपूर्व तीर्थ अथवा देवता के दर्शन को न जाना चाहिये; कङ्क्षणा को प्रस्थान से पहले अध्यरगृह पर ही खोल देना लिखा है और वहीं पर चौथे दिन दोनों के शयन करने अथवा एक शय्यासन होने की भी व्यवस्था की है। जैसा कि आपके निम्न वाक्यों से प्रकट है—

"तदनन्तरं कङ्कणमोचनं कृत्वा महाशोभया ग्रामं प्रदित्तिशीकृत्य पयःपानिधुवनादिकं सुखेन कुर्यात् । स्वग्रामं गच्छेत् ॥ । " विवादे दम्पती स्यातां त्रिरात्रं ब्रह्मचारिणौ । श्रतंकृता वधूश्चेव सहशय्यासनाशनौ ॥ १७२॥

*इस वाक्य में ग्राम की प्रदात्तिणा के श्रनन्तर सुखपूर्वक दुग्धपान तथा स्त्रीसंभोगादिक (निधुवनादिक) करने का साफ विधान है भौर उसके बाद स्वग्राम को जाना लिखा है। परंतु सोनीजी ने श्रनु-वाद में इसके विकद्ध पहले श्रपने ग्राम को जाना श्रीर फिर वहाँ संभो-गादिक करना बतलाया है, जो श्रगले पद्यों के कथन से भी विकद्ध पड़ता है। कहीं श्रादिपुराण के साथ संगति मिलाने के लिये तो ऐसा नहीं किया गया ! तब तो कङ्गण भी वहीं स्वग्राम को जाकर खुलवाना था- घध्या सहैव कुर्यांत नियासं श्वशुरालये।

चतुर्थदिनमत्रैव के चिदेवं वदन्ति हि ॥ १७३॥

"वियाहानन्तरं गच्छेन्सभायं: स्वस्य मन्दिरम्।

यदि प्रामान्तरे तत्स्यात्तत्र यानेन गम्यते ॥ १७६॥

× स्नानं सतैलं तिलिमिश्रकर्म, प्रेतानुयानं करकप्रदानम्।

श्रपूर्वतीर्थामरदर्शनं च विवर्जयन्मक्रलतोऽन्द्मेकम् ॥१८६॥

इससे स्पष्ट है कि भद्यास्त्रजी का यह सब कथन आदिपुराण के विलकुल विरुद्ध है और उनकी पूरी निरंकुराता को सूचित करता है। साथ ही इस सत्य को और भी उजाल देता है कि श्री जिनसेनाचार्य के वचनानुसार कथन करने की आपकी सब प्रतिज्ञाएँ दौंग मात्र हैं। आपने उनके सहारे अथवा छल से लोगों को ठगना चाहा है और इस तरह पर घोखे से उन हिन्दू संस्कारों—क्रियाकाएडों—तथा आचार विचारों को समाज में फैलाना चाहा है जिनसे आप स्वयं संस्कृत थे अथवा जिनको आप पसंद करते थे और जो जैन आचार-विचारों आदि

[×] इस पद्य में, विवाह के बाद अपूर्व तीर्थ तथा देवदर्शन के निपेध के साथ एक साल तक तेल मलकर स्नान करने, तिलों के उपयोग वाला कोई कमें करने, सृतक के पीछे जाने और करक (कमराइल आदि) के दान करने का भी निषेध किया है। मालूम नहीं इन सबका क्या हेतु है ? तेल मलकर नहा लेने आदि से कौनसा पाप चढ़ता है ? शरीर में कौनसी विकृति आजाती है ? तीर्थयात्रा अथवा देवदर्शन से कौनसी हानि पहुँचती हैं ? आत्मा को उससे क्या आलाभ होता है ? और अपने किसी निकट सम्बन्धी की मृत्यु हो जाने पर उसके शव के पीछे न जाना भी कौनसा शिष्ठाचार है ? जैनधर्म की शिद्याओं से इन सब बातों का कोई सम्बन्ध मालूम नहीं होता। ये सब प्रायः हिन्दु धर्म की शिद्याएँ जान पहती हैं।

के बहुत कुछ विरुद्ध हैं। इससे अधिक धूर्नेता, उहसूत्रवादिता और ठगिविद्या दूसरी और क्या हो सकती है ! इतने पर भी जो लोग, साम्प्रदायिक मोहवश, महारकजी को ऊँचे चिरित्र का व्यक्ति समभते हैं, संयम के कुछ उपदेशों का इघर उधर से संप्रह कर देने मात्र से उन्हें ' अद्वितीय संयमी ' प्रतिपादन करते हैं, उनके इस त्रिवर्णाचार की दीवार को आदिपुराण के ऊपर—उसके आधारपर—खड़ी हुई बतलाते हैं और 'इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं जो किसी आर्ष प्रंथ अथवा जैनागम के विरुद्ध हो' ऐसा कहने तक का दुःसाहस करते हैं, उन लोगों की स्थिति, निःसंदेह, वड़ी ही शोचनीय तथा करुणाजनक है । मालूम होता है वे मोले हैं या दुराप्रही हैं, उनका अध्ययन स्वल्प तथा अनुभव अल्प है, पर—साहित्य को उन्होंने नहीं देखा और न तुलना-त्मक पद्धित से कभी इस प्रंथ का अध्ययन ही किया है । अस्तु ।

इस ग्रंथ में आदिपुरागा के विरुद्ध और भी कितनी ही बातें हैं जिन्हें लेख बढ़ जाने के भय से यहीं छोड़ा जाता है।

(२) आदिपुराण के विरुद्ध अथवा आदिपुराण से विरोध रखने वाले कथनों का दिग्दर्शन कराने के बाद, अब मैं एक दूसरे प्रंथ को और जेता हूँ जिसके सम्बन्ध में भी भट्टारक जी का प्रतिज्ञाविरोध पाया जाता है और वह प्रंथ है ' ज्ञामाण्य ', जो श्री शुभचन्द्राचार्य का बनाया हुआ है। इसी प्रंथ के अनुसार ध्यान का कथन करने की एक प्रतिज्ञा भट्टारक जी ने, प्रंथ के पहले ही 'सामायिक' अध्याय में, निम्न प्रकार से दी है:—

भ्यानं तावद्धं वद्यामि विदुषां ज्ञानार्शवे यन्मतमार्त्तं रौद्रसधर्म्यग्रुक्क चरमं दुःबादिसौस्यप्रदम्।
पिग्डस्यं च पदस्थकपरिहतं रूपस्थनामा परं।
ते गं भिन्न चतुश्च नुर्विषयज्ञा भेदाः परे सन्ति वै ॥२=॥

इस प्रतिज्ञात्रात्रय-द्वारा यह तिश्वास दिलाया गया है कि इस श्रांच्याय में ध्यान का—उसके आर्त, रौद्र, धर्म्य, शुक्त भेदों का, उपभेदों का और पिएडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ तथा रूपातीत नाम के दूसरे भेदों का—जो कुछ कथन किया गया है वह सब 'ज्ञानाणित के मतानुसार किया गया है, ज्ञानाणित से भिन्न अथवा विरुद्ध इसमें कुछ भी नहीं है। परन्तु जाँचने से ऐसा मालूम नहीं होता—प्रंथ में कितनी ही बातें ऐसी देखने में आती हैं जो ज्ञानाणित सम्मत नहीं हैं अथवा ज्ञानाणित से नहीं ली गईं। उदाहरण के तौर पर यहाँ उनके कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं:—

(अ) ' अप्रायिविषय ' धर्मध्यान का लक्ष्ण बतलाते हुए भट्ट:-रक्जी लिखते हैं---

थेन केन प्रकारेण जैनो धर्मो प्रवर्धते ।
 तदेव कियते पुस्भिरपायविचयं मतम् ॥ ३४ ॥

श्रर्थात्—' जिस तिस प्रकार से जैन धर्म बढ़े वही करना श्रपा-यविचय माना गया है ।' परन्तु ज्ञानार्णात्र में तो ऐसा कहीं कुछ माना नहीं गया । उसमें तो साफ़ लिखा है कि 'जिस ध्यान में कमीं के श्रपाय (नाश) का उपाय सिहत चिन्तवन किया जाता है उसे श्रपा-यविचय कहते हैं । यथाः—

^{*} इस पद्य पर से ' अपायिवचय ' का जब कुछ ठीक लक्ष निकलता हुआ नहीं देखा तब सोनीजी ने वैसे ही खींचखाँच कर भावार्थ आदि के द्वारा उसे अपनी तरफ़ से समकाने की कुछ चेछा की है, जिसका अनुभव विश्व पाठकों को अनुवाद पर से सहज ही में हो जाता है।

अपायिक्यं ध्यानं तद्वदन्ति मनीषिणः। अपायः कर्मणां यत्र सोपायः स्मर्यते बुत्रैः॥३४—१॥

इस बद्ध के सामने भट्टारक जी का उक्त बद्ध कितना विबद्ध शाज बान पड़ता है उसे बतबाने की जरूरत नहीं। सहदय पाठक सहज ही में उसका अनुभव कर सकते हैं। वास्तव में, वह बहुत कुछ सदोष तथा श्रुटिपूर्ण है और ज्ञानार्णव के साथ उसकी संगति ठीक नहीं बैठती।

(आ) इसी तरह पर पिएडस्य और रूपस्य घ्यान के जो बच्चण भट्टारकनी ने दिये हैं उनकी संगति भी ज्ञानार्णन के साथ ठीक नहीं बैठती। भट्टारकजी बिखते हैं—'बोक में जो कुछ निचमान है उस सबको देह के मध्यगत चिन्तन करना पिएडस्थ ध्यान कहलाता है श्रीर 'जिस घ्यान में शरीर तथा जीन का भेद चिन्तन किया जाता है उसे रूपस्थ घ्यान कहते हैं'। यथा—

" यत्किविद्विद्यते स्रोके तत्सर्वे देहमध्यगम् । इति चिन्तयते यत्त पिएडस्थं ध्याममुच्यते ॥४६॥ " शरीरजीवयोर्भेदो यत्र रूपस्थमस्तु तत् ॥ ४८॥

परन्तु ज्ञानार्णव में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा । उसमें पिण्डस्थ प्यान का जो पंचधारणात्मक खरूप दिया है उससे महारकजी का यह जक्षण लाजिमी नहीं आता । इसी तरह पर समवसरण विभूति सहित देवाधिदेव श्री आहैं तपरभेष्ठी के स्वरूप चिन्तवन को जो उसमें रूपस्थ प्यान कतसाया है उससे यह 'श्रिश्जीवयो र्भेदः' नाम का सम्भण कोई मेस नहीं खाता क ।

[#] शायद इसीलिये सोनीजी को भाषार्थ द्वारा यह सिसना पड़ा हो कि "विभूतियुक्त अईन्तदेव के गुणों का चिन्तवन करना कपस्थ ज्यान है।" परन्तु उक्त सम्मण का यह भाषार्थ नहीं हो सकता।

यहाँ पर मैं इतना श्रीर भी बतला देना चाहता हूँ कि भट्टारकजी ने रूपस्थ ध्यान के ऋनन्तर 'रूपातीत' ध्यान का लक्त्रण एक पद्य में देने के बाद 'प्रातश्चोत्थाय 'से लेकर 'षडावश्यकसुत्कर्भ ' तक १७ पद्य दिये हैं, जो प्रंथ में 'प्रात:काल सम्बंधी कियाएँ ' भीर 'सामायिक' शिर्षकों के साथ नं० ५० से ६६ तक पाय जाते हैं। इन पर्यो में प्रातःकाल सम्बन्धी विचारों का कुछ उन्नेख करके सामायिक करने की प्रेरणा की गई है और साम।यिक का स्वरूप आदि भी बतलाया गया है । सामायिक के लक्षा का प्रसिद्ध श्लोक 'समता सर्वभूतेषु' इनमें शामिल है, 'योग्य कोलासन' तथा 'जीवि-ते मरणे' नाम के दो पद्य अनगारधर्मामृत के भी उद्धृत हैं और 'पापिष्ठेन दुरात्मना' नाम का एक प्रसिद्ध पद्य प्रतिक्रमण पाठ का भी यहाँ शामिल किया गया है । और इन सब पर्यों के बाद 'पदस्थ' ध्यान' का कुळ विशेष कथन आरम्भ किया गया है। प्रंथ की इस स्थिति में उक्त १७ पद्म यहाँ पर बहुत कुंक श्रममबेद तथा बेढंगे मालूम होते हैं — पूर्वापर पद्यों आथवा कथनों के साथ उनका सम्बंध ठीक नहीं बैठता । इनमें से कितने ही पर्धों को इस सामायिक प्रकरण के शुरू में — 'ध्यानं ताबदहं वदामि' से भी पहले — देना चाहिये था । परंतु भट्टारकजी को इसकी कुछ भी सूभ नहीं पड़ी, श्रीर इसलिये उनकी रचना क्रमभंगादि दोषों से दूषित हो गई, जो पढ़ते समय बहुत ही खटकती है । श्रीर भी कितने ही स्थानों पर ऐसे रचनादेश पाये जाते हैं, जिनमें से कुछ का उद्लेख पहले भी किया जा चुका है।

(इ) पदस्थ ध्यान के वर्णन में, एक स्थान पर महारकजी, 'हीं' मंत्र के जप का विधान करते हुए, लिखते हैं—

हवर्णान्तः पार्श्वजिनोऽवोरेफस्तलगतः सघरेन्द्रः तुर्यस्वरः सविन्द्रः सभवेत्पद्मावतीसंहः॥ ७२ ॥ त्रिभुवनजनमोहकरी विद्येयं प्रणवपूर्वनमनान्ता । एकाचरीति संज्ञा जपतः फलदायिनी नित्यम् ॥ ७३ ॥

यहाँ 'हीं' पद में हकार को पार्श्वनाथ भगतान ता, नीचे के रकार को तलगत धरगोन्द्र का और निन्दुसिहत ईकार को पद्मात्रती का नाचक बतलाया है—अर्थात्, यह प्रतिपादन किया है कि यह 'हीं' मंत्र धरणेंद्र पद्मावती सिहन पार्श्वनाथ जिनेंद्र का द्योतक है। साथ ही, इसके पूर्व में 'ॐ' और अंत में 'नमः' पद लगा कर 'ॐ हीं नमः' ऐसा जप करने की व्यवस्था की गई है, और उसे त्रिभुतन के लोगों को मोहित करने वाली 'एकाच्दरी विद्या' लिखा है। परंतु ज्ञानार्ग्य में इस मंत्र का ऐसा कोई निवान नहीं है—उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि 'हीं' पद धरगोंद्रपद्मावतीसिहत पार्श्व जिन का नाचक है अथवा 'ॐ हीं नमः' यह एकाच्दरी निद्या है—और इसलिये भट्टारक्रजी का यह सब कथन ज्ञानार्ग्य-सम्मत न होने से उनकी प्रतिज्ञा के विरुद्ध है।

(ई) इसी तरह पर भट्टारकजी ने एक दूसरे गंत्र का विधान भी निम्न प्रकार से किया है:—

> ॐनमः सिद्धमित्यतन्तंत्रं सर्वसुखप्रदम् । जपतां फलतीहेष्टं खयं खगुणजूंभितम् ॥ ८२ ॥

इसमें ' ॐनमः सिद्धं ' मंत्र के जाप की व्यवस्था की गई है भीर उसे सर्व सुखों का देने वाला तथा इप्ट फल का दाता लिखा है। यह मंत्र भी झानार्णव में नहीं है। श्र्यतः इसके सम्बन्ध में भी भट्टारकजी का प्रतिझाविरोध पाया जाता है।

इस पद्य के बाद प्रंथ में, 'इत्थं मंत्रं स्मरति सुगुणं यो नरः सर्वकालं' (८३) नामक प्य के द्वारा आग तौर पर मंत्र स्मरण के फल का उक्केख करके, एक पद्य निम्न प्रकार से दिया है।—

[83]

श्चयं मंत्रो महामंत्रः सर्वपापविनाशकः । श्रष्टोत्तरशतं जप्तो धत्तें कार्याणि सर्वशः॥ ८४॥

इस पद्य में जिस मंत्र को सर्वपापविनाशक महामंत्र बतलाया है और जिसके १०८ बार जपने से सर्व प्रकार के कार्यों की सिद्धि होना लिखा है वह मंत्र कौनसा है उसका इस पद्य से श्रयवा इसके पूर्ववर्ती पद्य से कुछ भी पता नहीं चलता । 'ॐनमः सिद्धं ' नाम का वह मंत्र तो हो नहीं सकता जो ८२ वें पद्य में वार्शित है: क्योंकि उसके सम्बन्ध का ६:३ वें पद्य द्वारा विच्छेद हो गया है। यदि उस से अभिप्राय होता तो यह पद्य 'इत्थं मंत्रं 'नामक ८३ वें पद्य से पहले दिया जाता । अतः यह पद्य यहाँ पर असम्बद्ध है । सोनीजी कहते हैं इसमें 'अपराजित मंत्र' का उल्लेख है । पैंतीस श्रवरों का अप-राजित मंत्र ('रामो अरहंतारां' आदि) बेशक महामंत्र है और वह उन सब गुर्गों से विशिष्ट भी है जिनका इसमें उल्लेख किया गया है परन्तु उससे यदि अभिप्राय था तो यह पद्य 'अपराजित् मंत्रों-Sयं ⁷ नामक ८० वें पद्य के ठीक बाद दिया जाना चाहिये था । उसके बाद 'षोडशात्तरविद्या' तथा 'ॐनमः सिद्धं' नामक दो मंत्रों का और विधान बीच में हो चुका है. जिससे इस पद्य में प्रयुक्त हुए 'अप्रयं' (यह) पद का वाच्य अपराजित मंत्र नहीं रहा । श्रीर इस जिये भगराजितमंत्र की दृष्टि से यह पदा यहाँ और भी श्रासम्बद्ध है श्रीर वह भट्टारकजी की रचनाचात्ररी का भएडाफोड़ करता है।

इस पद्य के बाद पाँच पद्य और हैं जो इससे भी ज्यादा असम्बद्ध हैं और वे इस प्रकार हैं:—

हिंसानृतान्यदारेच्छा चुरा चातिपरित्रद्वः । स्रमृति पंच पापानि दुःखदायीनि संसृतौ ॥ ५४ ॥ स्रष्टोत्तरशतं भेदास्तेषां पृथगुदाहृताः । हिंसा तत्र कृता पूर्वं करोति च करिष्यति ॥ ५६ ॥ मनोवचन कार्यस्य ते तु त्रिगुिष्ता नव ।
पुनः स्वयं कृतकारितानुमोदैर्गुषाहृतिः ॥ ८७ ॥
सप्तविश्वतिस्ते भेदाः कषार्यगुंष्येश्वतान् ।
स्राविश्वतिस्ते भेदाः कषार्यगुंष्येश्वतान् ।
स्राविश्वतिस्ते भेदाः कषार्यगुंष्येश्वतान् ।
स्राविश्वतिस्ते स्वयमसत्यादिषु ताहश्वम् ॥ ८६ ॥
पृथ्वीपानीयते अःपवनस्तत्यः स्थावराः पंचकायाः ।
निःयानित्यौ निगोदौ युगकशिश्विचतुः संस्थसंश्वित्रसाः स्युः ।
पते प्रोक्ता अनैद्वादश परिगुष्यिता सङ्गनः कायभेदैस्ते चान्यैः कारितादैकिभिरपि गुष्यितास्याष्ट्यस्यकसंस्थाः ॥८६॥

इन पद्यों में से पहले पद्य में हिंसादिक पंच पापों के नाम देकर लिखा है कि 'ये पाँचों पाप संसार में दु:खदाया हैं ' और इसके बाद कीन पद्यों में यह बतलाया है कि इन में से प्रत्येक पाप के १०८ भेद हैं। जैसे हिंसा पहले की, अब करता है, आगे करेगा एसे तीन भेद हुए; इनको मन-वचन-काय से गुणने पर १ भेद; कृत-कारित-अनुमोदना से गुणने पर १०० भेद और फिर चार कषायों से गुणने पर १०० भेद हिंसा के हो जाते हैं। इसी तरह पर असत्यादिक के भेद जानने। और पाँचवे पद्य में हिंसादिक का कोई विकल्प उठाए बिना ही दूसरे प्रकार से १०० भेदों को स्चित किया है—लिखा है 'पृथ्वी, अप, तेज, वायु, वृद्ध, (बनस्पति) ऐसे पाँच स्थावर काय, नित्य निगोद, अनित्य निगोद, इतिह्य, चतुरिन्द्रिय, संक्षिपंचेन्द्रिय, और असांईपंचेदिय ऐसे बारह भेद अनित्य त्यान ने कहे हैं। इनको मन, वचन, काय तथा कृत, कारित, अनुमोदना, से गुणने पर १०० भेद हो जाते हैं'।

[ै]व बारह मेद मगवान ने किसके कहे हैं—जीवों के, जीवहिंसा के वा असत्यादिक के, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। और न यही बतलाया कि ये पिछके मेद यदि जिनंद्र भगवान के कहे हुए हैं तो गहते मेद किसके कहे हुए हैं अथवा दोनों का ही कथन विकल्प कवसे मगवान का किया हुआ है।

यही उक्त पद्यों का परिचय है । इस परिचय पर से सहृदय पाठक सह ज ही में इस बातका अनुभव कर सकते हैं कि ये सब पद्य यहाँ पर पदस्थ ध्यान के वर्णन में, पूर्वापर सम्बंध अथवा कथनक्रम को देखते हुए, कितने असंबद्ध तथा बेटंगे मालूम होते हैं और इनके यहाँ दिये जाने का उदेश्य तथा आश्य कितना अस्पष्ट है। एकसी आठ भेदों की यह गणाना भी कुछ विलक्षण जान पड़ती है— भूत, भविष्यत् और वर्तमान कालके भेद से भी हिंसादिक में कोई प्रकार—भेद होता है यह बात इस प्रंथसे ही पहले पहल जानने को मिली। परंतु यह बात चाहे ठीक हा या न हो किन्तु ज्ञानार्णव के विरुद्ध जरूर है; क्योंकि ज्ञानार्णव में हिंसाके भूत, भविष्यत और वर्तमान ऐसे कोई भेद न करके उनकी जगह पर संरंभ, समारंभ, और आरंभ, नाम के उन भेदों का ही उल्लेख किया है जो दूसरे तत्वाध प्रंथों में पाये जाते हैं; जैसा कि उसके निम्न वाक्य से प्रकट है—

सरम्भादित्रिकं योगैः कषायैद्योहतं क्रमात् । शतमष्टाधिकं ब्लेयं हिंसा भेदैस्तु पिरिडतम् ॥=-१०॥

यहाँ पर मैं अपने पाठकों को इतना और भी बतला देना चाहता
हूँ कि सोनीजी ने अपनी अनुवाद पुस्तक में पय नं० == और = १
के मध्य में 'उक्तं च तत्वार्थे' वाक्य के साथ संरंभसमारंभारंभयोग' नाम के तत्वार्थ सूत्र का भी अनुवादसिहत इस ढंग से उल्लेख
किया है जिससे वह भद्दारकजी के द्वारा ही उद्भृत जान पड़ता
है | परंतु मराठी अनुवाद वाली प्रति में वैसा नहीं है | हो सकता है
कि यह सोनीजी की ही अपनी कर्तृत हो | परंतु यदि ऐसा नहीं है किन्तु
भद्दारकजी ने ही इस सूत्र को अपने पूर्व कथन के समर्थन में उद्भृत
किया है और वह प्रंथ की कुछ प्राचीन प्रतियों में इसी प्रकार से उद्भृत
पाया जाता है तो कहना होगा कि भद्दारकजी ने इसे देकर अपनी रचना

को और भी बेढंगा किया है—क्योंकि इससे पूर्व कथन का प्रातरह पर समर्थन नहीं होता—अथवा यों किहये कि सर्व साधारण पर यह प्रकट किया है कि उन्होंने संरंभ, समारंभ तथा आरंभ का अभिप्राय कमशः भूत, वर्तमान तथा भाविष्यत् काल समका है। परंतु ऐसा समकना भूल है; क्योंकि पूज्यपाद जैसे आचायों ने स्वीर्थसिद्धि आदि प्रंथों में प्रयत्नावेश को 'संरंभ' साधनसमभ्यासीकरण को 'समारंभ' और प्रक्रम या प्रथमप्रवृत्ति को 'आरंभ' बतलाया है।

(त) उक्त पाँचों पद्यों के अनन्तर प्रंथ में वशीकरण, आकर्षण स्तंभन, मारण, विदेषण, उचाटन, शांतिकरण और पौष्टिक कर्म नाम के आठ कमें के सम्बन्ध में जप की विधि बतलाई गई है—अर्थात् यह प्रकट किया गया है कि किस कर्मविषयक मंत्र की किस समय, किस आसन तथा मुद्रा से, कौनसी दिशा की ओर मुख करके, कैसी माला केकर और मंत्र में कौनसा पल्लव लगाकर जपना चाहिये । साथ ही, कुछ कर्मों के सम्बन्ध में जप के समय माला का दाना पकड़के के लिये जो जो अँगुली अँगुठे के साथ काम में लाई जावे उसका भी विधान किया है । यह सब प्रकार का विधि-विधान भी ज्ञानार्णव से बाहर की चीं जहै—उससे नहीं लिया गया है । साथ ही, इस विधान में मालाओं का कथन दो बार किया गया है, जो दो जगहों से उठाकर रक्खा गया मालूम होता है और उससे कथन में कितना ही पूर्वापर विशेध आगया है । यथा:—

स्तंमकर्माणमाझा खर्णमाणिभिता ॥ ६४ ॥

^{*} अर्थात् एक जगह स्तंभ कर्म में स्वर्णमिष की माला का और निषेध (मारण) कर्म में जीयापूर्त की मालाका (जिसे सोनीजीने पुत्र जीव नामक किसी माणे की—रक्ष की—माला समका है!) विधान किया है तब दूसरी जगह स्तंभन तथा दुष्टों के सन्नाग्नन दोनों

मालूम होता है भट्टारकजी को इस विरोध की कुछ भी खबर नहीं पड़ी और वे वैसे ही बिना सोचे समके इवर उधर से पदों का संप्रह कर गये हैं। ११० वें पद्य के उत्तरार्ध में आप लिखते हैं—' घट्-कम्मीं खे तु प्रोक्तानि पञ्चवा अन उच्यते'—अर्थात् छह कर्म तो कहे गये अब पञ्चत्रों का कथन किया जाता है। परन्तु कथन तो आपने इससे पहले वशीकरण आदि आठ कर्मों का किया है फिर यह छहकी संख्या कैसी ? और पञ्चत्रों का विधान भी आप प्रत्येक कर्म के साथ में कर चुके हैं फिर उनके कथन की यह नई प्रतिज्ञा कैसी ? और उस प्रतिज्ञा का पालन भी क्या किया गया ? पञ्चत्रों की कोई खास ज्यवस्था नहीं बतलाई गई, महच कुछ मंत्र दिये हैं जिनके साथ में पञ्चत्र भी लगे हुए हैं और वे पञ्चत्र भी कई स्थानों पर पूर्व कथन के विरुद्ध हैं। मालूम नहीं यह सब कुछ लिखते हुए भट्टारकजी क्या किसी नशे

कर्मों के लिये परधर के दुकड़ों की माला बतलाई गई है। विद्वेष कर्म में एक जगह जीयापूते की और दूसरी जगह रीठे के बीज की माला लिखी है और शांतिकर्म में एक जगह मोतियों की तो दूसरी जगह कमलगट्टी की माला की व्यवस्था की गई है। इस तरह पर यह कथन परस्परविरोध को लिखे हुए है। की हालत में थे, उन्मत्त थे अथवा उन्हें इतनी भी सूम बूम नहीं थी जो अपने सामने स्थित एक ही पत्र पर के पूर्वापर तिरोधों को भी समम सकें ! और क्या इसी बिरते अथवा बूते पर आप प्रंथरचना करने बैठ गये ! संभव है भट्टारक जी को घर की ऐसी कुछ ज्यादा अकल न हो और उन्होंने किराये के साधारण आदिमियों से रचना का काम लिया हो और उसी की वजह से यह सब गड़वड़ी फैली हो । परन्तु कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि इस प्रंथ का निर्माण किसी अच्छे हाथ से नहीं हुआ और इसीलिये वह पद पद पर अनेक प्रकार के तिरोधों से भरा हुआ है तथा बहुत ही बेढंगेपन को लिये हुए है।

यहाँ पर पाठकों को यह जानकर बड़ा ही आश्चर्य तथा कौत्हल होगा कि भट्टारकजी ने 'सामायिक' के इस अध्याय में विद्वेषण तथा मारण मंत्रों तक के जप का विधान किया है * और ऐसे दुष्ट कार्यार्थी मंत्रों के जप का स्थान रमशान भूमि+ बतलाया है !! खंद है जिस सामायिक की बाबत आपने स्वयं यह प्रतिपादन किया है कि 'उसमें सब जीवों पर समता भाव रक्खा जाता है, संयम में शुभ भावना रहती है तथा आर्त्त-रीद्र नाम के अशुभ ध्यानों का त्याग होता है' और जिसके विषय में आप यहाँ तक शिद्धा दे आए हैं कि ' उसके अध्यासी को जीवन-मरण, लाभ-अलाभ, योग वियोग, बन्ध-शत्रु तथा सुख-दुख में सदा समता भाव रखना चाहिये—रागद्वेष नहीं करना चाहिये' उसी सामायिक के प्रकरण में आप विदेष फैलाने तथा किसी को मारने तक के मंत्रों का विधान करते हैं !! यह कितना भारी विरोध तथा

[°]वधाः—ऊँ हां, अर्डद्गयो हूं फट्, ऊँ हीं सिद्धेभ्यो हूं फट्, श्त्यादि-विद्वेषमंत्रः।

कँ हां सर्हद्भ यो घेघे हित (इतादि !) मारणमंत्रः। +यथाः-रमशाने दुष्टकार्यार्थं शान्त्या सर्थी जिनालये ॥१११॥

अन्याय है । क्या ऐसे पाप मंत्रों का जपना भी 'सामायिक' हो सकता है? कदापि नहीं । ऐसे मारणादि—विषयक मंत्रों का आराधन प्रायः हिंसा-नन्दी रौद्र ध्यान का विषय है और वह कभी 'सामायिक' नहीं कहला सकता । भगवजिनसेन ने भी ऐसे मंत्रों को 'तु में अ' बतलाया है जो प्राणियों के मारण में प्रयुक्त होते हैं अभ के ही उनके साथ में अर्हन्तादिक का नाम भी क्यों न लगा हो । और इसलिये यहाँ पर ऐसे मंत्रों का विधान करके सामायिक के प्रकरण का बहुत ही बड़ा दुरुपयेग किया गया है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। और इससे भट्टारकजी के विवेक का और भी अच्छा खासा पता चल जाता है अथवा यह मालूम हो जाता है कि उनमें हेयादेय के विचार अथवा समभ बूम का मादा बहुत ही कम था। फिर वे बेचारे अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन भी कहाँ तक कर सकते थे, कहाँ तक वैदिक तथा लौकिक व्यागोह को छोड़ सकते थे और उनमें चारित्रवल भी कितना हो सकता था, जिससे वे अपनी अशुभ प्रवृत्तियों पर विजय पाते और मायाचार अथवा छलकपट न करते! अस्तु।

यह तो हुआ प्रतिझादि के विरोधों का दिग्दर्शन । अन्य मैं दूसेर प्रकार के विरुद्ध कथनों की ओर अपने पाठकों का ध्यान आकृष्ट करता हूँ, जो इस विषय में और भी ज़्यादा महत्व को लिये हुए हैं और प्रंथ को सविशेष रूपसे अमान्य, अश्रद्धेय तथा त्याज्य ठहराने के लिये समर्थ हैं।

दूसरे विरुद्ध कथन।

लेख के इस विभाग में प्रायः उन कथनों का दिग्दर्शन कराया जायगा जो जैनधर्म, जैनसिद्धान्त, जैननीति, जैनश्रादर्श, जैन श्राचार-विचार श्रथवा जैनशिष्टाचार श्रादि के विरुद्ध हैं श्रीर जैनशासन के

^{*} यथाः - दुर्मत्रास्तेऽत्र विशेषा ये युक्ताः प्राणिमारणे ॥ ३६-२६॥ — मादिपुराण ।

साम जिनका प्रायः कोई मेल नहीं । इससे पाठकों पर प्रंथ की अस-लियत और भी अच्छी तरह से खुल जायगी और उन्हें प्रंथकर्ता की मनोदशा का भी कितना ही विशेष अनुभव हो जायगा अथवा यों कि देये कि महारक जी की अद्धा आदि का उन्हें बहुतसा पता चल जायगाः—

देव, पितर श्रीर ऋषियों का घेरा।

(१) 'शौच' नाम के दूसरे अध्याय में, कुरला करने का विधान करते हुए, महारकजी ने बिखा है—

* पुरतः सर्वदेवास्य दक्षिणे व्यन्तराः [पितरः] स्थिताः [तथा]। ऋषयः पृष्ठतः सर्वे वामे गगद्भषमुत्स्त्रजेत् [माचरेत्]॥ ६०॥

* इस पद्य के अनुवाद में सोनीजी ने बड़ा तमाशा किया है। आपने 'पुरतः' का अर्थ 'पूर्व की तरफ़', 'पृष्ठत': का अर्थ 'पश्चिम की कोर कीर 'वाझे' पर के साथ में मौजूद होते हुए भी 'दिचिएं' का अर्थ दाहिनी म्रोर न करके. 'दिलाण दिशा की तरफ़' यहात किया है और इस सक्त ग्रह्मती के कारण ही पूर्व, दिल्लेण तथा पश्चिम विशाओं में क्रमशः सर्व देवों. व्यन्तरों तथा सर्व ऋषियों का निवास बतका दिया है ! परन्तु 'बामे' का अर्थ आप 'उत्तर दिशा' न कर सके और इसिक्षेय आपको "इन तीन दिशाओं में कुरला न फैंके" के साथ साथ यह भी लिखना पड़ा—''किन्तु अपनी बाँई भोर फेंके''। परम्तु बाई स्रोर यदि पूर्व दिशा हो, दिला दिशा हो, अथवा पश्चिम दिशा हो तब क्या बने और कैसे बाई छोर कुरला करने का नियम क्रायम रहे ! इसकी आपको कुछ भी खबर नहीं पड़ी ! और न यही स्रयास आया कि जैतागम में कहाँ पर ये दिशाएँ इन देनादिकों के क्षिये मसासूस प्रथवा निर्धारित की गई हैं !! वैसे ही विना सोचे समक्षे जो जी में ब्राया किस मारा !! यह भी नहीं सोचा कि यदि

श्रामीत्— सामने सर्व देव, दाहिनी श्रोर व्यंतर (पितर) और पीठ पिछ।ड़ी सर्व ऋषि खड़े हैं अत: बाँई तरफ करला करना चाहिये। श्रीर इस तरह पर यह सूचित किया है कि मनुष्य को तीन तरफ़ से देव, पितर तथा ऋषिगण घरे रहते हैं, कुरला कहीं उनके ऊपर न पड़जाय उसीके लिये यह ऋहतियात की गई है । परंतु उन लोगों का यह घेरा करले के वक्त ही होता है या स्वामाविक रूप से हरवक्त रहता है, ऐसा कुछ सूचित नहीं किया। यदि कुरले के वक्त है। होता है तो उसका कोई कारणविशेष होना चाहिये। क्या कुरले का तमाशा देखने के लिये ही ये सब लोग उसके इरादे की खबर पाकर जमा हो जाते हैं ? यदि ऐसा है तब तो वे लोग आकाश में कुरला करने वाल के सिर पर खड़े होकर भी तमाशा देख सकते हैं श्रीर छींटों से बच सकते हैं | उनके लिये ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत ही नहीं --- बह निरर्थक जान पड़ती है । श्रीर यदि उनका घेरा बराबर में हरवक्त बना रहता है तब तो बड़ी मुशिकल का सामना है-इधर तो उन बेचारों को बड़ी ही कवाइद सी करनी पड़ती होगी, क्योंकि मनुष्य जल्दी र अपने मुख तथा आसन को इधर से उधर बदलता रहता है, उसके साथ में उन्हें भी जल्दी से पैंतरा बदल कर बिना इच्छा भी घूमना पड़ता होगा !! श्रीर उधर मनुष्यों का थूकना तथा नाक साफ करना भी तब इधर उधर नहीं बन सकेगा, जिसके लिये कोई व्यवस्था नहीं। की गई ! यह मल भी तो कुरले के जल से कुछ कम अपवित्र नहीं है। ख़ैर, इसकी व्यवस्था भी हो सकेगी श्रीर यह मल भी बाँई श्रोर फेंका जा सकेगा, पर मूत्रोत्सर्ग के समय---जो उत्सर्ग के सामने की झोर

पूर्व की ब्रोर सारे देव रहते हैं तो किर इस ग्रंथ में ही पूर्व की ब्रोर मुँह करके मतत्याग करने को क्यों कहा गया है ? क्या कुरता मूत्र की भार से भी गया बीता है ?

ही होता है — देवताओं की क्या व्यवस्था बनेगी, यह कुछ समक में नहीं शाता 🗓 परंतु सगक्त में कुछ श्रात्रो या न श्रात्रो, कोई व्यवस्था बने। या न बनो, बड़ी मुशकिल का सामना करना पड़े। या छे।टी। मुशकिल का और कुरले के वक्त पर उन देवादिकों के उपस्थित होने का भी कोई कारण हो या न हो, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि जैनधर्म के साथ इस सब कथन का कुछ भी सम्बंध नहीं है — उसकी कोई संगति ठीक नहीं बैठती । जैनधर्म में देवों, पितरों तथा ऋषियों का जो स्वरूप दिया है अथवा जीवों की गति-स्थिति अधिद का जो निरूपण किया है उसे देखते हुए भद्वारकजी का उक्त कथन उसके बिलकुल विरुद्ध जान पडता है श्रोर उस श्रवत श्रद्धान को पृष्ट करता है जिसका नाम मिथ्यात्व है। मालूम नहीं उन्होंने एक जैनी के रूप में उसे किस तरह श्रपनायां 🖁 ! वास्तव में यह सब कथन हिन्दू-धर्म का कथन है। उक्त श्लोक भी हिन्दुत्रों के 'प्रयोगपारिजात' ग्रंथ का श्लोक है; और वह 'आन्हिक-सूत्रावलि' में भी, ब्रैकिटों में दिये हुए पाठभेद के साथ, प्रयोगपारिजात से उद्धृत पाया जाता है। पाठभेद में 'पितरः' की जगह 'ठयन्तराः' पद का जो विशेष परिवर्तन नजर आता है वह अधिकांश में सेखकों की लीला का ही एक नमूना जान पड़ता है। श्रान्यथा, उसका कुछ भी महत्व नहीं है, श्रीर सर्व देवों में व्यन्तर भी शामिल हैं।

दन्तभावन करने वाला पापी।

(२) त्रिवर्णाचार के दूसरे श्रध्याय में, दन्तधावन का वर्णन करते हुए, एक पद्म निम्न प्रकार से दिया है—

> सहस्रांशावनुदिते यः कुर्याद्दन्तधावनम् । स पापी मरसं याति सर्वजीवदयातिगः ॥ ७१ ॥

इसमें लिखा है कि 'स्योंदय से पहले जो मनुष्य दन्तधावन करता है वह पापी है, सर्व जीवों के प्रति निर्देश है और (अन्दी) मर जाता

है। परंतु उसने पाप का कौनसा विशेष कार्य किया ! कैसे सर्व जीवों के प्रति उसका निर्दयस्य प्रमाशित हुआ ? और शरीर में कौनसा विकार उपस्थित हो जाने से वह जल्दी मर जायगा ! इन सब बातों का उक्त पद्य से कुछ भी बोध नहीं होता। आगे पीछे के पद्य भी इस विषय में मौन हैं श्रीर कुछ उत्तर नहीं देते । लोकव्यवहार भी ऐसा नहीं पाया जाता और न प्रत्यन्त में ही किसी को उस तरह से जल्दी मरता हुआ देखा जाता है । मालूम नहीं भट्टारकजी ने कहाँ से ये निर्मूल आज्ञाएँ जारी की हैं. जिनका जैननीति अथवा जैनागम से कोई समर्थन नहीं होता। प्राचीन जैनशास्त्रों में ऐसी कोई भी बात नहीं देखी जाती जिससे बेचारे प्रातःकाल उठ कर दन्तधावन करने वाले एक साधारण गृहस्थ को पापी ही नहीं किन्तु सर्व जीवों के प्रति निर्देशी तक ठहराया जाय। श्रीर न शरीरशास्त्र का ही ऐसा कोई विधान जान पडता है जिससे उस वक्त का दन्तधावन करना मरण का साधन हो सके । वाग्भट जैसे शरीरशास्त्र के स्राचार्यों ने ब्राह्म मुहूर्त में उठ कर शौच के स्रनंतर प्रात:काल ही दन्तधावन का साफ तौर से विधान किया है। वह स्वास्थ्य के । जिये कोई हानिकर नहीं हो सकता । श्रीर इसलिये यह सब कथन भट्टारकजी की प्रायः श्रपनी कल्पना जान पड़ता है । जैनधर्म की शिह्मा से इसका कोई खास सम्बंध नहीं है। खेद है कि भट्टारकजी को इतनी भी खबर नहीं पड़ी कि क्या प्रातःसंध्या बिना दन्तधावन के ही हो जाती है * जिसको अप स्वयं ही 'सूर्योदयाच प्रागेव प्रातःसंध्या समापयेत् (३-१३५)' वास्य के द्वारा सूर्योदय से पहले ही समाप्त कर देने को लिखते हैं!! यदि खबर पड़ती तो आप व्यर्थ है। ऐसे

^{*}नहीं होती। भट्टारकजी ने खुद संध्या समय के स्नान को ज़रूरी बतलाते हुए उसे दन्तधावनपूर्वक करना लिखा है। यथा— सन्ध्याकाले...कुर्यात्स्नानवयं जिह्नादन्तधावनपूर्वकम् ॥१०७ १११॥

निःसार वाक्य द्वारा अपने कथन में विरोध उपस्थित न करते । अस्तु; इसी प्रकरण में महारकजी ने दो पद्य निम्न प्रकार से भी दिये हैं—

> गुत्रा [डा] कतालहिन्तालकेतक्य [का] श्च मद्दा [बृहद्] घटः। खर्जूरी नालिकेरश्च सप्तेते तृणराजकाः॥ ६६॥ तृणराजसमोपेतो [तं] यः कुर्याद्दन्तश्चावनम् । निर्दयः पापभागी स्यादनन्तकायिकं त्यजेत्॥ ६७॥

इनमें से पहले पद्य में सात बृज्यों के नाम दिये हैं, जिनकी 'तृता-राज' संज्ञा है झौर जिनमें बड़ तथा खजूर भी शामिल हैं। और दूसरे पद्य में यह बतलाते हुए कि 'तृ गुराज की जो दाँतन करता है वह निर्देश तथा पाए का भागी होता है,' परिग्राम रूप से यह उपदेश भी ।दिया है कि '(अत:) अनन्तकायिक को छोड़ देना चाहिये '। इस तरह पर भट्टारकजी ने इन बृद्धों की दाँतन को अनन्तकायिक बतुलाया हैं और शायद इसीलिये ऐसी दाँतन करने वाले को निर्दर्या तथा पाप का भागी ठहराया हो ! सोनीजी ने भी अनुवाद में लिख दिया है-"क्योंकि इनकी दतीन के भीतर अनन्त जीव रहते हैं।" परंतु जैनसिद्धान्त में 'श्रनंतकायिक' श्रयवा 'साधारण' वनस्पति का जो स्वरूप दिया है---जो पहिचान बतबाई है-उससे उक्त बद तथा खजर आदि की दाँतन का अनंतकायिक होना साजिमी नहीं आता । और न किसी माननीय जैन। चार्य ने इन सब बृक्षों की दाँतन में अनंत जीवों का होना ही बतलाया है। प्राचीन जैनशाओं में तो 'सप्त त्याराज' का नाम भी सुनाई नहीं पदता । महारकजी ने उनका यह कथन हिन्दू-धर्म के प्रंथों से उठा कर रक्सा है। उक्त पर्चों में से पहला पद्य भीर दूसरे पद्य का पूर्वाध दोनों 'गोभिता ऋषि के वचन हैं छोर वे बैकिटों में दिये द्वए पाठभेद के साथ 'स्मृतिरताकर' में भी 'गोभिल' के नाम से उन्न-कित निवते हैं । गीमिल ने दूसरे पण का उत्तरार्ध 'नर्**धायडाल**-

योनिः स्याचावद् गंगां न पश्यति' दिया था जिसको महारकजी ने 'निर्द्यः पापभागी स्यादनंतकायिकं त्यजेत्' के रूप में बदल दिया है ! श्रीर इस तरह पर ऐसी दाँतन करने वाले को पापी श्रादि सिद्ध करने के लिये उन दाँतनों में ही श्रनंत जीवों की कल्पना कर डाली है !! जो मान्य किये जाने के योग्य नहीं । श्रीर न उसके श्चाधार पर ऐसी दाँतन करने वाले को पापा तथा निर्देयी है। ठहराया जा सकता है। खेद है कि भट्टारक जी ने स्वयं ही दो पद्य पहले — ६३ वें पद्य में--- 'वटस्तथा' पद के द्वारा, वाग्भट आदि की तरह, बड़ की दाँतन का विधान किया और ६४ वें पद्य में 'एता: प्रशस्ता: कथिता दन्तधावनकर्माणि' वाक्य के द्वारा उसे दन्तधावन कर्म में श्रेष्ठ भी बतलाया परंत बाद को गोभिल के वचन सामने आते हैं। आप, उनके कथन की दृष्टि और अपनी स्थिति का विचार भूल कर, एक दम बदल गये श्रीर त्रापको इस बात का भान भी न रहा कि जिस बहकी दाँतन का इम अभी विधान कर आए हैं उसीका अब निषेध करने जारहे हैं !! इससे कथन की विरुद्धता ही नहीं किंतु महारकजी की खासी असमीदयकारिता भी पाई जाती है।

तेल मलने की विलच्ए फलघाष्णा।

(३) दूसरे श्रध्याय में, तेलमर्दन का विधान करते हुए भट्टा-रक्जी ने उसके फल का जो बखान किया है वह बड़ा ही विलक्षण है। श्राप लिखते हैं—

> सोमे कीर्तिः प्रसरित वरा रोहिशेये हिरएंय देवाचार्ये तरिशतनये वर्धते नित्यमायुः। तैलाभ्यङ्गात्तनुजमरणं दृश्यते सूर्यवारे भौमे मृत्युर्भवति च नितरां भागवे विस्तनाशः॥ ८४॥

ह अर्थत् — सोमवार के दिन तेल मलने से उत्तम कीर्ति फैलती है,

बुध के दिन तेल मलने से सुवर्ण की वृद्धि होती है—लह्मी बढ़ती है—गुरुवार तथा शानिवार के दिन मलने से सदा आयु बढ़ती है, रवि-वार के दिन मलने से पुत्र का मरण होता है, मंगल के दिन की मालिश से अपना ही मरण हो जाता है और शुक्रवार के दिन की मालिश सदा धन का द्वाय किया करती है।

तेल की मालिश का यह फल कितना प्रत्यक्तिकद्ध है इसे बतबाने की जरूरत नहीं। सहदय पाठक अपने नित्य के अनुभव तथा
न्यवहार से उसकी सहज ही में जाँच कर सकते हैं। इस विषय की
भीर भी गहरी जाँच के लिये जैनसिद्धान्तों को बहुत कुळ टटोला गया
भीर कर्म फिलांसंकी का भी बहुतेरा मथन किया गया परंतु कहीं से
भी ऐसा कोई नियम उपलब्ध नहीं हुआ जिससे प्रत्येक दिन के तेल मर्दन
का उसके उकत फल के साथ अविनामावी सम्बन्ध (व्याप्ति) स्थापित
हो सके। वैद्यक शास्त्र के प्रधान प्रंथ भी इस विषय में मौन मालूम
होते हैं। वाग्मट आचार्य अपने 'अष्टांगहृद्य' में नित्य तेल मर्दन का
विधान करते हैं और उसका फल बतलाते हैं—'जरा, अम तथा वात
विकार की हानि, दृष्टि की प्रसन्तता, शरीर की पुष्टि, आयु की स्थिरता,
सुनिद्दा की प्राप्ति और त्वचा की दृदता।' और यह फल बहुत कुळु
समीचीन जान पहता है। यथा—

स्थिमसावरे। स्रित्यं स जराश्रमवातहा । दृष्टिप्रसावपुष्ट्यायु:स्वप्तसुत्वकत्वदाक्यंकृत्॥ मा

हाँ, इस ढूँढ खोज में, शन्द्रकल्यद्रुम कोश से, हिन्दू शास्त्रों के दो पद्य जरूर मिले हैं जिनका निषय भट्टारकर्जा के पद्य के साथ बहुत कुछ मिलता जुलता है भीर ने इस प्रकार हैं—

> १—श्रकें नूनं दहति हृदयं कीर्तिलामश्च सोमे भीमे मृत्युर्भवति निवतं चन्द्रजे पुत्रलाभः।

श्चर्यग्लानिर्भवति च गुरौ भागवे शोकयुक्त -स्तैलाभ्यंगात्तनयमरणं सूर्यजे दीर्घमायुः ॥ २—सन्तापः कीर्तिरल्पायुर्घनं निधनमेव च । श्चारोग्यं सर्वकामाप्तिरभ्यंगाद्धास्करादिषु ॥

इनमें से पहला पद्य ' ज्योति:सारसंग्रह ' का श्रीर दूसरा 'गारुड' के ११४ वें श्रध्याय का पद्य है। दोनों में परस्पर कुछ अन्तर भी है--पहले पद्य में बुध के दिन तेल मलने से पुत्र लाभ का होना बतलाया है तो दूसरे में धनका होना लिखा है श्रीर यह धनका होना भट्टारकजी के पद्य के साथ साम्य रखता है; दूसरे में शनिवार के दिन सर्वकामाप्ति (इच्डात्रों की पूर्ति) का विधान किया है तो पहले में दीर्घायु होना लिखा है ऋौर यह दीर्घायु होना भी भट्टारकजी के पद्य के साथ साम्य रखता है। इसीतरह शुक्रवार के दिन तेलमईन का फल एक में 'श्रारोग्य' तो दूसरे में 'शोकयुक्त ' बतलाया है श्रीर भद्वारकजी उसे 'वित्तनाश ' लिखते हैं जो शोक का कारण हो सकता है: रविवार ऋौर गुरुवार का फत्त दोनों में समान है परन्तु भट्टारकजी के पद्य में वह कुछ भिन्न है श्रीर सोमवार तथा मंगल को तेल लगाने का फल तीनों में ही समान है। श्रास्तु: इन पद्यों के सामने श्राने से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि इस तेलमर्दन के फल का कोई एक नियम नहीं पाया जाता-वैसे ही जिसकी जो जी में आया उसने वह फल, अपनी रचना में कुछ विशेषता अथवा रंग लाने के लिये, एक दूसरे की देखा देखी घड़ डाला है । बहुत संभव है भट्टारकजी ने हिन्दू प्रंथों के किसी ऐसे ही पद्य का यह श्रानुसरण किया हो अथवा जरूरत बिना ज़रूरत उसे कुछ बद् क कर या ज्यों का त्यों ही उठाकर रख दिया हो । परंतु कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि उनका उक्त पद्य सैद्धांतिक दृष्टि से जैनधर्म के विरुद्ध है और जैनाचार-विचार के साथ कुड़ सम्बंध नहीं रखता।

[005]

रविवार के दिन स्नानादिक का निषंध।

(४) भट्टारकर्जा दूसरे आध्याय में यह भी लिखते हैं कि रिववार (इतवार) के दिन दन्तधावन नहीं करना चाहिये, तेल नहीं मलना चाहिये और न स्नान ही करना चाहिये | यथा—

स्रकंवारे व्यतीपाते संकान्तौ जनमवासरे।
वर्जयहन्तकाष्ठं तु वतादीनां दिनेषु च ॥ ६६ ॥
स्रष्टम्यां च चतुर्दश्यां पंचम्यामर्कवासरे ।
वतादीनां दिनेष्वेच न कुर्यात्तैलमर्दनम् ॥ ६१ ॥
तस्मात्स्नानं प्रकर्तव्यं रिवचारे तु वर्जयेत् ॥ ६७ ॥

तेलमदेन की बाबत तो खैर श्रापने लिख दिया कि उससे पुत्र का मरण हो जाता है परन्तु दन्तधावन श्रीर स्नान की बावत कुछ भी नहीं लिखा कि उन्हें क्यों न करना चाहिये ? क्या उनके करने से रित महाराज (सूर्यदेवता) नाराज हो जाते हैं ? यदि ऐसा है तब तो लोगों को बहुत कुछ विपात्ति में पड़ना पड़ेगा; क्योंकि अधिकांश जनता रविवार के दिन साविशेष रूप से स्नान करती है--- खुट्टी का दिन होने से उस दिन बहुतों को श्रव्ही तरह से तेलादिक मलकर स्नान करने का अवसर मिलता है। इसके सिवाय, उस दिन भगवान का प्जनादिक मी न हो सकेगा, जो भट्टारकजी के कथनानुसार दन्तधावनपूर्वक स्नान की अपेक्षा रखता है: तन देविपतरों को भी उसिदन प्यासे रहना होगा जिनके लिये स्नान के अवसर पर भट्टारकजी ने तर्पण के जल की व्यवस्था की है और जिसका विचार आगे किया जायगा; और भी लोक में कितनी ही अश्चिता क्षा जायगी और बहुत से धर्मकायों को हानि पहुँचेगी; बिक्ति त्रिवर्णाचार की स्नानिवयक आवरयकताओं को देखते हुए तो यह कहन। भी कुञ्ज अत्याक्ति में दाखित न हे।गा कि धर्मकायों में एक प्रकार का प्रलयसा उपस्थित हो जायगा। मालूम नहीं भट्टारकजीने फिर क्या सीचकर रिववार के दिन स्नान का निषेध किया है! जैन सिद्धान्तों से तो इसका कुछ सम्बंध है नहीं और न जैनियों के आचार-विचार के ही यह अनुकूल पाया जाता है, प्रत्युत उसके विरुद्ध है। शायद भट्टारकजी को हिन्दूधर्म के किसी ग्रंथ से रिववार के दिन स्नान के निषेध का भी कोई वाक्य मिल गया हो और उसी के भरोसे पर आप ने वैसी आज्ञा जारी करदी हो। परन्तु मुक्ते तो मुहूर्तचिन्तामाणी आदि ग्रंथों से यह मालूम हुआ है कि 'रोगनिर्मुक्त स्नान' तक के लिये रिववार का दिन प्रशस्त माना गया है। इसीसे श्रीपितजी लिखते हैं—'लग्ने चरे स्त्र्यकु जेज्यवारे.....स्नानं हितं रोगविमुक्तकानाम्'। हाँ, दन्तधावन का निषेध तो उनके यहाँ व्यासजी के निम्न वाक्य से पाया जाता है जिसमें कुछ तिथियों तथा रिववार के दिन दाँतों से काष्ठ के संयोग करने की बावत लिखा है कि वह सातवें कुल तक को दहन करता है, और जो आन्हिकसूत्राविल में इस प्रकार से उद्धृत है—

प्रतिपद्दशेषष्ठीषु नवम्यां रिववासरे । दन्तानां काष्टसंयोगो दहत्यासप्तमं कुत्तम् ॥

परंतु जैनशासन की ऐसी शिक्षाएँ नहीं हैं, श्रीर इसिलये महारकजी का उक्त कथन भी जैनमत के विरुद्ध हैं।

घर पर ठंडे जल से स्नान न करने की आजा।

(५) भट्टारकर्जा ने एक खास आज्ञा और भी जारी की है और बह यह है कि 'घर पर कभी ठंडे जल से स्नान न करना चाहिये।' आप लिखते हैं—

श्चाभ्यक्षे चैव मांगल्ये गृहे चैव तु सर्वदा। शीतोदकेन न स्नायाच धार्यं तिलकं तथा॥ ३-४४॥ अर्थात्—तेल मला हो या कोई गांगलिक कार्य करना हो उस वक्त, श्रौर घर पर हमेशा ही ठंडे जल से स्नान न करना चाहिये श्रौर न वैसे स्नान किये किना तिलक ही धारण करना चाहिये।

यहाँ तेलकी मालिश के अवसर पर गर्म जल से स्नान की बात तो किसी तरह पर समफ में आ सकती है परन्तु घर पर सदा ही गर्म जल से स्नान करने की अथवा ठंडे जल से कभी भी स्नान न करने की बात कुछ समफ में नहीं आती | मालू महीं उसका क्या कारण है और वह किस आधार पर अवलिम्बत है ! क्या ठंडे जल से स्नान नदी—सरोवरादिक तीथों पर ही होता है अन्यत्र नहीं ? और घर पर उसके कर जेने से जलदेवता रुष्ट हो जाते हैं ! यदि ऐसा कुछ नहीं तो फिर घर पर ठंडे जल से स्नान करने में कीन बाधक है ! ठंडा जल खास्य्य के लिये बहुत लाभदायक है और गर्म जल प्रायः रोगी तथा अशक्त गृहस्थों के लिये बंतलाया गया है । ऐसी हाजत में भट्टारकजी की उपत आजा समीचीन मालूम नहीं होती——वह जैनशासन के विरुद्ध जँचती है । लोकञ्यवहार भी प्रायः उसके विरुद्ध है । लोकिक जन, अद्रुत्त आदि के अनुकूल, घर पर स्नान के लिये ठंडे तथा गर्म दोनों प्रकार के जलका ज्यवहार करते हैं ।

हाँ, हिन्दुओं के धर्मशाओं से एक बात का पता चलता है और वह यह कि उनके यहाँ नदी श्रादि तीयों पर ही स्नान करने का विशेष माहारम्य है, उसीसे स्नान का फल माना गया है, श्रन्यत्र के स्नान से महब शरीर की शुद्धि होती है, स्नान का जो पुरायफल है वह नहीं मिलता और इसाबिये उनके यहाँ तीथीभाव में अथवा तीर्य से बाहर (वर पर) उच्छा जल से स्नान करलेने की भी व्यवस्था की गई है। सम्भव है उसका एकान्त लेकर ही महारकजी को यह आज्ञा जारी करने की सूखी हो, जो मान्य किये जाने के योग्य नहीं। श्रन्यथा, हिन्दुओं के यहाँ भी दोनों प्रकार के स्नान का विश्वान पाया जाता है। यहा:—

नित्यं नैमित्तिकं स्तानं कियाकं मलकर्षणम् । त्रीर्थाभावे तु कर्तव्यमुष्णोदकपरोदकैः ॥ यमः ॥ कुर्यात्रीमित्तिकं स्नानं शीताद्भिः काम्यमेव च । नित्यं याद्यव्छिकं चैव यथाद्यचि समाचरेत् ॥ चंद्रिका ॥

- इति स्मृतिरत्नाकरे।

भहारक जी ने श्रपने उक्त पद्य से पहले 'श्रापः स्व भावतः शुद्धाः' नाम का जो पद्य गर्म जल से स्नान की प्रशंसा में दिया है वह भी हिन्दू प्रंथों से उठाकर रक्खा है। स्मृतिरताकर में, वहसाधारण से पाठमेद * के साथ, प्रायः ज्यों का त्यों पाया जाता है श्रीर उसे झातुरविषयक — रोगी तथा श्रशकों के स्नान सम्बंधी — सूचित किया है, जिसे भट्टारक जी ने शायद नहीं समका श्रीर वैसे ही श्रगले पद्य में समूचे गृहस्नान के लिये सदा को ठंडे जल का निषेध कर दिया!!

श्द्रत्व का ऋद्भुत योग ।

(६) दूसरे अध्याय में, स्नान का विधान करते हुए, भट्टारकजी लिखते हैं कि 'जो गृहस्थ सात दिन तक जल से स्नान नहीं करता वह शद्भव को प्राप्त हो जाता है—शद्भ बन जाता है'। यथाः—

सप्ताहान्यम्भसाऽसायी गृही ग्रद्भत्वमाप्नुयात् ॥ ६७ ॥

श्रद्भव के इस श्रद्भुत योग श्रयवा नूतन विधान को देखकर बड़ा श्राश्चर्य होता है श्रीर समक्ष में नहीं श्राता कि एक ब्राह्मण, स्त्रिय या वैश्य महज सात दिन के स्नान न करने से कैसे श्रद्भ बन जाता है!

^{*} वह पाठभेद ' शुद्धाः ' की जगह ' मेध्याः ' 'वन्हिता-पिताः ' के। जगह ' वन्हिसंयुताः ' श्रीर ' श्रतः ' की जगह 'तेन ' इतना ही है जो कुछ श्रर्थ-भेद नहीं रखता।

कहाँ से श्रद्राव उसके भीतर घुस आता है ? क्या शृद्र का कर्म कान न करना है ? अयथा श्रद्ध कान नहीं किया करते ? श्र्द्धों को बराबर क्यान करते हुए देखा जाता है, और उनका कर्म स्नान न करना कहीं भी नहीं लिखा। स्त्रयं भट्टारक जी ने सातवें अध्याय में श्र्द्धों का कर्म त्रिवर्णों की सेवा तथा शिल्प कर्म बतलाया है और यहाँ तक लिखा है कि ये चारों वर्ण अपने अपने नियत कर्म के विशेष से कहे गये हैं, जैनधर्म को पालन करने में इन चारों वर्णों के मनुष्य परम समर्थ हैं और उसे पालन करते हुए वे सब परस्पर में भाई के समान हैं। यथा—

विश्रचित्रयवैश्यानां ग्रुद्रास्तु सेवका मता ॥ १४० ॥ तेषु नाना विधं शिल्पं कर्म श्रोक्तं विशेषतः ॥ १४१ ॥ विश्रचित्रयविद्गुद्धाः श्रोक्ताः क्रियाविशेषतः । जैनधर्मे पराः शक्तास्ते सर्वे बान्यवीपमाः ॥ १४२ ॥

फिर आपका यह लिखना कि सात दिन तक स्नान न करने से कोई शद्ध हो जाता है, कितना असंगत है और शदों के प्रति कितना तिरस्कार का धोतक तथा अन्यायमय है, इसे पाठक स्वयं समम सकते हैं । हाँ, यदि कोई द्विज असें तक शिल्पादि कर्म करता रहे तो उसे महारकजी अपने लक्षण के अनुसार शद्ध कह सकते ये परन्तु स्नान न करना कोई शद्ध कर्म नहीं है—उसके लिये रोगादिक के अनेक कारण सभी के लिये हो सकते हैं—और इसलिये महज उसकी वजह से किसी में श्द्रत्व का योग नहीं किया जा सकता । मालूम नहीं सात दिन के बाद यदि वह गृहस्थ फिर नहाना शुरू कर देवे तो भहारकजी की दिष्ट में उसका वह शद्भव दूर होता है या कि नहीं ! प्रंथ में इसकी बावत कुछ लिखा नहीं !!

(७) तीसरे अध्याय में भट्टारकजी उस मनुष्य को जीवन भर के जिये शुद्र ठहराते हैं और मरने पर कुत्ते की योनि में जाना बतकाते हैं जो संध्याकाल प्राप्त होने पर भी संध्या नहीं करता है !! यथाः— सन्ध्याकाले तु सम्प्राप्ते सन्ध्यां नैवमुपासते । जीवमानो भवेच्छूदः सृतः श्वा चैव जायते ॥ १४१ ॥

यहाँ भी पूर्ववत् शद्रत्व का अद्भुत योग किया गया है और इस से यह भी ध्वनित होता है कि शद्भ को संध्योपासन का अधिकारी नहीं समभा गया | परन्तु यह हिन्दू धर्म की शिक्षा है जैनधर्म की शिक्षा नहीं | जैनधर्म के अनुसार शूद्ध संध्योपासन के अधिकार से बंचित नहीं रक्खा जा सकता | जैनधर्म में उसे नित्य पूजन का अधिकार दिया गया है * वह त्रिसंध्या—सेवा का अधिकारी है और ऊँचे दर्जे का श्रावक हो सकता है । इसीसे सोमदेवसूरि तथा पं० आशाधरजी ने भी आचारादि की शुद्धि को प्राप्त हुए शूद्ध को ब्राह्मसादिक की तरह से धर्मिक्रयाओं के करने का अधिकारी बतलाया है; जैसाकि उनके निम्न वाक्यों से प्रकट है:-—

" म्राचाराऽनवद्यत्वं ग्रुचिरुपस्कारः शरीरग्रुद्धिम्य करोति श्द्राः निप देवद्विज्ञातिपरिकर्मसु योग्यान्।" —नीतिवाक्यामृत ।

" अथ शुद्रस्याप्याहारादिशुद्धिमतो ब्राह्मणादिवद्धर्मिकयाकारित्वं वधोचितमनुमन्यमानः प्राह्-

> श्रद्धोऽप्युपस्कराचारवपुःश्रध्यास्तु तादृशः । जात्या द्वानाऽपि कालाविलन्धौ ह्यात्मास्ति धर्मभाक् ॥"

—सागारधर्मामृत सटीक ।

इसके सिवाय, भट्टारकजी ऊपर उद्यृत किये हुए पद्य नं ० १९२ में जब स्वयं यह बतला चुके हैं कि श्रद्ध भी जैन धर्म का पालन करने में 'परम समर्थ ' हैं तो फिर वे संद्योपासन कैसे नहीं कर सकते !

^{*} ग्रद्धों के इस सब अधिकार को अच्छी तरह से जानने के लिये लेखक की लिखी हुई 'जिन्यूजाऽधिकार-मीमांसा' नामक पुस्तक की देखना चाहिये।

श्रीर कैसे यह कहा जा सकता है। कि जो संध्यासमय संध्योपासन नहीं करता वह जीवित शद होता है ? मालूम होता है यह सब कुछ लिखते हुए भट्टारक जी जैनत्व को अयथा जैन धर्म के स्वरूप को बिलकुल ही मूल गये हैं और उन्होंने बहुधा श्रांख मींच कर हिन्दू धर्म का श्रनुसरण किया है। हिन्दु श्रों के यहाँ शदों को संध्योपासन का श्रिधकार नहीं—वे बेचारे वेदमन्त्रों का उच्चारण तक नहीं कर सकते—इसिलिये उनके यहाँ ऐसे वाक्य बन सकते हैं। यह वाक्य भी उन्हों के वाक्यों पर से बनाया गया श्रथवा उन्हों के ग्रंथों पर से उठा कर रक्खा गया है। इस वाक्य से मिलता जुलता 'मरीचिं ऋषि का एक वाक्य इस प्रकार है:—

संध्या येन न विज्ञाता संध्या येनानुषासिता। जीवमाना भवेच्छूद्रः मृतः श्वा चाभिजायते॥

—श्रान्द्रिकसूत्रावाले।

इस पद्य का उत्तरार्ध और भट्टारकर्जी के पद्य का उत्तरार्ध दोनों एक हैं भीर यही उत्तरार्ध जैनदृष्टि से आपित के योग्य है । इसमें मर कर कुत्ता होने का जो विधान है वह भी जैन सिद्धान्तों के विरुद्ध है । संध्या के इस प्रकरण में और भी कितने ही पद्य ऐसे हैं जो हिन्दू धर्म के प्रंथों से ज्यों के त्यों उठा कर अथवा कुछ बदल कर रक्खे गये हैं; जैसे ' उत्तमा तारकोपेता ', ' अन्होराश्रेश यः सन्धिः ' और 'राष्ट्रमंगे नृपद्धोभे अदि पद्य । और इस तरह पर बहुधा हिन्दू धर्म की भीधी सीधी नक्कल की गई है ।

(=) ग्यारहर्ने अध्याय में श्रूद्रत्व का एक और भी विचित्र योग किया गया है और वह यह कि ' जो कत्या विवाह संस्कार से पहले पिता के घर पर ही रजस्वला हो जाय' उसे 'श्रूद्रा (वृपली)' बत-लाया गया है और उससे जो विवाह करे उसे श्रूद्रापित । वृपलीपित) की संज्ञा दी गई है । यथा— पितुर्गृहे तु या कन्या रजः पश्येदसंस्कृता । सा कन्या वृत्रली क्षेया तत्पतिर्वृषलीपतिः ॥ १६६ ॥

मालूम नहीं इसमें कन्या का क्या अपराध समभा गया और उसके स्त्री-धर्म की स्वामाविक प्रवृत्ति में श्रद्ध की वृत्ति का कौनसा संयोग हो गया जिसकी वजह से वह बेचारी 'श्र्द्धा' करार दी गई!! इस प्रकार की व्यवस्था से जैनधर्म का कोई सम्बन्ध नहीं। यह भी उसके विरुद्ध हिन्दूधर्म की ही शिद्धा है और उक्त श्लोक भी हिन्दूधर्म की चीज है—हिन्दुओं की विष्णुसंहिता के के २४ वें अध्याय में वह नं० ४१ पर दर्ज है, सिर्फ उसका चौथा चरण यहाँ बदला हुआ है और 'पितृवेश्मानि' की जगह 'पितृगृहे तु' बनाया गया अथवा पाठान्तर जान पड़ता है। प्रायः इसी आशय के दो पद्य 'उद्घाहतत्व' में भी पाये जाते हैं, जिन्हें शब्दकल्पद्रमकोश में निम्नप्रकार से उद्धृत किया है—

" पितुर्गेहे च या कन्या रजः पश्यत्यसंस्कृता । भूणहत्या पितुस्तस्याः सा कन्या वृषत्ती समृता ॥" " यस्तु तां वरयेत्कन्यां ब्राह्मणे। ज्ञानदुवेतः । अश्राद्धेयमपांकेयं तं विद्याद् वृषत्तीपतिम् ॥"

इसके सिवाय, ब्रह्मवर्तपुराण में भी ' यदि शूद्रां ब्रजेद्विप्रो वृष्विपितिरेव सः ' वाक्य के द्वारा श्रद्धागामी ब्राह्मण को वृष्विपितिरेव सः ' वाक्य के द्वारा श्रद्धागामी ब्राह्मण को वृष्विपितिरेव सः ' वाक्य के द्वारा श्रद्धागामी ब्राह्मण को वृष्विपित विह्न स्था है । इस तरह पर यह सब हिन्दू धर्म की शिक्षा है, जिन धर्म के ब्रिक्स अपनाया है । जैन धर्म के अनुसार किसी व्यक्ति में इस तरह पर श्रद्धत्व का योग नहीं किया जा सकता । यदि ऐसे भी श्रद्धत्व का योग होने लगे तब तो श्रद्ध स्त्रियों की ही नहीं किन्तु प्रक्षों की भी संख्या बहुत बढ़ जाय और लाखों कुरुम्बों को शूद्ध-सन्तित में परिगिणित करना पड़े !!

^{*}देखो बंगवासी प्रेस कलकत्ता का सं०१६६४ का छुप। हुत्रा संस्करण्।

[११५]

नरकालय में वास ।

(१) शायद पाठक यह सोचते हों कि कन्या यदि विवाह से पहले रजस्वला हो जाती है तो उसमें कन्या का कोई अपराध नहीं—वह अपराध तो उस समय से पहले उसका विवाह न करने वालों का है जिन्हें कोई सजा नहीं दी गई और बेचारी कन्या को नाहक शदा (वृपली) करार दे दिया गया ! परंतु इस चिंता की जरूरत नहीं, भट्टारक जी ने पहले ही उनके लिये कड़े दण्ड की न्यवस्था की है और पीछे कन्या को शद्दा ठहराया है । आप उक्त पद्य से पूर्ववर्ती पद्य में ही लिखते हैं कि यदि कोई अविवाहिता कन्या रजस्वला हो जाय तो समम लीजिये कि उसके माता पिता और भाई सब नरकालय में पड़े—अर्थात, उसके रजस्वला होते ही उन सब के नरक वास की रजिस्ट्री हो जाती है—शायद नरकायु वँध जाती है—शायद

श्रमंस्कृता तु या कन्या रजसा चेत्परिन्तुता। भ्रातरः पितरस्तस्याः पतिता नरकालये ॥ १६४ ॥

पाठकगरा ! देखा, कितना विलद्दारा, भयंकर और कठोर ऑर्डर है! क्या कोई शाक्षा पंडित जैन सिद्धान्तों से — जैनियों की कर्म फिलॉसॉफ़ी से-—इस ऑर्डर अथवा विधान की संगित ठीक बिठला सकता है ! अथवा यह सिद्ध कर सकता है कि ऐसी कन्याओं के माता पिता और भाई अवस्य नरक जाते हैं ! कदापि नहीं | इसके विरुद्ध में असंख्य प्रमारा जैनशाकों से ही उपस्थित किये जा सकते हैं । उदाहरण के लिये, यदि भट्टारकजी की इस व्यवस्था को ठीक माना जाय तो कहना होगा कि ब्राह्मी और सुन्दरी कन्याओं के पिता भगवान ऋपभदेव, माताएँ यशस्त्रती (नंदा) तथा सुनंदा और भाई बाहुविल तथा भरत चक्र-

^{*} यदि उनमें से पहिले कोई स्वर्ग चले गये हों तो क्या उन्हें भी जिंच कर पीछे से नरक में भाना होगा ? कुछ समक्त में नहीं भाना !

वर्ती आदिक सब नरक गये ; क्योंकि ये दोनों कन्याएँ युवावस्था में घर पर अविवाहिता रहीं और तब वे रजस्वला भी हुई, यह स्त्राभाविक है । परंतु ऐसा कोई भी जैनी नहीं कह सकता । सब जानते हैं कि भगवान ऋषभदेव ऋौर उनके सब पुत्र निर्वाण को प्राप्त हुए ऋौर उक्त दोनों माताएँ भी ऊँची देवगति को प्राप्त हुई। इसी तरह सुलोचना आदि हजारों ऐसी कन्यात्रों के उदाहरण भी सामने रक्खे जा सकते हैं ाजनके विवाह युवावस्था में हुए जब कि वे रजोधर्म से युक्त होचुकी थीं श्रौर उनके कारण उनके माता पिता तथा भाइयों को कहीं भी नरक जाना नहीं पड़ा । त्रातः भट्टारकजी का यह सब कथन जैन धर्म के अरयंत विरुद्ध हैं और हिंदूधर्म की उसी शिद्धा से सम्बंध रखता है जो एक अविवाहिता कन्या को पिता के घर पर रजस्वला हो जाने पर शद्धा ठहराता है । इस प्रकार के विधिवाक्यों तथा उपदेशों ने ही समाज में बाल-विवाह का प्रचार किया है और उसके द्वारा समाज तथा धर्म को भारी, निःसीम, अनिवर्चनीय तथा कल्पनातीत इानि पहुँचाई है। ऐसे ज़हरीले उपदेश जबतक समाज में कायम रहेंगे, श्रीर उनपर अमल होता रहेगा तबतक समाज का कभी उत्थान नहीं हो सकता, वह पनप नहीं सकता श्रीर न उसमें धार्मिक जीवन ही श्रा सकता है। ऐसी छोटी उम्र में कन्या का विवाह महज उसी के लिये घातक नहीं है बल्कि देश, धर्म ऋौर समाज तीनों के लिये घातक है। वास्तव में माता पिता का यह कोई खास फर्ज अथवा कर्तव्य नहीं है कि वे अपनी संतान का विवाह करें ही करें और वह भी छोटी उम्र में । उनका मुख्य कर्तव्य तथा धर्म है संतान को सुशि दित करना, अनेक प्रकार की उत्तम विदाएँ तथा कलाएँ सिखलाना, खोटे संस्कारों से उसे अलग रखना, उसकी शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों को विकसित करको उनमें दढता लाना, उसे जीवनयुद्ध में स्थिर रहने तथा विजयी

होने के योग्य बनाना अथवा अपनी संसार यात्रा का सुख पूर्वकः निर्वाह करने की खमता पैदा कराना और साथ ही उसमें सत्य, प्रेम, धेर्य, उदारता, सहनशीलता तथा परे पकारता आदि मनुष्योचित गुणों का संचार कराके उसे देश, धर्म तथा समाज के लिये उपयोगी बनाना। और यह सब तभी हो सकता है जबिक ब्रह्मचर्याश्रम के काल को गृहस्थाश्रम का काल न बनाया जावे अथवा विवाह जैसे महत्व तथा जिम्मेदारी के कार्य को एक खेल या तमाशे का रूप न दिया जाय, जिसका दियाजाना नाबालिगों का विवाह रचाने की हालत में जरूर समस्ता जायगा। खेद है महारकजी ने इन सब बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और वैसे ही दूसरों की देखादेखी ऊटपटाँग लिख मारा जो किसी तरह भी मान्य किये जाने के योग्य नहीं है।

नग्न की विचित्र परिभाषा।

(१०) तीसरे श्रध्याय में, बिना किसी पूर्वापर सम्बन्ध श्रथवा ज़रू-रत के, 'नग्न' की परिभाषा बतलाने को ढाई श्लोक निम्न प्रकार से दिये हैं—

> अपवित्रपटो नग्ने नग्नश्चार्घपटः स्मृतः । नग्नश्च मिलनोद्वासी नग्नः कौपीनवानिप ॥२१॥ कपायवाससा नग्ने। नग्नश्चानुत्तरीयमान् । अन्तःकच्छो बिहःकच्छो मुक्तकच्छस्तथैव च ॥२२॥ साक्षासग्नः स विद्येषो दश नग्नाः प्रकीर्तिताः ।

इन क्लोकों में भट्टारकजी ने दस प्रकार के मनुष्यों को 'नग्न' बतलाया है—अर्थात्, जो लोग अपिवत्र वस्त्र पहने हुए हों, आधा वस्त्र पहने हों, मैले कुचैले वस्त्र पहने हुए हों, लँगोटी लगाए हुए हों, भगते वस्त्र पहने हुए हों, महज् धोती पहने हुए हों, भीतर कच्छ लगाए हुए हों, बाहर कच्छ लगाए हुए हों, कच्छ बिलकुल न लगाए हुए हों, और बस्त्र से बिलकुल रहित हों, उन सब को 'नग्न' ठहराया

है। मालूग नहीं भट्टारकर्जा ने नग्न की यह परिभाषा कहाँ से की है! प्राचीन जैन शास्त्रों में तो खोजने पर भी इसका कहीं कुछ पता चलता नहीं !! आग तौर पर जैनियों में 'जातरूपधरो नग्नः' की प्रसिद्धि है। भट्टाकलंकदेव ने भी राजवार्तिक में 'जातरूपधारणं नाउन्यं' ऐसा लिखा है । श्रीर यह श्रवस्था सर्व प्रकार के वस्त्रों से रहित होती है। इसीसे अमरकोश में भी 'नरनो ऽवासा दिगस्बरें' वाक्य के द्वारा वस्त्ररहित. दिगम्बर श्रीर नग्न तीनों को एकार्थवाचक बतलाया है। इससे भट्टारकानी की उक्त दशभेदात्मक परिभाषा बड़ी ही विचित्र जान पड़ती है। उनके दस भेदों में से अर्धवस्रधारी ऋौर कौपीनवान श्रादि को तो किसी तरह पर 'एकदेशनग्न' कहा भी जासकता है परन्तु जो लोग बहुत से मैले कुचैले या ऋपवित्र वस्न पहने हुए हों अथवा इससे भी बढ़कर सर से पैर तक पवित्र भगवे वस्न धारण किये हुए हों उन्हें किस तरह पर 'नम्न' कहा जाय, यह कुछ समभ में नहीं भाता !! जरूर, इसमें कुछ रहस्य है। भट्टारक लोग वस्न पहनते हैं. बहुधा भगवे (कषाय) वस्न धारण करते हैं और अपने को 'दिगम्बर मुनि' कहते हैं। संभव है, उन्हें नग्न दिगम्बर मुनियों की कोटि में लाने के लिये ही यह नग्न की परिभाषा गढ़ी गई हो। अन्यथा, भगवे वस्न वालों को तो हिन्दू प्रन्थों में भी नग्न लिखा हुआ नहीं मिलता ! हिन्दुओं के यहाँ पंच प्रकार के नग्न बतलाये गये हैं और वह पंच प्रकार की संख्या भी विभिन्न रूप से पाई जाती है। यथा:-

" द्विकच्छः कच्छशेषश्च मुक्तकच्छस्तथैव च ।

एकवासा अवासाश्च नग्नः पंचविधः स्मृतः ॥

—आन्द्विक तत्व ।

" नक्नो मिलनवस्त्रः स्यान्नक्नो नीलपटस्तथा। विकच्योऽनुत्तरीयश्च नक्नश्चावस्त्र एवच ॥ " श्रकच्छः पुच्छकच्छे। वाऽद्विकच्छः कटिवेष्टितः । कोपीनकधरश्चेव नग्नः पंचाविधः स्मृतः ॥ -स्मृतिरह्नाकर ।

जान पड़ता है हिन्दू प्रंथों के कुछ ऐसे रलोकों पर से ही भट्टारक जी ने अपने श्लोकों की रचना की है और उनमें 'क्षण्यवाससा नग्नः' जैसी कुछ बातें अपने मतलब के लिये और शामिल करली हैं।

अधौत का अद्भुत लच्ण्।

(११) तीसरे श्रद्याय में ही भट्टारकजी, ' श्रद्यीत ' का लच्च्या बतलाते हुए, लिखते हैं—

> इंपद्योतं स्त्रिया घौतं ग्रुद्रधौतं च चेटकै:। बालकेघौतमझानैरघौतमिति भाष्यते ॥ ३२॥

श्चर्यात्—जो (वस्न) कम धुला हुआ हो, किसी स्त्री का धोया हुआ हो, शद्भों का धोया हुआ, हो, नौकरों का धोया हुआ हो, या अज्ञानी बालकों का धोया हुआ हो उसे 'अधीत'—बिना धुला हुआ—कहते हैं।

इस बच्चाण में कम धुले हुए श्रीर श्रज्ञानी बालकों के धोये हुए बन्नों को श्रधीत कहना तो कुछ समक्त में श्राता है, परन्तु नियों, श्रद्भों श्रीर नीकरों के धोये हुए बन्नों को भी जो श्रधीत बतलाया गया है वह किस श्राधार पर श्रवलान्त्रित है, यह कुछ समक्त में नहीं श्राता ! क्या ये लोग बन्न धोना नहीं जानते श्रथवा नहीं जान सकते ? जरूर जानते हैं श्रीर थोड़े से ही श्रम्यास से बहुत श्रच्छा कपड़ा धो सकते हैं । श्रद्भों में धोबी (रजक) तो श्रपनी स्नीसहित बन्न धोने का ही काम करता है श्रीर उसके धोये हुए बन्नों को सभी लोग पहनते हैं । इसके सिवाय, लाखों स्नियाँ तथा नौकर बन्न धोते हैं श्रीर उनके घोए हुए बन्न लोक में श्रधीत नहीं समके जाते । फिर नहीं मालूम भट्टारकजी किस न्याय श्रयवा सिद्धान्त से ऐसे लोगों के द्वारा श्रुले हुए श्रच्छे से श्रच्छे बन्न को भी श्रधीत कहने का साहस करते हैं ! क्या श्राप त्रैवर्शिक

सियों तथा नौकरों को मिलनता का पुंज समभते है जो उनके स्पर्श से धौत वस्त्र भी अप्रयौत हो जाते हैं ? यदि ऐसा है तब तो बड़ी गड़बड़ी मचेगी और घर का कोई भी सामान पित्र नहीं रह सकेंगा— सभी को उनके स्पर्श से अपित्रत्र होना पड़ेगा | और यदि वैसा नहीं है तो फिर दूसरी कोई भी ऐसी वजह नहीं हो सकती जिससे उनके द्वारा अच्छी तरह से धौत वस्त्र को भी अधौत करार दिया जाय | वास्तव में इस प्रकार का विधान स्त्री जाित आदि का स्पष्ट अपमान है, और वह जैननीति अथवा जैनशासन के भी विरुद्ध है । जैनशासन का स्त्रियों तथा शहरों के प्रीत ऐसा घृगात्मक व्यवहार नहीं है, वह इस त्रियय में बहुत कुछ उदार है | हाँ, हिन्दू-धर्म की ऐसी शिक्षा जरूर पाई जाती है । उसके 'दत्त' ऋषि स्त्रियों तथा शहरों के धोए हुये वस्त्र को सब कामों में गिईत बतलाते हैं ! यथा—

ईषद्वीतं स्त्रिया घौतं श्रद्धघौतं तथेव च । प्रतारितं यमदिशि गर्हितं सर्वकर्मसु ॥

—म्रान्डिक सुत्रावित

इस स्लोक का पूर्वार्ध और महारकजी के रलोक का पूर्वार्ध दोनों प्रायः एक हैं, सिर्फ 'तथैव' को महारकजी ने 'चेटकै:' में बदला है और इस परिवर्तन के द्वारा उन नौकरों के धोए हुये वस्लों को भी तिरस्कृत किया है जो शहरों से भिन्न 'त्रैवर्णिक' ही हो सकते हैं!

इसीतरह हिन्दुओं के 'कर्मले। चन' ग्रंथ में स्त्री तथा घोवी के घे।ए हुये वस्त्र को 'अघीत' करार दिया गया है; जैसा कि 'शब्दकल्पद्रुम' में उद्भृत उसके निम्न वाक्य से प्रकट है—

इंबद्धातं स्त्रिया घौतं यद्धौतं रजकेन च । म्राघौतं तद्विज्ञानीत्रादशा दिवणपश्चिमे ॥

ऐसे ही हिन्दू-वाक्यों पर से भट्टारकाजी के उक्त वाक्य की सृष्टि हुई जान पड़ती हैं। परन्तु इस घृगा तथा वहम के व्यापार में भट्टारकाजी

[१२१]

हिन्दुओं से एक कदम श्रीर भी श्रागे बढ़े हुए मालूम होते हैं—उन्होंने त्रैत्रार्शिक सेवकों के धोए हुये वस्रों को ही तिरस्कृत नहीं किया, बल्कि पहले दिनके खुद के धोए हुये वस्रों को भी तिरस्कृत किया है। श्राप लिखते हैं 'श्रवीत (बिना धोया हुआ), कारु-धौत (शिल्पि श्रद्धों का धोया हुआ) श्रोर प्रवेंद्यधीत (पहले दिन का धोया हुआ) ये तीनों प्रकार के वस्र सर्व कायों के श्रयोग्य हैं—किसी भी काम को करते हुये इनका व्यवहार नहीं करना चिहिये।' यथा—

श्रधौतं कारुधौतं वा पूर्वेद्युर्धीतमेव च । त्रयमेतदसम्बंधं सर्वकर्मसु वर्जयेत् ॥ ३१ ॥

पाठकगरा ! देखा, इस वहम का भी कहीं कुछ ठिकाना है !! मालम नहीं पहले दिन धोकर ऋहतियात से रक्खे हुए कपड़े भी अगले दिन कैसे विगड़ जाते हैं ! क्या हवा लगकर खराव हो जाते हैं या धरे धरे वस जाते हैं ? और जब वह पहले दिन का धोया हुआ वस्त्र अगले दिन काम नहीं आ सकता तो फिर प्रातः संध्या भी कैसे हो सकेगी. जिसे भट्टारकजी ने इसी अध्याय में सूर्योदय से पहले समाप्त कर देना लिखा है ? क्या प्रातःकाल उठकर धोये हुए वस्त्र उसी वक्त सूख सकेंगे. ्या गीले वस्त्रों में है। संध्या करनी होगी ? खेद है भट्टारकजी ने इन सब बातों को कुछ भी नहीं सोचा श्रीर न यही खयाल किया कि एसे नियम से समय का कितना दुरूपयोग होगा ! सच है वहम की गति बड़ी ही विचित्र है--उसमें मनुष्य का विवेक बेकार सा होजाता है। उसी वहम का यह भी एक पारिगाम है जो भट्टारकर्जा ने अधौत के बद्धगा में शूद्रचीत आदि को शामिल करते हुये भी यहाँ 'कारुवीत' का एक तीसरा भेद श्रलग वर्णन किया है। अन्यया, श्द्रधीत श्रीर चेटकधीत से भिन्न 'कारुवीत' कुछ भी नहीं रहता। अवीत के लद्मण की मौज्दगी में उसका प्रयोग विलकुल व्यर्थ श्रीर खालिस वहम जान पड़ता है। इसे प्रकार के वहमों से यह प्रंथ बहुत कुछ भरा पड़ा है ।

[११२]

पति के विलक्तण धर्म।

(१२) आठवें श्रध्याय में, गर्भिणी स्त्री के पति-धर्मों का वर्णम करते हुए, भट्टारकजी लिखते हैं—

पुंसो भार्या गर्भिणी यस्य चाली स्नोखीलं चौरकर्मातमनश्च। गेहारंभं स्तंभसंस्थापनं च वृद्धिस्थानं दूरयात्रां न कुर्यात्॥६६॥ शवस्य वाहनं तस्य दहनं सिन्धुदर्शनम्। पर्वतारोहणं चैय न कुर्याद्वभिणीपतिः॥ ६७॥

श्रधीत्—जिस पुरुष की स्नी गर्भवती हो उसे (उस स्नी से उत्पन्न)
पुत्र का चौलकर्म नहीं करना चाहिये, स्वयं हजामत नहीं बनवानी चाहिये,
नये मकान की तामीर न करनी चाहिये, कोई खंभा खड़ा न करना चाहिये,
न वृद्धिस्थान बनाना चाहिये और न कहीं दूर यात्रा की ही जाना चाहिये।
इसके सिवाय, वह मुदें को न उठाए, न उसे जलाए, न समुद्र को देंखे
श्रीर न पर्वत पर चढ़े।

पाठकगण ! देखा कैसे विलक्षण धर्म हैं !! इनमें से दूरयात्रा को न जाने जैसी बात तो कुछ समक्ष में आ भी सकती है परन्तु गर्भा-वस्था पर्यंत पित का हजामत न बनवाना, कहीं पर भी किसी नये मकान की रचना अथवा वृद्धिस्थान की स्थापना न करना, समुद्र को न देखना और पर्वत पर न चढ़ना जैसे धर्मी का गर्भ से क्या सम्बन्ध है और उनका पालन न करने से गर्भ, गर्भिणी अथवा गर्भिणी के पित को क्या हानि पहुँचती है, यह सब कुछ भी समक्ष में नहीं आता। इन धर्मों के अनुसार गर्भिणी के पित को आठ नो महीने तक नख-केश बढ़ाकर रहना होगा, किसी कुटुम्बी अथवा निकट सम्बन्धी के मरजाने पर आवश्यकता होते हुए भी उसकी अरथी को कन्धा तक न लगाना होगा, वह यदि बम्बई जैसे शहर में समुद्र के किनारे—तट पर—रहता है तो उसे वहाँ का अपना वासस्थान छोड़ कर अन्यत्र जाना होगा अथवा

श्राँखों पर पट्टी बाँध कर रहना होगा जिससे समुद्र दिखाई न पड़े, वह निकट की ऐसी तीर्थयात्रा भी नहीं कर सकेगा जिसका पर्वत-कूटों से सम्बंध हो, श्रौर श्रगर वह मंसूरी-शिमला जैसे पार्वतीय प्रदेशों का रहने वाला है तो उसे उस वक्त उन पर्वतों से नीचे उतर श्राना होगा, क्यों कि वहाँ रहते तथा कारोबार करते वह पर्वतारोहण के दोष से बच नहीं सकता । परन्तु ऐसा करना कराना, श्रयवा इस रूप से प्रवर्तना कुछ भी इष्ट तथा युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता । जैनिसद्धान्तों तथा जैनों के श्राचार-विचार से इन धमें की कोई संगति ठीक नहीं बैठती श्रौर न ये सब धमे, जैनदृष्टि से, गर्भिणीपित के कर्तव्य का कोई श्रावश्यक श्रंग जान पढ़ते हैं । इन्हें भी भट्टारकजी ने प्रायः हिन्दू-धमें से लिया है । हिन्दु श्रों के यहाँ इस प्रकार के कितने ही श्रीक पाये जाते हैं, जिनमें से दो रलोक शब्द कल्प दूमकोश से नीचे उद्धृत किये जाते हैं—
"चौरं श्रवानुगमनं नककुन्तनं च युद्धादिवास्तुकरणं त्वितदूरयानं।

"ज्ञौरं शवानुगमनं नक्करुन्तनं च युद्धादिवास्तुकरणं त्वतिदूरयानं । बद्बाइमौपनयनं जलधेश्चगाइमायुः चयार्थामिति पर्भिणिकापतीनाम्॥" —मृहर्त्तदीपिका ।

> "दहनं वपनं चैव चौतं वै गिरिरोहणम्। नाव आरोहणं चैव वर्जयेद्गर्भिणीपितः॥"

—रत्नसंत्रहे, गात्नवः।

इनमें से पहले रलोक में लौर (हजामत) आदि कमों को जो गर्भिणी के पित की आयु के लय का कारण बतलाया है वह जैनसिद्धांत के बिरुद्ध है। और इसालिये हिंदू-धर्म के ऐसे कृत्यों का अनुकरण करना जैनियों के लिये श्रेयस्कर नहीं हो सकता जिनका उद्देश्य तथा शिला जैन-तत्वज्ञान के बिरुद्ध है। उसी उद्देश्य तथा शिला को लेकर उनका अनुष्ठान करना, नि:संदेह, मिध्यात्व का वर्धक है। खेद है भट्टारकजी ने इन सब बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और वैसे ही बिना सोचे समके अथवा हानि-साम का विचार किये दूसरों की नक्त कर बैठे!!

[१२४]

श्रासन की अनोखी फलकल्पना।

(१३) तीसरे ऋध्याय में, संध्योपासन के समय चारों ही आश्रम वालों के लिये पंचपरमेष्ठी के जप का विधान करते हुए, भट्टारकजी ने कुछ आसनों का जो फल वर्णन किया है उसका एक श्लोक इस प्रकार है:—

> वंशासने दरिद्धः स्यात्पाषाणे व्याधिपीडितः । धरएयां दुःखसंभूतिदीर्भाग्यं दारुकासने ॥ १०७ ॥

इस श्लोक में यह बतलाया गया है कि '(जप के समय) बाँस के आसन पर बैठने से मनुष्य दिर्दि, पाषाण के आसन पर बैठने से व्याधि से पीड़ित, पृथ्वी पर ही आसन लगाने से दुःखों का उत्पन्न-कर्ता और काष्ठ के आसन पर बैठने से दुर्भाग्य से युक्त होता है।'

श्रासन की यह फलकल्पना बड़ी ही श्रनोखी जान पड़ती है ! मालूम नहीं, भट्टारकजी ने इसका कहाँ से श्रवतार किया है !! प्राचीन ऋषिप्रणीत किसी भी जैनागम में तो ऐसी फल-व्यवस्था देखने में श्राती नहीं !! प्रत्युत इसके, 'ज्ञानाण्य' में योगिराज श्रीश्चभचंद्राचार्य ने यह स्पष्ट विधान किया है कि 'समाधि (उत्तम ध्यान) की सिद्धि के लिये काष्ठ के पट पर, शिलापट पर, भूमि पर श्रथवा रेत के स्थल पर सुदृढ श्रासन लगाना चाहिये।' यथा:--

> दारुपट्टे शिलापट्टे भूमौ वा सिकतास्थले । समाधिसिद्धये धीरो विद्ध्यात्सुस्थिरासनम् ॥ २८-६ ॥

पाठकगण ! देखा, जिन काष्ठ, पाषाण तथा भूमि के आसनों को योगीश्वर महोदय ने समाधि जैसे महान कार्य के लिये अत्यंत उपयोगी—
उसकी सिद्धि में खास तौर से सहायक—बतनाया है उन्हें ही भट्टारकजी कमशः दौर्भाग्य, व्याधि और दुःख के कारण ठहराते हैं ! यह कितना विपर्यास अथवा आगम के विरुद्ध कथन है। उन्हें ऐसा प्रतिपादन करते हुए इतना भी स्मरण न हुआ कि इन आसनों पर बैठकर असंख्य योगीजन सद्गित अथवा कल्याण-परम्परा को प्राप्त हुए हैं। अस्तु; हिन्दूधर्म में भी इन आसनों

[१६५]

को बुरा श्रथवा इस प्रकार के दुष्परिगामों का कारण नहीं बतलाया है बल्कि 'उत्तम' तथा 'प्रशस्त' श्रासन लिखा है। श्रीर इसिलये श्रासन की उक्त फल-कल्पना श्रिकांश में भट्टारकजी की प्रायः श्रपनी ही कल्पना जान पड़ती है, जो निराधार तथा निःसार होने से कदापि मान्य किये जाने के योग्य नहीं। श्रीर भी कुछ श्रासनों का फल भट्टारकजी की निजी कल्पना हारा प्रसूत हुआ जान पड़ता है, जिसके विचार को यहाँ छोड़ा जाता है।

जूठन न छोड़ने का भयंकर परिणाम।

(१४) बहुत से लोग, जिनमें त्यागी और ब्रह्मचारी भी शामिल हैं, यह समभे हुए हैं कि ज्उन नहीं छोड़ना चाहिये — कुत्ते को भी अपना ज्ठा भोजन नहीं देना चाहिये — और इसलिय वे कभी ज्ठन नहीं छोड़ते। उन्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि भट्टारकजी ने ऐसे लोगों के लिये जो खा पीकर बरतन खाली छोड़ देते हैं — उनमें कुछ ज्ठा भोजन तथा पानी रहने नहीं देते — यह व्यवस्था दी है कि ' वे जन्म जन्म में भूख प्यास से पीड़ित होंगे; जैसा कि उनके निम्न व्यवस्था – पद्य से प्रकट है: —

भुक्त्वा पीत्वा तु तत्पात्रं रिक्कं त्यजित यो नरः। स नरः चुत्पिपासार्तो भधेज्जन्मनि जन्मनि॥६-२२४॥

मालूम नहीं भट्टारकजी ने जूठन न छोड़ने का यह भयंकर परिग्राम कहाँ से निकाला है! अथवा किस आधार पर उसके लिये ऐसी दगड-व्यवस्था की घोषणा की है!! जैन सिद्धान्तों से उनकी इस व्यवस्था का कोई समधन नहीं होता—कोई भी ऐसा व्यापक नियम नहीं पाया जाता जो ऐसे निरपराधियों को जन्म जन्म में भृख प्यास की वेदना से पीड़ित रखने के लिये समर्थ हो सके। हाँ, हिन्दू धर्म की ऐसी कुछ कल्पना जरूर है और उक्त पद्य भी प्राय: हिन्दू धर्म की ही सम्पत्ति जान पड़ता है। वह साधारण से पाठ-भेद के साथ उनके स्मृतिरत्नाकर में उद्भृत मिलता है। वहाँ इस पद्य का पूर्वार्ध 'सुक्त्वा पीत्वा च यो मत्यः शूर्यं

[१२६]

पात्रं परित्यं जित् 'ऐसा दिया हैं और उत्तरार्ध ज्यों का त्यों पाया जाता हैं—सिर्फ 'नरः' के स्थान पर 'भूयः' पद का उसमें भेद है। श्रीर इस सब पाठ—भेद से कोई वास्ताविक श्रर्थ—भेद उत्पन्न नहीं होता। मालूम होता है भट्टारक जी ने हिन्दु श्रों के प्रायः उक्त पद्य पर से ही श्रपना यह पद्य बनाया है श्रयवा किसी दूसरे ही हिंदू प्रथ पर से उसे ज्यों ल्यों उठाकर रक्खा है। श्रीर इसतरह पर दूसरों द्वारा किल्पत हुई एक व्यवस्था का श्रम्धा उनुसरण किया है। भोजनप्रकरण का श्रीर भी बहुतसा कथन श्रयवा कियाकांड इस श्रद्याय में हिन्दू प्रथों से उठाकर रक्खा गया है श्रीर उसमें कितनी ही बातें निरर्थक तथा खाली वहम को लिये हुए हैं।

देवतात्रों की रोकथाम।

(१५) हिन्दुओं का विश्वास है कि इधर उधर विचरते हुये राह्मसादिक देवता भोजन के सत्व अथवा अन्नवल को हर लेते हैं——खा जाते हैं——और इसिलिये उनके इस उपद्रव की रोकथाम के वास्ते उन्होंने मंडल बनाकर भोजन करने की व्यवस्था की है *। वे समभते हैं कि इस तरह गोल, त्रिकोण अथवा चतुष्कोणादि मंडलों के भीतर भोजन रख कर खाने से उन देवताओं की प्रहण-शक्ति रुक जाती है और उससे भोजन की पूर्णशक्ति बनी रहती है। भट्टारकजी ने उनकी इस व्यवस्था को भी उन्हों के विश्वास अथवा उद्देश्य के साथ अपनाया है। इसी से अपन छठे अध्याय में लिखते हैं—

चतुरस्रं त्रिकोणं च वर्तुलं चार्धचन्द्रकम्। कर्तव्यानुपूर्व्येण मंडलं ब्राह्मणादिषु ॥ १६४॥

भ गोमयं मंडलं कृत्वा भोक्तव्यमिति निश्चितम् ।
 पिसाचा यातुधानाद्या श्रन्नादाः स्युरमंडले ॥
 स्मृतिरक्वाकर ।

[230]

यातुधानाः गिशासास्य त्वसुरा रास्तसास्तया । प्रन्ति ते [वै] बक्रमञ्जस्य मण्डलेन विवर्जितम् ॥ १६४ ॥

भर्यात् — ब्राह्मणादिक को क्रमशः चतुष्कोरा, त्रिकोरा, गोल भीर भर्धचन्द्राकार मंडल बनाने चाहिये। मंडल के बिना भोजन की शक्ति को यातुधान, पिशाच, भसुर भीर राह्मस देवता नष्ट कर डालते हैं।

ये दोनों रलेक मी हिन्दू-धर्म से लिये गये हैं। पहले रलोक को मान्हिकस्त्रावित में 'झस्रपुराण' का वाक्य लिखा है श्रीर दूसरे को 'स्मृतिरत्नाकर' में 'आन्नेय' श्रीप का वचन सूचित किया है श्रीर उसका दूसरा चरण 'हासुराश्चाथ राच्चसाः' दिया है, जो बहुत ही साधारण पाठमेद को लिये हुए है ×।

इस तरह भट्टारकजी ने हिन्दू-धर्म की एक व्यवस्था को उन्हीं के शब्दों में अपनाया है और उसे जैनव्यवस्था प्रकट किया है, यह बड़े हैं। खेद का विषय है! जैनिसद्धान्तों से उनकी इस व्यवस्था का भी कोई समर्थन नहीं होता। प्रत्युत इसके, जैनटि से, इस प्रकार के कथन देव-ताओं का अवर्धावाद करने वाले हैं—उन पर सूठा दोषारोपण करते हैं। जैनमतानुसार व्यन्तरादिक देवों का भोजन भी मानिसक है, वे इस तरह पर दूसरों के भोजन को चुराकर खाते नहीं फिरते और न उनकी शक्ति हैं। ऐसे नि:सत्व काल्पानिक मंडलों के द्वारा रोकी जा सकती है। अतः ऐसे मिध्यात्ववर्धक कथन दूर से ही त्याग किये जाने के योग्य हैं।

यातुष्रानाः पिशाचाश्य क्रॉश्चेव तु राचसाः इरन्ति रसमञ्जे च मंडलेन विवर्जितम् ॥

—ग्रान्दिकसूत्रावलि ।

[×] दूसरे श्लोक का एक रूपान्तर भी 'मार्कग्डेयपुराण्' में पाया जाता है और यह इस प्रकार है—

[१२८]

एक वस्त्र में भोजन-भजनादिक पर श्रापति ।

(१६) एक स्थान पर भट्टारक जी लिखते हैं कि 'एक वस्न पहन कर भोजन, देवपूजन, पितृक में, दान, होम, और जप आदिक (रनान, स्वाध्याय।दिक *) कार्य नहीं करने चाहिये। खंड वस्न पहन कर तथा वस्नाध पहन कर भी ये सब काम न करने चाहिये। यथा—

एकवस्त्रो न भुंजीत न कुर्याद्देवपूज [तार्च] नम् ॥ ३-३६ ॥ न कुर्यात्पितकर्मा [कार्या] णि दानं होमं जपादिकम् [पं तथा] खएडवस्त्रावृतश्चेव वस्त्रार्धप्रावृतस्तथा ॥ ३७ ॥

परन्तु क्यों नहीं करने चाहियें ? करने से क्या हानि होती है अथवा कौनसा अनिष्ठ संघटित होता है ? ऐसा कुछ भी नहीं लिखा ! क्या एक वस्त्र में भोजन करने से वह भोजन पचता नहीं ? पूजन या भजन करने से वीतराग भगवान भी रुष्ट हो जाते हैं अथवा भिक्तरस उत्पन्न नहीं हो सकता ? आहारादिक का दान करने से पात्र की तृप्ति नहीं होती या उसकी चुधा आदि को शांति नहीं मिल सकती ? खाध्याय करने से ज्ञान की संप्राप्ति नहीं होती ? और परमात्मा का ध्यान करने से कुशल परिणामों का उद्भव तथा आत्मानुभवन का लाभ नहीं हो सकता ? यदि ऐसा कुछ नहीं है तो फिर एक वस्त्र में इन भोजनभजनादिक पर आपति कैसी ? यह कुछ समक में नहीं आता !! जैनमत में उत्कृष्ट श्रावक का रूप एक वस्त्रधारी माना गया है-इसीसे 'चेलस्वराडधरः' 'वस्त्रकधरः', 'एकशाटकधरः' 'कीपीनमाञ्चतंत्रः' आदि नामों या पदों से उसका उत्लेख किया जाता है——और वह अपने उस एक वस्त्र

^{*}आदिक शब्द का यह आशय प्रंथ के अगले 'स्नानं दानं जपं होमं' नाम के पद्म पर से प्रहण किया गया है जो 'उक्तंच' रूप से दिया है और संभवतः किसी हिन्दू-प्रथ का ही पद्म मालूम होता है।

[388]

में ही भोजन के अतिरिक्त देवपूजन, खाध्याय, दान और जप-ध्यानादिक सम्पूर्ण धार्मिक कृत्यों का अनुष्ठान करता है । यदि एक वस्त्र में इन सब कृत्यों का किया जाना निषिद्ध हो तो आवक का उत्कृष्ट लिंग ही नहीं बन सकता, अथवा यों कहना होगा कि उसका जीवन धार्मिक नहीं ही सकता । इससे जैनशासन के साथ इस सब कथन का कोई संबंध ठीक नहीं बैठता—वह जैनियों की सैद्धान्तिक दृष्टि से निरा सारहीन प्रतीत होता है । वास्तव में यह कथन भी हिन्दू-धर्म से लिया गया है । इसके प्रतिपादक व दोनों वाक्य भी जो ३६ वें पद्य का उत्तरार्ध और ३७ वें पद्य का पूर्वार्ध बनाते हैं हिन्दू-धर्म की चीज हैं—हिन्दुओं के 'चेंद्रिका' प्रंथ का एक रलोक हैं — और स्मृतिरताकर में भी, ब्रैकिटों में दिये हुए साधारण से पाठभेद के साथ, उद्भृत पाय जाते हैं।

सुपारी खाने की सजा।

(१७) भोजनाध्याय # में, ताम्बूलिविधि का वर्णन करते हुए, महारकजी लिखते हैं—

> श्रानिषाय मुखे पर्णं पूर्गं बादित यो नर:। सप्तजन्मदरिद्रः स्यादन्ते नैव स्मरेज्जिनम् ॥ २३३॥

* कुठ अध्याव का नाम 'भोजन' अध्याय है परन्तु इसके शुरू के १४६ श्लोकों में जिनमंदिर के निर्माण तथा पूजनादि-सम्बन्धी कितना है। कथन ऐसा दिया हुआ है जो अध्याय के नामके साथ संगत मालूम नहीं है।ता—और भी कुछ अध्यायों में ऐसी गड़बड़ी पाई जाती है— और इससे यह स्पष्ट है कि अध्यायों के निपय-विभाग में भी विचार से ठीक काम नहीं लिया गया।

अर्थात्—जो मनुष्य मुख में पान न रखकर—बिना पान के ही— सुपारी खाता है वह सात जन्म तक दिरदी होता है और अन्त में-— मरते समय—उसे जिनेन्द्र भगवान का स्मरण नहीं होता।

पाठकगरा ! देखा, कैसी विचित्र व्यवस्था श्रीर कैसा श्रद्भुत न्याय है ! कहाँ तो अपराध स्नौर कहाँ इतनी सख्त सन्ना !! इस धार्मिक द्रण्डिविधान ने त्ये बड़े बड़े अन्यायी राजाओं के भी कान काट लिये !!! क्या जैनियों की कर्म फिलॉसॅफी श्रीर जैनधर्म से इसका कुछ सम्बन्ध हो सकता है ? कदापि नहीं । सुपारी के साथ दरिद्र की इस विलक्षा व्याप्ति को मालूग करने के लिये जैनधर्म के बहुत से सिद्धान्त-प्रन्थों को टटोला गया परंतु कहीं से भी ऐसा केई नियम उपलब्ध नहीं हुआ ।जिससे यह लाजिमी आता हो कि सुपारी पान की संगति में रहकर तो दरिद्र नहीं करेगी परंतु अलग सेवन किये जाने पर वह सात जन्म तक दरिद्र को खींच लाने अथवा उत्पन्न करने में अनिवार्य रूप से प्रवृत्त होगी, श्रौर अन्त को भगवान का स्मरण नहीं होने देगी सो जुदा रहा। कितने ही जैनी, जिन्हें पान में साधारण वनस्पति का दोष मालूम होता है, पान नहीं खाते किन्तु सुपारी खाते हैं; ब्रानेक परिडतों आरे पंडितों के गुरु माननीय पं० गोपालदासजी बरैया को भी पान से अज्ञग सुपारी खाते हुये देखा गया परंतु उनकी बाबत यह नहीं सुना गया कि उन्हें मरते समय नगवान् का स्मरमा नहीं हुआ । इससे इस कथन का वह अंश जो प्रत्यक्त से सम्बंध रखता है प्रत्यक्त के विरुद्ध भी है। श्रीर यदि उसी जन्म में भी दरिद्र का विधान इस पद्य के द्वारा इष्ट है तो वह भी प्रत्यक्त के विरुद्ध है; क्योंकि बहुत से सेठमाहुकार भी बिना पान के सुपारी खाते हैं और उनके पास दरिद्र नहीं फटकता ।

मालूग होता है यह कथन भी हिन्दू अमे के किसी प्रथ से लिया

7

गया है | हिंदुओं के 'स्मृतिरताकर' प्रंथ में यह श्लोक बिलकुल उंदी का त्यों पाया जाता है, सिर्फ अन्तिम चरण का भेद है। अंतिमचरण वहाँ 'नरकेषु निमज्जिति' (नरकों में पड़ता है) दिया है । बहुत सम्भव हैं भट्टारफजी ने इसी श्रंतिमचरण को बदल कर उसके स्थान में 'अन्ते नैव स्मरोजिनम्' बनाया हो । यदि ऐसा है तब तो इस परिवर्तन से इतना अरूर हुआ है। के कुछ सजा कम हो गई है। नहीं तो बेचारे को, सात अन्म तक दरिद्री रहने के सिवाय, नरकों में श्रीर जाना पहता !! परंतु इस पद्य का एक दूसरा रूप भी है जो मुहूर्त चिंतामिण की 'पीयूषधारा' टीका में पाया जाता है। उसमें स्मीर सब बातें तो ज्यों की त्यों हैं, सिर्फ़ 'अनिधाय मुखे' की जगह 'अशा-**स्त्रविधिना' (शास्त्र**विधि का उल्लंघन करके) पद का प्रयोग किया गया है भौर अंतिम चरण का रूप 'अन्ते विष्णुं न संस्मरेत्' (झंत में उसे विष्णु भगवान् का स्मरण नहीं होता) ऐसा दिया है। इस अंतिमचरण पर से भट्टारकजी के उक्त चरण का रचा जाना और भी ज्यादा स्वाभाविक तथा संभावित है। हो सकता है भट्टारकजी के सामने हिन्द्-प्रंथों के ये दोनों ही पद्य रहे हों और उन्होंने उन्हीं पर से अपने पद्य का रूप गढ़ा हो । परंतु कुन्न भी हो, इसमें संदेह नहीं कि जैनासिद्धान्तों के विरुद्ध होने से उनका यह सब कथन जैनियों के द्वारा मान्य किये जाने के योग्य नहीं है।

जनेक की श्रजीय करामात।

(१८) 'यज्ञोपत्रीत ' नामक श्राघ्याय में, भट्टारकाजी ने जनेऊ की करामात का जो वर्णन दिया है उससे मालूम होता है कि 'यदि किसी को श्रापनी श्रायु बढ़ाने की-श्राधिक जीने की-इच्छा हो तो उसे दो या तीन जनेऊ श्रापने गले में डाल लेने चाहियें — श्रायु बढ़ जायगी

[१३२]

(अकाल मृत्यु तो तब शायद पास भी न फटकेगी !), पुत्रप्रिति की इच्छा हो तो पाँच जनेऊ डाल लेने चाहियें-पुत्र की प्राप्ति हो जायगीं— अभीर धर्म लाभ की इच्छा हो तोभी पाँच ही जनेऊ करण्ठ में धारण करने चाहियें, तभी धर्म का लाभ हो सकेगा अथवा उसका होना अनिवायें होगा। एक जनेऊ पहन कर यदि कोई धर्म कार्य—जप, तप, होम, दान, पूजा, स्वाध्याय, स्तुति पाठादिक—किया जायगा तो वह सब निष्फल होगा, एक जनेऊ में किसी भी धर्म कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। यथा:—

म्रायुःकामः सदा कुर्यात् ब्रित्रियक्कोपवीतकम् । पंचिभिः पुत्रकामः स्याद् धर्मकामस्तथैव च ॥ ४७ ॥ यक्कोपवीतेनैकेन जपद्दोमादिकं कृतम् । तत्सर्वे विलयं याति धर्मकार्यं न सिद्धयति ॥ ४८ ॥

पाठकजन ! देखा, जनेऊ की कैसी आजीब करामात का उल्लेख किया गया है और उसकी संख्यादृद्धि के द्वारा आयु की दृद्धि आदि का कैसा सुगम तथा सस्ता उपाय बतलाया गया है!! * मुमे इस

^{*} और भी कुछ स्थानों पर पेसे ही विलक्षण उपायों का—करा-माती नुसकों का—विधान किया गया है; जैसे (१) पूर्व की ओर मुँह करके भोजन करने से आयु के बढ़ने का, पश्चिम की तरफ़ मुँह करके खाने से धन की प्राप्ति होने का और (२) काँसी के बरतन में भोजन करने से आयुर्वलादिक की नृद्धि का विधान! इसी तरह (३) दीपक का मुख पूर्व की ओर कर देने से आयु के बढ़ने का, उत्तर की ओर कर देने से धन की बढ़नारी का, पश्चिम की ओर कर देने से दु:खों की उत्पत्ति का तथा दक्षिण की ओर कर देने से हानि के पहुँ-चने का; और सूर्यास्त से सूर्योदय पर्यन्त घर में दीपक के जलते रहने

उपाय की विसद्याता अथवा निःसारता आदि के विषय में कुछ विशेष कहने की बरूरत नहीं है, सहदय पाठक सहज ही में अपने अनुभव से उसे जान सकते हैं अथवा उसकी जाँच कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ़ इतना ही बतला देना चाहता हूँ कि भट्टारकजी ने जो यह प्रति-पादन किया है कि 'एक जनेऊ पहन कर कोई भी धर्मकार्य सिद्ध नहीं हो सकता—उसका करना ही निष्फल होता है'

से दरिद्र के भाग जाने अथवा पास न फटकने का विधान ! यथाः—

- (१) ब्रायुष्यं प्राङ्मुखो भुंके श्रीकामः पश्चिमे [श्रियं प्रत्यङ्मुखो] भुंके ॥ ६-१६३॥
- (२) एक एव तु यो भुंक्षे विमले [गृहस्थः] कांस्यभाजने । चत्वारि तस्य वर्धन्ते स्रायुः प्रज्ञा यशोबलम् ॥ ६-१६७॥
- (३) म्रायुष्ये [र्दः] प्राङ्मुखो दीवे। धनायोदङ्मुखोमतः

[धनदः स्यादुदङ्मुखः]।

प्रत्यङ्मुकोऽगिदुः स्नाय [दुःस्नदोऽसौ] हानये [निदो]दित्तिणामुस्नः॥ रवेरस्तं समारभ्य यावत्स्योदयो भवेत्। यस्य तिष्ठेदगृहे दीपस्तस्य नास्ति दरिद्रता॥

— झघ्याय, ७ वाँ।

श्रीर ये सब कथन हिन्दू धर्म के प्रन्थों से लिये गये हैं—हिन्दुओं के (१) मनु (२) ज्यास तथा (३) मरीचि नामक ऋषियों के क्रमशः वचन हैं, जो प्रायः ज्यों के त्यों अथवा कहीं कहीं साधारण से परिवर्तन के साथ उठा कर रक्ते गये हैं। आन्हिकस्त्रावित में भी ये वाक्य, बैकिटों में दिये हुए पाठभेद के साथ हन्हीं ऋषियों के नाम से उन्ने कित मिलते हैं। जैनधर्म की शिक्षा अथवा उसके तत्य-बान से हन कथनों का कोई खास सम्बन्ध नहीं है। वह जैनसिद्धान्त तथा जैननीति के बिल्कुल विरुद्ध है और किसी भी माननीय प्राचीन जैनाचार्य के वाक्य से उसका समर्थन नहीं होता। एक जनेऊ पहन कर तो क्या. यदि कोई बिना जनऊ पहने भी सच्चे हृदय से भगवान की पूजा-भिक्त में लीन हो जाय, मन लगाकर स्वाध्याय करे, किसी के प्राण बचा कर उसे अभयदान देवे, सदुपदेश देकर दूसरों को सन्मार्ग में लगाए अथवा सत्संयम का अभ्यास करे तो यह नहीं हो सकता कि उसे सत्फल की प्राप्ति न हो । ऐसा न मानना जैनियों की कमीफ़िलॉसॉफ़ी अथवा जैनभर्म से ही इनकार करना है। जैनधर्मानुसार मन-वचन-काय की शुभ प्रवृत्ति पुगय का श्रीर श्रश्लम प्रवृत्ति पाप का कारण होती है-वह अपने उस फल के लिये यज्ञी-पवीत के धार्गो की साथ में कुछ अपेचा नहीं रखती किन्तु परिणामों से खास सम्बन्ध रखती है। सैकड़ों यज्ञोपवीत (जनेक) धारी महापातकी देखे जाते हैं श्रीर बिना यज्ञोपवीत के भी हजारों व्यक्ति उत्तर भारतादिक में धर्मकत्यों का अच्छा अनुष्ठान करते हुए पाये जाते हैं -- स्नियाँ तो बिना यज्ञोपवीत के ही बहुत कुछ धर्मसाधन करती हैं । अतः धर्म का यज्ञोपत्रीत के साथ अथवा उसकी पंचसंख्या के साथ कोई ऋविना भावी सम्बन्ध नहीं है। और इस लिये भट्टारकजी का उक्त कथन मान्य किये जाने के योग्य नहीं।

तिलक और दर्भ के बँधुए।

(११) चौथे अध्याय में, 'तिलक 'का विस्तृत विधान और उसकी अपूर्व महिमा का गान करते हुए, भट्टारकजी लिखते हैं:—

जिया होमस्तथा दानं स्वाध्यायः गितृतर्वणम् । जितपूजा श्रुताख्यानं न कुर्यात्तिलकं विना ॥ ८४ ॥

त्रर्थात्—तिलक के बिना जप, होम, दान, स्वाध्याय, पितृतर्पसा जिनपूत्र। त्रीर शास्त्र का व्याख्यान नहीं करना चाहिये।

परन्तु क्यों नहीं करना चाहिये ? करने से क्या खराबी पैदा ही जाती है अथवा कौनसा उपद्रव खड़ा हो जाता है ? ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। क्या तिलक छ।प लगाए बिना इनको करने से ये कार्य अधूरे रह जाते हैं ? इनका उदेश्य सिद्ध नहीं होता ? अथवा इनका करना ही निष्फत होता है ? कुञ्ज समक में नहीं आता !! हाँ. इतना स्पष्ट है कि भट्टारकजी ने जप-तप, दान, स्वाध्याय, पूजा-भाक्ति श्रीर शास्त्री-पदेश तक को तिलक के साथ बँधे हुए समभा है. तिलक के अनुचर माना है और उनकी दृष्टि में इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं-इनका स्वतंत्रता पूर्वक अनुष्टान नहीं हो सकता अथथा वैसा करना हितकर नहीं हो सकता। ऋोर यह सब जैन शासन के विरुद्ध है। एक वस्न में तथा एक जने क पहन कर इन कार्यों के किये जाने का विरोध जैसे युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता उसी तरह पर तिलक के विना भी इन कार्यों का किया जाना, जैन सिद्धांतां की दृष्टि से कोई खास आपति के योग्य नहीं जैंचता । इस त्रिपय में ऊपर (नं० १६ तथा १८ में) जो तर्कगा की गई है उसे यथायोग्य यहाँ भी समभ लेना चाहिये।

इसी तरह पर तीसरे अध्याय में दुर्भ * का माहात्म्य गाया गया है और उसके बिना भी पूजन, होग तथा जप अधिक के करने का निषेध किया है और लिखा है कि पूजन, जप तथा होम के अवसर पर दर्भ में असगाँठ लगानी होती है । साथ ही, यह भी वतलाया है कि निस्य कर्म करते हुए हमेशा दो दभी को दिल्ला हाथ में धारण करना चाहिये

^{*} कुश, कौंस, दूव और मूँज वर्षरह घास, जिसमें गेहूँ, जी तथी घान्य की नालियाँ भी शामिल हैं और जिसक इन भेदी का प्रति-पादक रहोक " अजैन प्रन्यों से संप्रह " नामक प्रकरख में बद्घृत किया जा खुका है।

[१३६]

श्रीर स्नान, दान, जप, यज्ञ तथा स्वाध्याय करते हुए दोनों हाथों में या तो दर्भ के नाल रखने चाहियें श्रीर या पवित्रक (दर्भ के बने छुल्ले) पहनने चाहियें | यथा---

हैं। दभी दिस्ते हस्ते सर्वदा नित्यकर्मि ॥ ६४ ॥ स्नाने दाने जपे यहे स्वाध्याये नित्यकर्मि । स्पिने सदभी वा करी कुर्वीत नान्यथा ॥ ६४ ॥ दभी विना न कुर्वीत चा चमे जिनपूजनम् । जिनयहे जपे होमे ब्रह्मग्रन्थिविधीयते ॥ ६७ ॥

इससे जाहिर है कि अष्टारकजी ने जिनपूजनादिक की निलक के ही नहीं किन्तु दर्भ के भी बँधुए माना है! अगपकी यह मान्यता भी, तिलक सम्बंधी उक्त मान्यता की तरह, जैन शासन के विरुद्ध है। जैनों का अगचार विचार भी अगम तौर पर इसके अनुकूल नहीं पाया जाता अथवा यों कि हैये कि 'दर्भ हाथ में लेकर ही पूजनादिक धर्मकृत्य किये जायँ अन्यथा न किये जायँ 'ऐसी जैना-म्नाय नहीं है। लाखों जैनी बिना दर्भ के ही पूजनादिक धर्मकृत्य करते आए हैं और करते हैं। नित्य की 'देवपूजा 'तथा यशोनिन्द आचार्य कृत 'पंचपरमेष्ठि पूजापाठ' आदिक प्रंथों में भी दर्भ की इस आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है। हाँ, हिन्दुओं के यहाँ दर्भादिक के माहात्म्य का ऐसा वर्णन जरूर है—वे तिलक और दर्भ के बिना खान, पूजन तथा संध्योपासनादि धर्मकृत्यों का करना ही निष्कल समभने हैं; जैसा कि उनके पद्मपुराण (उत्तर खण्ड) के निम्न वाक्य से प्रकट है—

स्नानं संध्यां पंच यज्ञान् पैत्रं होम।दिकमं यः। विना तिलकदभाभ्यां कुर्याचित्रष्ककलं भवेत्॥

—श्रद्धकलादुम ।

[१३७]

इसी तरह उनके ब्रह्म। एडपुराण में तिलक को वैष्णात का रूप बतलाया है और उसके बिना दान, जप, होम तथा स्वाध्यायादिक का करना निर्धक टहराया है । यथा—

> कर्मादी तिलकं कुर्याद्व्यं तद्वैष्णवं परं ॥ गो प्रदानं जयो होमः स्वाध्यायः पितृतर्पणम् । अस्मीभवति तत्सर्वं मूर्ध्वपुराड्रं विना छतम् ॥

—शब्दकल्पद्रुमा

हिन्दूप्रंथों के ऐसे वाक्यों पर से हैं। भट्टारकजी ने अपने कथन की सृष्टि की है जो जैनियों के लिये उपादेय नहीं है।

यहाँ पर में अपने पाठकों को इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि भट्टारकर्जी ने तिलक करने का जो विधान किया है वह उसी * चंदन से किया है जो भगवान के चरणों को लगाया जावे—अर्थात्, भगवान के चरणों पर लेप किये हुए चंदन को उतार कर उससे तिलक करने की व्यवस्था की है। साथ ही, यह भी लिखा है कि 'अँगूठे से किया हुआ तिलक पृष्टि को देता है, मध्यमा अँगुली से किया हुआ यश को फैलाता है, अनामिका (किनष्टा के पास की अँगुली) से किया गया तिलक धन का देने वाला है और वही प्रदेशिनी (अँगूठे के पास की अँगुली) से किये जाने पर मुक्ति का दाता है!! × यह सब व्यवस्था भी कैसी विलक्षण है, इसे पाठक स्वयं समक

श्चंगुष्ठः पुष्टिदः प्रोक्तो यशसं मध्यमा [मध्यमायुष्करी] भवेत्। श्चनामिका थियं [अर्थदा] दद्यात् [नित्यं] मुर्क्ति दद्यात् [मुक्तिदा च] प्रदेशिनी ॥ =२॥

^{*} य**थाः**—

[&]quot; जिनांधित्रन्दनैः खस्य शरींरं लेपमाचरेत्।....... १६१॥ " ससाटे तिलकं कार्यं तेनैत्र चन्दनेन च ॥ ६३॥

[×] यथा:---

सकते हैं। इसमें और सब बातें तो हैं ही परन्तु 'मुक्ति ' इसके द्वारा अच्छी सस्ती बनादी गई हैं! मुक्ति के इच्छुकों को चाहिये कि वे इसे अच्छी तरह से नोट कर केवें!!

स्तक की विडम्बना।

(२०) जन्म-मरण के समय श्रशुचिता का कुछ सम्बंध होने से लोक में जननाशौच तथा मरणाशौच (सूतक पातक) की कल्पना की गई है, श्रीर इन दोनों को शास्त्रीय भाषा में एक नाम से 'सूतक' कहते हैं। स्त्रियों का रजस्वलाशौच भी इसी के श्रन्तर्गत है। इस सूतक के मूल में लोकव्यवहार की शुद्धि का जो तत्व श्राथवा जो उदेश्य जिस हद तक संनिहित था, भट्टारकजी के इस ग्रंथ में उसकी बहुन कुछ मिट्टी पलीद पाई जाती है। वह कितने ही श्रंशों में लच्य-भ्रष्ट होकर श्रपनी सीमा से निकल गया है—कहीं ऊपर चढा दिया गया तो कहीं नीचे गिरा दिया गया—उसकी कोई एक स्थिर तथा निदोंत्र नीति नहीं, श्रीर इससे सूतक को एक श्रच्छी खासी विडम्बना का रूप प्राप्त होगया है। इसी विडम्बना का कुछ दिग्दर्शन कराने के लिये पाठकों के सामने उसके दों चार नमूने रक्खे जाते हैं:—

(क्त) वर्णक्रम से सूतक (जननाशीच) की मर्यादा का विधान करते हुए, आठवें अध्याय में, ब्राह्मणों के लिये १०, चित्रयों के लिये १२, श्रीर वैश्यों के लिये १४ दिनकी मर्यादा बतलाई गई है। परंतु तेरहवें अध्याय में चित्रियों तथा शहरों को छोड़कर, जिनके लिये कमश: १२ तथा १५ दिन की मर्यादा दी है, औरों के लिये

यह पदा, ब्रैकिटॉ में दिथे हुए पाठ भेद के साथ, हिन्दुओं के ब्रह्मपुराण में पाया जाता है (शु० क०) और सम्भवतः वहीं से लिया गया जान पड़ता है।

१० दिनकी मर्यादा का उल्लेख किया है और इस तरह पर ब्राह्मण वैरय दोनों ही के लिये १० दिनकी मर्यादा बतलाई मई है। इसके सिनाय, एक श्लोक में वर्णों की मर्यादा-विषयक पारस्परिक अपेला (जिस्कत, Ratio) का नियम भी दिया है और उसमें बतलाया है कि जहाँ ब्राह्मणों के लिये तीन दिन का सूतक, वहाँ वैरयों के लिये चार दिन का, ज्रियों के लिये पाँच दिन का श्रीर शहरों के लिये आठ दिन का समझना चाहिये। यथा:—

प्रस्तेर्पेशमे चान्दि द्वादशे वा चतुर्दशे । स्तकाशौचशुद्धिः स्याद्धिपादीनां यथाक्रमम् ॥ ८—१०४ ॥ प्रस्तौ चैव निर्दोषं दशादं स्तकं भवेत् । सत्तक्ष्य द्वादशादं सच्छूदस्य पत्तमात्रकम् ॥ १३-४६ ॥

त्रिदिनं यत्र विश्राणां वेश्यानां स्याचतुर्दिनम् । ज्ञाधियाणां पंचदिनं श्रुद्राणां च दिनाएकम् ॥-४७॥

इन तीनों श्लोकों का कथन, एक विषय से सम्बन्ध रखते हुए भी, परश्पर में किसना विरुद्ध है इसे बतलाने की जरूरत नहीं; और यह तो स्पष्ट ही है कि तीसरे श्लोक में दिये हुए अपेन्ना-नियम का पहले दो श्लोकों में कोई पालन नहीं किया गया। उसके अनुसार

[#] इस ख़ेल का अर्थ देने के बाद सोनीजी ने जो भावार्थ दिया दे वह उनका निजी कलिएत जान पड़ता है—मूल से उसका कुछ सम्बन्ध नहीं है। मूल के अनुसार इस ख़ोक का सम्बन्ध आगे पीछे दोनों ओर के कथनों से हैं। आगे भी ६२ वें ख़ोक में जननाशीच की मर्यादा का उझेल किया गया है। उस पर भी इस ख़ोक की ब्यवस्था लगाने से वही विद्यम्बना खड़ी हो जाती है। इसी तरह ४६ वें ख़ोक के अनुवाद में जो। उन्होंने खिका है कि 'राजा के लिये सूतक नहीं' वह भी मूल से बाहर की बीज़ है!

ब्राह्मणों के लिये यदि दस दिन का सूतक था तो वैश्यों के लिये प्रायः १३ दिन का, चित्रयों के लिये १६ दिन का ख्रीर श्रद्धों के लिये २६ दिन का सूतक—विधान होना चाहिये था। परन्तु वैसा नहीं किया गया। इससे सूतक—विषयक मर्यादा की अच्छी खासी विडम्बना पाई जाती है, और वह पूर्वाचार्यों के कथन के भी विरुद्ध है, क्योंकि प्राय-श्चित्तसमुचय और छेदशास्त्रादि गन्थों में चित्रयों के लिये ५ दिन की, ब्राह्मणों के लिये १० दिन की, वैश्यों के लिये १२ दिन की और श्रद्धों के लिये १५ दिन की सूतक-व्यवस्था की गई है और छसमें जन्म तथा मरण के सूतक का कोई अलग भेद न होने से वह, आम तौर पर, दोनों के ही लिये समान जान पड़ती है। यथाः—

त्तत्रब्राह्मखिव्युद्धा दिनैः शुद्धवान्त पंचिभिः । दशद्वादशभिः पत्ताद्यथासंख्यप्रयोगतः ॥ १५३॥

-- प्रायश्चित्तस॰, चूलिका।

पण दस वारस णियमा परणरसेहि तत्थ दिवसेहि । स्वत्तियवंभणवदसा सुदाद क्रमेण सुज्मंति ॥ ८७॥

—ब्रेदशास्त्र ।

(ख) आठवें अध्याय में भट्टारकर्जी लिखते हैं कि 'पुत्र पैदा होने पर पिता को चाहिये कि वह पूजा की सामग्री तथा मंगल कलश को लेकर गाजे बाजे के साथ श्रीजिनमंदिर में जावे श्रीर वहाँ बच्चे की नाल कटने तक प्रति दिन पूजा के लिये ब्राह्मणों की योजना करे तथा दान से संपूर्ण भट्ट-भित्तुकादिकों को तृप्त करे'। श्रीर फिर तेरहवें अध्याय में यह व्यवस्था करते हैं कि 'नाल कटने तक श्रीर सबकी तो सूतक लगता है परन्तु पिता श्रीर भाई को नहीं लगता। इसीसे वे दान देते हैं श्रीर उस दान की लेने वाले श्रपवित्र नहीं होते हैं। यदि उन्हें भी उसी वक्त से सूतकी मान लिया जाय तो दान ही नहीं बन सकता'। यथा:—

[१४१]

" पुत्र जाते पिता तस्य कुर्यादाचमनं मुदा।
प्राणायामं विधायोचैराचमं पुनराचरेत्॥ ६३॥
पूजावस्तृति चादाय मंगलं कलशं तथा।
महावाद्यस्य तिघोंषं वजेद्धमंजिनालये॥ ६४॥
ततः प्रारभ्य सिद्धप्रान् जिनालये तियोजयेत्।
प्रतिदिनं स पूजार्थं यावन्नालं प्रच्छेदयेत्॥ ६४॥
दानेन तर्पयेत् सर्वान् भट्टान् भिच्छजनान् पिता।"
"जनने अप्येवमेवा अघं मात्रादीनां तु स्तकम्॥
तदाना अघं पितुर्श्वातुर्नाभिकर्तनतः पुरा॥ ६२॥
पिता दद्यात्तदा स्वर्णताम्बृलवसनादिकम्।
मश्चित्रस्तु नैव स्युर्जनास्तत्र परिग्रहे॥ ६३॥
तदात्म प्रव दानस्यानुत्यत्तिभवेद्यदि।"

पाठक जन ! देखा, सूतक की यह कैसी विडम्बना है !! घर में मल, दुर्गन्धि तथा किंधर का प्रवाह बह जाय और उसके प्रभाव से कई पीढी तक के कुटुम्बी जन भी अपवित्र हो जाँय—उन्हें सूतक का पाप लग जाय-परन्तु पिता और भाई जैसे निकट सम्बन्धी दोनों उस पाप से अञ्चते ही रहें !!! वे खुशी से पूजन की सामग्री लेकर मंदिर जा सकें और पूजनादिक धर्मकृत्यों का अनुष्ठान कर सकें परन्तु दूसरे कुटुम्बी जन नहीं !! और दो एक दिन के बाद जब यथाकांचि नाल काट दी जाय तो वह पाप फिर उन्हें भी आ पिलचे—वे भी अपित्र हो जाय तो वह पाप फिर उन्हें भी आ पिलचे—वे भी अपित्र हो जाय तो वह पाप फिर उन्हें भी आ पिलचे—वे भी अपित्र हो जाय तो वह पाप फिर उन्हें भी आ पिलचे—वे भी अपित्र हो जाय तो वह पाप फिर उन्हें भी आ पिलचे—वे भी अपित्र हो जाय तो वह पाप फिर उन्हें भी आ पिलचे—वे भी अपित्र हो जाय तो वह पाप फिर उन्हें भी आ पिलचे—वे भी अपित्र हो सकती है !!! मालूम नहीं भट्टारकजी ने जैन धर्म के कौन से गूढ तत्व के आधार पर यह सब व्यवस्था की है !! जैन सिद्धान्तों से तो ऐसी हास्यास्पद बातों का कोई समर्थन नहीं होता | इस व्यवस्था के

श्रनुसार पिता भाई के लिये सूतक की वह कोई मर्यादा भी कायम नहीं रहती जो ऊपर बतलाई गई है । युक्ति-वाद भी भट्टारकजी का बड़ा ही विजन्तगा जान पड़ता है ! समक्त में नहीं श्राता एक सूतकी मनुष्य दान क्यों नहीं कर सकता ? उसमें क्या दोष है ? और उसके द्वारा दान किय हुए द्रव्य तथा सूखे अन्नादिक से भी जनका लेने वाला कोई कैसे अप-वित्र हो जाता है ? यदि ऋपवित्र हो ही जाता है तो फिर इस कल्पना मात्र से उसका उद्धार अथवा रचा कैसे हो सकती है कि दातार दो दिन के लिये सूतकी नहीं रहा ? तब तो सूतक के बाद ही दानादिक किया जाना चाहिये। श्रीर यदि जरूरत के वक्त ऐसी करूपनाएँ कर-लेना भी जायज (विधेय) है तो फिर एक श्रावक के लिये. जिसे नित्य पूजन दान तथा खाध्यायादिक का नियम है. यही कल्पना क्यों न करली जाय कि उसे अपनी उन नित्यावश्यक क्रियाओं के करने में कोई सूतक नहीं लगता ? इस करूपना का उस करूपना के साथ मेल भी है जो व्रतियों, दीचितों तथा ब्रह्मचारियों व्यादि को पिता के मरण के सिवाय और किसी का सूतक न लगने की बाबत की गई है 🗱 । अतः भट्टारकजी का उक्त हेत्वाद कुछ भी युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता । वास्तव में उनका यह सब कथन प्राय: ब्राह्मिणक मन्तन्यों को लिये हुए है और कहीं कहीं हिन्दू धर्म से भी एक क़दम त्रागे बढ़ा हुआ जान पड़ता है + । जैन धर्म से उसका कोई खास

व्रतिनां दीचितानां च याक्षिकत्रह्मचारिणाम्। नैवाशींचं भवेत्तेषां पितुश्च मरणं विना॥ १२२॥

^{*} यथा:---

⁺ हिन्दू धर्म में नाल कटने के बाद जनम से पाँच बें छुठे दित भी पिता को दान देने तथा पूजन करने का अधिकारी बतलाया है और साथ ही यह प्रतिपादन किया है कि ब्राह्मणों को उस दान के लेने में कोई दोष नहीं। यथा:—

सम्बन्ध नहीं है और न जैनियों में, आमतौर पर, नाल का काटमा दो एक दिन के लिये रोका ही जात! है; बल्कि वह उसी दिन, जितना शीघ्र होता है, काटदी जाती है श्रीर उसकी काट देने के बाद ही दानादिक पुण्य कम किया जाता है।

(ग) तेरहवें अवस्थाय में भट्टारक जी एक व्यवस्था यह भी करते हैं कि यदि कोई पुत्र दूर देशान्तर में स्थित हो और उसे अपने पिता या माता के मरणा का समाचार मिले तो उस समाचार को सुनने के दिन से ही उसे दस दिन का सूतक (पातक) सगेगा—चाहे वह समाचार उसने कई वर्ष बाद ही क्यों न सुना हो *। यथा:—

पितरौ चेत्मृतौ स्यातां दूरस्थापि हि पुत्रकः।

श्रुत्वा तद्दिवम।रभ्य पुत्राणां दशरात्रकं [दशाहं स्तर्का भवेत्]॥७१॥

यह भी सूनक की कुछ कम विडम्बना नहीं है। उस पुत्र ने पिता का दाइ-कर्म किया नहीं, शब को स्पर्शा नहीं, शब के पीछे रमशान भूमि को वह गया नहीं और न पिता के मृत शरीर की दूषित वायु ही उस तक पहुँच सकी है परन्तु किर भी—इतने अर्से के बाद तथा हज़ारों मील की दूरी पर बैठा हुआ भी—वह अपवित्र हो जाता है और दान पूजनादिक धर्मकृत्यों के योग्य नहीं रहता !! यह कितनी हास्यास्पद व्यवस्था है इसे पाठक खयं सोच सकते हैं!!! क्या यह

मातापित्रोर्धयाशीचं दशादं कियते छुतैः।

अनेके अत्रिप इम्पत्योस्तयैय स्यात्परस्परम् ॥ ७४ ॥

[&]quot; जातकर्मेणि दाने च नालच्छेदनात्पूर्ने पितुरियकारः एवं पंचमः पष्ठदशमिदने जनमदादिपूजनेषु दाने चाधिकारः तत्र विमाणां प्रतिः प्रदेपि दोषो न।" — आशौचनिर्णय।

^{*} इसी तरह पर भापने पति पत्नी को भी एक दूसरे का मृत्यु-समाचार सुनने पर दस दिन का सूनक बतलाया है। यथाः—

भी जैन धर्म की व्यवस्था है ? छेदिपएडादि शास्त्रों में तो जला ऽनल-प्रवेशादिद्वारा मरे हुओं की तरह परदेश में मरे हुओं का भी सूतक नहीं माना है | यथा:—

वालत्तणसूरत्तणजलणादिपवेसदिक्छेहि । श्रणसणपरदेसेसु य मुदाण खलु सूनगं णात्थि ॥ ३४३ ॥ —खंदिगरड ।

लोहयसुरत्तविही जलाहपरदेसवालसएए॥से । मरिदे खणे ण सोही वदसहिदे चेव सागारे ॥ ६६ ॥

—छेद शास्त्र ।

इससे उक्त व्यवस्था को जैनधर्म की व्यवस्था बतलाना और भी आपत्ति के योग्य हो जाता है। भट्टारकजी ने इस व्यवस्था को हिन्दू धर्म से लिया हैं, और वह उसके 'मरीचि' ऋषि की व्यवस्था है *। उक्त श्लोक भी मरीचि ऋषि का वाक्य है और उसका आन्तिम चरण है 'दशाहं सूतकी भवेत'। भट्टारकजी ने इस चरण को बदल कर उसकी जगह 'पुत्राणां दशरात्रकं' बनाया है और उनका यह परिवर्तन बहुत कुछ बेढंगा जान पड़ता है, जैसा कि पहिले ('अजैन-प्रन्थों से संग्रह' प्रकरण में) बतलाया जा चुका है।

(घ) इसी तेरहवें अध्याय में भट्टारक जी एक और भी अनी खी ज्यवस्था करते हैं । अर्थात् , लिखते हैं कि 'यदि कोई अपना कुटुम्बी

देशान्तरमृतः काश्चित्सगोत्रः श्रूयते यदि । न त्रिरात्रमहोरात्रं सद्यः स्नात्वा श्रुचिर्भवेत् ॥३-१२॥

^{*} मनु श्रादि ऋषियों की व्यवस्था इससे भिन्न है श्रौर उसको जानने के लिये 'मनुस्मृति' श्रादि को देखना चाहिये। यहाँ पर एक वाक्य पराशरस्मृति का उद्धृत किया जाता है जिसमें ऐसे श्रवसर पर सद्यः श्रौच की—तुरत शुद्धि कर लेने की—व्यवस्था की गई है। यथा:—

[१४४]

जन दूर देशान्तर को नया हो, और उसका कोई समाचार पूर्कीदि श्रवस्था-क्रम से २०, १५ या १२ वर्ष तक धुनाई न पड़े तो इसके बाद उसका विधिपूर्वक प्रेतकर्म (मृतक संस्कार) करना चाहिये—सूतक (पातक) मनाना चाहिये—श्रीर श्राद्ध करके छुद्द वर्ष तक का प्रायिश्वच लेना चाहिये । यदि प्रेतकार्य हो चुकने के बाद वह आ जाय तो उसे की के घड़े तथा सर्व श्रीपिथयों के रस से नहलाना चाहिये, उसके सब संस्कार फिर से करके उसे यज्ञोपनीत देना चाहिये और यदि उसकी पूर्वपत्नी गौजूद हो तो उसके साथ उसका फिर से विवाह करना चाहिये । यथा:—

दूरदेशं मते वार्ता दूरतः श्रूयते न चत्।
विदे पूर्ववयस्कस्य यावत्स्यादष्टविंशतिः ॥ ८० ॥
तथा मध्यवयस्कस्य द्याद् द्वादश्वतत् ।
तथा अपूर्ववयस्कस्य स्याद् द्वादश्वतत् ।। ८१ ॥
आतं अर्वे प्रेतकमं कार्यं तस्य विधानतः ।
आतं इत्वा षडव्दं तु प्रायाश्चित्तं स्वशक्षितः ॥ ८२ ॥
प्रेतकार्यं कृते तस्य यदि चेत्पुनरागतः !
घृतकुम्मेन संस्नाप्य सर्वेषिधिभरप्यथ ॥ ८३ ॥
संस्कारान्सकतान् कृत्वा मौजीवन्धनमाचरेत् ।
पूर्वपत्न्या सदैवास्य विवादः कार्यं पविदे ॥ ८४ ॥

पाठकमस्त ! देखिये, इस विडम्बना का भी कुछ ठिकाना है ! किना भरे ही मरना मना लिया गया !! और उसके मनाने की भी जरुरत समकी गई !!! यह विडम्बना पूर्व की विडम्बनाओं से भी बद गई है । इस पर अधिक सिखने की जरूरत नहीं । जैन धर्म से ऐसी किना सिर पैर की विडम्बनात्मक न्यवस्थाओं का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

(क) सूतक मबाने के इतने धनी भट्टारकर्जा आगे चलकर लिखते हैं:--

[१४६]

व्याधितस्य कदर्यस्य ऋगग्रस्तस्य सर्वदा । क्रियादीनस्य मूर्धस्य स्त्रीजितस्य विशेषतः ॥११६॥ व्यसनासक्ताचित्तस्य पराधीनस्य नित्यशः। श्राद्धत्यागविद्दीनस्य षग्ढपाषग्डपापिनाम् ॥ १२०॥ पतितस्य च दुष्टस्य भस्मांतं स्तृकं भवेत् । यदि दग्धं शरीरं चेत्स्तकं तु दिनत्रयम् ॥ १२१॥

श्रशीत्-जो लोग व्याधि से पीड़ित हों, कृपण हों, हमेशा कर्ज-दार रहते हों, किया हीन हों, मूर्ख हों, सिवशेष रूप से स्त्री के वश-वर्ती हों, व्यसनासक्तिचत्त हों, सदा पराधीन रहने वाले हों, श्राद्ध न करते हों, द!न न देते हों, नपुंसक हों, पाषण्डी हों, पापी हों. पितत हों अथवा दुष्ट हों, उन सब का सूतक भस्मान्त होता है—अर्थात्, शरीर के भस्म हो जाने पर फिर सूतक नहीं रहता। सिर्फ उस मनुष्य को तीन दिन का सूतक लगता है जिसने दम्धिकया की हो।

इस कथन से सूतक का मामला कितना उलट पलट हो जाता है उसे बतलाने की जरूरत नहीं, सहृदय पाठक सहज ही में उसका अनुभव कर सकते हैं। मालूम नहीं भट्टरकर्जी का इस में क्या रहस्य था ! उनके अनुयायी सोनीजी भी उसे खोल नहीं सके और वैसे ही दूसरें। पर अश्रद्धा का आलेप करने बैठ गये!! हमारी राय में तो इस कथन से सूतक की विडम्बना और भी बढ़ जाती है और उसकी कोई एक निर्दिष्ट अथया स्पष्ट नीति नहीं रहती। लोक व्यवहार भी इस व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। वस्तुतः यह कथन भी प्रायः हिन्दू धर्म का कथन है। इसके पहले दो पद्य 'आजि? ऋषि के वचन हैं और वे 'अतिस्मृति' में कमशः नं० १०० तथा १०१ पर दर्ज हैं, सिर्फ इतना भेद है कि वहाँ दूसरे पद्य का अन्तिम चरण 'अस्मान्तं स्तुतकं भवेत्" दिया है, जिसे महारकर्जी ने अपने तीसरे पद्य का दूसरा

चरण बनाया है और उसकी जगह पर 'षरादणाषरादणापिनाम्' नाम का चरण रख दिया है!!

इसी तरह पर श्रीर भी कितने ही कथन श्रथवा विधि-विधान ऐसे पाये जाते हैं, जो सूनक-मर्यादा की नि:सार विषमतादि-विषयक विडम्बनाश्रों को लिये हुए हैं श्रीर जिन से सूनक की नीति निरापद् नहीं रहती; जैसे विवाहिता पुत्री के पिता के घर पर मर जाने श्रथवा उसके वहा बचा पैदा हीने पर सिर्फ तीन दिन के सूनक की व्यवस्था का दिया जाना ! इत्यादि । श्रीर ये सब कथन भी श्रधिकांश में हिन्दू धर्म से लिये गये श्रथवा उसकी नीति का श्रनुसरण करके लिखे गये हैं।

यहाँ पर मैं अपने पाठकों को सिर्फ इतना और बतला देना चाहता हूँ कि भट्टारक जी ने उस हालत में भी सूतक अथवा किसी प्रकार के अशीच को न मानने की व्यवस्था की है जब कि यह (पूजन हवनादिक) तथा महान्यासादि कार्यों का प्रारम्भ कर दिया गया हो और बीच में कोई सूतक आ पड़े अथवा सूतक मानने से अपने बहुत से द्वय की हानि का प्रसंग उपस्थित हो । ऐसे सब अवसरों पर फ़ौरन शुद्धि कर ली जाती है अथवा मान ली जाती है, ऐसा नहारक जी का कहना है। यथा:—

समारक्षेषु वा यद्ममहान्यासादिकमसु । बहुद्रव्यविनाशे तु सद्य:शौचं विधीयते ॥ १२४॥

परन्तु विवाह-प्रकरण के अवसर पर आप अपने इस व्यवस्था-नियम को भुना गये हैं । वहाँ विवाह-यज्ञ का होम प्रारम्भ हो जाने पर जब यह मालूम होता है कि कन्या रजस्वना है तो आप तीन दिन के नियं विवाह को ही मुनतबी (स्थिगित) कर देते हैं और चौथे दिन उसी अग्नि में फिर से होम करके कन्यादानादि शेष कार्यों को पूरा करने की व्यवस्था देते हैं ! * आपको यह भी खयाल नहीं रहा कि तीन दिन तक बारात के वहाँ और पड़े रहने पर बेटी वाले का कितना खर्च बढ जायगा और साथ ही बारातियों को भी अपनी आर्थिक हानि के साथ साथ कितना कष्ट उठाना पड़ेगा !!--यह भी तो बहु-द्रव्यविनाश का ही प्रसंग था और साथ ही यज भी प्रारम्भ हो गया था जिसका कोई ख़याल नहीं रक्खा गया--- और न आप को यही ध्यान आया कि जिस ब्रह्मसूरि-त्रिवर्णाचार से हम यह पद्य उठा कर रख रहे हैं उसमें इसके ठीक पूर्व ही ऐसे अवसरों के लिये भी सदा:शौच की व्यवस्था की है-अर्थात्, लिखा है कि उस वर तथा कन्या के लिये जिसका विवाहकार्य प्रारम्भ हो गया हो, उन लोगों के लिये जो होम श्राद्ध महादान तथा तीर्थयात्रा के कार्यों में प्रवर्त रहे हों श्रीर उन ब्रह्मचारियों के लिये जो प्रायिश्वतादि नियमों का पालन कर रहे हों. अपने श्रपने कार्यों को करते हुए किसी सूतक के उपस्थित हो जाने पर सद्यः शौच की व्यवस्था है + | अस्तु; भट्टारकजी को इस विषय का ध्यान अथवा खयाल रहा हो या न रहा हो और वे भूल गये हों या भुला गये हों परंतु

विवाहहोमे प्रकान्ते कन्या यदि रजस्ता । त्रिरात्रं दम्पती स्यातां पृथक्शच्यासनाशनौ ॥ १०६ ॥ चतुर्थेऽहिन संस्नाता तस्मित्रम्गौ यथाविधि । विवाहहोमं कुर्यासु कन्यादानादिकं तथा ॥ १०७ ॥

+ यथाः--

उपकानतिवाहस्य वरस्यापि स्त्रियस्तथा। होमश्राद्धमहादानतीर्थयात्राप्रवर्तिनाम्॥ ४-७६ ॥ प्रायश्चित्तादिनियमवर्तिनां ब्रह्मचारिणाम्। इत्येषां स्वस्कृत्येषु सद्यः शौचं निर्स्तपतम्॥ -५०॥

^{*} यथा:---

इसमें सन्देह नहीं कि प्रंथ में उनके इस त्रिधान से सूनक की मीति **और भी ज्यादा ऋरियर हो** जाती है श्रीर उससे सूतक की विडम्बना बद जाती है अथवा यों किह्ये कि उसकी गिट्टी खराव हो जाती है और कुल मूल्य नहीं रहता । साथ ही, यह मालूम होने लगता है कि बह अपनी वर्तमान स्थिति में महज काल्पानिक है; उसका मानना न मानना समय की अरूरत, लोकस्थित अथवा अपनी परिस्थिति पर **भवसन्वित है---सोक का वातावरण बदल जाने अथवा अपनी** किसी खास जरूरत के खंद हो जाने पर उसमें यथेक्छ परिवर्तन ही नहीं किया जा सकता बिहेक उसे साफ धता भी बतलाया जा सकता है; बास्तिबिक धर्म अथवा धार्मिक तत्वों के साथ उसका कोई खास सम्बंध नहीं है - उसको उस रूप में न मानते हुए भी पूजा, दान, तथा स्वा-ज्यायादिक धर्मकृत्यों का अनुष्ठान किया जा सकता है और उससे किसी श्रनिष्ट फल की सम्भावना नहीं हो सकती । चुनाँचे भरत चक्र-वर्ती ने. पुत्रोत्पाचि के कारण घर में सूतक होते हुए भी, भगवान् श्रूषभदेव को केवलज्ञान उत्पन्न होने का श्रुभ समाचार पाकर उनके समबसरगा में जाकर उनका सालात् पूजन किया था, श्रीर वह पूजन भी अकेले अथवा चुपचाप नहीं किन्तु बड़ी धूमवाम के साथ अपने आइयों. ब्रियों तथा पुरजनों को साथ लेकर किया या। उन्हें ऐसा करने से कोई पाप नहीं लगा और न उसके कारण कोई अनिष्ट ही संघटित हुन्ना । प्रत्युत इसके, शास में — भगवज्जिनसेनप्रगीत न्मादिपुरागा में - उनके इस सद्विचार तथा पुरुयोपार्जन के कार्य की प्रशंसा ही की गई है जो उन्होंने पुत्रोत्पत्ति के उत्सव को भी गौए। करके पहले भग-वान का पूजन किया । भरतजी के मस्तक में उस वक्त इस प्रकार की किसी कल्पना का बदय तक भी नहीं हुआ। कि 'प्रवासन के योग-मात्र से इम सब कुटुम्बीनन, स्तक गृह में प्रवेश न करते हुए भी,

अपवित्र हो। गये हैं --- कुछ दिन तक बलात् अपवित्र ही रहेंगे --- स्त्रीर इस लिये हमें भगत्रान् का पूजन न करना चाहिये; विल्क वे कुछ देर तक सिर्फ़ इतना ही सोचन रहे कि एक साथ उपस्थित द्वए इन कार्यों में से पहले कौनसा कार्य करना चाहिये और अन्त को उन्होंने यही निश्चय किया कि यह सब पुत्रोत्पत्ति आदि शुभ फल धर्म का ही फल है. इस लिय सन से पहिले देनपूजा रूप धर्म कार्य ही करना चाहिये जो श्रेयो-नुबन्धी (कल्याग्रकारी) तथा महाफल का दाता है । श्रीर तदन्सार ही उन्होंने, सुतकावस्था में, पहले भगवान का पूजन किया + | भरतजी यह भी जानते थे कि उनके भगवान् वीतराग हैं, परम पवित्र श्रीर पातितपावन हैं; यदि कोई शरीर से अपवित्र मनुष्य उनकी उपासना करता है तो वे उससे नाख़ुश (अप्रसन्न) नहीं होते अप्रैर न उसके शरीर की छाया पड़ जाने अथवा वायु लग जाने से अपवित्र ही हो जाते हैं; बल्कि वह मन्ष्य ही उनके पित्रत्र गुर्गों की स्मृति के योग से स्वयं पवित्र हो जाता है 🛪 । इससे भरतजी को अपनी सूतकावस्था की कुछ चिंता भी नहीं थी।

मालूम होता है ऐसे ही कुछ कारणों से जैन धर्म में सूतकाचरण को कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया। उसका श्रावकों की उन ५३ कियाओं में नाम तक भी नहीं है जिनका श्रादिपुराण में विस्तार के साथ वर्णन किया गया है श्रीर जिन्हें 'सम्यक् कियाएँ' जिखा है,

⁺ देखो उक्त म्रादिपुराण का २४ वाँ पर्व।

^{*} नित्य की 'देवपूजा' में भी ऐसा ही भाव व्यक्त किया गया है श्रीर उस श्रपवित्र मनुष्य को तब बाह्याभ्यन्तर दोनों प्रकार से पवित्र माना है। यथा:—

श्रपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा । यः स्मरेत्प्रसातमानं स बाह्याभ्यन्तरे ग्रुचिः ॥

बल्कि भगविजनसेन न ' आधानादिश्मशानान्त ' नाम से प्रसिद्ध होने वाली दूसरे लोगों की उन विभिन्न कियात्र्यों की जिनमें ' सूतक ' भी शामिल हैं ' मिथ्या ऋियाएँ ' बतलाया है × 1 इससे जैनियों के लिय सुनक का कितना महत्व है यह और भी स्पष्ट हो जाता है । इसके सिवाय, प्राचीन साहित्य का जहाँ तक भी अन्-शीलन किया जाता है उससे यही पता चलता है कि बहुत प्राचीन समय अयव। जैनियों के अध्युदय काल में सूतक को कभी इतनी महत्ता प्राप्त नहीं थी और न वह ऐसी विडम्बना को ही लिये हुए था जैसी कि भट्टारक नी के इस प्रंथ में पाई जाती है। भट्टारकजी ने किसी देश, काल अथवा सम्प्रदाय में प्रचलित सुनक के नियमों का जो यह बेढंगा संप्रह करके उसे शास्त्र का रूप दिया है और सब जैनियों पर उसके अनुकूल आचरगा की जिम्मेदारी का भार लादा है वह किसी तरह पर भी समुचित प्रतीत नहीं होता। जैनियों को इस विषय में अपनी बुद्धि से काम लेना चाहियं श्रीर केवल प्रवाह में नहीं बहना चाहिये--उन्हें, जैनदृष्टि से सूतक के तत्व को सममते हुए, उसके किसी नियम उपनियम का पालन उस इद तक ही करना चाहिये जहाँ तक कि लोक-व्यवहार में ग्लानि मेटने अथवा शुचिता असम्पादन करने के साय उसका सम्बंध है और अपने सिद्धान्तों तथा वताचरण में कोई

[×] देखो इसी परीक्षा लेख का 'प्रतिक्षादिविरोध' नाम का प्रकरका।

यह श्रुचिता प्रायः मोजनपान की श्रुचिता है अथवा भोजनपान की शुद्धि को सिद्ध करना ही स्नक-पातक-सम्बन्धी वर्जन
का मुख्य उद्देश्य है, पेसा लाटीसंहिता के निम्न वास्य से घ्वानित
होता है:—

स्तकं पातकं चापि यथोक्तं जैनशासने । एषणाश्चित्तिद्वयर्थं वर्जयेच्छ्रवकाप्रणीः ॥ ४-२४६ ॥

बाधा नहीं त्र्याती । बहुधा परस्पर के खान पान तथा बिरादरी के लेन देन तक ही उसे सीमित रखना चाहिये । धर्म पर उसका आतंक न जमना चाहिये, किन्तु ऐसे अवसरों पर, भरतजी की तरह, अपने योग्य धर्माचरण को बराबर करते रहना चाहिये । और यदि कहीं का बाता-वरण, अज्ञान अथवा संसर्गदोष से या ऐसे प्रंथों के उपदेश से दुित हो रहा हो स्तृतक पातक की पद्धति बिगई। हुई हो तो उसे युक्ति पूर्वक सुधारने का यत्न करना चाहिये ।

तेरहवें ऋध्याय में मृतकसंस्कारादि-विषयक और भी कितना ही कथन ऐसा है जो दूसरों से उवार लेकर रक्खा गया है और जैनद्धि से उचित प्रतीत नहीं होता । वह सब भी मान्य किये जाने के योग्य नहीं है। यहाँ पर विस्तारभय से उसके विचार को छोड़ा जाता है ।

में समभता हूँ प्रंथ पर से सूतक की विडम्बना का दिग्दर्शन कराने के लिये उसका इतना ही परिचय तथ्का विवेचन काफी है। सहदय पाठक इस पर से बहुत कुछ अनुभव कर सकते हैं।

पिष्पलादि-पूजन।

(२१) नववें अध्याय में, यज्ञापवीत संस्कार का वर्णन करते हुए, महारक जो ने पीपज वृद्ध के पूजने का भी विधान किया है। आपके इस विधानानुसार 'संस्कार से चौथे दिन पीपल पूजने के लिये जाना चाहिय; पीपल का वह वृद्ध पवित्र स्थान में खड़ा हो, ऊँचा हो, छेददाहादि से रहित हो तथा मनोज्ञ हो; और उसकी पूजा इस तरह पर की जाय कि उसके स्वान्ध देश को दर्भ तथा पुष्पादिक की मालाओं और हलदी में रॅंगे हुए सूत के धागों से अलंकृत किया जाय—लपेटा अथवा सजाया जाय—, मूल को जल से सींचा जाय और वृद्ध के पूर्व की ओर एक चन्तरे पर अप्रिकुंड बनाकर उसमें नी नी समिधाओं तथा घृतादिक से होम किया जाय; इसके बाद उस वृद्ध से, जिसे सर्व मंगलों का हेतु बतलाया है,

[१५३]

यह प्रार्थना की जाय । क हे पिणल वृद्ध ! मुफे, आपकी तरह पितत्रता, यद्भयोग्यता और बोधित्यादिगुणों की प्राप्ति होते और आप मेरे जैसे चिन्हों के (मनुष्याकार के) धारक होतें; प्रार्थना के अनंतर उस वृद्ध तथा आग्नि की तीन प्रदिक्षणाएँ देकर खुशी खुशी अपने घर को जाना चाहिये और वहीं, मोजन के पश्चात् सबको संतुष्ट करके, रहना चाहिये । साथ ही, उस संस्कारित व्यक्ति को पीपल पूजने की यह किया हर महीने इसी तरह पर होमादिक के साथ करते रहना चाहिये और खासकर आवण के महीने में तो उसका किया जाना बहुत ही आवश्यक हैं । यथा:—

चतुर्थवासरे चापि संस्नातः पितृसंनिधी । संज्ञिप्तद्वामिष्रजादि कर्म कुर्याद्यथोचितम् ॥ ४४ ॥ शुचिस्थानस्थितं तुङ्गं खेददाहादिवर्जितम्। मने। इं पृजितुं गच्छेत्सुयुक्त्याऽश्वत्यभूरुद्दम् ॥४६॥ दर्भपुष्पादिमालाभिर्दरिद्वाकसुतन्त्रभिः। स्कन्धदेशमलंकृत्य मूलं जलैश्च सिंचयेत् ॥४०॥ बृत्तस्य पूर्वदिग्भागे स्थिएडलस्थाप्रिमंडले। नव नव समिद्धिश्च होमं कुर्याद घृतादिकै: ॥ ४८ ॥ पुतत्वयञ्जयोग्यत्वबोधित्वाद्या भवन्तु म । रवद्वद्वोधिद्म त्वं च मद्वश्चिन्द्वधरा भव ॥४६॥ तं बुद्धमिति संप्रार्थं सर्वमंगलदेतुकम्। बृत्तं वर्न्दि त्रि:परीत्य तते। गच्छेद् गृदं मुदा ॥४०॥ एवं कृते न मिथ्यात्वं लौकिकाचारवर्तनात्। भोजनानन्तरं सर्वान्संतोष्य निवसेद् गृहे ॥४१॥ प्रतिमासं क्रियां कुर्याद्वोमपूजापुरस्सरम् । भावषे तु विशेषेष सा कियाऽऽवश्यकी मता ॥४२॥

[१५४]

पीपल की यह पूजा जैनमत-सम्मत नहीं है। जैनदृष्टि से पीपल न कोई देवता है, न कोई दूसरी पूज्य वस्तु, और न उसके पूजन से किसी पुण्य फल अथवा शुभफल की प्राप्ति ही होती है; उसमें पविद्यता, पूजन-पान्नता (यज्ञयोग्यता) और विज्ञता (बोधित्व) आदि के वे विशिष्ट गुण भी नहीं हैं जिनकी उससे प्रार्थना की गई है। इसके सिवाय, जगह जगह जैन शास्तों में पिप्पलादि वृद्धों के पूजन का निषेध किया गया है और उसे देवसूदना अथवा लोकसूदता बतलाया है; जैसा कि नीचे के कुछ अवतरणों से प्रकट हैं:—

मुसलं देहली चुल्ली पिष्पलश्चम्पकोजलम् । देवायैरभिधीयन्ते वर्ज्यन्ते तै: परेऽत्र के ॥४---६८॥

—म्रमितगति उपासकाचार।

पृथ्वी उवलनं तोयं देहलीं पिष्पलिदिकान् । देवतात्वेन मन्यन्ते ये ते चिन्त्या विपश्चितः ॥१-४४॥

—सिद्धान्तसार।

र्त्तेत्रपातः शिवो नागो वृत्ताश्च पिष्पतादयः।
यत्रार्च्यन्ते शंठैरेते देवमूढः स उच्यते ॥
--सारचतुर्विशतिका।

...तरुस्तूपाग्र भक्तःनां चन्दनं भृगुसंश्रयः।...

... एवमादिविमूढानां श्चेयं मूढमनेकथा ॥

-यशस्तिलक।

... वृक्षपूजादीनि पुरायकारणानि भवन्तीति यहदन्ति तल्लोकमूढत्वं विश्वेयं।

—द्रव्यसंग्रहरीका ब्रह्मदेवकृता ।

...चटवृत्तादिपूजनम् । लोकमृढं प्रचक्यते ॥ —धर्मोपदेशपीयूपवर्षश्रावकाचार ।

इससे महारक जी की उक्त पिणलपूजा देवमूढता या लोकमूढता में परिगागित होती है। उन्होंने हिन्दुओं के विश्वासानुसार पापल को यदि देवता समम्ब कर उसकी पूजा की यह व्यवस्था की है तो वह देवमूढता है भीर यदि लोगों की देखादेखी पुरयफ्त समक्र कर या उससे किसी दूसरे अनोखे फल की आशा रखकर ऐसा किया है तो वह लोकमूढता है; श्रयवा इसे दोनों ही सममना चाहिये। परन्तु कुछ भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि उनकी यह पूजन-ज्यवस्था मिध्यात्व को । लिये हुए है भौर अच्छी खासी मिथ्यात्व की पोषक है। भट्टारकजी को भी अपनी इस पूजा पर प्रकट मिध्यात्व के आल्प का खयाल आया है। परन्तु चूँ कि उन्हें अपने प्रंथ में इसका विधान करना या इसिलये उन्होंने लिख दिया—' एवं कृते न मिध्यात्वं '—ऐसा करने से कोई मिध्यात्व नहीं होता । क्यों नहीं होता ? ' लौकिकाचारवर्तनात् '—इस बिये कि यह तो लोकाचार का वर्तना है ! अर्थात् सोगों की देखा देखी जो काम किया जाय उसमें मिध्यात्व का दोष महीं जगता! भट्टारकजी का यह हेतु भी बड़ा है। विबद्धा तथा उनके श्रद्भुत पारिडल का बोतक है !! उनके इस हेतु के श्रनुसार सोगों की देखादेखी यदि कुदेवों का पूजन किया जाय, उन्हें पशुर्यों की बिक चढ़ाई जाय, साँकी-होई तथा पीरें। की कर्ने पूनी जायँ, नदी समुद्रादिक की वन्दना-भक्ति के साथ उनमें स्नान से धर्म माना जाय, प्रहर्ण के समय स्नान का विशेष माहात्म्य समका जाय श्रीर हिंसा के श्राचरण तथा मद्ममांसादि के सेवन में कोई दोष न माना जाय श्रयवा यों कहिये कि अतत्व को तत्व समक्ष कर प्रवर्ता जाय तो इसमें भी कोई मिथ्यात्व नहीं होगा !! तब मिथ्यात्व अथवा मिथ्याचार रहेगा क्या, यह कुछ समक में नहीं भाता !!! सोमदेवसृति तो, 'यशन्तिलक ' में म्दताओं का वर्शन करते हुए, साफ लिखते हैं कि 'इन मृचादिकों का पूजन चाहे घर के लिये किया जाय, चाहे लोका-चार की दृष्टि से किया जाय और चाहे किसी के अनु-रोध से किया जाय, वह सब सम्यग्दर्शन की हानि करने वाला है—-अथवा यों किहिये कि मिध्याल को बढ़ाने वाला है'। यथा:-

> वराथं लोकवार्तार्थमुपरोधार्थमेव वा। उपासनमर्माषां स्यात्सम्यग्दर्शनहानये॥

पंचाध्यायी में भी लौकिक सुखसम्पत्ति के लिये कुदेवाराधन को 'लोकम्द्रता' बतलाते हुए, उसे 'मिथ्या लोकाचार' बतलाया है श्रीर इसीलिये त्याज्य ठहराया है—यह नहीं कहा कि लौकिका-चार होने की वजह से वह मिथ्यात्व ही नहीं रहा। यथा:—

कुदेवाराधनं कुर्यादै।हिकश्रेयसे कुर्धाः । मृषालोकोपचारत्वादश्रेया लोकमूढता॥

इससे यह स्पष्ट है कि कोई मिथ्याकिया महज लोक में प्रचलित अथवा लोकाचार होने की वजह से मिथ्यात्व की कोटि से नहीं निकल जाती और न सम्यक्किया ही कहला सकती है। जैनियों के द्वारा, वास्तव में, लौकिक विधि अथवा लोकाचार वहीं तक मान्य किये जाने के योग्य हो सकता है जहाँ तक कि उससे उनके सम्यक्त्व में बाधा न आती हो और न व्रतों में ही कोई दूषण जगता हो; जैसा कि सोमदेवस्रि के निम्न वाक्य से भी प्रकट है:—

> सर्व एव हि जैनानां प्रमाणं लौकिको विधि: । यत्र सम्यक्त्वहानिने यत्र न व्रतदूषण्म् ॥

> > --यशस्तिलक॥

ऐसी हालत में भट्टारकजी का उक्त हेतुवाद किसी तरह भी युक्ति-युक्त प्रतीत नहीं होता श्रीर न सम्पूर्ण लोकाचार ही, बिना किसी विशेषता के, महज लोकाचार होने की वजह से मान्य किये जाने के योग्य ठहरता

[१५७]

है। श्रीपद्मनिद् श्राचार्य ने भी श्रपने श्रावकाचार में उन सब कमों से दूर रहने का श्रयवा उनके त्याग का उपदेश दिया है जिनसे सम्यग्दर्शन मैला तथा व्रत खंडित होता हो । यथा:—

> तं देशं तं नरं तत्स्वं तत्कर्माणि च नाश्रयेत्। मालिनं दर्शनं येन येन च व्रतखरडनम् ॥ २६ ॥

कोक में, हिन्दूधर्म के अनुसार, पीपल को विष्णु भगवान का रूप माना जाता है। विष्णु भगवान ने किसी तरह पर पीपल की मूर्ति धारण की है, वे पीपल के रूप में भूतल पर अवतरित हुए हैं, और उनके आश्रय में सब देव आकर रहे हैं; इसिलिये जो पीपल की पूजा करता है वह विष्णु भगवान की पूजा करता है, इतना ही नहीं, किन्तु सर्व देवों की पूजा करता है—ऐसा हिन्दुओं के पाद्मात्तरखण्डादि कितन ही प्रंथों में विस्तार के साथ विधान पाया जाता है। इसीसे उनके यहाँ पीपल के पूजने का बड़ा माहात्म्य है और उसका सर्व पापों का नाश करने आदि रूप से बहुत कुछ फल वर्णन किया गया है अ। और यही

^{*}इस विषय के कुछ धोड़े से वाक्य नमूने के तौर पर इस प्रकार हैं:-

[&]quot; प्रश्वत्य रूपो भगवान् विष्णुरेव न संशयः।"

[&]quot; अश्वत्थपूजको यस्तु स एव इरिपूजक:।
अश्वत्थमूर्तिर्भगवान्स्वयमेव यतो द्विज ॥"

[&]quot; बदाम्यश्वत्थमाहातम्यं सर्वपापप्रणाशनम् । साद्यादेव स्वयं विष्णुरश्वत्थोऽस्निस्रविश्वराद्॥"

[&]quot; अश्वत्यपूजितो येन पूजिताः सर्वदेवताः । अश्वत्यच्छेदितो येन छेदिताः सर्व देवताः॥"

[&]quot; श्रास्तरयं सचयेद्विद्धान्संप्रदिश्चिणमादिशेत् । पापोपद्दतमर्त्यानां पापनाशो अवद् ध्रुवम् k"

[—]शञ्दकल्पद्वम ।

[१४८]

वनह है जो वे पीपल में पानित्रता, यक्षयोग्यता झौर वोधित्वादि गुर्णों की कल्पना किये हुए हैं | पीपल में पूत्रत्व गुर्ण अथवा पवित्रता के हेतु का उल्लेख करने वाला उनका एक वाक्य नमूने के तौर पर इस प्रकार है: -

द्मश्वतथः ! यस्मास्वीय वृत्तराजः ! नारायणस्तिष्ठति सर्वकारणम् । द्यतः ग्रुचिस्त्वं सततं तक्रणाम् विशेषते।ऽरिष्टविनाशनोऽसि ॥

इस वाक्य में पीपल की सम्बोधन करके कहा गया है कि 'हे वृद्धराज ! चूँकि सब का कारण न!रायण (विष्णु भगवान) तुम्होर में तिष्ठता है, इसिलिये तुम सिवशेष रूप से पवित्र हो श्रीर अरिष्ठ का नाश करने वाले हो '।

ऐसी हालत में, अपने सिद्धान्तों के विरुद्ध, दूसरे लोगों की देखा-देखी पीपल पूजने अथवा इस रूप में लोकानुवर्तन करने से सम्यग्दर्शन मैला होता है—सम्यवस्य में बाधा आती है—यह बहुत कुळ स्पष्ट है। खेद है भट्टारकजी, जैन दृष्टि से, यह नहीं बतला सके कि पीपल में किस सम्बन्ध से पूज्यपना है अथवा किस आधार पर उसमें बोधित्य तथा पूतत्वादि गुणों की कल्पना बन सकती है! अ प्रत्यक्त में वह

—जयसिंहकल्पद्धम ।

× भट्टारकजी के कथन को ब्रह्मवाक्य समक्षते वाले सोनीजी भी, अपने अनुवाद में डेढ़ पेज का लग्ना भावार्थ लगाने पर भी, इस विषय को स्पष्ट नहीं कर सके और न भट्टारकजी के हेतु को ही निर्दोष

[&]quot;(श्रथर्वण उवाच) पुरा ब्रह्मादयो देवाः सर्वे विष्णुं समाश्चिताः । प्रच्छन्नं देवदेवेशं राज्ञसैः पीडिताः स्वयम् । कथं पीडोगशमनमस्माकं ब्र्हि मे प्रभो ॥ "(श्रीविष्णुरुवाच) श्रहमश्वत्थरूपेण संभवामि च भूतते । तस्मात्सर्वप्रयत्नेन कुरुष्वं तरुसेवनम् ॥ चनेन सर्वभद्राणि भविष्यन्ति न संशयः ।

जड़ भाव को लिये हुए है और उसके फलों तथा लाख में असंख्याते त्रस जीवों के मृत कलेवर शामिल रहने से अच्छी खासी अपवित्रता से

सिद्ध कर सके हैं! उन्होंने यह तो स्वीकार किया है कि आगम में वृत्त पूजा की बुरा तथा लोकमृदता बतलाया है और उसके अनु सार इस पीपल पूजा का लोकमूढता में अन्तर्भाव होना चाहिये। परन्तु प्रनथकार भट्टारकजी ने चूँकि यह लिख दिया है कि ' ऐसा करने में मिथ्यात्व का दोष नहीं लगता' इससे आपकी बृद्धि चकरा गई है और आप उसमें किसी रहस्य की कलाना करने में प्रवृत्त हुए हैं--यह कहने लगे हैं कि "इसमें कुछ थोड़ासा रहस्य है"। लेकिन वह रहस्य क्या है, उसे बहुत कुछ प्रयत्न करने श्रथवा इधर उधर की बहुत सी निरर्थक बातें बनाने पर भी आप खोल नहीं सके और अन्त में आपको अनिश्चित रूप से यही लिखना पहा-"संभव है कि श्चिस तरह चेत्र को निभित्त लेकर ज्ञान का चयापशम हो जाता है वैसे ही ऐसा करने से भी जान का चयापशम हो जाय "..."संभव है कि उस बुच के निमित्त से भी आतमा पर पेसा असर पड़ जाय क्रिस्से उसकी भारमा में विकक्षणता भाजाय।" इससे सोनीजी की जैनघर्म-विषयक अद्धा का भी कितना ही पता चन्नजाता है। अस्तु; आपकी सबसे बड़ी युक्ति इस विषय में यह मालूम होती है कि जिस तरह वर की इच्छा से गंगादिक मदियों में स्नान करना क्षोकमूड़ता होते हुए भी वैसे ही-विना उस इच्छा के-महज़ ग्ररीर की महाग्रद्ध के क्षिये धनमें स्नान करना को कम्द्रता नहीं है, उसी तरह यहो। वर्वात की विशेष विशेष में बोधि (बान) की इच्छा से बोधि (वीपस) बद्धकी पूजा करने में भी सोकमुद्रता अथव। मिध्यात्व का बीच न होना चाहिये। यद्यपि आपके इस युक्ति-विधान में बर की इच्छा होनों जगह समान है और इस किये उस बोधि बर की इच्छा स्रो भी घिरा हुआ है। साथ ही, जैनागम में उसे वैसी कोई प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है। अतः उसमें पूतत्व आदि गुणों की कल्पना करना, उससे उन गुणों की प्रार्थना करना और हिन्दुओं की तरह से उसकी पूजा

धीपल का पूजना लोक मूढ़ता की कोटि से नहीं निकल सकता; फिर भी में यहाँ पर इतना श्रीर बतला देना चाहता हूँ कि गंगादिक नदियों के जिस स्नान की यहाँ तुलना की गई है वह संगत माल्म नहीं होता: क्योंकि महज़ शारीरिक मलशाद्धि के लिये जो गंगादिक में स्तान करता है वह उन निद्यों का पूजन करना नहीं है स्रोर यहाँ स्पष्ट रूप से 'पूजितुं गच्छेत्' श्रादि पदों के द्वारा पीपल की पूजा का विवान किया गया है आर उसकी तीन प्रदक्षिण देना तथा उससे प्रार्थना करना तक लिखा है —यह नहीं लिखा कि पीपल की छाया में बैठना श्रच्छा है, श्रथवा उसके नीचे बैठकर श्रमुक कार्थ करना चाहिये, इत्यादि । श्रोर इसलिये निदयों की पूजा-वन्दनाि करना जिस तरह भिथ्यात्व है उसी तरह पूज्य बुद्धि को लेकर पीपल की यह उपासना करना भी मिध्यात्व है। हाँ, एक दूसरी जगह (१० वें श्रध्याय में), लोकमृद्धा का वर्धन करते हुए सोनीजी लिखते हैं—" सर्वसाधारण श्राप्ति, वृत्त, पर्वत श्रादि पूज्य क्यों नहीं श्रीर विशेष विशेष कोई कोई पुज्य क्यों हैं ! इसका उत्तर यह है कि जिनसे जिन भगवान का सम्बन्ध है वे पूज्य हैं; श्रन्य नहीं।" परन्तु पीपल की बाबत आपने यह भी नहीं बतलाया कि उससे जिन भग-वान का क्या खास सम्बन्ध है, जिससे हिन्दुश्रों की तरह उसकी कुछ पूजा बन सकती; बार्टक वहाँ 'बोिधि' का अर्थ 'बड़' करके आपने अपने पूर्व कथन के विरुद्ध यक्षीपवीत संस्कार के समय े पीपल की जगह बड़ वृत्त की पूजाका विधान करितया है! और यह अ। पके अनुवाद की और भी वितक्क खता है!!

करना यह सब हिन्दू धर्म का अनुकरण है, जिसे भट्टारक जी नं लोका नुवर्तन के निः सत्व पर्दे के नीचे छिपाना चाहा है। महज लोका नुवर्तन के आधार पर ऐसे प्रकट मिथ्यात्व को अभिध्यात्व कह देना, निः सन्देह, बड़े ही दुः साहस का कार्य है! और वह इन भट्टा-रक जैसे व्यक्तियों से ही बन सकता है जिन्हें धर्म के मर्म की कुछ भी खबर नहीं अथवा धर्म की आड़ में जो कुछ दूसरा ही प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं।

इसी तरह पर भट्टारकजी ने, एक दूसरे स्थान पर, 'आक्र' वृक्त के पूजने का भी विधान किया है, जिसके विधिवाक्य का उल्लेख अभी आगे 'अर्कविवाह' की आलोचना करते हुए किया जायगा।

वैधव्य-योग और श्रर्क-विवाह।

(२२) ग्यारहवें अध्याय में, पुरुषों के तीसरे विवाह का विधान करते हुए, भट्टारकजी लिखते हैं कि 'अर्क (आक) वृद्ध के साथ विवाह न करके यदि तीसरा विवाह किया जाता है तो वह तृतीय विवाह न करके यदि तीसरा विवाह किया जाता है तो वह तृतीय विवाह को विधवा हो जाती है । अतः विचद्ध्या पुरुषों को चाहिये कि वे तीसरे विवाह से पहले अर्क-विवाह किया करें । उसके लिये उन्हें अर्क वृद्ध के पास जाना चाहिय, वहाँ जाकर खिस्त-वाचनादि कृत्य करना चाहिये, अर्क वृद्ध की पूजा करनी चाहिये. उससे अप्रार्थना करनी चाहिये, और फिर उसके साथ विवाह करना चाहिये । यथाः—

^{# &#}x27;सूर्य सम्प्राध्ये' वाक्य में 'स्यं' ग्रव्द मर्क वृत्त का वाखक भौर उसका पर्याय नाम है; उसी वृत्त से पूजा के भनन्तर प्रार्थना का उन्नेस्न है। सोनीजी ने भपने भनुवाद में सूर्य से प्रार्थना करने की जो बात लिसी है वह उनकी कथनशैली से सूर्य देवता से प्रार्थना को स्चित करती है भौर इसलिये ठीक नहीं है।

‡ श्रक्तत्वा उर्कविवाहं तु तृतीयां यदि चोह्रहेत्। विधवासा भवेत्कन्या तस्मात्कार्थं विचत्तणा (णैः) ॥२०४॥ श्रकंसिक्षिमागत्य कुर्यात्स्वस्त्यादिवाचनाम्। श्रकंस्याराधनां कृत्वा सूर्यं सम्प्रार्थ्यं चोद्वहेत्॥२०४॥

भहारकजी का यह सब कथन भी जैनशासन के विरुद्ध है। श्रीर उनका उक्त वैधव्ययोग जैन-तावज्ञान के विरुद्ध ही नहीं किन्तु प्रत्यन्त के भी विरुद्ध है—प्रत्यन्त में सैंकड़ों उदाहरण ऐसे उपस्थित किये जा सकते हैं जिनमें तीसरे विवाह से पहले श्रकंविवाह नहीं किया गया, श्रीर फिर भी वैधव्य-योग संघटित नहीं हुआ। साथ ही, ऐसे उदाहरणों की भी कभी नहीं है जिनमें श्रकंविवाह किये जान पर भी श्री विधवा हो गई है श्रीर वह श्रकंविवाह उसके वैधव्ययोग का टाल नहीं सका। ऐसी हालत में यह कोई लाजिमी नियम नहीं ठहरता कि श्रकंविवाह न किये जाने पर कोई श्री ख़्वाहमख्वाह भी विधवा हो जाती है श्रीर किये जाने पर कोई श्री ख़्वाहमख्वाह भी विधवा हो जाती है श्रीर किये जाने पर उसका वैधव्ययोग भी टल जाता है। तब भट्टारकजी का उक्त विधान कोरा वहम, श्रम श्रीर लोक—मूढता की शिन्ता के सिवाय श्रीर कुछ भी मालूम नहीं होता ।

[‡] इस पद्य के अनुवाद में सोनीजी ने पहली खी को 'धर्मपत्नी' श्रीर दूसरी को 'भोगपत्नी' बतलाकर जो यह लिखा है कि "इन दो खियों के होते हुए तीसरा विवाह न करें" वह सब उनकी निजी करपना जान पड़ता है। मूल पद्य के श्राशय के साथ उसका कुछ सम्बन्ध नहीं है। मूल से यह लाज़िमी नहीं श्राता कि वह दो खियों के मीजूद होते हुए ही तीसरे विवाह की व्यवस्था बतलाता है; बंदिक अधिकांश में, अपने पूर्वपद्य सम्बन्ध से, दो स्त्रियों के मरजाने पर तीसरी खीको विवाह की व्यवस्था करता हुआ मालूम होता है। **इसी तरह का हाल महारकजी के उस कुसरे वैश्वस्थ योग का

[१६३]

हिन्दुओं के यहाँ अर्कविवाह का विस्तार के साथ विधान पाया जाता है, उनके कितने ही अप्रवियों की यह धारणा है कि मनुष्य की तीसरी की मानुषी न होनी चाहिये, यदि मानुषी होगी तो वह विधवा हो जायगी, इससे तीसरे विवाह से पहले उन्होंने अर्कविवाह की योजना की है—अर्क हुन्न के पास जाकर स्वित्तवाचनादि कृत्य करने, अर्क की पूजा करने, अर्क से प्रार्थना करने और फिर अर्क-कन्या के साथ विवाह करने आदि की सम्पूर्ण व्यवस्था बतलाई है। इस विपय का कथन हिन्दुओं के कितने ही प्रन्थों में पाया जाता है। 'नवरत्न-विवाहपद्दित' में भी आठ पृष्ठों में उसका कुछ संग्रह किया गया है। उसी पर से यहाँ कुछ वाक्य नम्ने के तौर पर उद्धृत किये जाते हैं:—

"उद्घेद्दातिसिद्धवर्धं तृतीयां न कदाचन ।
मोहाद्द्वानतो वापि यदि गच्छेन्तु मानुषीम् ॥
नश्यत्येव न संदेहो गर्मस्य बचनं यथा ।
"तृतीयां यदि चोद्वाहेचिहि सा विधवा भवेत् ॥
चतुर्थ्यादि विवाहार्थं तृतीयेऽकं समुद्रहेत् ।"
"तृतीये कीविवाहे तु संप्राप्ते पुरुषस्य तु ॥
मार्कं विवाहं वच्यामि ग्रीनकोऽहं विधानतः ।
मर्कसिशिधमागत्य तत्र स्वस्त्यादि वाचयेत् ॥

भी है जिसका विधान उन्होंने इसी अध्याय के निम्न पय में किया है:इते वान्त्रिक सम्बन्धे वक्षान्मृत्युक्ष गें।विद्याम् ।
तदा न भंवसं कार्व नारीवैक्ष्य्यदं ध्रुवम् ॥ १८४ ॥
इस पय में वह वतकावा पया है कि वाक्सम्बन्ध (सगाई) के प्रधाव विद्यासम्बन्ध कोई सम्मन्त्री (कुटम्बी) मर आय तो फिर वह विवादकम्बन्ध वहीं कृष्या वादिये । यदि किया आयगा हो। वह की निक्षय से विश्वका हो बाजबी !!

[१६४]

नान्दीश्राद्धं प्रकुर्नीत स्थिगिडलं च प्रकल्पयेत्। श्चर्कमभ्यच्यं सौर्यां च गंधपुष्पात्ततादिभिः॥'' (प्रार्थना) " नमस्ते मंगले देवि नमः सवितुरात्मजे। श्चाहि मां रूपया देवि पत्नी त्वं मे इहागता॥ श्चर्क त्वं ब्रह्मणा सृष्टः सर्वप्राणिहिताय च। वृत्ताणां श्चादिभूतस्त्वं देवानां प्रीतिवर्धनः॥ तृतीयोद्घाहजं पापं मृत्युं चाशु विनाशयेत्। ततश्च कन्यावरणं त्रिपुरुषं कुलमुद्धरेत्॥"

हिन्दू ग्रन्थों के ऐसे वाक्यों पर से ही भट्टारकर्जा ने वैधव्य-योग श्रीर श्रकीविवाह की उक्त व्यवस्था अपने ग्रन्थों में की है । परन्तु खेद हैं कि आपने उसे भी श्रावक धर्म की व्यवस्था जिखा है और इस तरह पर अपने पाठकों को धोखा दिया है !!

संकीर्ण हृदयोद्गार ।

(२३) यह त्रिवर्णाचार, यद्यपि, हृदय के संकीर्ण उद्गारों से बहुत कुळ भरा हुआ है और मेरी इच्छा भी थी कि मैं इस शीर्षक के नीचे उनका कुछ विशेष दिग्दर्शन कराता परन्तु लेख बहुत बढ़ गया है, इससे सिर्फ दो नमूनों पर ही यहाँ सन्तोष किया जाता है । इन्हीं पर से पाठकों को यह मालूम हो सकेगा कि भट्टारकजी की हृदय— संकीर्णता किस हृद तक बढ़ी हुई थी और वे जैनसमाज को जैनधर्म की उदार नीति के विरुद्ध किस और ले जाना चाहते थे:—

(क) श्रन्त्यज्ञैः स्निनताः कूपा वापी पुष्करिणी सरः। तेषां जलं न तु ग्राह्यं स्नानपानाय च कचित्॥ ३-४६॥

इस पद्य में कहा गया है कि 'जो कुएँ, बावड़ी, पुष्करिग्री श्रीर तालाब श्रन्त्यजों के—शुद्रों श्रथवा चमारों श्रादि के—खोदे हुए हों उनका जल न तो कभी पीना चाहिये श्रीर न स्नान के लिये ही प्रहृग्य करना चाहिये'।

भट्टारकजी का यह उद्गार बड़ा ही विलक्ष्मा तथा हद दर्जे का संकीर्ण है और इससे शुद्धों के प्रति असीम घ्रणा तथा देव का भाव ब्यक्त होता है | इसमें यह नहीं कहा गया कि जिन कूप बावड़ी अहि के जल को अन्त्यजों ने किसी तरह पर छुआ हो उन्हीं का जल स्नान-पान के अयोग्य हो जाता है बल्कि यह स्पष्ट घोषणा की गई है कि जिन कृप बावड़ी आदि को अन्त्यजों ने खोदा हो-- भले ही उनके वर्तमान जल को उन्हें।ने कभी स्पर्श भी न किया हो--उन सब का हमेशा के लिये झानपान के अयोग्य होता है ! और इस लिये यदि यह कहा जाय तो वह नाकाफी होगा कि 'मट्टारकजी ने अपने इस वाक्य के द्वारा अपन्यज मनुध्यों को जलचर चीवों तथा जल को छूने पाने वाले दूसरे तिथैंचों से ही नहीं किन्तु उस मल, गंदगी तथा कूड़े कर्कट से भी बुरा श्रीर गया बीता समका है जो कुत्रों, बावाइयों तथा तालाबों में बहकर या उड़कर चला जाता है ऋपवा अनेक त्रस जीवों के मरने-जीन-गलने-सड़ने आदि के कारण भीतर है। भीतर पैदा होता रहता है श्रीर जिसकी वजह से उनका जल स्नान पान के श्रयोग्य नहीं माना जाता । भट्टारकजी की घृगा का मान इससे भी कहीं बढ़ा चदा था, और इसी लिये मैं उसे इद दर्जे की या असीम घृणा कहता हूँ। मालूम होता है भट्टारकजी अन्त्यजों के संसर्ग को ही नहीं किन्तु उनकी छायामात्र को अपिवत्र, अपशकुन और अनिष्टकारक समस्रते ये । इसीलिए उन्होंने, एक दूसरे स्थान पर, अन्त्यज का दर्शन हो जाने अपया उसका शब्द सुनाई पड़ने पर जप को ही छोड़ देने का या यों कहिये कि सामायिक जैसे सदनुष्ठान का त्याग कर उठ जाने का विधान किया है # यह कितने खेद का विषय है !!

[्]यथा —

वतच्युतान्त्यजादीनां दर्शने भाषणे श्रुतौ । चुत्ते ऽघोवातगमने जृम्भने जपमुत्स्जत् ॥ ३-१२४ ॥

यदि भट्टारकजी की समभ्र के अनुसार श्रन्यकों का संसर्ग-दोव बहाँ तक बदा हुआ है--इतमा अधिक प्रभावशाली और बलवान है --- कि उनका किसी कूप बावड़ी आदि की भूमि को प्रारम्भ में स्पर्श करना भी उस भूमि के संसर्ग में आने वाले जल को हमेशा के लिये दूषित तथा अप। त्रित्र कर देता है तक तो यह फदना होगा कि जिस जिस भूमि को अन्त्यज लोगों ने कभी किसी तरह पर स्पर्श किया है अधवा वे रपर्श करते हैं वह सब भूमि स्थीर उसके संसर्ग में स्थाने वाले संपूर्ण श्रजा-दिक पदार्थ हमेशा के लिये दूषित तथा अपवित्र हो जाते हैं और इसालिये न्नैवार्शिकों को चाहिये कि वे उस भूमि पर कभी न चलें और न जल की तरह उन संसर्गी पदार्थी का कभी व्यवहार ही करें । इसके सिवाय, जिन कृप बावड़ी आदि की बाबत सुनिश्चित रूप से यह मालूप न हो सके कि वे किन जोगों के खोदे हुए हैं उनका जब भी, संदिग्धावस्था के कारगा, कभी काम में नहीं लाना चाहिये। ऐसी हालत में कैसी विकट स्थिति सरपन होगी और लोकव्यवहार कितना बन्द तथा संकटापन हो जायगा उसकी कल्पना तक भी भट्टारकजी के दिमाय में आई मालूम नहीं होती । मालूम नहीं भट्टारकजी उन खेतों की पैदावार-श्रम्न, फल तथा शाकादिक-को भी प्राह्य सममते ये या कि नहीं जिनमें मलमूत्रा-दिक महादुर्गंधमय अपवित्र पदार्थों से भरे हुए खाद का संयोग होता है ! अथवा अन्त्यों का वह भूमि-स्पर्श ही, उनकी दृष्टि में खाद के उस संयोग से गया बीता था !! परंतु कुछ भी हो — भट्टारकजी ऐसा वैसा कुछ समभते हों या न समभते हों और उन्होंने वैसी कोई कल्पना की हो या न की हो -, इसमें संदेह नहीं कि उनका उक्त-कथन जैन-शामन के श्रसन्त विरुद्ध है।

जो जैनशासन सार्वजनिक प्रेम तथा वात्सल्य भाव की शिका देता है, घृग्रा तथा द्वेष के भाव को हटा कर मैत्रीभाव सिखवाता है श्रीर जन्त्यों को भी धर्म का अधिकारी बतला कर उन्हें श्रावकों की कोदि में रखता है उसका, अथवा उन तीर्थंकरों का कदापि ऐसा अनुदार सासम नहीं हो सकता, जिनकी 'समवसरण' नामकी समुदार सभा में ऊँच मीच के भेद भाव को भुला कर मनुष्य ही नहीं किन्तु पशु-पद्मी तक भी शामिल होते ये और वहाँ पहुँचते ही आपस में ऐसे हिलमिल जाते थे कि अपने अपने जातिविरोध तकको भुला देते ये—सर्प निर्भय होकर नकुछ के पास खेलता था और बिल्ली प्रेम से चूहे का आलिंगन करती थी। कितना ऊँचा आदर्श और कितना विखप्रेम-मय भाव है ! कहाँ यह आदर्श श्रीर कहाँ महारकनी का उक्त प्रकार का घृणात्मक विधान है इससे स्पष्ट है कि भहारकनी का उक्त प्रकार का घृणात्मक विधान है इससे स्पष्ट है कि भहारकनी का यह सब कथन जैनधर्म की शिक्षा न होकर उससे गहर की चीज है। और वह हिन्द्-धर्म से उधार लेकर रक्खा गया मालूम होता है। हिन्दुओं के यहाँ उक्त वाक्य से मिलता जुलता 'यम' अधि का एक वाक्य से निम्न प्रकार से पाया जाता है:—

अन्त्यजैः सानिताः सूपास्तदागानि तथैव च । एषु स्नात्वा च पीत्वा च पंचगम्येन गुउवति ॥

इसमें यह बतलाया गया है कि 'अन्त्य जों के खोद हुए कुओं तथा ताला बों में स्तान करने वाला तथा उनका पानी पीने वाला मनुष्य अपिवित्र हो जाता है और उसकी शुद्धि पंचगन्य से होती हैं—जिसमें गोंबर और गोमूत्र भी शामिल होते हैं। सम्भवतः इसी वाक्य पर से भट्टारक जी ने अपने वाक्य की रचमा की है। परन्तु वह मालूम नहीं होता कि पंचगन्य से शुद्धि की बात को हटाकर उन्होंने अपने पद्य के उत्तरार्ध को एक इसरा ही स्पप क्यों दिया है ! पंचगक्य से शुद्धि की हस हम्द्र न्यवस्था को तो आपने कई जगह पर अपने ग्रंथ में अपनाया

[#]देखा नारावस विद्वत्त-संग्रहीत 'आन्द्रिक स्वाविः'

है + 1 शायद आपको इस प्रसंग पर वह इष्ट न रही हो | श्रीर यह भी हो सकता है । कि हिन्दू-धर्म के किसी दूसरे वाक्य पर से ही आपने अपने वाक्य की रचना की हो अथवा उसे ही ज्यों का त्यों उठाकर रख दिया हो । परंतु कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि यह व्यवस्था हिन्दुओं से ली गई है—जैनियों के किसी भी माननीय प्राचीन प्रंथ में वह नहीं पाई जाती—। हिंदुओं की ऐसी व्यवस्थाओं के कारण ही दिच्या भारत में, जहाँ ऐसी व्यवस्थाओं का खास प्रचार हुआ है, अन्त्यज लोगों पर घोर अत्याचार होता है—वे कितनी ही सड़कों पर चल नहीं सकते अथवा मंदिरों के पास से गुजर नहीं सकते, उनकी छाया पड़ जाने पर सचल स्नान की जरूरत होती है—अीर इसीलिये अब उस अत्याचार के विरुद्ध सहृदय तथा विवेकशील उदार पिब्लक की आवाज उठी हुई है।

(ख)श्रजाघ्नगाघ्नमत्स्यघ्नाः कल्लालाश्चमंकारकाः । पापित्रंकः सुरापायी पतैर्वक्तुं न युज्यते ॥ १३० ॥ पतान्किमपि नो देयं स्पर्शनीयं कदापि न । न तेषां वस्तुकं प्राद्यं जनापवाददायकम् ॥ १३१ ॥

--७ वाँ ऋध्याय ।

इन पर्यों में कहा गया है कि 'जो लोग बकरा बकरी का घात करने वाले (कसाई आदिक) हों, गोकुशी करने वाले (मुसलमान आदि म्लेच्छ्र) हों, मच्छी मारने वाले (ईसाई या धीवरादिक) हों, शराब का न्यापार करने वाले (कलाल) हों, चमड़े का काम करने वाले (चमार) हों, कोई विशेष पाप का काम करने वाले पातिकी (पापर्धिक) हों, अथवा शराब पीने वाले हों, उनमें से किसी के भी साथ बोलना

⁺ जैसे रजस्वला स्त्री की चौथे दिन पंचगव्य से—गोबर गोमूत्रा-दिक से—स्नान करने पर शुद्धि मानी है। यथाः—

[33!]

नहीं चाहिये। और इन लोगों को न तो कभी कुछ देना चाहिये, न इनकी कोई चीज लेना चाहिये और न इनको कभी छूना ही चाहिये; क्योंकि ऐसा करना लोकापबाद का-बदनामी का-कारण है।

पाठकजन ! देखा, कैसे संकीर्गा, जुद्र और मनुष्यत्व से गिरे हुए उद्गार हैं ! व्यक्तिगत घृणा तथा द्वेप के भावों से जितने लवालव भेर हुए हैं !! श्रोर जगत् का उद्धार श्रयवा उसका शासन, रक्तगा तथा पालन करने के लिये कितने अनुपयागै!, प्रतिकृत और विरोधी हैं !! क्या ऐसे उदगार भी धार्भिक उपदेश कहे जा सकते हैं ? अथवा यह कहा जा सकता है कि वे जैनधर्म की उस उदारनीति से कुळ सम्बंध रखते हैं जिसका चित्र, जैनप्रंथों में, जैन तीर्थंकरों की 'समनसरण' सभा का नकशा खींच कर दिखलाया जाता है ? कदापि नहीं। ऐसे उप-देश विश्वप्रेम के विघातक और संसारी जीवों की उन्नति तथा प्रगति के याधक हैं। जैनधर्म की शिचा से इनका कुञ्ज भी सम्बंध नहीं है। जुरा गहरा उतरने पर ही यह मालूम हो जाता है कि वे कितने थाये और निःसार हैं। भला जब उन गनुष्यों के साथ जिन्हें हम सममते हों कि वे बुरे हैं--बुरा आचरण करते हैं -- संभाषण भी न किया जाय, उन्हें सदुपदेश न दिया जाय अथवा उनकी भूल न बतलाई जाय तो उनका सुधार कैसे हो सकता है ? और कैसे वे सन्मार्ग पर लगाए जा सकते हैं ? क्या ऐसे लोगों की भोर से सर्वथा उपेक्षा धारण करना, उनके हित तथा उत्थान की चिन्ता न रखना, और उन्हें सद्वदेश देकर सन्मार्ग पर न लगाना जैनधर्म की कोई नीति सथवा जैन समाज के लिये कुछ इष्ट कहा जा सकता है ? भीर क्या सच्चे जैनियों की दया-परिए।ते के साथ उसका कुल सम्बन्ध हो सकता है ? कटापि नहीं। जैनधर्म के तो बड़े २ नेता माचार्यो तथा महान पुरुषों ने सगाशित पारियों, भी तीं, चांडश्लेरे

तथा म्लेच्छ्रों तक को धर्म का उपदेश दिया है, उनके दुल सुख को सुना है, उनका हर तरह से समाधान किया है और उन्हें जैन धर्म में दीक्ति करके सन्मार्ग पर लगाया है। अतः 'ऐसे लोगों से बोलना योग्य नहीं' यह सिद्धान्त बिलकुल जैनधर्म की शिल्ला के विरुद्ध है।

इसी तरह पर 'उन लोगों को कभी कुछ देना नहीं और न कभी उनकी कोई चीज लेना' यह सिद्धांत भी दूषित तथा बाधित है और जैनधर्म की शिक्षा से बहिर्भूत है। क्या ऐसे लोगों के भूख-प्यास की वेदना से ज्याकुल होते हुए भी उन्हें अन्त, जल न देना और रोग से पीडित होने पर औषध न देना जैनधर्म की दया का कोई अंग हो सकता है? कदापि नहीं। जैनधर्म तो कुपान्न और अपान्न कहे जाने वालों को भी द्या का पान्न मानता है और उन सब के लिये करुणा बुद्धि से यथोचित दान की ज्यवस्था करता है। जैसाकि पंचाध्यायी के निम्न वाक्यों से भी प्रकट हैं:—

कुपात्रायाऽप्यपात्राय दानं देयं यथोाचितम् । पात्रबुद्धया निषिद्धं स्यान्निषिद्धं न कृपाधिया ॥ शेषेभ्यः चुिरपासादिपीडितेभ्योऽशुभोदयात् । दीनेभ्योऽभय*दानिद दातव्यं करुणाण्वै: ॥

वह असमर्थ भूख प्यासों के लिये आहार दान की, व्याधि-पीडितों के लिये श्रीषधि-वितरण की, श्रज्ञानियों के लिये विद्या तथा ज्ञानीप-करण-प्रदान की श्रीर भयप्रस्तों के लिये अभयदान की व्यवस्था वरता है । उसकी दृष्टि में पात्र, कुपात्र और अपात्र सभी अपनी अपनी योग्य-तानुसार इन चारों प्रकार के दान के अधिकारी हैं । इससे भट्टारकजी का उन लोगों को कुछ भी न देने का उद्गार निकालना कोरी अपनी

^{*} पनाध्यायीकी छपी हुई प्रतियों में 'Sभय' की जगह 'Sद्या' अथा 'द्या' बाट यहत दिये हैं।

हृदय-संकीर्गाता व्यक्त करना है और पास्त्रसङ का का उपदेश देना है। ऐसी ही हास्रत उन लोगों से कभी कोई चीच न लेते के उद्गार की है। उनसे अच्छी, उपयोगी तथा उत्तम चीजों का न्यायमार्ग से बेना कभी द्षित नहीं कहा जा सकता। ऐसे लोगों में से कितने ही व्यक्ति जंगलों, पहादों, समुद्रों तथा भूगर्भ में से अच्छी उत्तम उत्तम चीजें निकासते हैं: क्या उनसे वे कीजें सेकर साभ न उठाना चाहिये ! क्या ऐसे लोगों द्वारा वन-पर्वतों से काई हुई उत्तम श्रीषधों का भी ध्यवहार न करना च।हिये ? और क्या चमारों से उनके बनाये द्वए मृत चर्म के जूते भी केने चाहियें ! इसके सिवाय एक मुसलमान, ईसाई अथवा वैसा (उपर्युक्त प्रकार का) कोई हीना चरण करने वाला हिन्दू भाई यदि किसी भौषधालय, विद्यालय अथवा दूसरी लोकोपकारिखी सेवा संस्था को द्रव्यादि की कोई अच्छी सहायता प्रदान करे तो क्या उसकी वह सहायता संस्था के अनुरूप होते हुए भी स्वीकार न करनी चाहिये ? श्रीर क्या इस प्रकार का सब व्यवहार कोई बुद्धिमानी कहता सकता है ? कदापि नहीं । ऐसा करना अनुभवशून्यता का द्येतिक श्रौर अपना ही नाशक है। संसार का सब काम परस्पर के लेनदेन और एक दूसरे की सहायता से चलता है । एक मध्छीमार सीप में से मोती निकाल कर देता है और बदले में कुल द्रव्य पाता है अथवा एक चमार से जूना या चमदा निया जाता है तो मूल्यादि के तौर पर उसे कुछ दिया जाता है। इसी सरह पर जोक-व्यवहार प्रवर्तता है। क्या वह मोती जो मांस में ही पैदा होता तथा बाहि पाता है उस मध्झीमार का हाय बगने से अपिबन्न या बिक्रत हो जाता है ? अधना वह चमदा चमार के कर-स्पर्श से विगुश्चित और दूषित बन जाता है ? यदि ऐसा कुछ नहीं है तो फिर उन कोगों से कोई भी चीज न लेने के लिये कहना क्या वर्ष रखता है ! यह निरी सङ्घीता और हिमाकत नहीं

तो श्रीर क्या है ! भरत चक्रवर्ता जैसे धार्मिक नेता पुरुषों ने तो ऐसे जोगों से भेट में चमरी श्रीर कस्त्री (मुश्क नाफ़े) जैसी चीजें ही नहीं कितु कन्याएँ तक भी ली थीं, जिनका उल्लेख श्रादिपुराण श्रादि प्रथों में पाया जाता है। राजा लोग ऐसे व्यक्तियों से कर श्रीर जमींदार लोग श्रापनी जमीन का महसूल तथा मकान का किराया भी लेते हैं। उनके खेतों की पैदावार भी ली जाती है। श्रात: भट्टारकजी का उक्त उद्गार किसी तरह भी युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता।

श्यब रही उन लोगों को कभी न छूने की बात, यह उद्गार भी युक्ति-संगत मालूम नहीं होता | जब इम लोग उन लोगों के उपकार तथा उधार में प्रवृत्त होंगे. जो जैनमत का खास उद्देश्य है. तब उन्हें कभी अथवा सर्वथा छुएँ नहीं यह बात तो बन ही नहीं सकती। फिर भट्टारकजी श्रपने इस उद्गार के द्वारा हमें क्या सिखलाना चाहते हैं वह कुछ समक में नहीं ऋाता ! क्या एक शराबी को शराब के नशे में कूपादिक में गिरता हुआ देख कर इमें चुप बैठे रहना चाहिये और छू जाने के भय से उसका हाथपकड़ कर निवारण न करना चाहिये ? श्रथवा एक चमार को डूबता हुआ देखकर छू जाने के डर से उसका उद्घार न करना चाहिये ? क्या एक गोघाती मुसलमान, मच्छीमार, ईसाई या शराब बेचनेवाले हिन्द् के घर में आग लग जाने पर, स्पर्शभय से, इमें उसको तथा उसके बालबचों को पकड़ पकड़ कर बाहर न निकालना चाहिये ? श्रौर क्या इमारा कोई पातिकी भाई यदि श्रचानक चोट खाकर लहुलुइान हुआ बेहोश पड़ा हो तो हमें उसकी उठा कर श्रीर उसके घावों को घो पूँछ कर उसकी मईम पट्टी न करना चाहिये, इसलिये कि वह पातिकी है श्रीर हमें उसको छूना नहीं चाहिये ? श्रथवा एक वैद्य या डाक्टर को अपने कर्तव्य से च्युत होकर ऐसे लोगों की चिकित्सा ही नहीं करनी चाहिये ? यदि ऐसी ही शिचा है तब तो कहना होगा कि महारकजी हमें मनुष्यत्व से गिरा कर पशुत्रों से भी गया बीता बनाना चाहते थे और उन्होंने हमारे उदार दयाधर्म को कलंकित तथा विडिम्बत करने में कोई कसर नहीं रक्खी। और यदि ऐसा नहीं है तो उनके उक्त उद्गार का फिर कुछ भी मूल्य नहीं रहता—वह निरर्थक और निःसार जान पड़ता है। मालूम होता है महारकजी ने स्पृश्या अस्पृश्य की समीचीन नीति को ही नहीं सममा और इसीलिये उन्होंने बिना सोचे सममे ऐसा ऊटपटाँग लिख मारा कि 'इन लोगों को कभी भी न छूना चाहिये!! मानों ये मनुष्य स्थायी अछूत हों और उस मल से भी गये बीते हों।जिसे हम प्रतिदिन छूते हैं!!! मनुष्यों से और इतनी घृगा!!! धन्य है ऐसी समम् तथा धार्मिक बुद्धि को!!!

अन्त में, भट्टारकजी ने जिस लोकापवाद का भय प्रदर्शित किया है वह इस संपूर्ण विवेचन पर से मूर्ली की मूर्जता के सिवाय और कुछ भी नहीं रह जाता, इसांसे उस पर कुछ लिखना व्यर्थ है । निःसंदेह, जब से इन भट्टारकजी जैसे महात्माओं की कृपा से जैन वर्म के साहित्य में इस प्रकार के अनुदार विचारों का प्रवेश होकर विकार प्रारम्भ हुआ है तब से जैन धर्म को बहुत बड़ा धका पहुँचा है और उसकी सारी प्रगति रुक गई। वास्तव में, ऐसे संकीर्ण तथा अनुदार विचारों के अनुकूल चलने वाले संसार में कभी कोई उन्नति नहीं कर सकते और न उच्च तथा महान् वन सकते हैं।

ऋतुकाल में भोग न करने नालों की गति। (२४) आठनें श्रध्याय में भट्टारकर्जा ने यह तो लिखा ही है कि 'ऋतुकाल में भोग करने वाला मनुष्य परमगति (मोच्) को प्राप्त होता है और उसके ऐसा सत्कुलीन पुत्र पैदा होता है जो पितरों को

खर्ग प्राप्त करा देता है' × ! परन्तु ऋतुकाल में भोग न करने बाले

[×] ऋतुकालोप [साभि] गामी तु प्राप्तीति परमां गतिम्। सत्कुतः प्रमवेखुत्रः पितृणां स्वर्गदो मतः॥ ४८॥ इस गद्यका पूर्वार्ध 'संवर्तस्मृति' के पद्य नं० १०० का उचरार्ध है।

स्री-पुरुषों की जिस गति का उल्लेख किया है वह और भी विचित्र है । स्राप लिखते हैं:---

> * ऋतुस्नातां तु यो भार्यं सिन्नधी नोपय [ग] च्छति । घोरायां भ्रूण्डत्यायां पितृभिः सद्द मज्जति ॥ ४६ ॥ ऋतुस्नाता तु या नारी पति नैचोपिवन्दति । श्रुनी वृकी श्रुगाली स्याच्छूकरी गर्दभी च सा ॥ ४० ॥

अर्थात् — जो पुरुष अपनी ऋतुस्नाता — ऋतुकाल में स्नान की हुई — स्त्री के पास नहीं जाता है — उससे भोग नहीं करता है — वह अपने पितरों सिहत भू एवं हिया के घोर पाप में डूबता है — खयं दुर्गित को प्राप्त होता है और साथ में अपने पितरों (माता पितादिक) को भी ले मरता है। और जो ऋतुस्नाता स्त्री अपने पित के साथ भोग नहीं करती है वह मर कर कुत्ती, भेड़िनी, गींदड़ी सूअरी और गधी होती है।

इस भावार्थ का मूल पद्य श्रथना उसके श्रर्थ से ज़रा भी सम्बंध नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि इसे लिखते हुए सोनीजी खुद ही किसी गहरे नश्र में चूर थे। श्रम्यथा, ऐसा बिना सिर पैर का महा-हास्यजनक 'भावार्थ' कभी भी नहीं लिखा जा सक्ता था।

^{*} इस पद्य का श्रधं देने के बाद सोनीजी ने एक बड़ा ही विल-

[&]quot;भावार्थ-कितने ही लोग ऐसी बातों में आपाति करते हैं। इसका कारण यही है कि वे आजकल स्वराज्य के नसे में चूर हो रहे हैं। अतः हरएक को समानता देने के आवेश में आकर उस किया के चाहने वाले लोगों को भड़का कर अपनी स्थाति-पूजा आदि चाहते हैं। उन्होंने धार्मिक विषयों पर आधात करना ही अपना मुस्य कर्तव्य समक्ष लिया है।"

पाठकजन ! देखा, कैसी विचित्र व्यवस्था है !! भले ही वे दिन पर्व के दिन हों, खीपुरुषों में से कोई एक अधवा दोनों ही बती हों, बीमार हों, अनिच्छुक हों, तीर्थयात्रादि धर्म कार्यों में लगे हों या परदेश में स्थित हों परन्तु उन्हें उस वक्त भोग करना ही चाहिय !! यदि नहीं करते हैं तो वे उक्त प्रकार से घोर पाप के भागी अधवा दुर्गति के पात्र होते हैं !!! इस अन्यायमूलक व्यवस्था का भी कहीं कुछ ठिकान। है !! स्वरुचि की प्रतिष्ठा, सत्संयम के अनुष्ठान, ब्रह्मचर्य के पालन श्रौर योगाभ्यासादि के द्वारा अपने अभ्युदय के यत का तो इसके आगे कुछ मूल्य ही नहीं रहता !!! समक में नहीं आता श्रूगा (गर्भस्य बालक) के विद्यमान न होते हुए भी उसकी हत्या का पाप केसे लग जाता है १ यदि भोग किया जाता तो गर्भ का रहना सम्भव था, इस संभावना के आधार पर है। यदि भोग न करने से भ्राग्रहत्या का पाप लग जाता है तब तो कोई भी त्यागी, जो अपनी स्नी को छोड़कर ब्रह्मचारी या मुनि हुआ हो, इस पाप से नहीं बच सकता । श्रीर जैनसमाज के बहुत से पूज्य पुरुषों श्रथवा महान् आत्माओं को घोर पातिकी तथा दुर्गति का पात्र करार देना होगा। परन्त देसा नहीं है। जैनधर्म में ब्रह्मचर्य की बड़ी प्रतिष्ठा है और उसके प्रताप से असंख्य व्यक्ति ऋतुकाल में भोग न करते हुए भी पाप से आलित रहे हैं, श्रीर सद्गति को प्राप्त हुए हैं । जैनदृष्टि से यह कोई लाजिमी नहीं कि ऋदुः काल में भोग किया ही जाय। हाँ, भोग जो किया जाय तो वह संतान के लिये किया जाय और इस उद्देश्य से ऋतुकाल में ही किया जाना चाहिये. ऐसी उसकी व्यवस्था है। झौर उसके साथ शक्ति तथा कालादिक की विशेषा-पेना भी लगा हुई है-अर्थात् व स्त्री पुरुष यदि उस समय रोगादिक के कारण या भीर तौर पर वैसा करने के लिये असमर्थन हों, श्रीर वह समय भी कोई पर्वादि वर्ज्य काल न हो तो वे परस्पर कामसेवन कर सकते हैं। दूसरी अवस्था के किये ऐसा नियम अथवा ऋम नहीं है। और यह शक्त

भगवजिनसेन-प्रणीत श्रादिपुराण के निम्न वाक्य से भी ध्वनित होती है:---

संतानार्थमृतावेव कामसेवां मिथ्यो भजेत्। शक्तिकालव्यपेचोऽयं क्रमोऽशक्तेष्वतोऽन्यथा॥ ३८-१३४॥

इससे महारकजी का उक्त सब कथन जैनधर्म के बिलकुल विरुद्ध है और उसने जैनियों की सारी कर्म फिलॉसॉफी को ही उठा कर ताक़ में रख दिया है। भला यह कहाँ का न्याय और सिद्धान्त है जो पुत्र के भोग न करने पर बेचारे मेर जीते पितर भी श्रूणहत्या के पाप में घसीटे जाते हैं! मालूम होता है यह महारकजी के अपने ही मस्तिष्क की उपज है; क्योंकि उन्होंने पहले पद्य में, जो 'पराशर' ऋषि का वचन है और 'पराशरस्मृति' के चौथे अध्याय में नं० १५ पर दर्ज है तथा 'मिताच्तरा' में भी उद्धृत मिलता है, इतना ही फेरफार किया है—— अर्थात्, उसके अन्तिम चरण 'युज्यते नान्न संशयः' को 'पितृभिः सह मज्जिति' में बदला है!! दूसरे शब्दों में यों कहिये कि पराशरकी ने पितरों को उस हत्या के पाप में नहीं हुबोया था, परन्तु भद्दारकजी ने उन्हें भी हुबोना उचित समभा है!!! अपेसा निराधार कथन कदापि किसी माननीय जैनाचार्य का वचन नहीं हो सकता। दूसरा पद्य भी, जिसमें ऋतुकाल में भोग न करने वाली स्त्री की गित

^{*} एक बात और भी नोट किये जाने के योग्य है और वह यह कि हिन्दू प्रयों में इस विषय ने सम्बन्ध रखने वाले 'देवल ' आदि मृश्वियों के कितने ही वचन ऐसे भी पाये जाते हैं जिनमें 'स्वस्थ: 'सन्नोपगच्द्रुति' आदि पदों के द्वारा उस पुरुष को ही भूणहत्या के पाप का भागी ठहराया है जो खस्थ होते हुए भी ऋतुकाल में भोग नहीं करता है। और 'पर्ववज्ये' तथा 'पर्वाणि वजेयेत्' आदि पदों के द्वारा ऋतुकाल में भोग नहीं करता है। और 'पर्ववज्ये' तथा 'पर्वाणि वजेयेत्' आदि

[१७७]

का उद्घेख है, हिन्दू-धर्म के किसी प्रंथ से लिया-गया अथवा कुछ परि-वर्तन करके रक्खा गया मालूम होता है; क्योंकि हिन्दू-प्रंथों में ही इस प्रकार की आज़ाएँ प्रचुरता के साथ पाई जाती हैं। पराशरजी ने तो ऐसी खी को सीधा नरक में नेजा है और फिर मनुष्ययोनि में लाकर उसे बार बार विधवा होने का भी फतवा (धर्मादेश) दिया है। यथा:-

> ऋतुस्माना तु या मारी भर्तारं नोपसंपति । सा मृता बरकं वाति ब्रिथवा च पुनः पुनः ॥ ४—१४॥ —पराशरस्मृति ।

इस पद्य का पूर्वार्ध झोर भट्टारकजी के दूसरे पद्यका पूर्वार्ध दोनों एकार्धवाच हैं। संभव है इस पद्य पर से ही भट्टारकजी ने अपने पद्य की रचवा की हो। उन्हें उस स्त्री को अमशः नरक तथा मनुष्य गति में न बेज कर झालिस तिर्यंच गति में ही घुमाना उचित जँचा हो और इसीलिय उन्होंने इस पद्य के उत्तरार्ध को अपनी इच्छानुसार बदला हो। परंतु कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि भट्टारकजी ने कुछ दूसरों की नक्कल करके और कुछ अपनी अकल को बीच में दखल देकर जो ये बेढ़ंगी व्यवस्थाएँ प्रस्तुत की हैं उनका जैनशासन से कुछ भी सम्बंध नहीं है। ऐसी नामाकूल व्यवस्थाएँ कदापि जैनियों के द्वारा मान्य किये जाने के योग्य नहीं।

श्वश्रीलता श्रीर श्रशिष्टाचार ।

(२५) त्रत, नियम, पर्व, स्वास्थ्य, अनिच्छा और असमर्थता आदि की कुछ पर्वाह न करते हुए, ऋतुकाल में अवश्य भीम करने की व्यवस्था देने वाले अथवा भीम न करने एर दुर्गति का फर्मान जारी

की गई है। परम्तु अष्टारकारी ने उन पद्यों को यहाँ संग्रह नहीं किया भीर न उनका आश्रय ही भाषने शब्दों में प्रकट किया। इससे यह भीर भी साफ़ हो जाता है कि उन्होंने ऋतुकाल में भेग न करने बालों को हर हालत में भूखदत्या का अपराधी उहराया है!! करने वाले भट्टारकर्जी ने, उसी अध्याय में, भोग की कुछ विधि भी बत-लाई है। उसमें, अन्य बातों को छोड़ कर, आप लिखते हैं 'प्रदीपे मैथुनं चरेत् '—दीपप्रकाश में मैथुन करना चाहिये—और उसकी बाबत यहाँ तक जोर देते हैं कि—

> दीपे नष्टे तुयः सङ्गं करेशित मनुजो यदि। यावज्जनमदिरद्वत्वं लभते नात्र संशयः॥ ३७॥

श्राधित्—दीपप्रकाश के न होते हुए, अधिर में, यदि कोई मनुष्य स्नीप्रसङ्ग करता है तो वह जन्म भर के लिये दिदि हो जाता है इस में सन्देह नहीं है अ। इसके सिवाय, आप भोग के समय परस्पर कोध, रोष, भर्त्मना आर ताइना करने तथा एक दूसरे की उच्छिष्ट (जूठन) खाने में कोई दोष नहीं बतलाते ‡। साथ ही, पान चवाने को भोग का आवश्यक अंग ठहराते हैं—भोग के समय दोनों का मुख ताम्बूल से पूर्ण होना चाहिये ऐसी व्यवस्था देते हैं—और यहाँ तक लिखते हैं कि वह स्नी भोग के लिये त्याज्य है जिसके मुख में पान नहीं । और इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भट्टारकजी ने उन स्नी-पुरुषों अथवा श्रावक—श्राविकाओं को परस्पर कामसेवन का आधिकारी ही नहीं समभा

^{*} सन्देह की बात तो दूर रही, यह तो प्रत्यच्च के भी विरुद्ध मालूम होता है; क्योंकि कितने ही व्यक्ति लज्जा आदि के वश होकर या वैसे ही सोते से जाग कर अन्धेरे में काम सेवन करते हैं परन्तु वे दरिद्री नहीं देखे जाते। कितनों ही की धन-सम्पन्नता तो उसके बाद प्रारम्भ होती है।

[‡] पादलक्षं तनुश्चेत्र ह्याच्छिप्टं नाइनं तथा।
कोपो रोषश्च निर्भर्त्सः संयोगे न च दोष भाक् ॥ ३८ ॥
† ताम्बूलेन मुखं पूर्णं...कृत्वा योगं समाचरेत् ॥ ३६ ॥
िवना ताम्बूलवदनां...संयोगे च परित्यजेत् ॥ ४० ॥

जो रात्रि को भोजनपान न करते हाँ श्रयवा जिन्होंने संयमादिक की किसी दृष्टि से पान का खाना ही छोड़ रक्खा हो !! परन्तु इन सन वातों का भी छोड़िये, इस विधि में चार श्लोक खासतौर से उल्लेखनीय हैं—भट्टारकजी ने उन्हें देने की खास ज़रूरत समभी हैं—श्लीर वे इस प्रकार हैं:—

भुक्तवानुपविष्टस्तु शय्यायामभिसम्मुखः ।
संस्मृत्य परमात्मानं पत्न्या जंवे प्रसारयेत् ॥ ४१ ॥
अलोमशां च सदुचामनाद्रां सुमनोहराम् ।
योनि स्पृष्ट्वा जपेन्मंत्रं पवित्रं पुत्रदायकम् ॥ ४२ ॥
अलेष्टावाकष्येदे। प्रैरन्योन्यमाविलोकयेत् ।
स्तनी घृत्वा तु पाणिभ्यामन्योन्यं चुम्बयेन्मुखम् ॥ ४४ ॥
बलं देहीति मंत्रेण योन्यां शिक्षं प्रवश्येत् ।
योनेस्तु किविद्धिकं भवेलिकं बलान्वितम् ॥ ४४ ॥

इन श्लोकों के बिना भट्टारकजी की भोग-विधि शायद अध्री ही रह जाती! और लोग समक ही न पात कि भोग कैसे किया करते हैं!! अस्तु; इन सब श्लोकों में क्या लिखा है उसे बतलाने की हिन्दी और मराठी के दोनों अनुवादकर्ताओं में से किसी ने भी कृपा नहीं की—िसर्फ पहले दो पद्यों में प्रयुक्त हुए 'सुक्तवान', 'उपविष्टस्तु शट्यायां', 'सस्मृत्य परमात्मानं', 'जपन्मंत्रं पुत्रदायकं' पदों में से सबका अभवा कुन्न का अर्थ दे दिया है और बाकी सब छोड़कर लिख दिया है कि इन श्लोकों में बतलाई हुई विधि अथवा किया का अनुष्ठान किया जाना चाहिये। पं० पनालाबजी सोनी की अनुवाद-पुस्तक में एक नोट भी लगा हुआ है, जिसमें लिखा है कि—

"अस्त्रीलता और अशिष्टाचार का दोष आने के समब ४२ वें *स्ट्रोक

[#] ४१ वें स्त्रोक में कही गई 'पत्न्या जंघे प्रसार्येत्' जैसी किया का भी तो भाषानुवाद नहीं किया गया !

में कही गई क्रियाओं का भाषानुवाद नहीं किया गया है। इसी प्रकार ४४ वें और ४४वें ऋोक का ऋर्थ भी नहीं लिखा गया है'

मराठी अनुवादकर्ता पं० कल्लाप्या भरमाप्या निटवे ने भी ऐसा ही आशय व्यक्त किया है—आप इन श्लोकों का अर्थ देना मराठी शिष्टाचार की दृष्टि से अयोग्य बतलाते हैं और किसी संस्कृतज्ञ विद्वान से उनका अर्थ मालून कर लेने की जिज्ञासुओं को प्रेरणा करते हैं। इस तरह पर दोनों ही अनुवादकों ने अपने अपने पाठकों को उस धार्मिक (!) विधि के ज्ञान से कोरा रक्खा है जिसकी भद्दारकजी ने शायद बड़ी ही कृपा करके अपने ग्रंथ में योजना की थी! और अपने इस व्यवहार से यह स्पष्ट घोषणा की है कि भद्दारकजी को थे श्लोक अपने इस ग्रंथ में नहीं देने चाहियें थे।

यद्यपि इन अनुवादकों ने ऐसा लिखकर अपना पिंड खुड़ा लिया है परंतु एक समाले चक का पिंड वैसा लिखकर नहीं छूट सकता—उसका कर्तव्य भिन्न है—इच्छा न होते हुए भी कर्तव्यानुरोध से उसे अपने पाठकों की थोड़ा बहुत कुछ परिचय देन! ही होगा, जिससे उन्हें यह मालूम हो सके कि इन श्लोकों का कथन क्या कुछ अश्लीलता और अशिष्टता को लिये हुए हैं। साथ ही, उस पर से भट्टारकजी की रुचि तथा परिणति आदि का भी वे कुछ बोध प्राप्त कर सकें। अतः नीचे उसीका यह किया जाता है—

पहले श्लोक में भट्टारकजी ने यह नतलाया है कि 'भीग करने वाला मनुष्य भोजन किये हुए हो, वह शय्या पर खी के सामने बैठे श्रीर परमात्मा का स्मरण करके श्ली की दोनों जाँघें पसारे'। फिर दूसरे श्लोक में यह व्यवस्था दी है कि 'वह मनुष्य उस खी की योनि को छूए श्रीर वह योनि वालों से रहित हो, श्रव्ही देदी प्यमान हो, गीली न हो तथा भले प्रकार से मन को हरने वाली हो, श्रीर उसे छूकर पुत्र के देने वाले पवित्र मंत्र की जाप करे।' इसके श्रांगे प्रंथ में योनिस्थ देवता की श्रभिषेक-पुरस्सर पूजा वाला वह मंत्र दिया है जो 'प्रतिज्ञादि विरोध' नामक प्रकरण के (ज) भाग में उद्भृत किया जा चुका है. श्रीर लिखा है कि 'इस मंत्र को पढ़कर गोवर, गोमूत्र, दूध, दही, घी, कुश और जल से योनि का अञ्जी तरह प्रकालन करना चाहिये और फिर उसके ऊपर चंदन, केसर तथा करत्री आदि का लेप कर देना चाहिये का इसके बाद 'घोनि पश्यन् जपेन्मंत्रान्' नाम का ४३ वाँ पष दिया है, जिसमें उस चंदनादि से चार्चित योनि को देखते हुए + पंच परमेष्टित्राचक कुछ मंत्रों के जपने का विधान किया है और फिर उन मंत्रों तथा एक अलिंगन मंत्र को देकर उक्त दोनों श्लोक नं व ४८. ४५ दिये हैं। इन श्लोकों द्वारा महारकजी ने यह आज्ञा की है कि 'स्नी पुरुष दोनों परस्पर मुँइ भिला कर एक दूसरे के होठों को श्रपने होटों से खीचें, एक दूसरे को देखें और हाथों से छातियाँ पकड़ कर एक दूसरे का मुखचुम्बन करें। फिर 'बलं देहि' इत्यादि मंत्र की पह कर योगि में लिंग को दाखिल किया जाय और वह लिंग योनि से कुन्न बहा तथा बसवान् होना चाहिये x 1

[#] यथाः-'इति मंत्रेष गोमय-गोमूत्र-स्वीर-द्धि-सर्षिः-कुशौद्रकैयोनिं सम्प्रचारय श्रीगन्धकुंकुमकस्तृरिकाचनु-लेपनं कुर्यात्।"

 ^{&#}x27;योनिं परयन्' परों का यह अर्थ भी अनुवादकों ने नहीं
 दिया।

[×] इसके बाद वोनों की संतुष्ठि तथा इच्हाप्नि पर योनि में वीर्य के सींचने की बात कही नई है, और यह कथन दो पदों में है, जिनमें पहता 'संतुष्टो आर्यवा अली' नाम का पद्म मनुस्कृति का वाक्य है और दूसरा पद्म निम्न प्रकार है —

पाठकान ! देखा, कितनी सभ्यता श्रीर शिष्टता की लिये हुए कथन है ! एक 'धर्मर सिक' ना बना वाले प्रंथ के लिये कितना उप्रक्त है !! श्रीर श्रपने की 'मुनि' कणीं तथा सुनीन्द्र' तक लिखने वाले भट्टारकाजी की कहाँ तक शोभा देता है !!! खेद है भट्टारकाजी की विषय-सेवन का इस तरह पर खुला उपदेश देते श्रीर खी-संभीग की स्पष्ट विधि बतलाते हुए चरा भी लाजा तथा शरम नहीं श्राई !! जिन बातों की चर्चा करने श्रथवा कहने सुनने में गृहस्थों तक को संकोच होता है उन्हें वैराग्य तथा ब्रह्मचर्य की मूर्ति बने हुए मुनिमहाराजजी बड़े चाव से लिखते हैं. यह सब शायद कालियुग का ही माहात्म्य है !!! मुक्ते तो भट्टारकाजी की इस रचनामय लीला को देखकर कविवर भूधरदासजी का यह वाक्य याद श्राजाता है—

रागउदै जग श्रंत्र भयो, सहजैं सब लोगन लाज गँवाई। सीख बिना नर सीखत हैं, विषयादिक सेवन की सुधराई॥ ता पर श्रौर रचें रसकाव्य, कहा कहिये तिनकी निदुराई! श्रंत्र श्रस्कन की श्रांखियान में. सोकत हैं रज रामदुहाई!!

सचमुच ही ऐसे कुकिवयों, धर्माचायों अथवा गोमुखव्याघों से राम बचाव !! वे खयं तो पतित होते ही हैं किन्तु द्सरों को भी पतन की ओर ले जाते हैं !!! उनकी निष्ठुरता, निःसन्देह, अनिवचनीय है। भट्टारक जी के इन उद्गारों से उनके हृदय का भाव सजकता है—
कुकिच तथा लम्पटता पई जाती है—और उनके ब्रह्मचर्य की थाह का

इच्छापूर्णं भवेद्याव ुभयोः कामयुक्तयोः ।

रंतः भिनेचत्तं योन्यां तेन गर्भ विभितं सा॥ ४७॥ ४१ वें पद्य का उत्तरार्थ और इस पद्य का उत्तरार्थ दोनों मिल कर हिन्दुओं के 'ब्राचारार्क' ग्रंथ का एक पद्य होता है, जिसे संभवतः थहाँ विभक्त करके रक्सा गया है। कितना ही पता चल जाता है। जो लोग विवाह—विषय पर सम्मित दे देने से ही ब्रह्मचर्य में दोष या अतीचार का लगना बतलाते हैं वे, मालूम नहीं, ऐसी भोगप्रेरणा को लिये हुए अरलील उद्गार निकालने वाले इन भट्टारक जी के ब्रह्मचर्य—विषय में क्या कहेंगे ? और उन्हें श्रांवकों को दूसरी प्रतिमा में भी स्थान प्रदान करेंगे या कि नहीं ? अस्तु; व लोग कुछ ही कहें अथवा करें. किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि भट्टारक जी का यह सब विधि—विधान, जिसे वे 'कामयज्ञ' बतलाते हैं और जिसके अनुष्ठान से 'समार समुद्र से पार तारने वाला पुत्र' पदा होगा ऐसा लालच दिखलाते हैं *, जैनशिष्टाचार के बिलकुल विरुद्ध है और जैनसाहित्य को कलंकित करने वाला है। जान पहता है, भट्टारक जी ने उसे देने में प्रायः वाममार्गियों अथवा शाकिकों का अनुकरण किया है और उनकी 'ग्रंशनिपुजा' जैसी घृणित शिज्ञाओं के जैन समाज में फैलाना चाहा है। अतः आपका यह सब प्रयत्न किसी तरह भी प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता।

यहां पर एक बात ऋरे भी बतला देने कां है श्रीर वह यह कि ४४ वें पद में जो 'बलं देही ित मंत्रेण' पाठ दिया है उसके यह स्पष्ट ध्वनित हाता है कि उसमें जिस मंत्र का उल्लेख किया गया है वह 'बलं देहि' शब्दों से प्रारंभ होता है। परन्तु भट्टारकाजी ने उक्त पद्य के शनन्तर जो गंत्र।दया हैं वह 'बलं देहि' अथवा 'ॐ बलं देहि' जैसे शब्दों से प्रारंभ नहीं हाता, किन्तु 'ॐ हीं शरीरस्थायिनों देवता मां बलं दद्तु स्वाहा' इस रूप को लिये हुए है, श्रीर इससे यह स्पष्ट जाना जाता है कि भट्टारकाजी ने उस मंत्र को बदल

[₽] यख∷---

काम यक्तमिति प्राहुर्युदिणां सर्वदैव च । अनने सभते पुत्रं संसारार्यवतारकम् ॥ ४१ ॥

कर रक्खा है जिसकी बाबत यह बहुत कुछ संभव है कि वह वाममार्गियों अथवा शाक्तिकों का मंत्र हो और खोज करने पर उनके किसी
ग्रंथ में मिल जाय । ऐसी हालत में उक्त पद्म भी—अकेला अथवा दूसरे
पद्म के साथ में—उसी ग्रंथ से लिया गया होना चाहिये । मालून होता
है, उसे देत हुए, भट्टारकजी को यह खयाल नहीं रहा कि अब हम पद्म
में उन्नेखित मंत्र को नहीं दे रहे हैं तब हमें इसके 'चर्ला देहीं निर्में शब्दों को भी बदल देना चाहिये । परन्तु भट्टारकजी को इतनी सूफ बूफ कहाँ थी ? और इसलिये उन्होंने पद्म के उस पाठ को म बरखा
वहर मंत्र को ही बदल दिया है!!!

त्याग या तलाक ।

(२६) म्यारहवें अध्याय में, विवाहविधि की समाप्त करते हुए, सहारक मी जिखते हैं:--

> *अप्रजां दशमे वर्षे स्त्रीवजां द्वादशे स्पनेत्। मृतप्रजां पंचदशे सद्यस्विप्रयादिनीम् ॥ १६७॥

श्रर्थात्—जिस स्त्री के लगातार कोई संतान न हुई हो उसे दसकें वर्ष, जिसके कन्याएँ ही उत्पन्न होती रही हों उसे बारहवें वर्ष, जिसके

^{*} यह पद्य किसी दिन्दू ग्रंथ का जान पड़ता है। दिन्दुओं की 'नवरत्न विवाह पद्धित 'में भी वह संगृहीत मिलता है। अस्तुः इस पद्य के अनुवाद में सोनीजी ने 'त्यजेत् 'पद का अर्थ दिया है— 'दूसरा विवाह करे ' और ' अपियवादिनी ' के पहले एक विशेषण अपनी तरफ से जेड़ा है ' अपुज्ञवती '! साथही अपियवादिनी का अर्थ ' उपि स्वारिणी ' बतलाया है !! और यें सब वातें आपके अनुवाद की विलचणता को स्वित करती हैं। इसके सिवाय अपने त्यागावधि के वर्षों की गणना प्रथम रजी-दर्शन के समय से की है ! यह भी कुछ कम विलच्च जिता नहीं है।

[t=x]

बचे पर जाते हों उसे पंद्रहवें वर्ष और जो अप्रियशदिनी (वटु भाषण करने वाली) हो उसे फ़ौरन (तत्काल ही) स्याग देना चाहिय।

महारक जी के इस खाग' के दो अर्थ कियं जा सकते हैं—एक 'संभोगखाग' और दूसरा 'वैवाहिक सम्बंधत्याग'। 'सं भोगन्याग' अर्थ महारक जी के पूर्व कथन की दृष्टि से कुछ संगत मालूम नहीं होता; क्यों कि एसी क्षियों ऋतुमती तथा ऋतुकाना तो होती ही हैं और ऋतुकाल में ऋतुकाताओं से भोग न करने पर महारक जी ने पुरुषों को श्रृणहत्या के घोर पाप का अपराधी ठहराया है और साथ में उनके पितरों को भी धसीटा है; ऐसी हालत में उनके इस वाक्य से 'संभोगत्याग' का आशय नहीं लिया जासकता— वह आप ति के योग्य ठहरता है— तब दूसरा 'वैवाहिक सम्बन्ध खायागं अर्थ ही यहाँ। टीक बैटता है, जिसे 'तालाक Divorce वहते हैं और जो उक्त पाप से मुक्ति दिला सकता अथवा सुर्श होत रख सकता है। इस दूमरे अर्थ की पृष्टि इससे भी होती है। कि भद्दारक जी ने संभोगत्याग की बात को मतान्तर कि सम्बन्ध से से——दूसरों के मत के तौर पर (अपने मत के तौर पर नहीं)— अगले पद्य में दिया है। और वह पद्य इस प्रकार है:——

ब्याधिना स्नीप्रज्ञा बन्ध्या अन्मत्ता विगतातंषा । श्रदुष्टा समते त्यागं तीर्थतो न तु धर्मतः ॥१६८॥

इस प्रध में बतलाया है। कि जो स्नी (चिरकाल से) रोगपीडित हो, जिसके के बत कन्याएँ ही पैदा होती रही हों, जो बन्ध्या हो, उन्मत्त हो स्थ्या रजोधर्म से रहित हो (रजस्त्रला न होती हो) ऐसी स्नी यदि दुष्ट स्थभाव वाली न हो तो उसका महक कामतीर्थ से त्याग होता है—वह संभाग के लिये त्याज्य ठहरती है—परंतु धर्म से नहीं—धर्म से उसका प्रतीसम्बंध दना रहता है।

[†] मराठी श्रानुवार-पुस्तक में पद्य के ऊगर ' मतान्तरं ' का श्रानुवार ' दुसरें मत " दिया है परन्तु सोनी मी श्रापनी श्रानुवाद पुस्तक में उस विश्वकृत ही उड़ा गये हैं!

[१८६]

इस पद्य से यह स्पष्ट ध्विन निकलती है कि इसमें ऐसी स्त्री को धर्म से न त्यागने की अध्या उसके साथ इतनी रिआयत करने की जो बात कही गई है उसका मूल कारण उस स्त्री का दुष्टा न होना है और इसिलये यदि वह दुष्टा हो—अप्रियवादिनी हो अध्या भट्टारक जी के एक दूसरे * पद्यानुसार अति प्रचण्डा, प्रबला, कपालिनी. विवादक त्रीं, अर्थचीरिणीं, आक्रान्दिनी और सप्तगृहप्रवेशिनी जैसी कोई हो, जिसे भी आपने त्याग देने को लिखा है—तो वह धर्म से भी त्याग किये जाने की अध्यवा यों कहिये कि तलाक की अधिकारिणीं है, इतनी बात इस पद्य से भी साफ सूचित होती है । चाहे वह किसी का भी मत क्यों न हो।

* वह पद्य इस प्रकार है:— द्यतिप्रचगडां प्रवतां रूपातिनीं, विवादकर्षी स्वयमर्थने।रिणीम् । द्याकन्दिनीं सप्तगृहप्रवेशिनीं, त्यजेच भार्यां दशपुत्रपुत्रिणीम् ॥३३॥

इस पद्य में यह कहा गया है कि 'जो विवादिता स्त्री श्रांत प्रचएड हो, श्रियक बलवती हो, कपालिनी (दुर्गा) हो, विवाद करने वाली हो, धनादिक वस्तुएँ चुराने वाली हो, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने अथवा रान वालो हो, श्रौर सात घरों में—घरघर में—डोलने वाली हो, वह यदि दस पुत्रों की माता भी हो तो भी उसे त्याग देना चाहिये।'

इस पहा के अनुवाद में सोनीजी ने 'भाषी' का अर्थ 'कन्या'
गलत किया है और इसलिये आपको किर 'दशपुत्रपुत्रिणीम'
का अर्थ 'आगे चलकर दशपुत्रपुत्री वाली भी क्यों न हो'
ऐसा करना पड़ा जो ठीक नहीं है। 'भाषी' विवादिता स्त्री को कहते हैं।
वास्तव में यह पद्य ही वहाँ असंगत जान पड़ता है। इसे त्याग विक्
यक उक्त दोनों पद्या के साथ में देना चाहिये था। परन्तु 'कहीं की ईट
कहीं का रोडा भानमती ने कुनवा जोटा ' वाली कहावत को चरितार्थ करने वाले भट्टारकजी इपर उघर से उठाकर रक्ख हुए पद्यों
की तर्तीब देने में इतने कुशल, सावधान अथवा विवेकी नहीं थे।
ईसी से उनके प्रथ में जगह जगह ऐसी बुटियाँ पाई जाती है और
यह बात पहिले भी जाहिर की जो चुकी है।

ं इस तरह पर भट्टारकजी ने स्त्रियों को त्याग या तलाक देने की यह व्यवस्था की है। दिल्ला देश की कितनी ही हिन्दू जातियों में तलाक की प्रथा प्रचलित है और कुछ पुनर्विवाह वाली जैनजातियों में भी उसका रिवाज है; जैसा कि १ की फरवरी सन् ११२८ के 'जैनजगत्' श्रंक नं० ११ से प्रकट है । मालूम होता है भट्टारकर्जा ने उसीको यहाँ अपनाया है श्रीर अपनी इस योजनाद्वारा संपूर्ण जैन-संमाज में उसे प्रचारित करना चाहा है। भट्टारकजी का यह प्रयान कितना निन्दित है और उनकी उक्त न्यवस्था कितनी दोपपूर्ण, एकांगी तथा न्याय-नियमों के विरुद्ध है उसे बतलाने की जरूरत नहीं। सहदय पाठक सहज ही में उसका अनुभव कर सकते हैं । हाँ, इतना जरूर बतलाना होगा कि जिस स्त्री को त्याग या तलाक दिया जाता है वह, वैवाहिक सम्बन्ध के विच्छेद होने से, अपना पुनर्तिवाह करने के लिये स्वतंत्र होती है। श्रौर इसालिये यह भी कहना चाहिये कि भट्टारकंजी ने अपनी इस व्यवस्था के द्वारा ऐसी 'त्यका' स्त्रियों को अपने पति की जीवितावस्था में पुनर्विवाह करने की भी स्वतंत्रता या परवानगी दी है !! अस्तु; पुनर्विवाह के सम्बन्ध में भट्टारकजी ने भौर भी कुछ आज्ञ।एँ जारी की हैं जिनका प्रदर्शन अभी आग 'स्त्री-एन-विवाह' नाम के एक स्वतंत्र शीर्षक के नीचे किया जायगा।

स्त्री-पुनर्विवाह।

(२७) 'तलाक'की व्यवस्था देकर उसके फलखरूप परिस्नक्ता श्रियोंको पुन-र्वित्राह की स्त्रतन्त्रता देने वाले भट्टारकर्जा ने,कुछ हालतों में,अपरिस्नक्ता श्लियों के लिये भी पुनर्विवाहकी व्यवस्थाकी है,जिसका खुलासा * इस प्रकार है:—

^{*} यद्यपि इस विषय में भट्टारकजी के व्यवस्थान्य बहुत कुछ रुपग्र हैं फिर भी चूँकि इस त्रिवर्णाचार के भक्त कुछ पंडितों ने, उन्हें अपनी मनोवृत्ति के अनुकूल न पाकर अथवा प्रथ के प्रचार में विशेष बाधक समस्कर उन पर पदी डालने की जयस्य चेष्टा की है-अतः यहाँ

ग्यारहवें अध्याय में भट्टारकजी ने, वाग्दान, प्रदान, वरण, पाणिप्रहण और सप्तपदी को विवाह के पाँच अंग बतलाकर, उनकी क्रपशः
सामान्यविधि बतलाई है और फिर 'विशेषविधि' दी है. जो अंकुगरं पण
से प्रारम्भ होकर 'मनोरथा: सन्तु' नामक उस आर्शवीद पर समाप्त
होती है जो सप्तपदी के बाद -पूर्णाहृति आदि के भी अनन्तर दिया हुआ
है। इसके पश्चात् उन्होंने हिन्दुर्शों के 'चतुर्थी कर्म' को अपनान का
उपक्रम किया है और उसे कुळ जैन का रूप दिया है। चतुर्थी-कर्म
विवाह की चतुर्थ शित्र के कृत्य को कहते हैं *। हिन्दुर्शों के यहाँ वह
विवाह का एक देश अथवा अंग माना जाता है। चतुर्थी-कर्म से पहले
वे की को 'भार्या' संज्ञा ही नहीं देते। उनके मतानुसार दान के समय
तक 'कन्या', दान के अनन्तर 'चधू', पाणिप्रहण हो जाने पर 'प्रति'
और चतुर्थ-कर्म के पश्चात् 'भार्या' संज्ञा की प्रवृत्ति होती है। इसी
सं वे भार्या को 'चातुर्थ कर्मणी' कहते हैं, जैसा कि मिश्र निबाहराम
विरचित उनके विवाहपद्धित के निम्न वाक्यों से प्रवट है:---

चतुर्थीकर्म्णः प्राक् तस्या भायंत्वमेव न संप्रवृत्तम् । विवाहेकदेः शत्वाचतुर्थीकर्मणः। इतिस्त्रार्थः। तस्माद्भायां चातुर्थकर्मणिति मुनिः बचनात् । "ग्राप्रदानात् भवेत्कम्या प्रदानानन्तरं वधूः॥ पाणिप्रदे तु पत्नी स्याद्भायां-चातुर्थकर्मणीति॥"

श्रीर इसी निये उनकी विवाहपुस्तकों में 'चतुर्थीकर्भ' का पाठ लगा रहता है जो 'ततश्चतुथ्योमपरराश्चे चतुर्थीकर्म' इस प्रकार के

पर उनका कुछ विशेष खुनामाश्रथना स्पर्धाकरण कर देना है। उचित तथा ज़करी मालूम हुना है। इसीने यह उसका प्रयत्न किया जाना है।

^{*} वामन शिवराम एंट के कोश में भी एना ही लिखा है। यथा:-

[&]quot;The Ceremonies to be performed on the fourth night of the marriage " और १ससे 'चतुर्था' का अयं होता है The fourth night of the marriage विवाह की चतुर्थ राजि ।

[3=5]

बाक्य के साथ प्रारम्भ होता है। महारकजी ने विवाह रात्रि के बाद से—उस् रात्रि के बाद से जिस रात्रि को पंचाङ्गिविवाह की सम्पूर्ण विधि सगाप्त हो जाती है—चतुर्थी कर्म का उपक्रम करते हुए, प्रति दिन सुबह के वक्त पौष्टिक कर्म भोर रात्रि के समय शांतिहोम करने की व्यवस्था की है, भीर फिर चौथे दिन के प्रभातादि समयों का कृत्य बतलाया है, जिसमें विवाहमंडण के भीतर पूजनादि सामग्री से युक्त तथा श्रांक चित्रादिकों से चित्रित एक महामंडल की नवीन रचना, वधू का नूतन कलश स्थापन संध्या के समय वधू वर का वहाँ गीत बादित्र के माथ स्नान भीर उन्हें गंधा स्वत्रप्रान भी शागिल है के। इसके बाद संस्त्रेप में चतुर्थगित्रि का कृत्य दिया है भीर उसमें मुख्यतया नीचे किसी किया भी का उन्नेष्ट किया है—

(१) ध्रुवतारा निरीच्या के अनन्तर सभा की पूजा (२) भगवान का अभिषेक-पुरस्तर पूजन तथा होमं (३) होम के बाद पत्नी के गल में वर की दी हुई सोने की ताली का मंत्रपूर्वक बाँधा जाना (४) मंत्र पदकर दोनों के गले में सम्बंधमाला का डाला जाना (४) नागों का तर्पण अथवा उन्हें बाले का दिया जाना (६) आग्नि पूजनादि के अनंतर वर का पान बीड़ा लेवर बधूमहित नगर को देखन जाना (७) तत्राक्षात् होग के शेष कार्य को पूरा करके पूर्णाहुति का दिया जाना (८) होम की भरम का वर वधू को वितरग्र

इस कथन के कुत्र वास्य नीचे दिये जाने हैं—
"ननः प्रश्नृति नित्यं च प्रभाने पौष्टिकं मनम्।
निशीधे शिन्न हैं।मेऽन्हि चतुर्थे नागनपंगम् ॥ १४८ ॥
तद्ग्न [िह] च प्रभाने च गृहमगृहगयोः पृयक्।सम्मार्जनः ॥१४६॥
"नवीनं घटं… संस्थापयेष्णारु पत्नी ॥ १४३॥
"सिहित्येवमेननमहामगृहकं चशुपूजार्चनायोग्य सद्ग्यपूर्णम्॥१४८॥
"सरागेऽपि संस्थाभिषाने हशीह वरस्यापि वस्ताः शुमस्नानकंषाः "।
हहं चासन युज्यते चावरेण सुमांगस्य वादिष्णांनाावपूर्वम्॥१६०॥
"कं सिहित्यावस्य गंषधारादिक्षकं सुगंधं वो मधीति…
कंवारिताक्यता अस्येवं मक्ताः।

(१) सुवर्णदान (१०) तदनंतर कंकण खोलकर प्राम की प्रदिक्तिणा करना (११) प्रदिक्तिणा से निवृत्त होकर सुखपूर्वक दुग्धपान तथा संभोगादिक करना और फिर भागने ग्राम को चले जाना।

चतुर्थ रात्रि की इन क्रियाओं से सम्बंध रखने वाले कुळ पदवाक्य इसप्रकार हैं:-

" रात्रौ ध्रवतारादश्नेनानन्तरे विद्वद्विशिष्ट बन्धुजनैश्च सभापूजा । चतुर्थ(थी) दिनेवधूवरयोरिप महास्नानानि च स्नपनाची होमादिकं कृत्वातालीबंधनं कुर्यात्। तद्यथा-'वरेण दत्ता सौवर्णीं ''तालीं ''॥१६१॥

"ऊँ एतस्याः पाणिगृहीत्यास्ताली बध्नामि इयंनित्यमवतंसलदमी

विद्ध्यात् ।

"ऊँ भार्यापत्थारेतयोः परिशीति प्राप्तयोस्तुरीये घस्ने नक्तं वेलायां त्रैतासपर्यायश्च तौ सम्बध्येते सम्बन्धमाला श्रतोलब्धिर्बह्वपत्यानां द्राधीयं श्रायुश्चापि भूयात् ।

"सुद्दोमावलोकः पुन्मैंगलीयं सस्त्रं क्रमाद् बन्धयेत्कएठदेशे। स्वसम्बन्धमालापरिवेष्टनं च, सुकर्पूरगोशार्षयोर्लेपनं च ॥ १६३॥ वधूभिद्युंपात्तार्धपात्राभिराभिः, प्रवेशो वरस्यैव तद्वच वध्वाः। शुभे मगडेप दक्षिणीकृत्यतं वै, प्रदायाशु नागस्य सात्ताद्वलिं च॥१६४॥ "समित्समारोपण पूर्वकं तथा, हुताशपूजावसरार्वनं मुदा। गृदीतवीटी च वरोवधूयुतो, विलोकनार्थं स्व (च) पुरं वजेत्

प्रभोः ॥ १६७ ॥

ततः शेषद्वोमे कृत्वा पूर्णाहुति कुर्यात् ।
"ऊँ रत्नत्रयार्चनमयोत्तम द्वोम भूतिः ॥ १६८ ॥ इतिभस्मप्रदानमंत्रः ।
"हिरग्यगर्भस्य । १६६-१७१ ॥ इति स्वर्णदानमंत्रः ॥
"तदनन्तरं कं कण्मोचनं कृत्वा महाशोभया श्रामं प्रदित्तिणीकृत्य पयः पावन
निधुवनादिकं सुखेन कुर्यात् । स्वश्रामं गच्छेत् ।

'तद्नंतरं' नाम के मन्तिम वाक्य के साथ ही चतुर्थी (चतुर्थ-रात्रि) का विविद्यत सामान्य वृत्य समाप्त हो जाता है। इसके बाद भद्दारकजी के हृदय में इस चतुर्थीकृत्य के सम्बन्ध में कुछ विशेष सूच-नाएँ कर देने की भी इच्छा पैदा हुई श्रीर इसिबिये उन्होंने 'स्वग्रामं

[१8१]

गेच्छेत् ' के श्रनंतर ही 'श्रथाविशेषः' लिखकर उसे पाँच * पर्यों में न्यक्त किया है, जो इस प्रकार हैं:—

विवाहे दम्पतीस्यातां तिरात्रं ब्रह्मचारिए। मलंकता वध्येत्रेव सहशय्यासनाशिना ॥ १७२॥ वध्यासहैव कुर्वीत निवासं श्वसुरालये। चतुर्थ दिनमत्रैव केचिदेवं वदन्ति हि ॥ १७३॥ चतुर्थिमध्ये श्वायन्ते दोषा यदि वस्य चेत्। दत्तामपि पुनर्दचात्यिताऽन्यस्मै विदुर्बुधाः॥ १७४॥ प्रवरेक्यादिदोषाःस्युः पतिसंगादधो यदि। दत्तामपि हरेहचादन्यस्मा इति केचन॥ १७४॥ कलौ तु पुनरुद्वाहं वर्जयेदिति गालवः। कस्मि।श्चिहेश इच्छन्ति न तु सवंत्र केचन॥ १७६॥

इन पद्यों द्वारा भट्टारकजी ने यह प्रतिपादन किया है कि—'विवाह होजाने पर दम्पती को—वर वधू दोनों को—तीन रात तक (विवाह रात्रि को शामिल करके) ब्रह्मचारी रहना चाहिय—परस्पर संभोग अथवा काम कीड़ादिक न करना चाहिय—इसके बाद वधू को अलकृत किया जाय और फिर दोनों का शयन, आसन तथा भोजन एक साथ होते।।१७२॥ वर को वधू के साथ ससुराल में ही निवास करना चाहिये पातु कुछ विद्वानों का यह कहना है (जिस पर

्रीत ‡कुळ स्थाना पर अधवा जातिया में ऐसा रिवाज़ पाया जाता है। कि वधु के पतिगृह पर आने की जगह पति ही वधू के घर पर जाकर

^{*} एक छुठा पद्य आर भी है जिसका चतुर्थीकिया के साथ कुछ सम्बंध नहीं है और जो प्रायः असंगतसा जान पहता है। उसके बाद 'विवाहानन्तरं गच्छेत्सभार्यः स्वस्य मंदिरम्' नामक पद्य से और फिर घर में वधू प्रवेश के कथन से 'स्वग्रामं गच्छेत्' कथन का सिलसिला ठीक बैठ जाता है और यह मालूम होने लगता है। के ये मध्य के पद्य ही बिशेष कथन के पद्य हैं और वे अपने पूर्वकथन—चतुर्थीकृत्य-वर्णन—के साथ सम्बंध रक्षते हैं।

महारकजी के। कोई आयति नहीं) कि समुराल में चैथि दिन तक ही रहना चाहिये || १७३ || चौर्या रात को-चतुर्यीकर्मादिक के समय-यदि वरके दोष (पतितत्व -नपुंसकत्व।दिक) मालूम हो जायँ तो पिता को चाहिय कि वर को दी हुई-विवाही हुई अपपनी पुत्री को फिर से किसी दूसरे निर्दोष वर को दे देवे - उसका पुनार्विवाह कर देवे - ऐसा बुदिमानों ने कहा है ॥१७४॥ कुञ्ज विदानों का ऐसा भी मत है (जिस पर भी भट्टारक जी को कोई आपित नहीं। कि पुत्री का पति के साथ संगम-संभोग-हो जाने के पश्चात् यदि यह मालम पड़े कि इस सम्बंध द्वारा प्रवरों की--गोत्र शाखाओं अथवा मुनि वंशादिकों की-एकतादि जैस दोष संबटित हुए हैं तो (आगे को उन दोषों की जान बूफ कर पुनरावृत्ति न होनं देने आदि के लिय) पिता की चाहिये कि वह अपनी उस दान की हुई (विवाहिता और पुन: स्वतयानि) पुत्री का हरगा करे आर उम किसी दूसरे के साथ विवाह देवे ॥१७४॥ ' कालियुग में क्षियों का पुनर्वित्राह न किया जाय र यह गालव ऋषि का मत है (जिससे भट्टारक जी प्रायः सहमत मालूम नहीं होते) परंतु दूसर कुछ आचः यों का मत इससे भिन्न है। उनकी दृष्टि में वैसानिषेध सर्व स्थानों के लिये इष्ट नहीं है, वे किसी किसी देश के लिये ही उसे श्राच्छा सगमते हैं-बाकी देशों के लिये पुनर्विवाह की उनकी अनुमति है।

रहता है और प्रायः घर्डों का हो जाता है। सभव है उसी रिश्ज की इस उल्लेख द्वारा इष्ट किया गया हो और यह भी संभव है। कि चार दिन से श्रिथिक का नियास ही पद्य के पूर्वार्ध का श्रभीष्ट हो। परंतु कुछ भी हो इसमें सदेह नहीं कि सोनीजी ने इस पद्य का जो निम्न श्रमुखाद दिया है वह यथोचित नहीं है—उसे देते हुए उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा। कि पद्य के पूर्वार्ध में एक बात कही गई है सब उत्तरार्ध में दूसरी बात का उल्लेख किया गया है —

"कोई कोई ब्राचार्य ऐसा कहते हैं कि वर, वधू के साथ चौछे

हिन भी खुसरास में दी निवास फर ।"

इससे साफ बाहिर है - भौर पूर्व कथनसम्बन्ध से वह भौर भी स्पष्ट हो जाता है-कि भट्टारकजी ने यह विवाहिता खियों के लिये पुन-र्विवाह की व्यवस्था की है। तीसरे भीर चौथे पद्य में उन हालतों का उल्लेख है जिनमें पिता को श्वपनी पुत्री के पुनार्विवाह का अधिकार दिया गया है, भौर वे ऋमशः वर के दोष तथा सम्बन्ध-दोष को लिये हुए हैं। पाँचनें पद्म में किसी हालत निशेष का उल्लेख नहीं है बह पुनर्विवाह पर एक साधारण वाक्य है और इसी से कुछ विद्वान् उस पर से विधवा के पुनर्विवाह का भी आशय निकालते हैं। परन्तु यह बात अधिकतर 'गालच' नामक हिन्दू ऋषि के उस मूख बाक्य पर अवलिम्बत है जिसका इस पद्य में उद्लेख किया गया है। वह वाक्य यदि खाली विभवाविवाह का निषेधक है तब तो भट्टारकजी के इस बाक्य से विधवाविवाह को प्राय: पोषण जरूर मिलता है और उससे विधवाविवाह का माशय निकाला जा सकता है; क्योंकि व गालव से भिन मत रखने वाले दूसरे आ चार्यों के मत की श्रीर मुके हुए हैं। श्रीर यदि वह विभवाविवाह का निषेधक नहीं किन्तु जीवित भर्तृका एवं अपरित्यका शियों के पुनर्विवाह का ही निषेधक है. तब महारक्तजी के इस वाक्य से वैसा आशय नहीं निकाला जा सकता और न इस वाक्य का पूर्वार्च विभवनित्राह के तिरोध में ही पेश किया जा सकता है। तलाश करने पर भी अभी तक मुके गालव ऋषि का कोई प्रंथ नहीं मिला और न दूसरा कोई ऐसा संप्रहप्रनथ ही उपलब्ध द्वश्रा है जिसमें गासव के प्रकृत विषय से सम्बन्ध रखने वाले बाक्यों का भी संप्रह हो। यदि इस परीकाबेख की समाप्ति तक भी वैसा कोई प्रंथ मिस्र गया-- जिसके लिये खोज जारी है-- तो उसका एक परिशिष्ट में बस्दर तस्सेख कर दिया जायगा। फिर भी इस बात की संमावनः बहुत ही कम जान पहती है कि गालव ऋषि ने ऐसी सबी-

विवादिता (तुरत की न्याही हुई) और सदीषभर्तृका अधवा सम्बन्धदूषिता क्षियों के पुनर्विवाह का तो निषंध किया हो, जिनका पद्य
नं ० १७४, १७५ में उल्लेख है, और विधवाओं के पुनर्विवाह का
निषंध न किया हो । में तो सममता हूँ गालवजी ने दोनों ही प्रकार के
पुनर्विवाहों का निषंध किया है और इसीस उनके मत का ऐसे सामान्य
वचन द्वारा उल्लेख किया गया है। हिन्दुओं में, जिनके यहाँ 'निघोग'
भी विधिविहित माना गया है, 'परादार' जैसे कुछ ऋषि ऐसे भी हो
गये हैं जिन्होंने विधवा और सधवा दोनों के लिये पुनर्विवाह की व्यवस्था की है * । गालव ऋषि उन से भिन्न दोनों प्रकार के पुनर्विवाहों

* जैसा कि पाराशर स्मृति के—जिसे 'कली पाराशराः स्मृताः' वाक्य के द्वारा कलियुग के लिये खास तौर स उपयोगी बतलाया गया है—निस्न वाक्य से प्रकट हैं:—

> नष्टे मृते प्रविज्ञते क्लीचे च पतित पतौ । पंचस्वापत्सु नारीणां पतिरन्या विधीयते ॥ ४-३०॥

इसमें लिखा है कि 'पित के खो जाने—देशान्तरादिक में जाकर लापता हो जाने—मर जाने, सन्यासी बन जाने, नपुंसक तथा पितत हो जाने रूप पाँच आपत्तियों के अवसर पर स्त्रियों के लिये दूसरा पित कर लेने की व्ययस्था है—वे अपना दूसरा विवाद कर सकती हैं।'

इसी बात को 'श्रमितगति 'नाम के जैनाचार्य ने श्रपनी 'धर्म-परीचा 'में निम्न वाक्य द्वारा उन्नेखित किया है:—

> पत्यौ प्रवाजिते क्लीवे प्रनष्टे पतिते सृते । पंचस्वात्पसु नारीएां पतिरन्यो विधीयते ॥ ११-१२ ॥

'धमे परी सा' के इस वाश्य पर से उन लोगों का कितना ही समा-धान हो जायगा जो अमवश पाराशरस्मृति के उक्त वाश्य का ग्रेलत अर्थ करने के लिये कोरा व्याकरण छोंकते हैं — बहुते हैं 'पति' शब्द का सप्तमी में 'पत्यों ' रूप होता है, 'पती ' नहीं। इसलिये यहाँ समासान्त ' अपित ' शब्द का सप्तम्यन्त पद ' अपितो ' पड़ा हुआ है, जिसके 'अ कार का 'पतिते ' के बाद लोप हो गया है, और वह उस पतिभिन्न पतिसहश का बोधना है जिसके साथ महज़

[१६४]

के निषेधक रहे होंगे। और इसलिये जब तक गालव ऋषि के किसी वाक्य से यह सिद्ध न कर दिया जाय कि वे विधवश्विताह के निषेधक नहीं थे तबतक महारकजी के उक्त मामान्य न्यवस्था वाक्य नं ०१७६ पर से जो लोग विधवा विवाह का आशय निकालते हैं उसपर कोई खास आपत्ति नहीं की जासकती।

सगाई (मँगनी) हुई हो किन्तु विवाद न हुआ हो। ऐसे लोगों को मालूम होना चाहिये कि रहोक के उत्तरार्थ में जो 'पतिरन्यों' (दूसरा पति) पाठ पड़ा हुआ है वह पूर्वार्थ में 'पतों' की ही स्थिति को चाहता है—'अपती' की नहीं—अर्थात् जिसके मरने वगरह पर दूसरे पति की व्यवस्था की गई है वह 'पति' ही होना चाहिय 'अपति' नहीं। और 'पति' संज्ञा उसीको दी जाती है जो विधि-पूर्वेक पाणिग्रहण संस्कार से संस्कारित हो कर सप्तपदी को प्राप्त हुआ हो—महज़ वाग्दान वगरह की वजह से किसी को 'पतित्व' की प्राप्ति नहीं होती; जैसा कि 'उद्घाहतत्व' में दिये हुए 'यम' भ्रमुषि के निस्न वाक्य से प्रकट हैं:—

गोर्केन न वा वाचा कन्यायाः पतिरिष्यते । पाणिग्रहणसंस्कारात् पतित्वं सप्तमे परे ॥ (शब्दकलपटुम)

दसके सिवाय, इतना और भी जान लेना चाहिये कि प्रधम ता यह आर्थ प्रयोग है, और ग्रार्थ प्रयोग कभी कभी व्याकरण से भिन्न भी होने हैं। दूसरे, इस्द की हिए से किंव लोग अनेक बारव्याकरण के नियमों का उद्धंघन कर जात हैं, जिसके प्राचीन साहित्य में भी कितन ही उदाहरण मिलते हैं। बहुन संभव है 'पत्यी' की जगह 'पत्ती' पद का यह प्रयोग छन्द की हिए से ही किया गया हो; अस्यथा पराग्राजी इस शब्द के 'पत्यी' कप से भी अभिन्न थे और उन्होंने अपनी स्मृति में 'पत्यी' पद का भी प्रयोग किया है, जिसका एक उदाहरण 'पत्यी जीवित कुराइस्तु मृते भतिर गोलक:' (४-२३) है। तीसर 'पत्ती' पदका प्रयोग उक्त स्मृति में अस्यन्न भी पाया जाता है, जिसका ' अपनी ' वहाँ बन ही नहीं सकता। और उस प्रयोगवास्य से यह साफ ज़ादिर है कि जो स्नां पति के मरने, खो जाने अथवा उसके त्याग देने पर पुनर्विवाद न करके जार से गर्भ धारण करती है उसे पराशरजी ने 'पतिता' अर्थर 'पायकारिणी' लिखा है—उन

इसके सिवाय, जो भट्टारकाजी पित के दोष मालूम होजाने पर पूर्व विवाह को ही रह कर देते हैं, संमोग होजाने पर भी खी के लिय दूसरे विवाह की योजना करते हैं, तलाक की विधि बतलाकर पित्यका श्रियों के लिय पुनर्विवाह का मार्ग खोलते अथवा उन्हें उसकी स्वतंत्रता देते हैं, कामयज्ञ रचाने के बड़े ही पत्तपाती जान पड़ते हैं, योनिपूजा तक का उपदेश देते हैं, ऋतुकाल में भोग करने को बहुत ही आवश्यक समस्रते हैं, और ऋतुकाल में भोग न करने वाली खियों को तियँच गित का पात्र ठहराते हैं — इतना अधिक जिनके सामने उस भोग का महत्व है — उनसे ऐसी आशा भी नहीं की जा सकती कि उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह का— उन नन्हीं नन्हीं बालविधवाओं के पुनर्विवाह का— उन नन्हीं नन्हीं बालविधवाओं के पुनर्विवाह का भी जो महज्ञ परों की गुनहगार हों और यह भी न जानती की हिए में 'जार ' दूसरा पित (पितरन्यः) नहीं हो सकता। वे इसरा पित अहगा करने ऋप पुनर्विवाह को विधिविहित और जार से

रमण को निन्य तथा दण्डनीय ठहराते हैं। यथा:--जारेण जनयेद्रभं मृते त्यक्ते गते पतौ।

तां त्यजेदपरे राष्ट्रे पतितां पापकारियाम् ॥ १०-३१ ॥

श्रीर चौथे यह बात भी नहीं कि व्याकरण से इस 'पनी ' कर की सर्वथा सिद्धि ही न होती हो, सिद्धि भी होती है, जैसाकि श्रष्टाः घ्यायी के 'पति: समास एव' सूत्र पर की 'तत्वबोधिनी' टीका के निम्न श्रंश से प्रकट है, जिसमें उदाहरण भी दैवयोग से पराशरजी का उक्त स्टोक दिया है:—

मते प्रवासित क्लीवे च पतिते पती। पंच स्वापत्सु मते प्रवासित क्लीवे च पतिते पती। पंच स्वापत्सु मारीणां पतिरन्यो विधीयते " इति पराश्रस्थ ॥ अत्राहुः॥ पतिरित्याख्यातः पतिः—'तत्करोति तदा चष्टे ' इति णिचि टिलापे 'अच इः' इत्यौणादिक प्रत्यये 'ग्रेरिनिटि' इति णिलापे च निष्पन्नोऽयं पति ' पतिः समास एव ' इत्यत्रन गृह्यते लाल्लािकत्वादिति ।

श्रतः 'पता 'का श्रर्थ 'पत्या 'ही है। श्रीर इस्रालिये जो लोग उसके इस समीचीन श्रर्थ को बदलने का नि:सार प्रयक्त करते हैं यह उनकी भूल है। हों कि विवाह किस चिड़िया का नाम है—सर्वधा निषेध किया हो । एकं स्थान पर तो भट्टारकजी, कुछ नियम विधान करते हुए, बिखते हैं:—

यस्यास्त्वनामिका हस्ता तां विदुः कलहावियाम् । भूमि न स्पृथते यस्याः स्वादते सा पतिद्वयम् ॥ ११-२४॥

अर्थात्— जिस स्त्री की अनामिका अँगुली छोटी हो वह कलह-कारिग्री होती है, और जिसकी वह अँगुली भूमि पर न टिकती हो वह अपने # दो पतियों को खाती है — उसके कम से कम दो विवाह जरूर होते हैं और वे दोनों ही विवाहित पति मर जाते हैं।

महारकजी के इस नियम-विधान से यह साफ जाहिर है कि जैन समाज में ऐसी भी कन्याएँ पैदा होती हैं जो अपने शारीरिक बद्धाणों के कारण एक पति के मरने पर दूसरा विवाह करने के लिये मजबूर होती हैं—तभी वे दो पतियों को खाकर इस नियम को सार्थक कर सकती हैं—और एक पति के मरने पर श्री का जो दूसरा विवाह किया जाता है वही विधवाविवाह कहलाता है | इसलिय समाज में—नहीं नहीं समाज की प्रत्येक जाति में—विधवाविवाह का होना अनिवार्य ठहरता है; क्योंकि शारीरिक बद्धाणों पर किसी का वश नहीं और यह नियम समाज में पुन-विवाह की व्यवस्था को माँगता है । अन्यथा भट्टारकजी का यह नियम ही चिरतार्थ नहीं हो सकता—वह निर्यक्ष हो जाता है ।

भौर दूसरे स्थान पर भट्टारकजी ने 'शूद्रा पुनर्विवाहमण्डने' भादि बाक्य के द्वारा यह स्पष्ट घोषणा की है कि 'शूद्रा के—शूद्र जाति

[#]मट्टारकजी कायह 'दो पितयों को खानी है' वाक्य-प्रयोग कितना झाशिए झार झसंयत भाषा को क्षिय हुए है उसे बतलाने की ज़करत नहीं। जब 'मुनीन्द्र' कहलाने बाले ही ऐसी मर्माविदारक निन्ध भाषा का प्रयोग करने हैं तब किसी लड़की के विधवा होने पर उसकी सास यदि यह कहती है कि 'तूने मरा खाल खा लिया' तो इसमें आक्षर्य ही क्या है ? यह सब विध्वाओं के प्रति अशिष्ट स्यवहार है।

की जैन की के-पुनर्विवाह के समय की की पति के दाहिनी और विठेन लाना चाहिय,' जिससे यह भी ध्विन निकलती है कि अश्रद्धा अर्थात् ब्राह्मण, च्विय और वैश्य जाति की जैन क्षियों के पुनर्विवाह के समय वैसा नहीं होना चाहिये—वे बाई और विठलाई जानी चाहिये । अस्तु; आपका वह पूरा वाक्य इस प्रकार है—

> 'गर्भाधाने पुंसवने स्मिन्तोन्नयने तथा। चधू प्रवेशने शुद्धा पुनार्विवाहमग्डने॥ पूजने कुलदेव्याश्च कन्यादाने तथैव च। कर्म खेतेषु वैभार्या दिल्ले तूप वेशयेत्॥

> > -- वाँ श्रध्याय ॥ ११६--११७॥

इस वाक्य के 'शूद्रा पुनर्विवाहमगडने' पद को देख कर सोनीजी कुछ बहुत ही चिकित तथा विचलित हुए मालूम होते हैं, उन्हें इसमें मूर्तिमान विभवाविवाह अपना मुँह बाए हुए नजर आया है और इसालिये उन्होंने उसके निषेव में श्रापनी सारी शक्ति खर्च कर डाली है। वे चाहते तो इतना कहकर छुट्टी पा सकते थे कि इसमें विधवा के पुनर्त्रिवाह का उल्लेख नहीं किन्तु महज श्र्दा के पुनर्विवाह का उल्लेख है, जो सधवा हो सकती है । परंतु किसी तरह का सधवापुनार्विवाह भी आपको इष्ट नहीं या, आप दोनों में कोई विशेष अन्तर नहीं देखते थे और शायद यह भी समभते हों कि सधवाविवाह के स्वीकार कर लेने पर विधव।विवाह के निषेध में फिर कुछ बल ही नहीं रह जाता । श्रीर विधवाविवाह का निषेध करना आपको खास तौर से इष्ट था, इस्लिये उक्त पद में प्रयुक्त हुए 'पुनर्विचाह' को 'विधवाविवाह' मान कर ही आपने प्रकारान्तर से उसके निषेध की चेष्टा की है। इस चेष्टा में आपको शुद्धों के सत् असत् भेदादि रूप से कितनी है। इधर उधर की कल्पनाएँ करनी श्रीर निरर्धक बातें लिखनी पड़ी-मूल प्रंथ से बाहर का आश्रय लेना पड़ा—परंतु किर भी श्राप यह सिद्ध नहीं कर सके कि भहारकर्जा ने विधवाविवाह का सर्वथा निषेध किया है। श्रापको अपनी कल्पना के श्रमुसार इतना तो स्वीकार करना ही पड़ा कि इस पद में असत् श्रद्धा की विधवाविवाह-विधि का उल्लेख है—हालाँकि मूल में 'श्रद्धा' शब्द के साथ 'श्रसत्' विशेषण लगा हुआ नहीं है, वह श्रद्धा मात्र का बाचक है। श्ररतः, श्रापने 'सोमदेवनीति' (नीति-वाक्यामृत) के जिस बाक्य के श्राधार पर अपनी कल्पना गढ़ी है वह इस प्रकार है—

सक्तपरिणयनव्यवद्वाराः सच्छूद्राः।

इस वाक्य पर संस्कृत की जो टीका मिलती है और उसमें समर्थन के तौर पर जो वाक्य उद्धृत किया गया है उससे तो इस वाक्य का आशय यह मालूम होता है कि 'जो भले शद्ध होते हैं वे एक बार विवाह करते हैं—विवाह के ऊपर या पश्चात् दूसरा विवाह नहीं करते'—और इससे यह जान पड़ता है कि इस वाक्य द्वारा शद्धों के बहुविवाह का नियंत्रगा किया गया है। अध्या यों कहिये कि त्रैवर्गिक पुरुषों को बहु-विवाह का जो स्वयंभू अधिकार प्राप्त है उससे बेचार शद्ध पुरुषों को वंचित रक्खा गया है। यथा:—

"टीका—ये सच्छूद्राः शोभन श्रुद्रा भवन्ति ते सक्तपि रणयना एक वारं कृतविवादाः, द्वितीयं न कुर्वन्तीत्यर्थः । तथा च दारीतः—'द्वि भायों योऽत्र श्रुद्धः स्याद् वृषकः सद्दि विश्वतः । महत्वं तस्य नो भावि श्रुद्धजातिसमुद्भवः ॥''

इसके सिवाय, सोनीजी ने खुद पद्य नं० १७६ में प्रयुक्त हुए 'पुनसद्धारू' का अर्थ सी का पुनार्ववाह न करके पुरुष का पुनार्ववाह मृचितः किया है, जहाँ कि यह बनता ही नहीं। ऐसी हालत में मालूम नहीं फिर किस आधार पर आपने सोमदेवनीति के उक्त वाक्य का आशय सी के एक बार विवाह से निवाला है ! अथवा विना किसी आधार के

जहाँ जैसा मतलब निकालना हुआ वहाँ वैसा अर्थ कर देना ही आपको इष्ट रहा है ? यदि सोमदेवजी की नीति का है। प्रमाण देखना था तो उसमें तो साफ लिखा है—

विकृतपत्यूढाऽपि पुनर्विवाहमहेतीति स्मृतिकाराः ।

श्रायांत्-जिस विवाहिता स्त्री का पति विकारी हो--या जो सदोष पति के साथ विवाही गई हो--वह भी पुनार्विवाह करने की श्राधिकारिगी। है-श्रापेन उस विकृत पति को छोड़कर या तलाक देकर दूसरा विवाह कर सकती है--ऐसा स्मृतिकारों का--धर्मशास्त्र के रचयिताश्रों का--मत है (जिससे सोमदेवजी भी सहमत हैं--तभी उसका निषेध नहीं किया)।

यहाँ 'अविप' (भी) शब्द के प्रयोग से यह भी साफ ध्वानित हो रहा है कि यह वाक्य महज्ञ सधवा के पुनर्विवाह की ही नहीं।किन्तु विधवा के पुनर्विवाह की भी विधि को जिये हुए है। स्मृतिकारों ने दोनों का ही विधान किया है।

इस सूत्र की मौजूरगी में 'सकुत्परिण्यन व्यवहाराः सच्छूद्राः'
सूत्र पर से यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि शुद्रों के सत् शूद्र होने का हेतु उनके यहाँ स्त्रियों के पुनर्विवाह का न होना है और इसलिये त्रेवर्णिकों के लिये पुनर्विवाह की विधि नहीं बनती—जो करते हैं वे सच्छूदों से भी गये बीते हैं। इतने पर भी सोनीजी वैसा नतीजा निकालने की चेष्टा करते हैं, यह आश्चर्य है! और फिर यहाँ तक लिखते हैं कि ''जैनागम में ही नहीं, बिक झाहाण सम्प्रदाय के आगम में भी विधवाविवाह की विधि नहीं कहीं गई है।" इससे सोनीजी का बाह्यणप्रयों से ही नहीं किंतु जैनप्रयों से भी खासा अज्ञान पाया जाता है——उन्हें बाह्यण सम्प्रदाय के प्रयों का ठीक पता नहीं, नाना गुनियों के नाना मत मालूग नहीं और न अपने घर की ही पूरी ख़बर है। उन्होंने विधवाविवाह के निषेध में मनु का जो बाक्य 'न विवाह विध्वाबुक्तं विधवाविवाह के निषेध में मनु का जो बाक्य 'न विवाह विध्वाबुक्तं विधवाविवाह के निषेध में मनु का जो

है वह उनकी नासमिक्षा का बोतक है। पद्य के इस उत्तरार्ध में, जिसकी पूर्वार्ध है 'नोद्वाहिकेषु मंत्रेषु नियोगः कीर्त्यते क्यचित्.' 'विधवावेदनं' पद अपने पूर्वापरसम्बंध से 'नियोग' का बाचक है—संतानोत्पत्ति के लिये विधवा के अस्थायी प्रहण का सूचक है—और इसलिये उक्त बाक्य का आशय सिर्फ इतना ही है कि 'विवाह-विधि में नियोग नहीं होता—नियोग-विधि में नियोग होता है'—दोनों की नीति और पद्धति भिन्न भिन्न हैं। अन्यथा, मनुजी ने उसी अध्याय में परित्यक्ता (तलाक दी हुई) और विधवा दोनों के लिये पुनर्विवाहसंस्कार की व्यवस्था की है, जैसाकि मन्स्मृति के निम्नवाक्यों से प्रकट है:—

या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वेच्छ्रंया। उत्पादयत्पुनर्भूत्वा स पौनर्भव उच्यते॥१७४॥ सा चेदत्ततयोाने: स्याद्गतप्रत्यागतापि वा। पौनर्भवेन भर्त्रा सुन: संस्कारमहीति॥१७६॥

'वशिष्ठस्मृति' में भी लिखा है कि जो स्नी अपने नपुंसक, पतित या उन्मत्त भर्तार की झें। इकर अथवा पति के मर जाने पर दूसरे पति के साथ विवाह करती है वह 'पुनर्भू' कहलाती है। साथ ही, यह भी बतलाया है। की पाशिष्रहरण संस्कार हो जाने के बाद पति के मर जाने पर यदि वह मंत्रसंस्कृता स्नी अस्त्रतयोगि हो—पति के साथ उसका संभोग न हुआ हो-तो उसका फिर से विवाह होना योग्य है। यथाः—

"या क्लोवं पतितमुन्मत्तं वा भर्तारमुत्स्रुज्यान्यं पति विन्दते मृते वा सा पुनर्भूभविति ॥ "पाणिप्रहे मृते वाला केवलं मंत्रसंस्कृता । सा वेदस्तयोतिः स्यात्पुनःसंस्कार महिति ॥ —१७ वा सध्याय ।

इसी तरह पर 'नारद स्मृति' मादि के मौर कौटिलीय अर्थशास्त्र के भी कितने ही प्रमाण उद्धृत किये जा सकते हैं। 'पराशर स्मृति' का वाक्य पहले उद्घृत किया ही जाचुका है। सोनीजी को यदि अपने घर की ही खबर होती तो वे 'सोमदेवनीति' से नहीं तो आचार्य आमितराति की 'धर्म-परीचा' परसे ब्राह्मणप्रंथों का हाल मालूम कर सकते थे और यह जानसकते थे कि उनके आगम में विधवाविवाह का विधान है। धर्मपरीचा का वह 'पत्यौप्रव्राजिते'वाक्य ब्राह्मणोंकी विधवाविवाह—विधिको प्रदर्शित करनेके लिये ही लिखा गया है; जैसाकि उससे पूर्वके निम्नवाक्य से प्रकट है:—

तैरुक्तं विधवां कापि त्वं संगृष्टा सुखी भव । नेभियोर्विद्यते दोष इत्युक्तस्तापसागमे ॥ ११—११ ॥

धमिपरीत्ता के चौद्रहवें परिच्छेद में भी हिंदुओं के स्नी-पुनर्विवाह का उन्नेख है और उसे स्पष्टरूप से 'ठ्यासादीनामिदं वचः' के साथ उन्नेखित किया गया है, जिसमें से त्रिधवाविवाह का पोषक एक वाक्य इस प्रकार है:——

> पकदा परिर्णाताऽपि विपन्ने दैवयोगतः । भर्तयचतयोनिः स्त्री पुनःसंस्कारमद्देति ॥ ३८ ॥

अतः सोनीजी का उक्त लिखना उनकी कोरी नासमकी तथा अइता को प्रकट करता है । और इसी तरह उनका यह लिखना भी मिध्या ठहरता है कि ''वित्राहविधि में सर्वाच्य कन्यावित्राह ही बतलाया गया है''। बल्कि यह भट्टारकजी के 'शुद्रापुनविवाह मग्डने' वाक्य के भी विरुद्ध पड़ता है; क्योंकि इस वाक्य में जिस शूद्धा के पुनर्वित्राह का उन्नेख है उसे सोनीजी ने 'विधवा' स्तीकृत किया है—भन्ने ही उनकी दृष्टि में वह असत् शूद्धा ही क्यों न हों, विधवा और वित्राह का योग तो हुआ।

यहाँ पर मुक्ते विधवाविवाह के श्रीचित्य या श्रनीचित्य पर विचार करना नहीं है श्रीर न उस दृष्टि को लेकर मेरा यह विवेचन है ! मेरा उदेश्य इसमें प्राय: इतना ही है कि भट्टारकजी के पुनर्विवाह विषयक कथन को

^{*}श्रीचित्यानौचित्य-विचार की उस दृष्टि से एक जुदा ही वृहत् निषन्ध लिखा जाने की ज़रूरत है, जिसके लिये मेरे पास श्रभी समय नहीं है।

अपने अनुकृत न पाकर अथवा कुछ लोकविरुद्ध समभक्तर उस पर पर्दा डालने और श्रम फैबाने की जो जधन्य चेष्टा की गई है उसका नग्न दश्य सबके सामने उपस्थित कर दिया जाय, निससे वह पर्दा उठ जाय श्रीर भोले भाइयों को भी भट्टारक जी का कथन अपने असली रूप में ट्रिट-गोचर होने लगे-फिर भने ही वह उनके अनुकूल हो या प्रतिकूल। भौर इसिबए मुक्ते इतना भौर भी बतला देना चाहिये कि सोनीजी ने जो यह प्रतिपादन किया है कि 'प्रंथकार ने विधवा के लिये तेरहवें श्रष्याय में दो हो मार्ग बतलाये हैं ---एक जिनदीकाप्रहरा करना श्रीर दूसरा वैधव्य-दीक्षा लेना--तीसरा विधवाविवाह नाम का मार्ग नहीं बतलाया, और उस पर से यह नतीजा निकाला है। कि 'प्रंथकार का काश्य विधवाविवाह के अनुकुब नहीं है-होता तो वे वहीं पर विधवाविवाह नाम का एक तीसरा मार्ग और बतला देते', उसमें भी कुछ सार नहीं है — वह भी मत्तलियत पर पर्दा डालने की ही एक चेष्टा है। तेरहवें अध्याय में जिस पद्यद्वारा जिन-दीक्षा श्रयवा वैभव्यदीका के विकल्प रूप से प्रह्मा करने की व्यवस्था की गई है उसमें उत्त, स्वित् भीर वा अन्ययों के साथ 'श्रेघान्' पद पदा हुआ है # और वह इस बात को स्पष्ट बतला रहा है कि दोनों प्रकार की दीचा में से किसी एक का प्रइश उसके लिये श्रेष्ट है-आति उत्तम है। यह नहीं कहा गया कि इनमें से किसी एक का प्रहरण उसके बिये लाजिसी है अथवा इस प्रकार के दीन्न।प्रहण से भिन्न दूसरा या तीसरा कोई मध्यम मार्ग उसके निये है ही नहीं । मध्यम मार्ग जरूर है भीर उसे महारकजी ने भाठवें तथा ग्यारहवें अध्याय में 'पुनर्विसाह' के रूप में सुचित किया है। श्रीर इसलिये उसे दुबारा यहाँ विखने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर जो उत्कृष्ट मार्ग रह गया था उसी का समुचय किया गया

[#] यथा:— विधवायास्ततो नार्या जिनदीचासमाश्रयः। श्रेयानुतास्विद्धीपन्यदीचा वा गृह्यते तदा॥ १६८ ॥

है । सौर इसलिये यदि कोई विधवा जिनदीक्वा धारणा न कर सके श्रीर वैधव्यदीन्। के योग्य देशव्रत का प्रह्ण, कएठसूत्र श्रीर कर्णभूषण श्रादि सम्पूर्ण त्राभूषणों का त्याग, शरीर पर सिर्फ दो वस्त्रों का धारण, खाट पर शयन तथा अंजन और लेप का त्याग, शोक तथा रुदन और विकथा-श्रवण की निवृत्ति, प्रातः स्नान, त्राचमन-प्राणायाम श्रौर तर्पण की नित्य प्रवृत्ति, तीनों समय देवता का स्तात्रपाठ, द्वादशानुप्रेत्ता का चिन्तवन, · ताम्बूलवर्जन श्रौर लोलुपतारहित एक बार भोजन, ऐसे उन सब नियमों का पालन करने के लिये समर्थ न होवे जिन्हें भट्टारकजी ने, 'सर्वमेतद्विधी-यते' जैसे वाक्य के साथ, वैधव्यदीचा-प्राप्त स्त्री के लिये स्त्रावश्यक बतलायां है, तो वह विधवा भट्टारकजी के उस पुनर्विवाह-मार्गका अवलम्बन लेकर यथाशिक श्रावकधर्म का पालन कर सकती है; ऐसा भट्टारकजी के इस उत्कृष्ट कथन का पूर्व कथन के साथ आशय और सम्बन्ध जान पड़ता है । 'पाराशरस्मृति' में भी विधवा के लिये पुनर्विवाह की उस व्यवस्था के बाद, उसके ब्रह्मचारिगी रहने आदि को सराहा है-िखेखा है कि 'जो स्त्री पति के मर जाने पर ब्रह्मचर्यव्रत में स्थिर रहती है--वैधव्यदीना को धारण करके दृढता के साथ उसका पालन करती है-वह मर कर ब्रह्मचारियों की तरह स्वर्ग में जाती है। श्रीर जो पति के साथ ही सती हो जाती है वह मनुष्य के शरीर में जो साढ़े तीन करोड़ बाल हैं उतने वर्ष तक स्वर्ग में वास करती है। यथा:~

> मृते भर्तिरे या नारी ब्रह्मचर्यव्रेत स्थिता। सा मृता लभते खग्नं यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ ३१ ॥ तिस्रः कोट्योर्धकोटी च यानि लोमानि मानवे। तावत्कालं वसेत्खर्गे भर्तारं याऽनुगच्छति ॥ ३२ ॥

पाराशरस्मृति के इन वाक्यों को पूर्ववाक्यों के साथ पढ़नेवाला कोई भी सहदय विद्वान् जैसे इन वाक्यों पर से यह नतीजा नहीं निकाल सकता

[**२०**४]

कि पराशरजी ने विधवाविवाह का निषंध किया है उसी तरह पर भट्टारकजी के उक्त वाक्य पर से भी कोई समऋदार यह नतीजा नहीं निकाल सकता कि भट्टारकजी ने विधवाविवाह का सर्वथा निषेध किया है। उस वाक्य का पूर्वकथनसम्बन्ध से इतना ही आशय जान पड़ता है कि जो विधवा जिनदीक्। अथवा वैधव्यदीक्। धारण कर सके तो वह बहुत अच्छा है—अभिनन्दनीय है—अन्यथा, विधुरों की तरह साधारण गृहस्थ का मार्ग उसके लिये भी खुला हुआ है ही।

श्रव में उस श्रावरण को भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ जो पुत-विवाह—विवयक पद्म नं० १७४, १७५ श्रोर १७६ पर डाला गया है श्रीर जिसके नीचे उस सत्य को छिपाने की चेष्टा की गई है जिसका उल्लेख ऊपर उन पद्मों के साथ किया जा चुका है—भले ही लेखक कितने ही श्रंशों में भट्टारकजी के उस कथन से सहमत न हो श्रथवा श्रानेक दृष्टियों से उसे श्रापत्ति के योग्य समकता हो ।

इस विषय में, सबसे पहले में यह बतला देना चाहता हूँ कि इन पद्यों को, आगे पीछे के तीन और पद्यों सिहत, 'अन्यमत' के श्लोक बतलाया गया है और उसकी एक पहचान इन पद्यों के शुरू में 'अध्य विशेषः' शब्दों का होना बतलाई गई है, जैसा कि पिएडत पन्नालालजी सोनी के एक दूसरे लेख के निम्न वाक्य से प्रकट है, जो 'सत्यवादी' के छुठे माग के अंक नम्बर २—३ में प्रकाशित हुआ है:—

" भट्टारक महाराज अपने प्रन्थ में जैन मत का वर्णन करते हुए अन्य मतों का भी वर्णन करते गये हैं, जिसकी पहचान के लिये अय विशेष:, अन्यमतं, परमतं, स्मृतिवचनं और इति परमत स्मृतिवचनं इत्यादि शब्दों का उक्लेख किया है।"

यद्यपि मूज प्रन्थ को पढ़ने से ऐसा मालूम नहीं होता- उसके 'अन्यमतं' 'परमतं' जैसे शब्द दूसरे जैनाचार्यों के मत की श्रोर इशारा

करते हुए जान पड़ते हैं -- श्रौर न श्रव इस परीचा जेख को पढ़ जाने के बाद कोई यह कहने की हिम्मत कर सकता है कि इस प्रंथ में जिन वाक्यों के साथ 'अथ विशेषः' 'अन्यमतं' अथवा 'परमतं' जैसे शब्द लगे हुए हैं वे ही जैनमत से बाहर के श्लोक हैं, बाक़ी और सब जैन-मत के ही श्लोकों का इसमें संग्रह है; क्योंकि ऐसे चिन्हों से रहित दूसरे पचासों श्लोकों को अजैनमत के सिद्ध किया जा चुका है और सैंकड़ों को श्रीर भी भिद्ध किया जा सकता है। फिर भी यदि यह मान जिया जाय कि ये श्लोक अजैनमत के ही हैं तो उससे नतीजा ? दूसरे मत के श्लोकों का उद्धरण प्राय: दो दृष्टियों से किया जाता है--श्रपने मत को पुष्ट करने अथवा दूसरों के मत का खरडन करने के लिये । यहाँ पर उक्त श्लोक दोनों में से एक भी दृष्टि को लिये हुए नहीं हैं--वे वैसे ही (स्वयं रच कर या अपना कर) प्रंथ का अंग बनाये गये हैं। अपीर इसालिय उनके अजैन होने पर भी भट्टारकर्जा की जिम्मेदारी तथा उनके प्रतिपाद्य विषय का मूल्य कुळ कम नहीं हो जातो। श्रातः उन पर श्रन्य मत का श्रावरण डालने की चेष्टा करना निरर्थक है। इसके सिवाय, सोनीजी ने अपने उस जेख में कई जगह बड़े दर्प के साय इन सब श्लोकों को 'मनुस्मृति' का बतनाया है, श्रौर यह उनका सरासर ऋठ है। सारी मनुस्मृति को टटोन जाने पर भी उसमें इनका कहीं पता नहीं चलता । जो लोग अपनी बात को ऊपर रखने श्रीर दूसरों की श्राँखों में धूल डालने की धुन में इतना मोटा और साचात् भूठ लिख जाने तक की धृष्टता करते हैं वे अपने विरुद्ध सत्य पर पदी डालने के लिये जो भी चेष्टा न करें सो थोड़ा है। ऐसे अटकलपच्चू और ग़ैर-जिम्मेदाराना तरीक्ने से लिखने वालों के वचन का मूल्य भी क्या होसकता है? इसे पाठक स्वयं समभ सकते हैं। इन्हीं सोनीजी ने, चतुर्थीकर्म-विषयक सारे पूर्वकथन पर पानी फेर कर १७४ वें पद्य में प्रयुक्त हुए 'चतुर्थीमध्ये 'पद का मर्थ मपने उस लेख में, 'चौथी पदी 'किया है श्रीर उस पर यहाँ तक जोर दिया है कि इसका श्र्य "चौथी पदी ही करना पड़ेगा ", "चौथी पदी ही होना चाहिये ", "मराठी टीकाकार ने भी भूल की है " *। परंतु अपनी श्रनुवाद-पुस्तक में जो श्र्य दिया है वह इससे निन्न है । मालूम होता है बाद में श्रापको पंचांगितवाह के चौथे श्रंग (पाणिप्रहण) का कुन्न खयाल श्राया श्रीर वहीं चतुर्थी के सत्यार्थ पर पर्दा डालने के लिय श्राधिक उपयोगी जँचा है ! इसलिय श्रापने श्रपने उक्त वाक्यों श्रीर उनमें प्रयुक्त हुए 'ही 'शब्द के महत्व को भुलाकर, उसे ही चतुर्थी का वाच्य बना डाला है !! बाकी 'द्ताम् ' पद का वहीं यसत श्राप्त वाच्या में दी हुई 'कायम रक्खा है, जैसा कि पूरे पद्य के श्रापके निम्न श्रनुवाद से प्रकट है:——

"पाणिपीडन नाम की चौथी किया में अथवा सप्तपदी से पहले वर में जातिच्युतरूप, हीनजातिरूप, या दुराचरणरूप दोष मालूम हो जायँ तो वाग्दान में दी हुई कन्या को उसका पिता किसी दूसरे श्रेष्ठ जाति आदि गुण्युक्त वर को देवे, ऐसा बुद्धिमानों का मत है।"

पूर्वकषनसम्बन्ध को सामने रखते हुए, जो ऊपर दिया गया है, इस धानुवाद पर से यह मालूम नहीं होता कि सोनीजी को 'चतुर्थीकर्म' का परिचय नहीं या और इसिनिये 'चतुर्थीमध्ये' तथा 'दत्ताम्' पदों का अर्थ उनके द्वारा भूज से यसत प्रस्तुत किया गया है; बिक्कि यह साफ जाना जाता है। कि उन्होंने जान बूमकर, विवाहिता लियों के

[#] मराठी टीकाकार पं॰ कल्लाप्या भरमाप्या निटवे ने " चवष्या दिवशीचें कृत्य द्वीलयाच्या पूर्वीच " मर्थ दिया दै।

पुनर्विवाह पर पर्दा डालने के लिये, उक्त पर्दों के प्रकृत और प्रकरणसंगत अर्थ को बदलने की चेष्टा की है। अन्यथा, 'द्ताम्' का 'वाग्दान में दी हुई अर्थ तो किसी तरह भी नहीं बन सकता था, क्योंकि चतुर्थी के सोनीजी द्वारा अविष्टात अर्थानुसार भी जब विवाहकार्य पांशिप्रहरा की अवस्था तक पहुँच जाता है तब कन्यादान तो **'प्रदान'** नाम की दूसरी किया में ही हो जाता है और उस वक्त वह कन्या 'कन्या' न रहकर 'वधृ'तया पाणिप्रइस के अवसर पर 'पतनी' वन जाती है+। फिर भी सोनीजी का उसे कारदान में दी हुई करया' लिखना ऋौर अन्यत्र यह प्रतिपादन करना । के ' विवाद कन्या का दी होता है ' छुल नहीं तो श्रीर क्या है ? स्रापका यह छल यः इत्तरक्यस्मृति के एक टीकावाक्य के अनुवाद में भी जारी रहा है और उसमें भी आपने 'वाग्दान में दी हुई कन्या' जैसे अर्थों को अपनी तरफ से लाकर घुसेड़ा है। इसके सिवाय उक्त स्पृति के 'दत्वा कन्या हरन् दराख्यो व्ययं द्वाच सोदयं' को उसी (विवाह) प्रकरण का बतलाया है, जिसका कि 'द्तामपि हरेत्पूर्वीच्छ्रेयांश्चेद्वर ऋाव्रजेत्' वाक्य है—हालाँकि वह वाक्य भिन्न अध्याय के भिन्न प्रकरण (दाय भाग) का है तथा वाग्दत्ताविषयक स्तीधन के प्रसंग को लिये हुए है, और इसलिये उसे उद्घृत करना ही निर्श्वक या । दूसरा वाक्य जो उद्घृत किया गया है उससे भी कोई समर्थन नहीं होतां—न उसमें 'चतुर्थी मध्ये' पद पड़ा हुआ है और न 'दत्ताम्' का अर्थ टीका में ही 'वाउद्ता' किया गया है। वाकी टीका के अन्त में

⁺ जैसाकि 'श्राप्रदानात् भवेत्कन्या' नाम के उस वाक्य से प्रकट है जो इस प्रकर्ख के शुक्ष में उद्घृत किया जा चुका है। हाँ, सोनीजी ने श्रपने उस लेख में लिखा है कि "तीनपदी तक कन्या संज्ञा रहती है, पश्चात् चौथीपदी में उसकी कन्या संज्ञा दूर होजाती है"। यह लिखना भी आपका शायद वैसा ही अटकलपच्चू और बिना सिर पैर का जान पहता है जैसा कि उन स्होकों का मनुस्मृति के बतलाना।

जो 'एतच सप्तमगदात्प्राग्दष्टव्यम्' वास्य दिया है वह मूल से बाहर की चींब है—मूल के किसी शब्द से सम्बंध नहीं रखती—उसे टींका की अपनी राय अथवा टींकाकार की खींचातानी कहना चाहिये। अन्यया, याइवल्क्यस्मृति में खुद उसके बाद 'अच्चता च चता चैव पुनर्भू: संस्कृता पुन:' आदि वाक्य के द्वारा अन्यपूर्व की के भेदीं में 'पुनर्भू' खी का उझेख किया है और उसे 'पुन: संस्कृता' लिख कर पुनर्विवाह की अधिकारिणी प्रतिपादन किया है। साथ ही, उसके चत्रयोनि (पूर्व पति के साथ संगम को प्राप्त हुई) और अच्चत-योनि (प्रव पति के साथ संगम को प्राप्त हुई) और अच्चत-योनि (संस्कार मात्र को प्राप्त हुई) ऐसे दो भेद किये हैं। पुनर्भू का विशेषस्त्रक्ष 'मनुस्मृति' और 'वशिष्ठस्मृति' के उन वाक्यों से भी जाना जासकता है जो ऊपर उद्धृत किये जा चुके हैं। ऐसी हालत में सोनी जी का अपने अर्थ को (ब्राह्मण्ड) सम्प्रदाय के अविरुद्ध बत- खाना और दूसरों के अर्थ को विरुद्ध ठहराना कुछ भी मूल्य नहीं रखता—वह प्रजापमाञ्च जान पड़ता है 🛞।

ब्राह्मण सम्प्रदाय के विशिष्ठ ऋषि तो साफ़ लिखते हैं कि कन्या यदि किसी ऐसे पुरुष को दान कर दी गई हो जो कुल शिल से विहीन हो, नपुंसक हो, पतित हो,रोगी हो,विधमीं हो या वेशधारी हो, अथवा सगोत्री के साथ विवाह दी गई हो तो उसका हरण करना चाहिये— और इस तरह पर उस पूर्व विवाह को रह करना चाहिये। यथा:—

" कुलशील विद्वीतस्य पएडादि पतितस्य च ।

ग्रापसारि विधर्मस्य रोगिणां वेशधारिणाम् ॥
दश्तःमपि द्वरेरकस्यां सगोत्रोढां तथैव च ॥" (शब्दकरुण्दुम)
दस वाष्य में प्रयुक्त 'सगोत्रोढां तथैव च ॥" (शब्दकरुण्दुम)
दस वाष्य में प्रयुक्त 'सगोत्रोढां' (समान गोत्री स विवादी हुई)पद् 'द्त्तां'पद पर अच्छा प्रकाश द्वालता दें और उसे 'विवादिता' स्वित करता है। सोमदेवने भी अपने उस 'विकृतपत्यूदा' नामक वाष्य में स्मृतिकारों का जो मत उद्घृत किया है उसमें उस पुनर्षिवादयोग्य स्ति को 'जढा' ही वतसाया है जिसका अर्थ होता है 'विश्वदिता'।

्इसी तरह पर १७५ वें पद्य में प्रयुक्त हुए 'द्वां' पद का अर्थ मी 'बाउद्ता कन्या' गंजत किया गया है, जो पूर्वोक्त हेतु से किसी तरह भी वहाँ नहीं बनता। इसके सिवाय, 'पतिसंगाद्धः' का अर्थ आपने, 'पति के साथ संगम-संभोग-हो जाने के पश्चात् ' न करके, 'पाणिपीइन से पहले' किया है--'पतिसंग'को 'पाणिग्रहण' बतलाया है और 'अधः' का अर्थ 'पहले' किया है। साथ ही, 'प्रवरे-क्यादिदोषाः ' के अर्थ में 'दोषाः' का अर्थ छोड़ दिया है और 'भ्रादि'को 'ऐक्य' के बाद न रखकर उसके पहले रक्खा है,जिससे कितना है। अर्थदोष उत्पन्न हो गया है । इस तरह से सोनीजी ने इन पदों के उस समुचित अर्थ तथा आशय को बदल कर, जो शुरू में दिया गया है. एक इतयोनि स्त्री के पुनार्विवाह पर पर्दा डालने की चेष्टा की है। परन्तु इस चेष्टा से उस पर पर्दा नहीं पड़ सकता। 'पतिसंग' का श्चर्थ यहाँ 'पाणिपीडन' करना विडम्बना मात्र है श्रीर उसका कहीं से भी संप्रर्थन नहीं हो सकता। 'संग' भौर 'संगम' दोनों एक।र्थवाचक शब्द हैं और वे स्नी-पुरुष के गिथुनीभाव को सूचित करते हैं (संगमः, संगः स्त्रीपुंसोर्मिथुनी भावः) जिसे संभोग श्रौर Sexual intercourse भी कहते हैं। शब्दकल्पद्रुम में इसी आशय को पुष्ट करने वाला प्रयोग का एक अञ्झा उदाहरणा भी दिया है जो इस प्रकार है:-

> श्वम्बिका च यदा स्नाता नारी ऋतुमती तदा । संगं प्राप्य मुनेः पुत्रमस्तान्धं महाबक्तम् ॥

'श्रधः' शब्द 'पूर्व' या 'पहले' श्रर्थ में कमी व्यवहत नहीं होता परंतु 'पश्चात्' श्रर्थ में वह व्यवहत जरूर होता है; जैसाकि 'श्रश्नाभक्तं' पद से जाना जाता है जिसका श्रर्थ है 'भोजनान्तं पीय-यावं बढा।दिकं'-मोजन के परचाद् पीये जाने बांबे जलादिक (2 dose of water, medicine etc. to be taken after meals. V. S. Apte) । और इसबिये सोनीजी ने 'पतिसंगाद्धः' का जो अर्थ 'पाणिपीडन से पहले' किया है वह किसी तरह भी नहीं बन सकता । पाणिपीडन नामक संस्कार से पहले तो 'पति' संज्ञा की प्राप्ति भी नहीं होती—वह समपदी के सातवें पद में जाकर होती है, जैसाकि पूर्व में उद्धृत 'नोदकेन' पद्य के 'पतित्वं सप्तमे पदे' वाक्य से प्रकट है। बब 'पति' ही नहीं तो फिर 'पतिसंग' कैसा ? परंतु यहाँ 'पतिसंगात्' पद साफ पदा हुआ है। इसबिये वह समपदी के बाद की संमोगावस्था को है। स्वित करता है। उस पर पदी नहीं डाला जा सकता।

अब रहा गालव के उन्नेख वाला १७६ वॉ पद्य, इसके अनुवाद में सोनीजी ने और भी गजब ढाया है और सत्य का बिलकुल ही निर्द-यता के साथ गला मरोड डाला है !! आप जानते थे कि खी के पुनर्विवाह का प्रसंग चल रहा है और पहले दोनों पर्यों में उसीका उक्केख है। साथ ही, यह समकते ये कि इन पद्यों में प्रयुक्त हुए 'द्रां' 'पुनर्दचात्' जैसे सामान्य पदों का अर्थ तो जैसे तैसे 'वाग्दान में दी हुई ' मादि करके, उनके प्रकृत मर्थ पर कुछ पदी डाबा जा सकता है और उसके नीचे पुनार्विवाह को किसी तरह छिपाया ना सकता है परंतु इस पद में तो साफ तौर पर 'पुनकद्वाहं' पद पड़ा हुआ है, जिसका अर्थ 'पुनर्विवाह' के सिवाय और कुछ होता ही नहीं और बह कथन-ऋम से श्रियों के पुनर्विवाह का ही वाचक है, इसि खेय उस पर पर्दा नहीं डाजा जा सकता। चुनैं चे आपने अपने उसी बेख में, जो 'जातिप्रबोधक' में प्रकाशित बाबू सूरजभानजी के लेख की समीद्धारूप से बिखा गया था, बाबू सूरजमानजी-प्रतिपादित इस पथ के अनुवाद पर और उसके इस निष्कर्ष पर कि यह स्डोक खियों के पुनर्विवाह-विषय को बिये हुए है कोई आपित नहीं की थी। प्रत्युत इसके बिख दिया था--- "आगे चलकर गालव महाशय के विषय में जो आपने लिखा है वह भी ठीक नहीं है क्योंकि वे महाशय जैन नहीं हैं। किसी दि० जैन ऋषि का प्रमाण देकर पुनर्विवाह सिद्ध करते तो आच्छा होता। यह कहा जा चुका है कि १७१ से १७६ तक के रजोक दि० जैन ऋषि प्रणीत नहीं हैं, मनुस्मृति के हैं।"

इससे बाहिर है कि सोनीजी इस श्लोक पर से स्त्रियों के पुनर्विवाह की सिद्धि ज़रूर मानते थे परन्तु उन्होंने उसे श्राजैन रलोक बतला कर उसका तिरस्कार कर दिया था। अपन इस श्चनवाद के समय श्रापको श्रपने उस तिरस्कार की निःसारता मालूम पड़ी श्रीर यह जान पड़ा कि वह कुछ भी कार्यकारी नहीं है। इसिलिये श्रापने श्रोर भी श्रधिक निष्ठुरता धारण करके, एक दूसरी नई तथा विलक्षा चाल चली त्रौर उसके द्वारा विलकुल ही त्र्यकल्पित अर्थ कर डाजा ! श्रर्थात् इस पद्य को स्त्रियों के पुनर्विवाह की जगह पुरुषों के पुनर्विचाह का बना डाला !! इस कपटकला, कूटलेखकता और अनर्थ का भी कहीं कुछ ठिकाना है !!! भला कोई सोनीजी से पूछे कि 'कलौ तु पुनुरुद्वाहं वर्जियेत्'का अर्थ जो श्रापने " कलियुग में एक धर्मपत्नी के होते हुए दूसरा विवाह न करे " दिया है उसमें ' एक धर्मपत्नी के होते हुए 'यह अर्थ मूल के कौन से शब्दों का है अथवा पूर्व पद्यों के किन शब्दों पर से निकाला गया है तो इसका आप क्या उत्तर देंगे ? क्या ' इमारी इच्छा ' श्रथवा यह कहना समुचित होगा कि पुरुषों के श्रिधिकारों को सुरिच्चित रखने के लिये - स्त्री के मर जाने पर भी वे कहीं इस मतानुसार प्रनिविवाह के ऋधिकार से वंचित न हो जाँय इसालिये-इमने अपनी ओर से ऐसा कर दिया है ? कदापि नहीं। वास्तव में, आपका यह अर्थ किसी तरह भी नहीं बनता और न कहीं से उसका

समर्थन ही होता है। श्रापने एक ' भावार्थ ' लगाकर उसे कुल गर्ले उतारने की चेष्टा की है और उसमें ब्रह्मणधर्म के अनुमार धर्मपती. भोगपती, प्रथम विवाह धर्म्य विवाह, दूसरा विवाह काम्य विवाह,सवर्षी स्त्री के होते हुए श्रम् वर्णा स्त्री से धर्म कृत्य न कराये जावें. आदि कि-तनी ही बातें लिखीं और कितने ही निरर्धक तथा अपने विरुद्ध वाक्य भी उद्धृत किये परन्तु बहुत कुछ सर पटकने पर भी आप गालव ऋषि का तो क्या दूसरे भी किसी हिन्दू ऋषि का कोई ऐसा वाक्य उद्घृत नहीं कर सके जिससे पुरुषों के पुन-र्विवाहविषयक स्वयंभू ऋधिकार का विरोध पाया जाय। श्रीर इसलिये श्रापको यह कल्पना करते ही बना कि 'कोई ब्राह्मण ऋषि दे। निवाहों को भी धर्म्य विवाह स्वीकार करते हैं और तृतीय विवाह का निषेध करते हैं। तब संभव है कि गालव ऋषि दूसरे विवाह का भी निषेध करते हों।" इतने पर भी आप अंत में लिखते हैं-''जो लोग इस रलोक से ब्रियों का पुनर्विवाह अर्थ निकालते हैं वह विलक्तल अयुक्त है। क्योंकि यह अर्थ स्वयं ब्राह्मण्सम्प्रदाय के विरुद्ध पड़ता है।" यह घृष्टता की पराकाष्टा नहीं तो और क्या है ? वह अर्थ ब्राह्मणसम्प्रदाय के क्या विरुद्ध पड़ता है उसे आप दिखला नहीं सके और न दिखला सकते हैं। आपका इस विषय में ब्राह्मण सम्प्रदाय की दुइाई देना उसके साहित्य की कोरी अनभिज्ञता को प्रकट करना अथवा भोले भाइयों को फँसाने के बिये व्यर्थ का जात रचना है। मतु।

इस सब विवेचन पर से सहृदय पाठक सहज है। में इस बात का भानुभव कर सकते हैं कि भृष्टारक जी ने भ्यपित्यका खियों के जिये भी—— जिनमें विधव। एँ भी शामिल जान पहती हैं——पुनर्विवाह की साफ़ ध्यवस्था की है भीर से नीजी जैसे पंडितों ने उसे भ्रपनी चित्तवृत्ति के अनुकूल न पाकर अथवा कुछ लोकाविकद्ध समक्त कर जो उस पर पर्दा डालने की चेष्टा की है वह कितनी नीच, निःसार तथा जंघन्य है और साथ ही विद्वता को कलंकित करने वाली है।

जो लोग इस तिवर्णाचार पर अपनी 'अटल श्रद्धा' का ढँढोरा पीटते हुए उसको प्रामाणिक प्रंथ बतलाते हैं ‡ और फिर श्रियों के पुनर्विवाह का निषेध करते हैं उनकी स्थिति नि:संदेह बड़ी ही विचित्र और करुणाजनक है! वे खुद श्रपने को ठगते हैं और दूसरों को उगते फिरते हैं!! उन्हें यदि सचमुच ही इस प्रंथ को प्रमाण मानना था तो कियों के पुनर्विवाह-निषेध का साहस नहीं करना था; क्योंकि श्रियों के पुनर्विवाह का विधान तो इस प्रंथ में है ही, वह किसी का मिटाया मिट नहीं सकता।

तर्पण, श्राद्ध श्रोर पिग्डदान ।

(२०) हिन्दुश्रों के यहाँ, स्नान का श्रंग स्वरूप, तर्पण नाम का एक नित्य कर्म वर्णन किया है। पितरादिकों को पानी या तिलोदक (तिलों के साथ पानी) श्रादि देकर उनकी तृप्ति की जाती है, इसीका नाम तर्पण है। तर्पण के जल की देव श्रीर पितरगण इच्छा करते हैं, उसको श्रहण करते हैं श्रीर उससे तृप्त होते हैं, ऐसा उनका सिद्धान्त है। यदि कोई मनुष्य नास्तिक्य भाव से श्रर्थात्, यह समभ कर कि देव पितरों को जलादिक नहीं पहुँच सकता, तर्पण नहीं करता है तो जल के इच्छुक पितर उसके देह का क्षिर पीते हैं, ऐसा उनके यहाँ योगि याज्ञवस्क्य का वचन है। यथा:——

[‡] पं० धन्नालालजी कासलीबाल ने भी १० वर्ष हुए 'सत्यवादी' में प्रकाशित अपने लेख द्वारा यह घोषणा की थी कि—''मेरा सोमसेन इत त्रिवणांचार प्रथ पर, षटल अद्धान है और में उसे प्रमाणीक मानता हूँ ''।

[२१४]

नास्तिक्यभावाद् यक्षापि न तर्पयति वै सुतः। पिबन्ति दृहरुधिरं पितरो वै जलार्थिनः ॥

भहारकजी ने भी, इस त्रिवर्णाचार में, तर्पण को स्नान वा एक श्चेग बतलाया है। इतना ही नहीं, बल्कि हिन्दुओं के यहाँ स्नान के जो पाँच अंग-संकल्प, स्कतपठन मार्जन, अधमर्षण * और तर्पण-माने जाते हैं उन सक्छे। ही अपनाया है। यथा:---संकल्पं [हगः] सूत्र [क्र] पठनं मार्जनं चाधमर्पणम् । देवादि [वर्षि] तर्पणं चैव पंचांगं स्नानमाचरेत्. [स्नानं पंचांगमिष्यते] ॥ २-१०४ ॥

यह श्लोक भी किसी हिन्दू प्रंथ से लिया गया है। हिन्दुओं के

* 'ग्रंघमषंण' पापनाशन को कहते हैं। दिन्दु श्रों के यहाँ यह स्मानांगक में पापनाशन किया का एक विशेष ग्रंग माना जाता है। वेद में 'श्रुतं च स्तर्यं' नामका एक प्रसिद्ध स्क है, जिसे 'ग्रंघमषंण स्क्र' कहते हैं और जिसका ऋषिं:भी 'ग्रंघमषंण' है। इस स्क को पानी में निमग्न हो कर तीन बार पढ़ने से सब पापों का नाश हो जाता है और यह उनके यहाँ ग्रंथ्वमेध यह की तरह सब पापों का नाश करने वाला माना गया है, जैसा कि 'शुंख्यमृति' के निम्नवाक्यों से प्रकट है:—

> ततोऽम्मसि निमग्नस्तु त्रिः पठेद्यमर्पणम् ॥ ६-१२ ॥ यथाऽश्वमेषः ऋतुराट्र सर्वयापापनोदनः । तथाऽवमर्षकं सुक्तं सर्वपापप्रणाशनम् ॥ ६-१३ ॥

वामन शिवराम पेपटे ने भी अपने कोश में इस स्क की उक्त मान्यता का उन्नेच किया है, और विचा है कि 'गुरुपक्षी, माता, तथा भगिनी आदि के साथ सम्भोग जैसे घोरतम पाप भी इस स्कूक को तीन बार पानी में पढ़ने से नाश को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है' यथा—

The most heinous crimes, such as illicit intercourse with preceptor's wife, one's own mother, sister, daughter-in-law etc.. are said to be expiated by repeating this example thrice in water.

'स्मृतिरहाकर 'में यह ब्रैकटों में दिये हुए साधारण पाठभेद के साथ पाया जाता है श्रीर इसे ' स्त्रान्ति ' ऋषि का वाक्य लिखा है। हिंदु श्रों

भट्टारकर्जा ने इस श्रवमर्थण को स्नान का श्रंग बनलाकर हिन्दुश्रों के एक ऐसे सिद्धान्त को अपनाया है जिसका जैनसिद्धान्तों के साध कोई मेल नहीं। जैनसिद्धान्तों की दृष्टि से पार्थों को इस तरह पर स्नान के द्वारा नहीं घोषा जा सकता। स्नान से शरीर का सिर्फ बाह्यमल दूर होता है, शरीर तक की शुद्धि नहीं हो सकनी; फिर पापों का दूर होना तो बहुत ही दूर की बात है-वह कोई खेल नहीं है। पाप जिन मिध्यात्व-श्रसंयमादि कारणों से उत्पन्न होते हैं उनके विपरीत कारणों को मिलान से दी दूर किय जा सकते हैं-जलादिक से नहीं। जैसाकि श्री श्रामितगीत श्राचार्य के निस्नवाक्यों से भी प्रकट है:—

मलो विशोध्यते बाह्यो जलेनित निगद्यताम् । पापं निद्वन्यते तेन कस्येदं हृदि वर्तते ॥३६॥ मिथ्यात्वाऽनंयमाऽज्ञानैः कलमधं प्राणिनार्जितम् । सम्यक्त्व संयमज्ञानैर्वन्यते नान्यथा स्फुटम् ॥३७॥ कषायैरिजितं पापं सालिलेन निवायेते । पतःज्जडात्मनो ब्रुते नान्ये मीमांसका ध्रवम् ॥३६॥ यदि शोधियतुं शक्तं शरीरमि नो जलम् । स्नन्तःस्थितं मनो दुष्टं कथं तेन विशोध्यते ॥३६

—धर्मपरीचा, १७ वाँ परिच्छेद ।

भट्टारकजी के इस विधान से यह मालूम होता है कि ने स्नानसे पापों का धुलना मानते थे । श्रीर शायद यही चजह हो जो उन्होंने श्राप्ते प्रन्य में स्नान की इतनी भरमार की है कि उससे एक श्रव्हें भन्ने श्रादमी का नाक में दम श्रा सकता है श्रीर वह उसीमें उलका रहकर अपने जीवन के समुचित ध्येय से वंचित रह सकता है श्रीर श्राप्ता कुछ भी उत्कर्ष साधन नहीं कर सकता । मेरी इच्छा थी कि में स्नान की उस भरमार का श्रीर उसकी नि:सारता तथा जैन सिद्धान्तों के साथ उसके विरोध का एक स्वतन्त्र शीर्षक के नीचे पाठकों को दिग्दर्शन कराऊँ परन्तु लेख बहुत बढ़ गया है इसिह्निय मजबूरन श्रानों श्रस इच्छा को द्वाना ही पहा ।

ने देव, ऋषि भौर पितर भेद से तीन प्रकार का तर्पण माना है (तर्पण च शुचि: कुर्यात्प्रत्यहं स्नातको ।द्विजः । देवेभ्यश्च ऋषिभ्यश्च पितुभ्यश्च यथा क्रमम् ॥ इति शातातपः)। भट्टारकजी ने भी तीसरे अध्याय के पद्य नं-७, ८, १ में इन तीनों भेदों का इसी ऋग से विधान किया है। साथ ही, हिन्दुओं की उस विधि को भी प्रायः अपनाया है जो प्रत्येक प्रकार के तर्पण को किस दिशा की झोर मुँह करके करने तथा श्रद्मतादिक किस किस द्रव्य द्वारा उसे कैसे सम्पादन करने से सम्बन्ध रखती है। परन्त अध्याय के अन्त में जो तर्पणमंत्र आपने दिये हैं उनमें पहले ऋषियों का, फिर पितरों का श्रीर श्रंत में देवताशों का तर्पण लिखा है।देव-ताओं के तर्पण में अर्डन्तादिक देवों को स्थान नहीं दिया गया किन्तु उन्हें ऋषियोंकी श्रेणींमें रक्खा गया है--इालाँकि पद्य नं० = में 'गौतमादि-महर्षीणां (न्वे) तर्पयेद ऋषितीर्थतः ' ऐसा न्यवस्यावाक्य था-शोर यह आपका लेखनकीशल अथवा रचनावैचित्र्य है!! परंतु इन सब बातों को भी छो। इये, सबसे बड़ी बांत यह है कि भट्टारकजी ने तर्पगा का सब आशय और अभिप्राय प्रायः वहीं रक्ता है जो हिंदुओं का सिद्धान्त है। अर्थात् . यह प्रकट किया है कि पितरादिक को पानी या तिस्रोदकादि देकर उनकी तृप्ति करना चाहिये: तर्पण के जल की े देव पितरगण इच्छा रखते हैं, उसको प्रदेश करते हैं श्रीर उससे तृप्त होते हैं। जैसाकि नीचे लिखे वाक्यों से प्रकट है:--

> श्रसंस्काराम्य ये के।चिज्ञज्ञाशाः पितरः सुराः। तेषां सन्तोषतृष्त्यर्थे दीयते सत्तितं मया॥ ११ ॥

व्यर्थात्—जो कोई पितर संस्कारविद्दीन मरे हों, जब की इच्छा रखते हों, क्योर जो कोई देव जब की इच्छा रखते हों, उन सब के सन्तोष तथा तृप्ति के बिये में पानी देता हूँ—जब से तर्पण करता हूँ। के चिद्दमत्कुले जाता * अपुत्रा व्यन्तराः सुराः । ते गृह्वन्तु मया दत्तं वस्त्रानिष्पीडनादकम् ॥ १३ ॥ अर्थात्–इमारे कुलमें जो कोई पुत्रद्दीन मनुष्य मरकर व्यन्तर जातिके देव हुए हों, उन्हें मैं घोती आदि वस्त्रसे निचोड़ा हुआ पानी देता हूँ उसे वे प्रद्दण करें ।

यह तर्प एको बाद घोती निचोड़ नेका मंत्र रहै। इसके बाद शरीरके श्रंगों परसे हाथ या बस्नसे पानी नहीं पोंछुना चाहिये, नहीं तो शरीर कुत्ता चाटेकी समान अपवित्र होजायगा श्रीर पुनः स्नान करनेसे शुद्धि होगी। दे ऐसा श्रद्भुत विधान करके उसके कारणों को बतलाते हुए लिखा है—

* यहाँ छुपी पुस्तकों में जो 'ऋपूर्व' पाठ दिया है वह गलत है, सही पाठ 'ऋपुत्रा' है और वही जिनसेन त्रिवणीचार में भी पाया जाता है, जहाँ वह इसी श्रंथ परसे उद्घृत है।

×यद मंत्र हिन्दुश्रों के निम्न भंत्र पर से, जिसे 'मंत्रश्च' 'इति मंत्रेण' शब्दों द्वारा खास तौर पर भंत्र रूप से उद्घेखित किया है, ज़रासा फेर बदल करके बनाया गया मालूम होता है—

ये के चास्मत्कुले जाता श्रवुत्रा गोत्रजा मृताः।

ते गृह्णन्तु मया दत्तं वस्त्रनिष्पीडनोदकम् ॥—स्मृतिरह्णाकर ।

‡ यथा:—

तस्मात्कायं न मृजीत हाम्बरेण करेण वा। ज्ञानलेहोन साम्यं च पुनः स्नानेन शुध्यति ॥ १६॥

हिन्दुश्रों के यहाँ इस पर्य के श्राशय से मिलता जुलता पक वाक्य इस प्रकार है--

> तसारहातो नावमुख्यारहानशास्त्रा न पाणिना । स्नानवस्त्रेण हस्तेन यो द्विजोऽङ्गं प्रमाजीति ॥ वृथा भवति तस्नानं पुनः स्नानेन ग्रुध्वति ।

'स्मृतिरस्नाकर' में यह वाक्य 'शिरोचारि शरीराम्बु वस्त्र-तोयं यथाक्रमम् । पिवन्ति देवा मुनयः, पितरो ब्राह्म-णस्य तु॥' के अनन्तर दिया है और इससे 'तस्मात्' पद का सम्बन्ध वहुत स्पष्टहोजाता है। इस हिए से महारकत्री का उक्त १६ वाँ पद्ध 'विकंति शिरसो' समक १ में पद्य के बादहोना चाहिये था।

[3 ? \$]

तिस्नः कोट्यां उर्घकोटी च यावद्रोमाणि मानुषे । यसन्ति तावत्तीर्थानि तस्मान्न परिमार्जयेत् ॥ १७ ॥ पिवन्ति शिरसो देशः पिवन्ति पितरो मुखात् । मध्या**च** यत्तगन्धर्वा अधस्तात्सर्वजन्तवः ॥ १८ ॥

श्चर्यात्—मनुष्यके शरीरमें जो सादे तीनकरोड़ रोम हैं, उतने ही उसमें तीर्थ हैं। दूसरे, शरीर पर जो स्नान जल रहता है उसे गस्तक परसे देव, मुख परसे पितर, शरीरके मध्यभाग परसे यह्म गंधर्व श्रीर नीचे के भाग परसे श्रान्य सब जन्तु पीते हैं। इसिलिये शरीरके श्रंगोंको पोंछुना नहीं चाहिये (पोंछुने से उन तीर्थोंका शायद श्रपमान या उत्थापन होजायगा, श्रीर देवादिकों के जल प्रहण कार्य में विश्व उपस्थित होगा !!)।

जैनसिद्धान्तसे जिन पाठकोंका कुछ भी परिचय है वे ऊपरके इस कथनसे भने प्रकार समक सकते हैं ।के भट्टारक जीका यह तर्पणिविषयक कथन कितना जैनधर्म के विरुद्ध है। जैनसिद्धांत के अनुसार न तो देविपतरगण पानी के लिये भटकते या मारे मारे फिरते हैं और न तर्पणके जलकी इच्छा रखते या उसकी पाकर तृप्त और संतुष्ट होते हैं। इसीप्रकार न वे किसी की घोती आदिका निचोड़ा हुआ पानी ग्रहण करते हैं और न किसी के शरीर परसे स्नानजलको पीते हैं। ये सब हिंद्धर्म की कियाएँ श्रीर कल्पनाएँ हैं। दिन्दुओं के यहाँ साफ़ निखा है कि 'जब कोई मनुष्य स्नानके निये जाता है तब प्याससे विह्न हुए देव और पितरगरा, पानी की इच्छा से वायु का रूप धारण करके, उसके पीं के पीं के जाते हैं । और यदि वह मनुष्य यों ही स्तान करके वस (धोती आदि) निचोड़ देता है तो वे देवितर निराश होकर जीट आते हैं। इसलिये तर्पण के पश्चात बस्न निचोइना चादिये पहले नहीं। जैसा कि उनके निम्नलिखित वचन से प्रकट है:--

स्नानार्थमभिगच्छन्तं देवाः पितृगर्गैः सह । वायुभूतास्तु गच्छन्ति तृषार्त्ताः सिललार्थिनः॥ निराशास्ते निवर्तन्ते वस्त्रनिष्पीडने कृते । अतस्तर्पणानन्तरमेव वस्त्रं निष्पीडयेत्॥

—स्मृतिरत्नाकरे, बृद्धवसिष्ठः।

परन्तु जैनियों का ऐसा सिद्धान्त नहीं है । जैनियों के यहाँ मरने के पश्चात् समस्त संसारी जीव श्रपने श्रपने श्रपाश्चम कर्मों के अनु-सार देव, मनुष्य, नरक, श्रीर तिर्यंच, इन चार गतियों में से किसी न किसी गति में अवस्य चले जाते हैं। श्रौर श्रधिक से श्रधिक तीन समय तक निराहार रहकर तुरत दूसरा शरीर धारण करलेते हैं। इन चारों गातियों से अन्न वितरों की कोई निराली गति नहीं होती, जहाँ वे विजकुल ही परावलम्बी दुए श्रासंख्यात या श्रानन्तकाल तक पड़े रहते हों । मनुष्यगति में जिस तरह पर वर्तमान मनुष्य-जो अपने पूर्वजनमीं की अपवेचा बहुतों के पितर हैं - किसी के तर्पण जलको पीते नहीं फिरते उसी तरह पर कोई भी पितर किसी भी गति में जाकर तर्पण के जलकी इच्छा से विद्वल दुश्रा उसके पीछे पीछे मारा मारा नहीं फिरता | प्रत्येक गति में जीवों का श्राहारविहार उनकी उस गति, स्थिति तथा देशकाल के अनुसार होता है और उसका वह रूप नहीं है जो ऊपर बतलाया गया है । इस तरह पर भट्टारकजी का यह सब कथन जैनधर्मके विरुद्ध है, जीवोंकी गतिस्थित्यादि-विषयक श्रजानकारी तथा श्रश्रद्धा को लिये हुए है और कदापि जैनियाँ के द्वारा मान्य किये जाने के योग्य नहीं हो सकता ।

यहाँ पर में इतना श्रीर भी बतला देना चाहता हूँ कि हिन्दुश्रों के कुछ प्रसिद्ध प्रन्थों में भी इस बातका उल्लेख मिलता है कि जैनधर्म में इस तर्पण को स्थान नहीं है जैसाकि उनके पद्मपुराण+ के निम्न

⁺ देखो 'म्रानन्दाभ्रमसिरीज़ पूना' की छुपी हुई मानृति।

[२२१]

वाक्यों से प्रकट है जो कि ३६ वें अध्याय में एक दिगम्बर साधुद्वारा, राजा 'वेन' को जैनधर्म का कुछ खरूप बतजाते हुए, कहे गये हैं:---

> वित्रणां तर्पणं नास्ति नातिथिवैश्वदेविकम् । रूष्णस्य न तथा पूजा हाईन्तध्यानमुत्तमम् ॥१६॥ प्रवे धर्मसमाचारे। जैनमार्गे प्रदृश्यते । प्रतत्ते सर्वमाख्यातं जैनधर्मस्य सन्त्रणम् ॥२०॥

श्रीर जैनियों के 'यशस्तिलक ' ग्रंथ से भी इस विषय का सम-र्थन होता है; जैसाकि उसके चौथे श्राश्वस के निम्न वाक्य से प्रकट है, जोकि राजा यशोधर की जैनधर्म-विषयक श्रद्धा को हटाने के लिथे उनकी माता द्वारा, एक वैदिकधर्मात्रलम्बी की दृष्टि से जैनधर्म की श्रुटियों को बतलाते हुए, कहा गया है:——

न तर्पणं देविष्टिद्विज्ञानां स्नानस्य होमस्य न चास्ति वार्ता । श्रुतेः स्मृतवाह्यतरे च धीस्ते धर्मे कथं पुत्र ! दिगम्बराणाम् ॥

अर्थ:त्—जिस धर्म में देवों, पितरों तथा द्विजों (ऋषियों) का तर्पग्र नहीं, (अतिस्मृतिविद्दित) स्नान की—उसी पंचांग स्नान की—अमेर होमकी वार्त! नहीं, और जो श्रुति-स्मृति से अत्यन्त बाह्य है उस दिगम्बर जैनधर्म पर हे पुत्र ै तेरी बुद्धि कैसे ठहरती है ?—तुभे कैसे उसपर श्रद्धा होती है ?

इतने पर भी सोनीजी, अपने अनुताद में, भट्टारकजी के इस तर्पश-विषयक कथन को जैनधर्म का कथन बतलाने का दुःसाहस करते हैं— लिखते हैं 'यह तर्पश आदि का विधान जैनधर्म से बाहर का नहीं है किन्तु जैनधर्म का है। है''!! आपने, कुछ अनुतादों के साथ में लम्बे कम्बे भावार्य बोइकर, भट्टारकजी के कथन को जिस तिस प्रकार से जैन-धर्म का कथन सिद्ध करने की बहुतेरी चेष्टा की, परन्तु आप उसमें कृत-कार्य नहीं हो सके। और उस चेष्टा में आप कितनी ही उटपटाँग बातें

बिख गये हैं जिनसे आपकी अद्धा, योग्याता और गुण्जता का खासा दरय सामने उपस्थित हो जाता है और उसे देखकर आपकी हालत पर बड़ा ही तस आता है । आप लिखते हैं- "व्यन्तरें। का श्रमेक प्रकार का खभाव होता है । श्रत: किसी किसी का खभाव जल-प्रहण करने का है । किसी किसी का वस्न निचोड़ा हुआ जल लेने का है । ये सब उनकी स्वभाविकी क्रियायें हैं।" परन्तु कौन से जैनशास्त्रों में व्यन्तरों के इस स्वभावविशेष का उल्लेख है या इन कियाओं को उनकी स्वभाविकी कियाँए लिखा है, इसे आप बतला नहीं सके । आप यहाँ तक तो लिखगयें कि '' जैनशास्त्रों में साफ़ लिखा है कि व्यन्तरों का ऐसा स्वभाव है श्रीर वे की ड़ानिमित्त ऐसा करते हैं - ऐसी कियारें करा कर वे शान्त होते हैं" परन्तु फिर भी किसी माननीय जैनशास्त्र का एक भी वाक्य प्रमाण में उद्धृत करते हुए आप से बन नहीं पड़ा तब आपका यह सब कथन थोथा वारजाल ही रह जाता है। मालूम होता है अनेक प्रकार के स्वभाव पर से आप सब प्रकार के स्वभाव का नतीजा निकालते हैं. ऋौर यह ऋापका विलक्षा तर्क है !! व्यन्तरों का सब प्रकार का स्वभाव मानकर और उनकी सब इच्छाओं को पूरा करना अपना कर्तव्य समभ कर तो सोनीजी बहुत ही आपति में पड़ जायँगे और उन्हें व्यन्तरों के पीछे नाचते नाचते दम लेने की भी फ़र्सत नहीं मिलेगी । खेद हैं सोनी जीने यह नहीं सोचा कि प्रथम तो व्यन्तर देव क्रीड़ा के निमित्त जिन जिन चीजों की इच्छाएँ करें उनको प्रा करना श्रावकों का कोई कर्तव्य नहीं है--श्रावकाचार में ऐसी कोई विधि नहीं है -- व्यन्तरदेव यदि मांसभक्त एा की की करने लगें तो कोई भी श्रावक पशुत्रों को मारकर उन्हें बिल नहीं चढ़।एगा, श्रीर न स्त्रीसेवन की कीड़ा करने पर अपनी स्त्री या पुत्री है। उन्हें संमीग के लिये देगा । दूसरे, यदि किसी तरह पर उनकी इच्छा को पूरा भी किया नाय तो वह तभी तो किया जा सकता है जब वैसी कोई इच्छा व्यक्त हो-कोई व्यन्तर कीड़ा करता हुआ किसी तरह पर प्रकट करे कि मुके इस वहा घोती निचोड़ का पानी चाहिये तो वह उसे दिया जा सकता है--परंतु जब वैसी कोई इच्छा या क्रीड़ा व्यक्त ही न हो अथवा उसका श्रस्तित्व हीं न हो तब भी उसकी पूर्ति की चेष्टा करना-- बिना इच्छा भी किसी को जल पीने के लिये मजबूर करना श्रयवा पीने वाले के मौजूद न होते हुए भी पिलाने का ढ़ौंग करना —क्या अर्थ रखता है ? वह निस पागलपन नहीं तो और क्या है? क्या ट्यन्तरदेवों को ऐसा श्चसहाय या महावती समक्ष लिया है जो वे बिना दूसरों के दिये स्वयं जल भी कहीं से ग्रहण न कर सकें ? वस्तु-स्थिति ऐसी नहीं है। भट्टारक नी का आशप यदि इस तर्पण सं व्यन्तरीं के ऋड़ा-उद्श्य की सिद्धि मात्र होता तो वे वैसी ऋड़ा के समय है। अथवा उस प्रकार की सूचना मिलने पर ही तर्पण का विधान करते: क्योंकि कोई कीड़ा या इच्छा सार्वकालिक श्रीर स्थायी नहीं होती ! प्रन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि प्रतिदिन और प्रत्येक स्नान के साथ में तर्पण का त्रिधान किया है; झौर उनकी व्यवस्थानुसार एक दिन में बीसियों बार स्नान की नौबत आ सकती है। अत: भट्टारकजी का यह तर्पणविधान व्यन्तरों के की डा उद्देश्य की लेकर नहीं है किन्तु सीधा और साफ तौर पर दिन्दुओं के सिद्धान्त का अनुसरण गात्र है। श्रीर इसलिए यह सोनीजी की अपनी ही कल्पना श्रीर श्रपनी ही ईजाद है जो वे इस तर्पण को व्यन्तरों की ऋोड़ा के साथ बाँधते हैं भौर उसे किसी तरह पर खींचखाँचकर जैनधर्म की कोटि में लानेका निष्पल प्रयत्न करते हैं। ११ वें श्लोक के भावार्थ में तो सोनीजी यह भी लिख गये हैं कि ''व्यन्तरों को जल किसी उद्देश्य से नहीं दिया जाता है ''! हेतु ? " क्योंकि यह बात क्षेत्रक है। साफ कह रहा है कि कोई बिना संस्कार किये हुए मर गये हों, मरकर व्यंतर क्ष हुए हों और मेरे हाथ से जन ने की वांछा रखते हों तो उनको मैं सहज (यह जन) देता हूँ। इसमें कहीं भी किसी। विषय का उद्देश्य नहीं है। ' परंतु क्ष्णेक में तो जनदान का उद्देश्य साफ निखा है 'तेषां संतोषतृष्ट्यथे'——उनके सन्तेष श्रीर तृप्ति के निये—श्रीर श्रापने भी श्रनुवाद के समय इसका श्र्य ''उनके संतोष के निये" दिया है। यह उद्देश्य नहीं तो और क्या है? इसके सिवाय पूर्ववर्ती क्ष्णेक नं० १० में एक दूसरा उद्देश्य श्रीर भी दिया है श्रीर वह है 'उस पाप की विशुद्धि जो शारीरिक मन के हारा जन को मैला श्रयना दूषित करने से उत्पन्न होता है '। यथा:—

× यन्मया दुष्कृतं पापं [दूषितं तोयं] शारीरमलसंभवम् [वात्] तत्पापस्य विशुदुष्यर्थे देवानां तर्पयाम्यहम् ॥१०॥

ऐसी हालत में सोनीजी का यह तर्पण के उद्देश्य से इनकार करना, उसे आगे चलकर श्लोक के दूसरे अधूरे अर्थ के नीचे छिपाना और इस तरह स्वपरप्रयोजन के बिना ही ‡ तर्पण करने की बात कहना कितना हास्यास्पद जान पड़ता है, उसे पाठक स्वयं समम्म सकते हैं। क्या यही गुरुमुख से शाखों का सुनना, उनका मनन करना और भाषा की ठीक योग्यता का रखना कहलाता है, जिसके लिये आप अपना आहंकार प्रकट करते और दूसरों पर आद्येप करते हैं ? मालूम होता है सोनीजी उस समय कुछ बहुत ही विचलित और अस्थिरिचत्त थे।

 ^{&#}x27;व्यन्तर' का यह नामिनर्देश मूल श्लोक में नहीं है।

[×] यह हिन्दुश्रों का यदमतर्पण का स्त्रों क है श्रीर उनके यहाँ इसका चौथा चरण ' यद्मैतत्ते तिलोद्कम्' दिया है। (देखी 'श्रान्हिकसूत्रावाल ')

^{‡ &#}x27; प्रयोजनमनुद्दिश्य न मंदोऽपि प्रवर्तते '-बिना प्रयोजन उद्देश्य के तो मूर्ख की भी प्रवृत्ति नहीं होती। फिर सोनीजी ने क्या समस्कर यह बिना उद्देश्य की बात कही है!!

[२२५]

उन्हें इस तर्पण को जैनधर्म का सिद्धान्त सिद्ध करने के लिये कोई ठै। क युक्ति सूफ नहीं पड़ती थी, इसीसे वे वैसे ही यद्वा तद्वा कुल्ल श्रहकी बहकी बातें लिखकर ग्रंथ के कई पेजों को रँग गये हैं । श्रीर शायद यही वजह है जो वे दूसरों पर मूर्वतापूर्ण अनुचित कठाक्त करने का भी दु:साहस कर बैठे हैं, जिसकी चर्चा करना यहाँ निरर्थक जान पड़ता है।

रेट वें श्लोक के भावार्ष में, कितनी ही विचलित बातों के अति-रिक्त, सोनीजी जिखते हैं:—

" यद्यपि देवों में मानसिक झाहार है, पितृगण कितने ही मुिक रथान को पहुँच गये हैं इसिलये इनका पानी पीना झसम्भव जान पड़ता है। इसी तरह यद्म, गंधवों और सारे जीवों का भी शरीर के जल का पानी (पीना?) झसम्भव है, पर फिर भी ऐसा जो लिखा गया है उसमें कुछ न कुछ ताल्पर्य झवश्य छुपा हुआ है (जो सोनीजी की समक्ष के बाहर है और जिसके जानने का उनके कथनानुसार इस समय कोई साधन भी नहीं है!)।"

" यद्यपि इस स्रोक का विषय अपसम्भव सा जान पड़ता है परन्तु फिर भी वह पाया जाता है। अतः इसका कुछ न कुछ तात्पर्य अवश्य है। व्यर्थ बातें भी कुछ न कुछ अपना तात्पर्य झापन कराकर सार्थक हो जाती हैं (परन्तु इस श्लोक की व्यर्थ बातें तो सोनीजी को अपना कुछ भी तात्पर्य न बतला सकी !)।"

इन उद्गारों के समय सोनीजों के मस्तिष्क की हालत उस मनुष्य जैसी मालूम होती है जो घर से यह खबर आने पर रो रहा था कि 'तुम्हारी की विभवा हो गई है ' और जब लोगों ने उसे समम्माया कि तुम्हारे जीते तुम्हारी की विभवा कैसे हो सकती है तब उसने सिस-कियाँ खेते हुए कहा था कि 'यह तो मैं भी जनता हूँ कि मेरे जीते मेरी की विभवा कैसे हो सकती है परन्तु घर से जो आदमी खबर लाया है वह बड़ा ही विश्वासपात्र है, उसकी बात को मूठ कैसे कहा जा सकतम है ? वह जरूर विधवा हो गई है, ? श्रीर यह कहकर श्रीर भी ज्यादा फूट फूटकर रोने लगा था; श्रीर तब लोगों ने उसकी बहुत ही हँसी उड़ाई थी । सोनीजी की दृष्टि में भट्टारकजी का यह ग्रंथ घर के उस विश्वासपात्र श्रादमी की कोटि में स्थित है । इसीसे सोद्धात् श्रासम्भव जान पड़ने वाली बातों को भी, इसमें लिखी होने के कारण, श्राप सत्य समझने श्रीर जैन-धर्मसम्मत प्रतिपादन करने की मूर्खता कर बैठे हैं ! यह है श्रापकी श्रद्धा श्रीर गुण्ज्ञता का एक नमूना !! श्रथवा गुरुमुख से शास्त्रों के श्रध्ययन श्रीर मनन की एक बानगी !!!

सोनीजी को इस बात की बड़ी ही चिन्ताने घरा मालूम होता है । कि ' कहीं ऐसी श्रासम्भव बार्तों को भी यदि मूठ मान बिया गया तो शास्त्र की कोई मर्यादा ही न रहेगी. किर हर कोई मनुष्य चाहे जिस शास्त्र की बात को, जो उसे अनिष्ट होगी, फ़ौरन अलीक (फ़ुठ) कह देगा, तत्र सर्वत्र अविश्वास फैल जायगा और कोई भी किया ठीक ठीक न बन सकेगी !' इस बिना सिर पैर की नि:सार चिन्ता के कारण ही अपने शास्त्र की--नहीं नहीं शास्त्र नाम की--मर्यादाका उल्लंघन न करनेका जो परा-मर्श दिया है उसका यही आशय जान पड़ता है कि शास्त्र में लिखी उलटी सीधी, भली बुरी, विरुद्ध ऋविरुद्ध ऋौर सम्भव ऋसम्भव सभी बातों को बिना चूँ चरा किय और कान हिलाए मान लेना चाहिये, नहीं तो शास्त्र की मर्यादा बिगइ जायगी !! वाह ! क्या ही श्रव्हा सलरामर्श है!! ऋंधश्रद्धा का उपदेश इससे भिन्न और क्या होगा वह कुछ समभ में नहीं श्राता !!! मालूम होता है सोनीजी को सत्य शास्त्र के स्वरूप का ही ज्ञान नहीं । सचे शास्त्र तो आप पुरुषों के कहे होते हैं - उनमें कहीं उत्तटी, बुरी, विरुद्ध और श्रसम्भव बातें भी हुत्रा करती हैं ? वे तो वादी-प्रतिवादी के द्वारा श्रनु-क्लंध्य, युक्ति तथा आगम से विरोधराहित, यथावत् वस्तुस्वरूप के उप- देशक, सर्व के हितकारी और कुमार्ग का मथन करने वाले होते हैं * ।
ऐसे शाकों के विषय में उक्त प्रकार की चिंता करने के जिय कोई स्थान
हो नहीं होता—वे तो खुलेमैदान परीक्ता के लिये छोड़ दिये जाते हैं—
उनके विषय में भी उक्त प्रकार की चिन्ता ज्यक्त करना अपनी श्रद्धा की कचाई और मानसिक दुर्यलता को प्रकट करना है। इसके सिवाय, सोनीजी को शायद यह भी मालूम नहीं कि 'कितने ही अष्टचारित्र पंहितों और वठरसाधुओं (मूर्ख तथा धूर्त मुनियों) ने जिनन्द्रदेव के निर्मल शासन को मिलन कर दिया है——कितनी ही असत् बातों को, इधर उधर से अपनी रचनादिकों के हारा, शासन में शामिल करके उसके खरूप को विकृत कर दिया है' (इससे परीक्षा की और भी खास जरूरत खड़ी हो गई हैं)—; जैसा कि अनगारधर्मामृत की टीका में पंज-आशाधरजी के हारा उद्धृत किसी विहान् के निम्न वाक्य से प्रकट है:—

परिडते श्रेष्टचारित्रेर्वठरैश्च तपोधनैः। शासनं जिनचन्द्रस्य निर्मतं मिलनीकृतम्॥

सोमसेन भी उन्हीं वठर अथवा धूर्त साधुओं में से एक थे, भीर यह बात ऊपरकी आलोचना परसे बहुत कुळु स्पष्ट है। उनकी इस महा आपित्रजनक रचना (त्रिवर्णाचार) को सत्यशास्त्र का नाम देना वास्तव में सत्य शाखों का अपमान करना है। अतः सोनीजी की चिन्ता, इस विषय में,

^{*} जैसा कि स्वामी समन्तमद्र के निम्न वाक्य से प्रकट है:— आसोपक्रमनुद्धंध्यमहष्टेष्टाविरोधकम् । तत्वोपदेशकृत्सार्वे शास्त्रं कापथघट्टनम् ॥ (रत्नकरएड आ०)

[‡] इसी बातको सन्य करके किसी कवि ने यह वाक्य कहा है—
जिनमत महस्र मनोझ झित किसी किया छादित पंथ।
समस्र के परिचये: चर्चा निर्णय प्रथ॥
और बड़े बड़े आखायों ने तो पहते से ही परीचाप्रधानी होने का उपदेश दिया है—अस्वअद्धाल बनने का नहीं।

बिजकुल ही निर्मूल जान पड़ती है और उनकी श्रस्थिरचित्तता तथा दुलमुलयकीनी को और भी श्रधिकता के साथ साबित करती है।

यहाँ पर मैं इतना श्रीर भी बतला देना चाहता हूँ कि सोनीजी की यह श्रास्थरिचत्तता बहुत दिनों तक उनका । पिएड पकड़े रही है — सम्भवतः प्रथ के छुप जाने तक भी श्रापका चित्त डाँवाडोल रहा है--श्रौर तब कहीं जाकर आपको इन पद्यों पर कुछ संदेह होने लगा है। इसीसे शुद्धिपत्र-द्वारा. १३वें श्रौर १७वें श्लोकके श्रन्वाद पीछे एक एक नया भावार्थ जोड्नेकी सूचना देते हुए, ब्रापने उन भावार्थों में ११ से १३ और १७ से १६ नम्बर तक के छुह श्लोकों पर ' क्रेपक ' होने का संदेह प्रकट किया है-निश्चय उसका भी नहीं - श्रौर वह संदेह भी निर्मूल जान पड़ता है। इन पद्योंको क्रेपक मानन पर १० वें नम्बर का पद्य निरर्थक हो जाता है, जिसमें उद्देशविशेष से देवों के तर्पण की प्रतिज्ञा की गई है और उस प्रतिज्ञा के अनुसार ही अपने क्षोकों में तर्पण का विधान किया गया है। १३ वाँ स्रोक खुद वस्न-निचोड़ने का मंत्र है श्रीर हिन्दुश्रों के यहाँ भी उसे मंत्र लिखा है; जैसा कि पहले जाहिर किया जा चुका है। सोनीजी ने उसे मंत्र ही नहीं समका श्रौर वस्न निचोड्नेका कोई मंत्र न होनेके श्राधार पर इन श्लोकोंके च्रेपक होने की कल्पना कर डाली !! श्रांत: ये श्लोक चेपक नहीं — ग्रंथ में वैसे ही भी छे से शामिल हो गये अथवा शामिल कर लिये गये नहीं -- किंत भट्टारकजी की रचना के अंगविशेष हैं । जिनसेनित्रवर्णाचार में सोमसेन-त्रिवर्णाचार की जो नक्कल की गई है उसमें भी वे उद्धृत पाये जाते हैं।

यहाँ तक के इस सब कथन से यह स्पष्ट है कि भट्टारकजी ने हिंदुओं के तर्पणिसद्धांत को अपनाया है और वह जैनधर्म के विरुद्ध है। सोनीजी ने उसे जैनधर्मसम्मत प्रतिपादन करने और इस तरह सत्य पर पर्दा डाजने की जो अनुचित चेष्टा की है उसमें वे ज्रा भी सफल नहीं हो सके और अंत में उन्हें कुछ पद्यों पर थोथा संदेह करते ही बना। साथ में आपकी अदा और गुणाइता आदि का जो प्रदर्शन हुआ सो जुदा रहा।

[378]

श्रव रही श्राद्ध और पिगडदान की बात। ये विषय भी जैन भर्म से बाहर की चीज हैं और हिंदूभर्म से ख़ास सम्बंध रखते हैं। भट्टारकजी ने इन्हें भी श्रपनाया है श्रीर श्रनेक स्थानों पर इनके करने की प्रेरगा तथा व्यवस्था की है * । पितरों का उद्देश्य करके दिया

जिसके कुछ नमूने इस प्रकार हैं:—
तीर्थतटे प्रकर्तव्यं प्राणायामं तथाचमम् !
सन्ध्या आदं च पिगृहस्य दानं गेहेऽधवाशुचौ ॥३-७७॥
इसमें आद्ध तथा पिगृहदान को तीर्थतट पर या घर में किसी
पवित्र स्थान पर करने की व्यवस्था की है।

नान्दीश्राद्धं च पूजांच ''। सर्वेकुयांच्च तस्याग्रे'''॥६-१६॥ इसमें 'नान्दीश्राद्ध' के करने की प्रेरणा की गई है, जो हिन्दुश्रों के श्राद्ध का एक विशेष है।

पकमेव पितुश्चाद्यं कुर्यादेशे दशाहित ।
ततो वै मातृके श्चाद्धं कुर्यादाद्यादि षोडश ॥१३-७५॥
इसमें श्चवस्थाविशेष को क्षेकर माता श्रीर पिता के श्चाद्धों का
विधान किया गया है।

तहेदप्रतिबिम्बार्थं मएडपे तद्विनापि वा।
स्थापयेदेकमश्मानं तीरे पिएडादिदत्तये॥ १६६॥
पिएडं तिलोदकं चापि कर्ता दद्याच्छिलाप्रतः।
सर्वेपि बन्धवो दद्यः स्नातास्तत्र तिलोदकं॥ १७०॥
पवं दशाहपर्यन्तमेतत्कमं विधीयते।
पिएडं तिलोदकं चापि कर्ता दद्यात्तदान्वहं ॥ १७६॥
पिएडप्रदानतः पूर्वमन्ते च स्नानमिष्यते।
पिएडः कपित्थमात्रस्य स च शाल्यन्धसा कृतः॥१७०॥
तत्पाकस्य बहिः कार्यस्तत्पात्रं च शिलापि च।
कर्तुः संब्यानकं चापि बहिः स्थाप्यानि गोपिते॥ १७६॥

- १३ वाँ अन्याय। इन पर्यों में मृतक संस्कार के अनन्तर वाले पिएडदान का विधान है और उसके विषय में लिखा है कि 'पिएडादिक देने के लिये असाश्य के किनारे पर उस मृतक की देह के प्रतिनिधिकप

[२३०]

हुआ अन्न।दिक पितरों के पास पहुँच जाता है और उनकी तृप्ति आदि सम्पादन करता है, ऐसी श्रद्धा से शास्त्रीकिविधि के साथ जो अन्नादिक

से एक पत्थर की स्थापना करनी चाहिये, संस्कारकर्ता को उस पत्थर के आगे पिएड और तिलोदक देना चाहिये और स्नान किये हुए बन्धुओं को भी वहाँ पर तिलोदक चढ़ाना चाहिये। संस्कारकर्ता को बराबर दस दिन तक इसी तरह पर पिएड और तिलोदक देते रहना चाहिये, पिएडदान से पहले और पीछे भी स्नान करना चाहिये और वह पिएड पके चावलों का कपित्थ (कैथ या बेल) के आकार जितना होना चाहिये। चावल भी घर से बाहर पकाये जाएँ और पकाने का पात्र, वह पत्थर, तथा पिएडदान-समय पहनने के वस्र ये सब चीज़ें बाहर ही किसी गुप्त स्थान में रखनी चाहियें।'

श्रद्धयात्रप्रदानं तु सद्भ्यः श्राद्धमितीष्यते । मासे मासे भवेच्छाद्धं तिह्ने वत्सराविध ॥ १६३ ॥ श्रत ऊर्ध्वं भवेदब्दश्राद्धं तु प्रतिवत्सरं । श्राद्धादशाब्दमेवैतिक्तयते प्रेतगोचरम् ॥ १६४ ॥

इन पर्यों में प्रेत के उद्देश्य से किये गये आद का स्वक्ष और उसके भेदों का उल्लेख किया गया है। लिखा है कि अद्धा से—अद्धा विशेष से—किये गये अन्नदान को आद कहते हैं और उसके दो भेद हैं १ मासिक और २ वार्षिक। जो मृतक तिथि के दिन हर महीने साल भर तक किया जाय वह मासिक आद है और जो उसके बाद प्रतिवर्ष बारह वर्ष तक किया जाय उसे वार्षिक आद है गार जो उसके बाद प्रतिवर्ष बारह वर्ष तक किया जाय उसे वार्षिक आद जानना चाहिये। यहाँ आद का जो व्युत्पत्यात्मक स्वक्ष दिया है वह प्रायः वही है जो दिन्दुओं के यहाँ पाया जाता है और जिसे उनके 'आदित्त्व' में 'वैदिकप्रयोगाधीनयौगिक' लिखा है, जैसा कि अगले फुट नोट से प्रकट है। और इस में जिस अद्धा का उल्लेख है वह भी वही 'पिनुदेश्यक अद्धा' अथवा 'प्रेतोदेश्यक अद्धा' है जिसे दिन्दुओं के पद्मपुराण में भी जैनियों की और से 'निरर्थिका' बतलाया है और जो जैनहिए से बहुत कुछ आपत्ति के योग्य है। अद्धा के इस सामान्य प्रयोग की वजह से कुछ लोगों को जो अम होता था वह अब दूर हो सकेगा।

दिया जाता है उसका नाम श्राद्ध * है। हिंदुओं के यहाँ तर्पण श्रीर श्राद्ध ये दोनों विषय करीब करीब एक ही सिद्धांत पर श्रवस्थित हैं। दोनों को 'पितृयइ' कहते हैं। भेद सिर्फ इतना है कि तर्पण में अंजलि से जल छे।डा जाता है, किसी ब्रह्मणादिक को पिलाया नहीं जाता। देव पितरगण उसे सीधा प्रहण करलेते हैं श्रीर तृप्त हो जाते हैं। परंत श्राद में प्रायः ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाता है अथवा सखा **अनादिक दिया जाता है। श्रोर जिस प्रकार लैटरबॉक्स में डाली** हुई चिट्टी दूर देशांतरों में पहुँच जाती है उसी प्रकार मानो ब्राह्मणों के पेट में से वह मोजन देव पितरों के पास पहुँच कर उनकी तृप्ति कर देता है। इसके सिवाय कुछ कियाकांड का भी भेद है। पिएडदान भी श्राद का ही एक रूपविशेष है, उसका भी उद्देश पितरों को तृप्त करना है और वह मी 'पितृयज्ञ' कहलाता है । इसमें पिएड को पृथ्वी आदिक पर डाला जाता है -- किसी बाह्मगादिक के पेट में नहीं - श्रीर उसे प्रकट रूप में कौए आदिक खाजाते हैं। इस तरह पर श्राद्ध और पिएडदान ये दोनों कर्भ प्रित्रयादि के भेद से, पितृतर्पण के ही भेदिवशेष हैं--इन्हें प्रकारांतर से 'पितृतर्पण्' कहा भी जाता है---श्रीर इसालिये इनके विषय में अब मुक्ते अधिक कुछ भी लिखने की चरूरत नहीं है। सिर्फ़ इतना और बतना देना चाहता हूँ कि हिंदू प्रंथों में 'श्राद्ध' नाम से भी इस विषयका स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि वह जैनधर्मसम्मत नहीं है, जैसाकि उनके 'पद्मपुराण' के निम्न वाक्यों से प्रकट है, जो कि ३६वें श्रध्याय में उसी दिगम्बरसाधु— द्वारा, श्राद्ध के निवेध में, राजा 'वेन' के प्रति कहे गये हैं:---

श्राद्धं—शास्त्रोकविधानेन पितृकमं इत्यम्रः । पितृद्देश्यकः अद्धयाऽस्रादि दानम्। ""'श्रद्धया दीयते यसात् श्राद्धं तेन निगशते' इति पुल्कस्त्यवचनात्। 'श्रद्धया द्यात्रादेदीनं श्राद्धं ' इति वैदिकप्रयोग्धानियौगिकम् ' इति श्राद्धतत्वम्। द्यापिच, सम्बोधनपदीपनीतान् वित्रादीन् चतुर्थन्तपदेनोद्दिश्य द्विस्त्यागः श्राद्धम्। — श्रष्ट्कल्पदुम।

[२३२]

आदं कुर्वन्ति मोहेन चयाहे पितृतर्पण्म् । काउऽस्ते मृतः समश्राति कीदशोउसौ नरोत्तम ॥ २६ ॥ कि झानं कीदशं कार्यं केन दृष्टं बदख नः । मिष्टमन्नं प्रमुक्ता तु तृर्ति यान्ति च ब्राह्मणाः ॥ ३० ॥ कस्य आदं प्रदीयेत सा तु अद्धा निर्धिका । अन्यदेवं प्रवद्दयामि वेदानां कर्मदाहण्म् ॥ ३१ ॥

इन वाक्यों में श्राद्ध को साफ तौर पर 'पितृतर्पण' किखा है, श्रौर उससे श्राद्ध का उद्देश्य भी कितना ही स्पष्ट हो जाता है। साथ ही यह बतलाया है कि जिस (पितृतृप्ति उद्देश्य की) श्रद्धा से उसका विधान किया जाता है वह श्रद्धा ही निर्धेक हैं—उसमें कुछ सार ही नहीं—इस श्रद्ध से पितरों की कोई तृप्ति नहीं होती किन्तु ब्राह्मणों की तृप्ति होती है। इसी तरह पर उक्त पुराण के १३ वें श्रप्थाय में भी दिगम्बर जैनों की श्रोर से श्राद्ध के निषेध का उद्घेख मिलता है।

ऐसी हालत में जैनप्रंथों से श्राद्धादि के निषेध—विषयक अवतरणों के देने की—जो बहुत कुछ दिये जा सकते हैं—यहाँ कोई ज़रूरत मालूम नहीं होती | जैनसिद्धांतों से वास्तव में इन विषयों का कोई मेल ही नहीं है। और अब तो बहुत से हिंदू भाइयों की भी श्रद्धा श्राद्ध पर से उठती जाती है और वे उसमें कुछ तत्व नहीं देखते । हाल में स्वर्गीय मगनलाल गाँधीजी के विवेकी वीरपुत्र केशत माई ने अपने पिता की मृत्यु के १० वें दिन जो मार्भिक उद्गार महात्मा गाँधीजी पर प्रकट किये हैं और जिन्हें महात्माजी ने बहुत पसंद किया तथा कुटुम्बीजनोंने भी अपनाया ने इस विषय में बड़ा ही महत्व रखते हैं और उनसे कितनी ही उपयोगी शिक्षा मिलतीहै | वे उद्गार इस प्रकार हैं:—

" श्राद्ध करने में मुक्ते श्रद्धा नहीं है। श्रीर शसत्य तथा मिथ्या का श्राचरण कर मैं अपने पिता का तर्पण

[२३३]

कैसे करूँ ? इसकी अपेचा तो जो वस्तु पिताजीको विय थी वहीं करूँगा। गीता का पारायण तीन दिन करूँगा और तीनों दिन १२ घएटे रोज चर्चा चलाऊँगा "। –हि॰ नव॰

परंतु हमारे सोनीजी, जैन पंडित होकर मी, अभीतक लकीर के फकीर बने हुए हैं, 'बाबाबाक्यं प्रमाणं' की नीति का अनुसरण करना है। अपना कर्तव्य समकते हैं और लोगों को 'अन्धश्रद्धालु' बनने तथा बने रहने का उपदेश देते हैं, यह बढ़ा ही आश्रयं है !! उन्हें कम से कम केशव भाई के इस उदाहरण से ही कुछ शिक्षा लेनी चाहिये।

मेरा विचार या कि में श्रीर भी कुछ विरुद्ध कथनों को दिखलाऊँ, विरुद्ध कथनों के कितने ही शिर्षक नोट किये हुए पड़े हैं—खासकर 'त्रिवर्णाचार के पूज्य देवता' शिर्षक के नीचे में कुदेवों की पूजा को दिखला कर उसकी विस्तृत आलोचना करना चाहता था परंतु उसके लिये लम्बा लिखने की जरूरत थी श्रीर लेख बहुत बढ़गया है इसिलये इस विचार को भी छोइना ही पड़ा। में सममता हूँ विरुद्ध कथनों का यह सब दिग्दर्शन काफ़ी से भी ज़्यादा हो गया है श्रीर इसिलये इतने पर ही सन्तोष किया जाता है !

इन सब विरुद्ध कथनों के मौजूद होते हुए और अजैन विषयों तथा वाक्यों के इतने भारी संप्रहकी उपस्थितिमें—अथवा प्रंथकी स्थिति के इस दिग्दर्शन के सामने—सेंनीजी के निम्न वाक्यों का कुछ भी मूल्य नहीं रहता, जो उन्होंने प्रंथ के अनुवाद की भूमिका में दिये हैं:—

- (१) ''हमें तो प्रंथ-परिश्विन से यही मालूग हुआ। कि प्रंथकर्ता की जैनधर्म पर असीम भिक्त थी, अजैन विषयों से वे परहेज करते थे। बोग खामुखाँ अपनी स्वार्थसिद्धि के लिये उनपर अवर्णवाद बगाते हैं।"
- (२) "प्रंथ की मूल भित्ति आदिपुराण पर से खड़ी हुई है।"
 "इस प्रंथ के विषय ऋषिप्रणीत आगम में कहीं संदेश से और

[२३४]

कहीं विस्तार से पाये जाते हैं। अतएव हमें तो इस प्रंथ में न अप्रमाणता ही प्रतीत होती है और न आगमविरुद्धता है।।"

मालूम होता है ये वाक्य गहज लिखने के लिये ही लिखे गये हैं, अथवा प्रंथ का रंग जमाना ही इनका एक उदेश्य जान पड़ता है । अन्यथा, ग्रंथ के परिशीलन तुलनात्मक अध्ययन और विषय की गहरी जाँच के साथ इनका कुछ भी सम्बंध नहीं है । सोनीजी के हदय में यदि किसी समय विवेक जागृत हुआ तो उन्हें अपने इन वाक्यों और इसी प्रकार के दूसरे वाक्यों के लिये भी, जिन में से कितने ही जपर यथास्थान उद्धृत किये जा चुके हैं, जरूर खंद होगा और आश्चर्य अथवा असभव नहीं जो वे अपनी भूल को स्वीकार करें । यदि ऐसा हो सका और शैतान ने कान में फूँक न मारी तो यह उनके लिये नि:सन्देह बड़े ही गैरव का विषय होगा। अस्तु ।

उपसंहार।

त्रिवर्गाचार की इस सम्पूर्ण परीक्षा श्रीर श्रनुवाद।दि-विषयक श्रालोचना पर से सहृदय पाठकों तथा विवेकशील विचारकों पर ग्रंथ की श्रमिलयत खुले बिना नहीं रहेगी श्रीर वे सहज ही में यह नतीजा निकाल सकेंगे कि यह ग्रंथ जिसे भट्टारकजी 'जिनेन्द्र।गम' तक लिखते हैं वास्तव में कोई जैनग्रंथ नहीं किंतु जैनग्रंथों का कलंक है। इसमें रत्नकरएडश्रावकाचारादि जैसे कुछ श्रार्थ ग्रंथों के वाक्यों का जो संग्रह किया गया है वह ग्रंथकर्ता की एक प्रकार की चालाकी है, धोखा है, मुलम्मा है, श्रथवा विरुद्धकथनरूपी जाली सिक्कों को चलाने श्रादि का एक साधन है। भट्टारकजी ने उनके सहारे से श्रथवा उनकी श्रोट में उन मुसलमानों की तरह श्रयना उल्लू सीधा करना चाहा है जिन्होंने भारत पर श्राक्रमगा करते समय गौश्रों के एक समृह को श्रपनी सेना के श्रांग कर दिया था। श्रीर जिस प्रकार गोहला के भय से हिन्दुकों

ने उनपर अ। क्रमण नहीं किया उसी प्रकार शायद आर्थवाक्यों की श्रवहेलना का कुछ खयाल करके उन जैन विद्वानों ने जिनके परिचय में यह प्रंथ श्रवतक श्राता रहा है इसका जैसा चाहिये वैसा विरोध नहीं किया । परंतु आर्षवाक्य और आर्षवाक्यों के अनुकूख कहेगये दूसरे प्रतिष्ठित विद्वानों के वाक्य अपने अपने स्थान पर माननीय तथा प्जनीय हैं; महारकजी ने उन्हें यहाँ जैनधर्म, जैनसिद्धान्त्, जैननीति तथा जैनशिष्टाचार आदि से विरोध रखने वाले और जैनादर्श से गिरे हुए कथनों के साथ में गूँथ कर अथवा मिलाकर उनका दुरूपयाग किया है और इस तरह पर समूचे प्रंथ को विषमिश्रित भोजन के स्मान बना दिया है, जो त्याग किये जाने के योग्य है। विषमिश्रित मोजन का विरोध जिस प्रकार भोजन का विरोध नहीं कहलाता उसी तरह पर इस त्रिवर्णाचार के विरोध को भी आर्थवाक्यों अथवा जैनशास्त्रों का विरोध या उनकी कोई श्रवहेलना नहीं कहा जा सकता । जो लोग अमवश अभीतक इस प्रंथ को किसी और ही रूप में देख रहे थे--जैन शक्ष के नाम की मुहर लगी होने से इसे साज्ञात् जिनवाणी अथवा जिनवाग्री के तुल्य समक रहे ये और इसालिये इसकी प्रकट विरोधी बातों के जिये भी अपनी समक्त में न आने वाले अविरोध की कल्पनाएँ करके शान्त होते ये - उन्हें अपने उस अज्ञान पर आब जरूर खेद होगा, वे भविष्य में बहुत कुछ सतर्क तथा सावधान हो जायँगे श्रीर यों ही इन त्रिवर्णाचार जैसे भट्टारकीय प्रंथों के आगे सिर नहीं मुकाएँगे । वास्तव में, यह सब ऐसे ग्रंथों का ही प्रताप है जो जैन-समाज अपने आद्शें से गिरकर बिलकुल ही अनुदार, अन्धश्रद्धालु तथा संकीर्णहृदय बनगया है, उसमें अनेक प्रकार के मिथ्यात्वादि कुसंस्कारों ने अपना घर बना विया है और वह बुरी तरह से कुरीतियों के जाल में

फँसा हुआ है। साथ ही, उसके व्यक्तियों में आम, तौर, पर, ढूँढने पर भी जैनत्व का कोई खास जक्षा दिखलाई नहीं पड़ता। इन सब ब्रुटियों को दूरकरके अपना उद्धार करने के लिय समाज को ऐसे विकृत तथा द्षित साहित्य से अपने व्यक्तियों को सुरिक्त रखना होगा श्रीर ऐसे जाली, ढोंगी तथा कपटी प्रंथों का सबल त्रिरोध करके उनके प्रचार को रोकना होगा। साथ ही, विचारस्वातंत्र्य को उत्तेजन देना होगा, जिससे सत्य असला, योग्य अयोग्य और हेपादेप की खुली जाँच हो सके श्रौर उसके द्वारा समाज के व्य-क्तियों की साम्प्रदायिक मोहसुग्धता तथा अन्धी अद्धा दूर होकर उन्हें यथार्थ वस्तुस्थिति के परिज्ञान-द्वारा श्रपने विकाश का ठीक मार्ग सुभ पड़े श्रीर उसपर चलने का यथेष्ट साहस भी बन सके। इन्हीं सदुदेश्यों को लेकर इस परीचा के लिये इतना परिश्रम किया गया है। आशा है इस परीचा से बहुतों का श्रज्ञान दूर होगा, भट्टारकीय साहित्य के कितने ही विषयों पर श्रन्छ। प्रकाश पड़ेगा श्रीर उससे जैन श्रजैन सभी भाई लाभ उठाएँगे।

श्रन्त में सत्य के उपासक सभी जैन विद्वानों से मेरा सादर निवेदन हैं कि वे लेखक के इस सम्पूर्ण कथन तथा विवेचन की यथेष्ट जाँच करें श्रीर साथ ही महारकजी के इस ग्रंथ पर श्रब श्रपने खुले विचार प्रकट करने की कृपा करें। यदि परीचा से उन्हें भी यह ग्रंथ ऐसा ही निकृष्ठ तथा हीन जँचे तो समाजहित की दृष्टि से उनका यह जरूर कर्तव्य होना चाहिये कि वे इसके विरुद्ध श्रपनी श्रावाच उठाएँ श्रीर समाज में इसके विरोध को उत्तेजित करें, जिससे धूर्तीकी की हुई जैनशासन की यह मिलनता दूर हो सके ! इत्यलम् !

सरसावा जि० सद्दारनपुर .ब्येष्ठ कु० १३, सं० १८८५ ∫

जुगलिकशोर मुख्तार

धर्मपरीचाकी परीचा ।



कृत्या कृतीः पूर्वकृताः पुरस्तात्प्रत्यादरं ताः पुनरीत्तमागः। तथैव अल्पेद्थ योन्यथा वा स काव्यचोरोऽस्तु स पातकी च ॥

—सोमदेवः।

सताम्बर जैनसम्प्रदायमें, श्रीधर्मसागर महोपाध्यायके शिष्य एद्म-सागर गणीका बनाया हुआ 'धर्मपरीक्ना' नामका एक संस्कृत प्रंथ है, जिसे, कुळ समय हुआ, सेठ देवचंदलालभाईके जैनपुस्तकोद्धार फंड बम्बईके छुपाकर प्रकाशित भी किया है | यह प्रंथ संवत् १६४५ का बना हुआ है | जैसा कि इसके अन्तमें दिये हुए निम्नपद्यसे प्रकट है:—

तद्वाज्ये विजयिन्यनन्यमतयः श्रीवाचकाग्रेसरा द्योतन्ते भुवि धर्मसागरमद्देशपाध्यायशुद्धा धिया । तेषां शिष्यकरोन पंचयुगषद्चंद्रांकिते (१६४४) वत्सरे वेकाकृकपुरे स्थितेन रचितो ग्रन्थोऽयमानन्दतः ॥१४८३॥

दिगम्बर जैनसम्प्रदायमें भी 'धर्मपरीक्ता' नामका एक प्रंथ है जिसे श्रीमाधवसेना वार्यके शिष्य आमितगति नामके आचार्यने विक्रमसंवत् १०७० में बनाकर समाप्त किया है। यह प्रंथ भी छपकर प्रकाशित हो चुका है। इस प्रंयका रचना-संवत् स्चक अन्तिम पद्य इसप्रकार है:—
संवत्सराखां विगते सहस्रे, ससप्ततौ (१०७०) विक्रमपार्थिवस्य।
इदं निषिष्याम्यमतं समाप्तं, जिनेन्द्रधर्मामितयु।क्रिशास्त्रम् ॥ २०॥

इन दोनों मंथोंका प्रातिषाण विषय प्रायः एक है। दोनोंमें 'मनोवेम' मोर 'पवनवेग' की प्रधान कथा भीर उसके भंतर्गत सन्य सनेक उप-कथाओंका समाव रूपसे वर्णन पाया जाता है; बल्कि एकका साहित्य दूसरे के साहित्यसे यहाँतक गिलता जुलता है कि एकको दूसरेकी नक्कल कहना कुछ भी अनुचित न होगा। अताम्बर 'धर्मपरीक्ता' जो इस लेखका परीक्ता विषय है, दिगम्बर 'धर्मपरीक्ता' से ५७५ वर्ष बादकी बनी हुई है। इसलिए यह कहनेमें कुछ भी संकोच नहीं हो सकता कि पद्मसागर गणीने अपनी धर्मपरीक्ता अमितगतिकी 'धर्मपरीक्ता' परसे ही बनाई है और वह प्रायः उसकी नक्कल मात्र है। इस नक्कलें पद्मसागर गणीने आमितगतिके आशय, ढंग (शैली) और भावोंकी ही नक्कल नहीं की, बालिक उसके अधिकांश पद्मोंकी प्रायः अक्रशः नक्कल कर डाली है और उस सबको अपनी कृति बनाया है, जिसका खुलासा इस प्रकार है:-—

पद्मसागर गणीकी धर्मपरीचामें पद्मोंकी संख्या कुल १४८४ है। इनमेंसे चार पद्य प्रशास्तिके श्रीर छह पद्य मंगलाचरण तथा प्रतिज्ञाके निकालकर शेष १४७४ पद्यों में से १२६० पद्य ऐसे हैं, जो अमितगति की धर्मपरी चासे ज्यों के ल्यों उठाकर रक्खे गये हैं। बाक़ी रहे २१४ पद्य, वे सब अमितगतिके पद्यों परसे कुछ परिवर्तन करके बनाये गये हैं । परिवर्तन प्रायः छंदोभेदकी विशेषताको लिये हुए है । श्रमितगति की धर्मपरी चाका पहला परिच्छेद और शेष १६ परिच्छेदों के अन्तके कुञ्ज कुञ्ज पद्य अनुष्टुप् छन्दमें न हो कर दूसरेही छंदों में रचे गये हैं। पद्मसागर गर्गाने उनमेंसे जिन जिन पर्चोंको लेना उचित समका है, उन्हें अनुष्टुप् छुन्दमें बदलकर रख दिया है, श्रीर इस तरहपर अपने प्रंथमें श्रानुष्टुप् छुंदोंकी एक लम्बी धारा बहाई है । इस धारामें आपने परिच्छेद-भेदको भी बहा दिया है ! अर्थात् , अपने प्रंथको परिच्छेदों या अध्यायों में विभक्त न करके उसे बिना हॉलटिंग स्टेशन वाली एक कम्बी और सीधी सड़कके रूपमें बना दिया है! । परन्तु अन्तमें पाँच पद्योंको, उनकी रचनापर मोहित होकर अधवा उन्हें सहजमें अनुष्टुप् छदका रूप न देसकने ऋदि किसी कारणविशेषसे, ज्योंका त्यों भिन

[388]

निन्न छंदों में भी रहने दिया है; जिससे अन्तमें जाकर प्रयका अनुष्टुप्-छंदी नियम भंग हो गया है। अस्तु; इन पाँचों पद्यों मेंसे पहला पद्य अमूनके तौरपर इस प्रकार है:—

इदं वतं द्वादशभेदभिन्नं, यः भावकीयं जिनमाथदृष्टम् । करे।ति संसारनिपातमीतः प्रयाति कल्याणमसौ समस्तम् ॥१४७६॥

यह पद्य झमितगति-परीचाके ११ वें परिच्छेदमें नं० १७ पर दर्ज है । इस पद्यके बाद एक पद्य और इसी परिच्छेदका देकर तीन पद्य २० वें परिच्छेदसे उठाकर रक्खे गये हैं, जिनके नम्बर उक्त परिच्छेदमें क्रमशः ८७, ८८ मीर ८१ दिये हैं। इस २० वें परिच्छेदके शेष सम्पूर्ण पद्योंको, जिनमें धर्मके अनेक नियमेंका निरूपण था, प्रंथकर्ताने छोड़ दिया है। इसी प्रकार दूसरे परिच्छेदोंसे भी कुछ कुछ पद्य छे। इ गये हैं. जिनमें किसी किसी विषयका विशेष वर्षान या। अमितगति धर्मपर्यक्ताकी पद्मसंख्या कुल ११४१ है जिनमें २० पद्मोंकी प्रशस्ति भी शामिल है. भौर पद्मसागर-धर्मपरीक्षाकी पद्मसंख्या प्रशस्तिसे अन्न १४८० है: जैसा कि ऊपर बाहिर किया जाचुका है। इसनिए सम्पूर्ण छोड़े हुए पद्योंकी संद्या बनमन ४४० समक्षनी चाहिए। इस तरह लगभग ४४० पद्योंको निकालकर, २१४ पद्योंमें कुछ छुंदादिकका परि-वर्तन करके और शेष १२६० पद्योंकी ज्योंकी त्यों नक्रख उतारकर ग्रंथकर्त्ता श्रीपद्मसागर गणीने इस 'धर्मपरीचा' को अपनी कृति बनानेका पुरुष सम्पादन किया है! जो लोग दूसरों की कृतिको अपनी कृति बनाने रूप पुराय सम्पादन करते हैं उनसे यह आशा रखना तो न्यर्थ है कि वे उस कृतिके मूलकर्ताका आदरपूर्वक स्मरण करेंगे, प्रायुत उनसे जहाँतक बन पड़ता है, वे उस कृतिके मूबकर्ताका नाम क्विपाने या मिटानेकी हैं। चेष्टा किया करते हैं ! ऐसा ही यहाँपर पद्मसागर गर्गाने भी किया है। अधितगतिका कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करना तो दूर

[२४०]

रहा, श्रापने अपनी शिक्तभर यहाँ तक चेष्टाकी है कि प्रंथभरमें श्रमितगतिका नाम तक न रहने पाने श्रीर न दूसरा कोई ऐसा शब्द ही रहने पाने जिससे यह प्रंथ स्पष्ट रूपसे किसी दिगम्बर जैनकी कृति समभ लिया जाय । उदाहरराके तौरपर यहाँ इसके कुछ नमूने दिखनाये जाते हैं:—

१-श्रुत्वा वाचमशेषकत्मषमुषां साधोर्गुणाशंसिनीं नत्वा केवलिपादपंकजयुगं मर्त्यामरेन्द्रार्चितम् । भारमानं वतरत्नभूषितमसौ चक्रे विशुद्धाशयो॥ भन्य: प्राप्य यतेगिरोऽमितगतेव्यर्थाः कथं कुर्वते ॥१०१॥

यह पद्य श्रमितगितको धर्मपरीकाके ११ वें पिरच्छेदका श्रन्तिम पद्य है। इसमें मुनिमहाराजका उपदेश सुनकर पवनवंगके श्रावकवत धारण करनेका उन्नेख करते हुए, चौथे चरणमें लिखा है कि 'भव्यपुरुष श्रपिर-मित ज्ञानके धारक मुनिके उपदेशको पाकर उसे व्यथे कैसे कर सकते हैं।' साथ ही, इस चरणमें श्रमितगितने श्रन्यपिरच्छेदोंके श्रन्तिम पद्योंके समान युक्तिपूर्वक गुप्तरीतिसे श्रपना नाम भी दिया है। पद्मसागर गणीको श्रमितगितका यह गुप्त नाम भी श्रमहा हुआ और इसिकए उन्होंने श्रपनी धर्मपरीकामें, इस पद्मको नं १४७७ पर ज्योंका त्यों उद्भृत करते हुए, इसके श्रन्तिम चरणको निम्न प्रकारसे बदल दिया हैं:—

"मित्रादुत्तमतो न किं भुवि नरः प्राप्नोति सद्वस्त्वदो।"

इस तबदी जी से प्रकट है कि यह केवल श्रमितगतिका नाम मिटानेकी गरज से ही की गई है । श्रन्यथा, इस परिवर्तनकी यहाँ पर कुछ भी ज़रूरत न थी।

२-त्यक्तबाह्यान्तरप्रंथो निःकषायो जितेंद्रियः।

परीषद्वसद्दः साधुर्जातरूपधरो मतः ॥१८—७६॥

इस पद्यमें श्रमितगतिने साधुका जल्म 'जातरूपधरः' शर्यात् नग्नदिगम्बर बतलाया है। साधुका जल्म नग्नदिगम्बर प्रतिपादन करनेसे कहीं दिगम्बर जैनधर्मको प्रधानता प्राप्त न हो जाय, श्रथवा यह प्रथ

[388]

किसी दियम्बर जैनकी कृति न समक्र निया नाय, इस मयसे गर्गाजी महाराजने इस पद्यकी जो कायापनट की है वह इस प्रकार है:—

त्यक्तबाह्यान्तरो प्रंथो निष्क्रियो विजितेद्रियः।

परीषद्वसद्वः साधुभवाम्भोनिधितारकः ॥१३७६॥

यहाँ 'जातरूपघरो मतः' के स्थानमें 'भवामभोनिधि-तारकः' (संसारसमुद्रसे पार करनेवाला) ऐसा परिवर्तन किया गया है। साथ ही, 'निःकषायः' की जगह 'निष्कियः' भी बनाया गया है, जिसका कोई दूसरा ही रहस्य होगा।

३-कन्य नन्दासुनन्दास्ये कच्छस्य नृपतेर्वृषा । जिनेन योजयामास नीतिकीर्ती इवामके ॥१८—१४॥

दिगम्बरसम्प्रदायमें, ऋषभदेवका विवाह राजा कच्छकी नन्दा और सुनन्दा नामकी दो कन्याओं के साथ होना माना जाता है। इसी बातकी लेकर अभिगतिने उसका ऊपरके पद्यमें उद्धेख किया है। परन्तु रवताम्बर-सम्प्रदायमें, ऋषभदेवकी खियों के नामों में कुछ भेद करते हुए, दोनों ही खियों को राजा कच्छकी पुत्रियाँ नहीं माना है। बल्कि सुमंगलाको स्वयं ऋषभदेवके साथ उत्पन्न हुई उनकी सगी बहन बतलाया और सुनन्दाकी एक दूसरे युगलियेकी बहन बयान किया है जो अपनी बहनके साथ खेलता हुआ अचानक बाल्यावस्थामें ही मर गया था। इसलिए पद्मसागरजी ने अभितगतिके उक्क पद्मकी बदनकर उसे नीचेका रूप देदिया है, जिससे यह प्रंथ दिगम्बर प्रंथ न समका जाकर श्वेताम्बर समस्र लिया जाय:—

सुमंग**क्वासुनम्यास्ये कन्ये सह** पुरन्दरः। जिनेन योजयामास नीतिकीर्ती इवामसे ॥ १३४७ ॥

इस प्रकार, यथिप प्रंथकर्ता महाशयने अभितगतिकी कृतिपर अपना कर्तृत्व और स्वामित्व स्थापित करने और उसे एक रवेताम्बर प्रंथ बनानेके बिए बहुत कुळ अनुधित चेष्टाएँ की हैं, परन्तु तो भी वे इस (धर्मप्रीका) प्रंथ को पूर्णतया रवेताम्बर प्रंथ नहीं बना सके। बल्कि अनेक पद्योंको निकाल डालने, परिवर्तित कर देने तथा ज्येंका त्यों कायम रखनेकी वजहसे उनकी यह रचना कुछ ऐसी विलच्चण और दोषपूर्ण होगई है, जिससे अंथकी चोरीका सारा भेद खुल जाता है। साथही, प्रंथकर्ताकी योग्यता और उनके दिगम्बर तथा रवेताम्बर धर्मसम्बन्धी परिज्ञान आदिका भी अञ्छा परिचय मिल जाता है। पाठकोंके सन्तोषार्थ यहाँ इन्हीं सब वातोंका कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है:—

(१) अमितगति—धर्मपरी द्वाके पाँचवें परिच्छेदमें, 'बक्त' नामके दिए पुरुषकी कथाका वर्णन करते हुए, एक स्थान पर जिखा है—जिस समय 'वक्त' मरणासन हुआ तब उसने, अपने 'स्कंद' नामक राजुका समूज नाश करनेके जिए, पुत्रपर अपनी आन्तरिक रच्छा प्रकटकी और उसे यह उपाय बतलाया कि 'जिस समय में मर जाऊँ उस समय तुम मुक्ते मेरे राजुके खेतमें जे जाकर जकड़ी के सहारे खड़ा कर देना। साथही, अपने समस्त गाय, मेंस तथा घोड़ोंके समूहको उसके खेतमें छोड़ देना, जिससे वे उसके समस्त धान्यका नाश कर देनें। और तुम किसी वृद्ध या घासकी ओटमें मेरे पास बैठकर स्कंदके आगमनकी प्रतीद्धा करते रहना। जिस वक्त वह कोधमें आकर मुक्तपर प्रहार करे तम तुम सब लोगोंको सुनानेके जिए जोरसे चिद्धा उटना और कहना कि स्कंदने मेरे पिताको मार डाजा है। ऐसा करनेपर राजा स्कंदहारा मुक्ते मरा जान कर स्कंदको दगड देगा, जिससे वह पुत्रसिहत मर जायगा।' इस प्रकरण के तीन पद्य इस प्रकार हैं:—

एव यथा चयमेति समूतं कंचन कर्म तथा कुरु वत्स । येन वसामि चिरं सुरतोके दृष्टमनाः कमनीयशरीरः ॥ ८८ ॥ चेत्रममुष्य विनीय मृतं मां यिष्टिनिषष्णतनुं सुत कृत्वा । गैमिदिषीद्वयवृन्दमशेषं शस्यसमूद्विनाशि विम्नंच ॥ ८६ ॥

[२४३]

सृज्यत्यान्तिरितो सम तीरे तिष्ठ निरीजितुमागतिमस्य । कोपपरेण कृते सम घाते पृत्कुरु सर्वजनश्चवणाय ॥ ६० ॥ इन तीनों पदोंके स्थानमें पद्मसागर गणीने अपनी धर्मपरीज्यामें

निम्नबिखित दो पद्य भनुष्टुप् छन्दमें दिये हैं:—

समूनं चयमेत्येष यथा कर्म तथा कुरु । वसामि यत्स्फुरहेदः स्वर्गे द्वष्टमनाः सुन्नम् ॥ २८३ ॥ वृद्याचन्तरितस्तिष्ठ त्वमस्यागतिमीद्वितुम् ।

भागते असिन्मृतं इत्वा मां पूरकु इ जनश्रुते: ॥ २८४ ॥

इन पर्चोका अमितगितक पर्चोक साथ मिलान करनेपर पाठकोंको सहजमें है। यह मालूम हो जायगा कि दोनों पच कमशः अमितगितके पच नं० ८८ और ६० परसे कुछ छील छालकर बनाये गये हें और इनमें अमितगितके शन्दोंकी प्रायः नकल पाई जाती है। परन्तु सायही उन्हें यह जाननेमें भी विलम्ब न होगा कि अमितगितके पद्य नं० ८६ को पद्मसागरजीने विलकुल ही छोड़ दिया है— उसके स्थानमें कोई दूसरा पद्म भी बनाकर नहीं रक्छा। इसलिए उनका पद्म नं० २८४ वड़ा ही विचित्र मालूम होता है। उसमें उस उपायके सिर्फ उत्तरार्धका कथन है, जो वक्षने मरते समय अपने पुत्रको बतलाया था। उपायका पूर्वार्ध न होनेसे यह पद्म इतना अस्सम्बद्ध और बेढंगा होगया है कि प्रजृत कथनसे उसकी कुछ भी संगित नहीं बैठती। इसी प्रकारके पद्म और भी अनेक स्थानोंपर पाये जाते हैं, जिनके पहलेक कुछ पद्म छोड़ दिये गये हैं और इसलिये वे प्रकृटे हुए कब्रूतरकी समान लेंड्रे मालूम होते हैं।

(२) व्यमितगतिने व्यपनी धर्मपरीक्षाके १५ वें परिच्छ्रिदमें, 'युक्तितों घटते यस' इत्यादि पच नं० ४७ के बाद, जिसे पद्मसागरजीने भी व्यपने प्रंथमें नं० १०८१ पर उपोंका त्यों उद्घृत किया है, नीचे बिखे दो पचीं-इ:रा एक बीक्ते पंच मर्चार होनेको क्यति निच कर्म ठहराया है; और इस तरह

[२४४]

पर द्रोपदीके पंचपति होनेका निषेध किया है। वे दोनों पद्य इस प्रकार हैं:---

सम्बंधा भुवि विद्यन्ते सर्वे सर्वस्य भूरिशः। भर्तृणां कापि पंचानां नैकया भार्यया पुनः ॥४८॥ सर्वे सर्वेषु कुर्वन्ति संविभागं महाधियः। महिलांसविभागस्तु निन्दानामपि निन्दितः ॥४६॥

पद्मसागरजीने यद्यपि इन पद्यांसे पहले और पीछेके बहुतसे पद्योंकी एकदम ज्योंकी त्यां नकल कर डाली है, तो भी भ्रापने इन दोनों पद्यांकी श्रमपत्ती धर्मपरी ह्यान नहीं दिया । क्योंकि श्रताम्बर सम्प्रदायमें, हिन्दुओंकी तरह, द्रौपदीके पंचमक्तीर ही माने जाते हैं । पाँचों पाँडवोंके गलेमें द्रौपदीने बरमाला डाली थी भीर उन्हें अपना पति बनाया था, ऐसा कथन श्वताम्बरोंके 'त्रिशष्टिशलाकापुरुषचरित' आदि अनेक प्रंथोंमें पाया जाता है । उक्त दोनों पद्योंको स्थान देनेसे यह प्रंथ कहीं श्वेताम्बर-धर्मके अहातसे बाहर न निकल जाय, इसी भयसे शायद गणीजी महाराजने उन्हें स्थान देनेका साहस नहीं किया । परन्तु पाठकोंको यह जानकर आश्रम होगा कि गणीजीने अपने प्रंथमें उस श्लोकको ज्योंका त्यों रहने दिया है जो आल्रेपके रूपमें बाहरणोंके सम्मुख उपस्थित किया गया था और जिसका प्रतिवाद करनेके लिए ही अमितगति आचार्यको उक्त दोनों पद्योंके लिखनेकी जरूरत पड़ी थी। वह श्लोक यह है:—

द्रौपद्याः पंच भर्तारः कथ्यन्ते यत्र पाएडवाः। जनन्यास्तव को दोषस्तत्र भर्तद्वये स्रति ॥ ६७६॥

इस श्लोकमें द्रौपदीको पंचभत्तीर होनेकी बात कटाल रूपसे कही गई है। जिसका आगे प्रतिवाद होनेकी ज़रूरत थी और जिसे गर्याजीने नहीं किया। यदि गर्याजीको एक श्लोके अनेक पति होना अनिष्ट न या तव आपको अपने प्रथमें यह श्लोक भी रखना उचित न या और न इस विषयकी कोई चर्चा ही चन्नानेकी ज़रूरत थी। परन्तु आपने ऐसा न करके अपनी धर्मपरीक्षामें उक्त स्ठोक और उसके सम्बंधकी दूसरी चर्चाको, विना किसी प्रतिवादकें, ज्योंका त्यों स्थिर रक्खा है; इस लिए कहना पड़ता है कि आपने ऐसा करके निःसन्देह मारी भूल की है। और इससे आपकी योग्यता तथा विचारश्रीलताका भी बहुत कुछ परिचय मिल जाता है।

(३) श्वेताम्बरी धर्मपरीक्षामें, एक स्थानपर, ये तीन पद्य दिये हैं:—
विलोक्य वेगतः स्वर्था क्रमस्योपिर मे क्रमः ।
मग्नो मुदालमादाय दत्तनिष्ठुरघातया ॥ ५१५ ॥
अथैतयोर्महाराटिः प्रवृत्ता दुर्निवारणा ।
लोकानां प्रेक्षणीभृता राक्षस्योरिव रुष्टयोः ॥ ५१६ ॥
अरे ! रक्षतु ते पादं त्वदीया जननी स्वयम् ।
रुष्टस्वर्या निगदोति पादो भग्नो द्वितीयकः ॥ ५१७ ॥

इन पर्चोमेंसे पहला पद्य ज्योंका त्यों वही है जो दिगम्बरी धर्मपरीक्षाके ९वें परिच्छेदमें नं २० पर दर्ज है। दूसरे पद्यमें सिर्फ 'इत्थं तयोः ' के स्थानमें 'अधै-तयोः 'का और तीसरे पद्यमें 'बोडे 'के स्थानमें 'अरे 'और 'रुष्ट्रयस्थी 'के स्थानमें 'रुष्ट्रस्तर्या' का परिवर्तन किया गया है। पिछले दोनों पद्य दिगम्बरी धर्मपरी-क्षाके उक्त परिच्छेदमें क्रमशः नं॰ ३२ और ३३ पर दर्ज हैं। इन दोनों पर्योसे पहले अमितगतिने जो चार पद्य और दिये थे और जिनमें 'ऋक्षी' तथा 'खरी' नामकी दोनों क्रियोंके वाग्युद्धका वर्णन या उन्हें पद्मसागरजीने अपनी धर्मपरीक्षासे निकाल दिया है। अस्तु; और सब बातोंको छोड्कर, यहाँ पाठकोंका ध्यान उस परिवर्तनकी ओर आकर्षित किया जाता है जो ' रुष्ट्रयहर्या 'के स्थानमें ' रुष्ट्रखर्या ' बनाकर किया गया है। यह परि-बर्तन वास्तवमें बढ़ा ही विलक्षण है। इसके द्वारा यह विचित्र अर्थ घटित किया गया है कि जिस खरी नामकी सीने पहले ऋक्षीके उपास्य चरणको तोर डाला था उसीने ऋक्षीको यह चैळेंज देते हुए कि ' छे ! अब त् और तेरी मा अपने चरणकी रक्षा कर ' स्वयं अपने उपास्य दूसरे चरणको भी तोद डाला । परन्तु खरीको अपने उपास्य चरण पर कोघ आने और उसे तोड डालनेकी कोई वजह न थी। यदि ऐसा मान भी छिया आय तो उक्त नैलेंजमें जो कुछ कहा गया है वह सब व्यर्थ पड़ता है। क्योंकि जब क्षरी ऋक्षीके उपास्य चरणको पहले ही तोड चुकी थी, तब उसका ऋक्षीसे यह कहना कि ' हे ! अब तू अपने चरणकी रक्षा कर मैं उस पर आक्रमण करती हूँ ' बिलकुछ ही भद्दा और असमंजस माख्म होता है। वास्तवमें, दूसरा चरण ऋक्षीके द्वारा, अपना बदला बुकानेके लिए, तोडा गया था और उसीने सरीको उलकार कर उपर्युक्त बाक्य कडा या। प्रयक्तांने इसपर इन्छ भी ध्यान न देकर विना सोचे समझे वैसे ही परि-वर्तन कर बाला है, जो बहुत ही भरा मान्सम होता है।

(४) अमितगति-धर्मपरीक्षाके छठे परिच्छेदमें, 'यज्ञा' ब्राम्हणी और उसके जारपति 'बटुक' का उल्लेख करते हुए, एक पद्य इस प्रकारसे दिया है---

प्रपेदे स वचस्तस्या निःशेषं हृष्टमानसः । जायन्ते नेदशे कार्ये दुष्प्रबोधा हि कामिनः ॥ ४४ ॥

इस पद्यमें लिखा है कि ' उस कामी बदुकने यज्ञाकी आज्ञाको (जो अपने निकल भागनेका उपाय करनेके लिए दो मुर्दे लानेके विषयमें थी) बड़ी प्रसन्नताके साथ पालन किया; सच है कामी पुरुष ऐसे कायोंमें दुष्प्रबोध नहीं होते। अर्थात, वे अपने कामकी बातको कठिनतासे समझनेवाले न होकर शीघ्र समझ लेते हैं। पद्म-सागरजीने यही पद्म अपनी धर्मपरीक्षामें नं० ३१५ पर दिया है परन्तु साथ ही इसके उत्तरार्धको निम्न प्रकारसे बदलकर रक्खा है:—

" न जाता तस्य शंकापि दुष्प्रबोधा हि कामिनः ॥ "

इस परिवर्तनके द्वारा यह सूचित किया गया है कि ' उस बहुकको उक्त आज्ञाके पालनमें शंका भी नहीं हुई, सच है कामी लोग किनतासे समझनेवाले होते हैं '। परन्तु बहुकने तो यज्ञाकी आज्ञाको पूरी तौरसे समझकर उसे विना किसी शंकाके प्रसन्नताके साथ शीघ्र पालन किया है तब वह किनतासे समझनेवाला ' दुष्प्रबोध ' क्यों ? यह बात बहुत ही खटकनेवाली है; और इस लिए ऊपरका परिवर्तन बढ़ा ही बेढंगा माल्रम होता है। नहीं माल्रम ग्रंथकर्ताने इस परिवर्तनको करके पद्यमें कौनसी ख्वी पैदा की और क्या लाभ उठाया! इस प्रकारके व्यर्थ परिवर्तन और भी अनेक स्थानींपर पाए जाते हैं जिनसे ग्रंथकर्ताकी योग्यता और व्यर्थाचरणका अच्छा परिचय मिलता है।

क्वेताम्बरशास्त्र-विरुद्ध कथन।

(५) पद्मसागर गणीने, अमितगतिके पद्योंकी ज्योंकी त्यों नकल करते हुए, एक स्थान पर ये दो पद्म दिये हैं:—

श्चुधा तृष्णा भयद्वेषौ रागो मोहो मदो गदः। चिन्ता जन्म जरा मृत्युर्विषादो विस्मयो रितः॥ ८९२॥ खेदः स्वेदस्तथा निद्रा दोषाः साधारणा इमे। अष्टादशापि विद्यन्ते सर्वेषां दुःखहेतवः॥ ८९३॥

इन पर्योंमें उन १८ दोषोंका नामोलेख है, जिनसे दिगम्बर लोग अईन्तदेवोंको रहित मानते हैं। उक्त दोषोंका, २१ पर्योंमें, कुछ विवरण देकर फिर ये दो पर्य और दिये हैं:—

एतैर्ये पीडिता दोषैस्तैर्मुच्यन्ते कथं परे । सिंहानां हतनागानां न खेदोस्ति मृगक्षये ॥ ९१५ ॥ सर्वे रागिणि विद्यन्ते दोषा नात्रास्ति संशयः । कपिणीव सदा द्रव्ये गन्धस्पर्शरसादयः ॥ ९१६ ॥ इन पर्योमें लिखा है कि ' जो देव इन क्षुघादिक दोषोंसे पीडित हैं, वे दूसरोंको दुःसोंसे मुफ कैसे कर सकते हैं ? क्योंकि हायियोंको मारनेवाले सिंहोंको मृगोंके मारनेमें. इन्छ भी कष्ट नहीं होता । जिस प्रकार पुद्गल द्रव्यमें स्पर्श, रस और गंधादिक गुण हमेशा पाए जाते हैं, उसी प्रकार ये सब दोष भी रागी देवोंमें पाए जाते हैं । ' इसके बाद एक पर्यमें बद्धादिक देवताओं पर कुछ आक्षेप करके गणीजी लिखते हैं कि सूर्यसे अंधकारके समूहकी तरह जिस देवतासे ये संपूर्ण दोष नष्ट हो गये हैं वही सब देवोंका अधिपति अर्थात् देवाधिदेव है और संसारी जीवोंके पापोंका नाश करनेमें समर्थ है। ' यथाः—

पते नष्टा यतो दोषा भानोरिव तमश्चयाः । स स्वामी सर्वदेवानां पापनिर्दछमक्षमः ॥ ९१८ ॥

इस प्रकार गणीजी महाराजने देवाघिदेव अईन्त भगवान्का १८ दोषोंसे रहित वह स्वरूप प्रतिपादन किया है जो दिगम्बरसम्प्रदायमें माना जाता है। परंतु यह स्वरूप इवेताम्बरसम्प्रदायके स्वरूपसे विलक्षण माल्यम होता है, क्योंकि इवेताम्बरोंके यहाँ प्रायः दूसरे ही प्रकारके १८ दोष माने गये हैं। जैसा कि मुनि आत्मारामजीके 'तत्त्वादर्श' में उल्लिखित नीचे लिखे दो पद्योंसे प्रगट है:—

अंतरायदानलाभवीर्यभोगोपभोगगाः। हासो रत्यरती भीतिर्जुगुप्सा शोक एव च ॥ १ ॥ कामो मिथ्यात्वमक्षानं निद्रा च विरतिस्तथा। रागो द्वेषश्च नो दोपास्तेषामष्टादशाऽप्यमी ॥ २ ॥

इन पद्योंमें दिये हुए १८ दोषोंके नामोंमेंसे रित, भीति (भय), निद्रा, राग और द्वेष ये पाँच दोष तो ऐसे हैं जो दिगम्बर और देवेताम्बर दोनों सम्प्रदायों समान रूपसे माने गये हैं। शेष दानान्तराय, लाभान्तराय, वीर्यान्तराय, भोगान्तराय, लपभोगान्तराय, हास्य, अरित, लुगुप्सा, शोक, काम, मिण्यात्व, अज्ञान और विरित नामके १३ दोष दिगम्बरोंके माने हुए क्षुधा, तृषा, मोह, मद, रोग, चिन्ता, जन्म, जरा, मृत्यु, विषाद, विस्मय, खेद और स्वेद नामके दोषोंसे भिन्न हैं। इस लिए गणीजीका उपर्युक्त कथन द्वेताम्बरहाह्मोंके विरुद्ध है। माल्यम होता है कि अमितगितधर्मपरीक्षाके १३ दें परिच्छेदसे इन सब पद्योंको ज्योंका त्यों उठाकर रखनेकी धुनमें आपको इस विरुद्धताका कुछ भी मान नहीं हुआ।

(६) एक स्थानपर, पद्मसागरजी लिखते हैं कि 'कुन्तीसे उत्पन्न हुए पुत्र तपश्चरण करके मोक्ष गये और मदीके दोनों पुत्र मोक्षमें न जाकर सर्वार्यसिद्धिको गये '। यथाः—

> कुन्तीद्वारीरजाः कृत्वा तपो जग्मुः शिवास्पदम् । मद्गीदारीरजी भन्यौ सर्वार्थसिद्धिमीयतुः ॥ १०९५ ॥

यह कथन यद्यपि दिगम्बरसम्प्रदायकी दृष्टिसे सत्य है और इसी लिए अमित-गतिने अपने प्रंथके १५ वें परिच्छेदमें इसे नं० ५५ पर दिया है। परन्तु इवेताम्बर-सम्प्रदायकी दृष्टिसे यह कथन भी विरुद्ध है। इवेताम्बरोंके 'पांडवचरित्र' आदि प्रंथोंमें 'मद्री'के पुत्रोंका भी मोक्ष जाना लिखा है और इस तरह पर पाँचों ही पाण्ड-बोंके लिए मुक्तिका विधान किया है।

(७) पद्मसागरजीने, अपनी धर्मपरीक्षामें, एक स्थान पर यह पद्य दिया है:— चार्वोकदर्शनं कृत्वा भूपौ शुक्रवृहस्पती । प्रवृत्तौ स्वेच्छया कर्त् स्वकीयेन्द्रियपोषणम् ॥ १३६५ ॥

इसमें शुक्र और वृहस्पित नामके दो राजाओं को 'चार्चाक' दर्शनका चलानेवाला लिखा है, परन्तु मुनि आत्मारामजीने, अपने 'तत्त्वादर्श ' ग्रंथके ४ थे परिच्छेदमें, 'द्वािल-तरंगिणी' नामक किसी श्वेताम्बरशास्त्रके आधार पर, चार्चाक मतकी उत्पत्तिविषयक जो कथा दी है उससे यह माल्यम होता है कि चार्चाक मत किसी राजा या क्षत्रिय पुरुषके द्वारा न चलाया जाकर केवल वृहस्पित नामके एक ब्राह्मणद्वारा प्रवर्तित हुआ है, जो अपनी बालविधवा बहनसे भोग करना चाहता था। और इस लिए बहनके हृदयसे पाप तथा लोकलजाका भय निकालकर अपनी इच्छा पूर्तिकी गरजसे ही उसने इस मतके सिद्धान्तोंकी रचना की थी। इस कथनसे पद्मसागरजीका उपयुक्त कथन भी इवेताम्बर शास्त्रोंके विरुद्ध पड़ता है।

(८) इस इवेताम्बर 'धर्मपरीक्षा' में, पद्य नं॰ ७८२ से ७९९ तक, गधेके बिरच्छेदका इतिहास बतलाते हुए, लिखा है कि—

'ज्येष्ठाके गर्भसे उत्पन्न हुआ शंभु (महादेव) सात्यिकका बेटा था। घोर तपश्चरण करके उसने बहुतसी विद्याओंका स्वामित्व प्राप्त किया था। विद्याओंके वैभवको देखकर वह दसवें वर्षमें श्रष्ट हो गया। उसने चारित्र (मुनिधर्म) को छोक्कर विद्याधरोंकी आठ कन्याओंसे विवाह किया। परन्तु वे विद्याधरोंकी आठों ही पुत्रियाँ महादेवके साथ रितकर्म करनेमें समर्थ न हो सकीं और मर गईं। तब महादेवने पार्वतीको रितकर्ममें समर्थ समझकर उसकी याचना की और उसके साथ विवाह किया। एक दिन पार्वतीके साथ भोग करते हुए उसकी 'त्रिश्चल' विद्या नष्ट हो गईं। उसके नष्ट होनेपर वह 'ब्राह्मणी' नामकी दूसरी विद्याको सिद्ध करने लगा। जब वह 'ब्राह्मणी' विद्याकी प्रतिमाको सामने रखकर जप कर रहा था तब उस विद्याने अनेक प्रकारकी विक्रिया करनी शुरू की। उस विक्रियाके समय जब महादेवने एक बार उस प्रतिमा पर दृष्टि हाली तो उसे प्रतिमाके स्थान पर एक चतुर्मुखी मनुष्य दिखलाई पढ़ा, जिसके मस्तक पर गघेका सिर था। उस गधेके सिरको बढता हुआ देखकर उसने शीघ्रताके साथ उसे काट हाला। परन्तु वह सिर महादेवके हाथको चिपट गया, नीचे नहीं गिरा। तब ब्राह्मणी विद्या महादेवकी साधनाको व्यर्थ करके चली गईं। इसके बाद रात्रिको महादेक

वने श्रीवर्षमानस्वामीको स्मशानभूमिमें घ्यानास्त देखकर और उन्हें विद्यारूपी मनुष्य समझकर उन पर उपद्रव किया। प्रातःकाल जब उसे यह मालूम हुआ कि वे श्रीवर्ष-मान जिनेंद्र ये तब उसे अपनी कृति पर बहुत पश्चात्ताप हुआ। उसने भगवानकी स्तुति की और उनके चरण कृए। चरणोंको कृते ही उसके हायसे चिपटा हुआ वह गयेका सिर गिर पदा।'

यह सब क्यन खेताम्बर शास्त्रोंके बिलकुल विरुद्ध है। खेताम्बरोंके 'आवज्यक' सूत्रमें महादेवकी जो कया लिखी है और जिसको मुनि भात्मारामजीने अपने 'तत्त्वादर्श' नामक प्रंचके १२ दें परिच्छेदमें उद्धृत किया है उससे यह सब कथन बिलकुल ही विरुक्षण माञ्चम होता है। उसमें महादेव (महेश्वर) के पिताका नाम ' सात्यिक ' न बतलाकर स्वयं महादेवका ही असली नाम 'सात्यिक 'प्रगट किया है और पिताका नाम ' पेढाल ' परिवाजक बतलाया है। लिखा है कि, 'पेढारुने अपनी विद्याओंका दान करनेके लिए किसी ब्रह्मचारिणीसे एक पुत्र उत्पन्न करनेकी जरूरत समझकर ' ज्येष्ठा ' नामकी साध्वीसे व्यमिचार किया और उससे सात्यिक नामके महादेव पुत्रको उत्पन्न करके उसे अपनी संपूर्ण विद्याओंका दान कर दिया '। साथ ही, यह भी लिखा है कि 'वह सात्यिक नामका महेश्वर महावीर भगवानका अविरतसम्यग्दष्टि श्रावक था'। इस किए उसने किसी चारित्रका पालन किया, मुनिदीक्षा ली, घोर तपश्चरण किया और इससे श्रष्ट हुआ, इत्यादि बातोंका उसके साथ कोई सम्बंध ही नहीं है। महादेवने विद्या-घरोंकी भाठ कन्याओंसे विवाह किया, वे मर गई, तब पार्वतीसे विवाह किया, पार्वतीसे भोग करते समय त्रिश्ल विद्या नष्ट हो गई, उसके स्थानमें ब्राह्मणी विद्याको सिद्ध करनेकी चेष्टा की गई, विद्याकी विकिया, गधेके सिरका हायके चिपट जाना और फिर उसका वर्षमान स्वामीके चरण छने पर छूटना, इन सब बातोंका भी वहां कोई उल्लेख नहीं है। इनके स्थानमें लिखा है कि 'महादेव बड़ा कामी और व्यभिचारी था. वह अपनी विद्याके बलसे जिस किसीकी कन्या या स्त्रीसे चाहता था विषय-सेवन कर केता था, लोग उसकी विद्याके भयसे कुछ बोल नहीं सकते थे, जो कोई बोलता था उसे वह मार डारुता था,' इत्यादि । अन्तमें यह भी लिखा है कि 'उमा (पार्वती) एक वेस्या बी, महादेव उस पर मोहित होकर उसीके घर रहने लगा था। और ' चंद्रप्रद्योत ? नामके राजाने, उमारे मिलकर और उसके द्वारा यह भेद माछ्म करके कि भोग करते समय महादेवकी समस्त विद्याएँ उससे अलग हो जाती हैं, महादेवको उमासहित भोग-मुमाबस्थामें अपने सुमर्टो द्वारा मरवा बाळा था और इस तरह पर नगरका उपद्रव दूर किया था '। इसके बाद महादेवकी उसी भोगावस्थाकी पूजा प्रचलित होनेका कारण बत-स्त्रया है। इससे पाठक मके प्रकार समझ सकते हैं कि पद्मसागरजी गणीका उपर्युक्त कथन रवेताम्बर शास्त्रोंके इस कथनसे कितना विलक्षण और विभिन्न है और वे कहाँ तक इस धर्मपरीक्षाको स्वेताम्बरत्वका रूप देनेमें समर्थ हो सके हैं। गणीबीने विना सोचे समझे ही यह सब प्रकरण दिगम्बर धर्मपरीक्षाके १२ वें परिच्छेदसे ज्योंका त्यों नकल कर डाला है। सिर्फ एक पद्य नं ० ७८४ में 'पूर्वे 'के स्थानमें 'वर्षे 'का परिवर्तन किया है। अमितगतिने 'द्रामे पूर्वे 'इस पदके द्वारा महादेवको दशपूर्वका पाठी सूचित किया था। परन्तु गणीजीको अमितगतिके इस प्रकरणकी सिर्फ इतनी ही बात पसंद नहीं आई और इसलिए उन्होंने उसे बदल डाला है।

(९) पद्मसागरजी, अपनी धर्मपरीक्षामें, जैनशास्त्रानुसार 'कर्णराज 'की उत्प-त्तिका वर्णन करते हुए, लिखते हैं कि—

ं एक दिन व्यास राजाके पुत्र पाण्डुको वनमें कीडा करते हुए किसी विद्याधरकी 'कामसुद्रिका ' नामकी एक अंगूठी मिली। थोड़ी देरमें उस अंगूठीका स्वामी चित्रांगद नामका विद्याधर अपनी अंगूठीको हूँढ्ता हुआ वहाँ आ गया। पाण्डुने उसे उसकी वह अंग्रठी दे दी। विद्याधर पांडुकी इस प्रकार विःस्पृहता देखकर बन्धुत्वभावको प्राप्त हो गया और पाण्डुको कुछ विषण्णचित्त जानकर उसका कारण पूछने लगा । इसपर पांडुने कुन्तीसे विवाह करनेकी अपनी उत्कट इच्छा और उसके न मिलनेको अपने विषादका कारण बतलाया । यह सुनकर उस विद्याधरने पांडुको अपनी वह काममुद्रिका देकर कहा कि इसके द्वारा तुम कामदेवका रूप बनाकर कुन्तीका सेवन करो, पीछे गर्भ रह जानेपर कुन्तीका पिता तुम्हारे ही साथ उसका विवाह कर देगा। पाण्ड काममुद्रिकाको छेकर कुन्तीके घर गया और बराबर सात दिनतक कुन्तीके सात विषयसेवन करके उसने उसे गर्भवती कर दिया। कुन्तीकी माताको जब गर्भका हाल माल्यम हुआ तब उसने गुप्त रूपसे प्रसृति कराई और प्रसव हो जाने पर बालकको एक मंजूषामें बन्द करके गंगामें बहा दिया। गंगामें बहुता हुआ वह मंजूषा चंपापुरके राजा 'आदित्य' को मिला, जिसने उस मंजूषामेंसे उक्त बालकको निकालकर उसका नाम 'कर्ण ' रक्खा, और अपने कोई पुत्र न होनेके कारण बड़े ही हर्ष और प्रेमके साथ उसका पालन पोषण किया । आदित्यके मरने पर वह बालक चम्पापुरका राजा हुआ । चूंकि 'आदित्य' नामके राजाने कर्णका पालनपोषण करके उसे वृद्धिको प्राप्त किया था इस लिए कर्ण 'आदि-त्यज ' कहलाता है, वह ज्योतिष्क जातिके सूर्यका पुत्र कदापि नहीं है *।'

पद्मसागरजीका यह कथन भी श्वेताम्बर शास्त्रोंके प्रतिकूल है। श्वेताम्बरोंके श्रीदेव-विजयगणिविरचित 'पांडवचिरित्र'में पांडको राजा 'विचित्रवीर्य'का पुत्र लिखा है और उसे 'मुद्रिका 'देनेवाले विद्याधरका नाम 'विशालाक्ष ' बतलाया है। साथ ही यह भी लिखा है कि 'वह विद्याधर अपने किसी शत्रुके द्वारा एक वृक्षके नितम्बमें लोहेकी कीलोंसे कीलित था। पांडुने उसे देखकर उसके शरीरसे वे

^{*} यह सब कथन नं० १०५९ से १०९० तकके पद्योंमें वर्णित है और अमित-गतिधर्मपरीक्षाके १५ वें परिच्छेदसे उठाकर रक्खा गया है।

लोहेकी कीलें खींचकर निकालीं: चंदनादिकके लेपसे उसे सचेत किया और उसके घावोंको अपनी मुद्रिकाके रत्नजलसे घोकर अच्छा किया। इस उपकारके बदलेमें विद्या-धरने पांडको, उसकी चिन्ता मालूम करके, अपनी एक अंगूठी दी और कहा कि. यह अंगूठी स्मरण मात्रसे सब मनोवांछित कार्योंको सिद्ध करनेवाली है, इसमें अदृश्यीकरण आदि अनेक महान् गुण हैं। पाण्डुने घरपर आकर उस अंगूठीसे प्रार्थना की कि 'हे अंगूठी ! मुझे कुन्तीके पास छे चल,' अंगूठीने उसे कुन्तीके पास पहुँचा दिया। उस समय कुन्ती, यह माल्रम करके कि उसका विवाह पाण्डुके साथ नहीं होता है, गलेमें फाँसी डालकर मरनेके लिए अपने उपवनमें एक अशोक वृक्षके नीचे लटक रही थी। पांडने वहाँ पहेँचते ही गलेसे उसकी फाँसी काट डाली और कुन्तीके सचेत तथा परि-चित हो जानेपर उसके साथ भोग किया। उस एक ही दिनके भोगसे कुन्तीको गर्भ रह गया। बालकका जन्म होने पर धात्रीकी सम्मतिसे क्रन्तीने उसे मंजूषामें रखकर गंगामें बहा दिया। कुन्तीकी माताको, कुन्तीकी आकृति आदि देखकर, पूछनेपर पीछेसे इस कृत्यकी खबर हुई। वह मंजूषा 'अतिरिय' नामके एक सारियको मिला, जिसने बालकको उसमें हे निकालकर उसका नाम 'कर्ण' रक्खा । चूंकि उस सारथिकी स्त्रीको, मंजूषा मिलेनेके उसी दिन प्रातः काल, स्वप्नमें आकर सूर्यने यह कहा था कि हे वत्स ! आज तुझे एक उत्तम पुत्रकी प्राप्ति होगी। इस लिए सूर्यका दिया हुआ होनेसे बालकका दूसरा नाम सूर्यपुत्र भी रक्खा गया।

द्वेताम्बरीय पांडवचरित्रके इस संपूर्ण कथनसे पद्मसागरजीके पूर्वोक्त कथनका कहाँ-तक मेल है और वह कितना सिरसे पर तक विलक्षण है, इसे पाठकोंको बतलानेकी ज़रूरत नहीं है। वे एक नजर डालते ही दोनोंकी विभिन्नता माख्म कर सकते हैं। अस्तु; इसी प्रकारके और मी अनेक कथन इस धर्मपरीक्षामें पाए जाते हैं जो दिगम्बर-शास्त्रोंके अनुकूल तथा द्वेताम्बर शास्त्रोंके प्रतिकृल हैं और जिनसे प्रयक्तांकी साफ़ चोरी पकदी जाती है।

उपरके इन सब विरुद्ध कथनोंसे पाठकोंके हृदयोंमें आव्यर्थके साथ यह प्रश्न उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगा कि 'जब गणीजी महाराज एक दिगम्बरप्रंथको श्वेताम्बरप्रंथ बनानेके छिए प्रस्तुत हुए थे तब आपने श्वेतांबरशास्त्रोंके विरुद्ध इतने अधिक कथनोंको उसमें क्यों रहने दिया ? क्यों उन्हें दूसरे कथनोंकी समान, जिनका दिग्दर्शन इस छेखके शुक्सें कराया गया है, नहीं निकास दिया या नहीं बदल दिया ? उत्तर इस प्रश्नका सीधा सादा यही हो सकता है कि या तो गणीजीको श्वेताम्बरसम्प्रदायके प्रन्यों पर पूरी श्रद्धा नहीं थी, अथवा उन्हें उन्क सम्प्रदायके प्रन्योंका अच्छा झान नहीं था। इन दोनों बातोंमेंसे पहली बात बहुत कुछ संदिग्ध माल्यम होती है और उसपर प्रायः विश्वास नहीं किया जा सकता। क्योंकि गणीजीकी यह कृति ही उनकी श्वेताम्बर-सम्प्रदाय-भक्ति

और साम्प्रदायिक मोहमुग्धताका एक अच्छा नमूना जान पड़ती है और इससे आपकी श्रद्धाका बहुत कुछ पता लग जाता है। इस लिये दूसरी बात ही प्रायः सत्य मालूम होती है। स्वेताम्बरप्रन्थोंसे अच्छी जानकारी न होनेके कारण ही आपको यह मालूम नहीं हो सका कि उपयुंक्त कथन तथा इन्हींके सहश और दूसरे अनेक कथन भी श्वेताम्बर सम्प्रदायके विकद्ध हैं; और इस लिए आप उनको निकाल नहीं सके। जहाँ तक मैं समझता हूँ पद्मसागरजीकी योग्यता और उनका शास्त्रीय ज्ञान बहुत साधारण था। वे स्वेताम्बर सम्प्रदायमें अपने आपको विद्वान् प्रसिद्ध करना चाहते थे; और इस लिए उन्होंने एक दूसरे विद्वान्की कृतिको अपनी कृति बनाकर उसे भोले समाजमें प्रचलित किया है। नहीं तो, एक अच्छे विद्वान्की ऐसे जघन्याचरणमें कभी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। उसके लिए ऐसा करना बड़े ही कलंक और शर्मकी बात होता है। पद्मसागरजीने, यद्यपि, यह पूरा ही प्रन्थ चुरानेका साहस किया है और इस लिए आप पर कविकी यह उक्ति बहुत ठीक घटित होती है कि 'अखिलप्रबंधं हत्रें साहसकत्रें नमस्तुभ्यं'; परंतु तो भी आप, शर्मको उतारकर अपने मुँह पर हाथ फेरते हुए, बड़े अभिमानके साथ लिखते हैं कि:—

गणेशनिर्मितां धर्मपरीक्षां कर्तुमिच्छति ।
मादृशोऽपि जनस्तत्र चित्रं तत्कुलसंभवात् ॥ ४ ॥
यस्तरुर्भज्यते हस्तिवरेण स कथं पुनः ।
कलभेनेति नाशंक्यं तत्कुलीनत्वशक्तितः ॥ ५ ॥
चक्रे श्रीमत्प्रवचनपरीक्षा धर्मसागरैः ।
वाचकेन्द्रस्ततस्तेषां शिष्येणेषा विधीयते ॥ ६ ॥

अर्थात्—गणधरदेवकी निर्माण की हुई धर्मपरीक्षाको मुझ जैसा मनुष्य भी यि बनानेकी इच्छा करता है तो इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंिक में भी उसी कुलमें उत्पन्न हुआ हूँ। जिस बृक्षको एक गजराज तोड़ डालता है उसे हाथीका बचा कैसे तोइ डालेगा, यह आशंका नहीं करनी चाहिए। क्योंिक स्वकीय कुलशक्तिसे वह भी उसे तोड़ डाल सकता है। मेरे ग्रुठ धर्मसागरजी वाचकेन्द्रने 'प्रवचनपरीक्षा' नामका प्रन्य बनाया है और में उनका बिष्य यह 'धर्मपरीक्षा' नामका प्रथ रचता हूँ। इस प्रकार पद्मसागरजीने बड़े अहंकारके साथ अपना ग्रंथकर्तृत्व प्रगट किया है। परन्तु आपकी इस कृतिको देखते हुए कहना पड़ता है कि आपका यह कोरा और श्रोधा अहंकार विद्वानोंकी हाि में केवल हास्यास्पद होनेके सिवाय और कुछ भी नहीं है। यहाँ पाठकोंपर अमितगितका वह पद्य भी प्रगट किया जाता है, जिसको बदलकर ही गणीजीने ऊपरके दो श्लोक (नं० ४-५) बनाए हैं:—

धर्मो गणेशेन परीक्षितो यः कथं परीक्षेतमहं जडात्मा । शको हि यं भकुमिभाधिराजः स भज्यते कि शशकेन वृक्षः ॥ १५ ॥ इस पर्यों अमितगित आचार्य, अपनी लघुता प्रकट करते हुए, लिखते हैं कि— 'जो धर्म गणधर देवके द्वारा परीक्षा किया गया है वह मुझ जडातमासे कैसे परीक्षा किया जासकता है ? जिस वृक्षको गजराज तोड़ डालनेमें समर्थ है क्या उसे शशक भंग कर सकता है ? ' इसके बाद दूसरे पर्यों लिखा है—'परन्तु विद्वान् मुनीश्वरोंने जिस धर्ममें प्रवेश करके उसके प्रवेशमार्गको सरल कर दिया है उसमें मुझ जैसे मूर्खका प्रवेश हो सकता है; क्योंकि वज्रसूचीसे छिद्र किये जाने पर मुक्तामणिमें सूतका नरम डोरा भी प्रवेश करते देखा जाता है।' पाठकगण देखा, कैसी अच्छी उक्ति और कितना नम्नतामय भाव है। कहाँ मूरुकर्ताका यह भाव, और कहाँ उसको चुराकर अपनी कृति बनानेवालेका उपर्युक्त अहंकार! में समझता हूँ यदि पद्मसागरजी इसी प्रकारका कोई नम्र भाव प्रगट करते तो उनकी शानमें कुछ भी फर्क न आता। परन्तु माछम होता है कि आपमें इतनी भी उदारता नहीं थी और तभी आपने, साधु होते हुए भी, दूसरोंकी कृतिको अपनी कृति बनानेक्प यह अस्ताभ्र कार्य किया है!!

इसी तरह पर और मी कितने ही प्रन्य इवेताम्बर सम्प्रदायमें जाली तथा अर्ध-जाली पाए जाते हैं, जिन सबकी जाँच, परीक्षा तथा समालोचना होनेकी ज़रूरत है। इवे॰ सम्प्रदायके निष्पक्ष विद्वानोंको आगे आकर इसके लिये खास परिश्रम करना चाहिये और वैसे प्रन्योंके विषयमें यथार्थ वस्तुस्थितिको समाजके सामने रखना चाहिये। ऐसा किया जाने पर विचारस्वातंत्र्य फैलेगा, विवेक जागृत होगा और वह साम्प्रदायिकता तथा अन्धी श्रद्धा दूर हो सकेगी जो जैन समाजकी प्रगतिको रोके हुए है। इत्यलम्। बम्बई। ता॰ ८ अगस्त सन् १९१७।

अकलंकप्रतिष्ठापाठकी जाँच ।

~%**%^}~**

'अकलंक-प्रतिष्ठापाठ' या 'प्रतिष्ठाकल्प' नामका एक प्रंथ है, जिसे 'अकलंक-संहिता 'भी कहते हैं और जो जैनसमाजमें प्रचित है। कहा जाता है कि 'यह प्रन्थ उन भट्टाकलंक देवका बनाया हुका है जो 'राजवार्तिक' और 'अष्टशती' आदि प्रन्थोंके कर्ता हैं और जिनका समय विकमकी ८ वीं शताब्दी माना जाता है। यद्यपि विद्वानोंको इस कथन पर संदेह भी है, परन्तु तो भी उक्त कथन वास्तवमें सत्य हैं या नहीं इसका अभीतक कोई निर्णय प्रगट नहीं हुआ। अतः यहाँ इसी विषयका निर्णय करनेके लिए यह लेख लिखा जाता है:—

यह तो स्पष्ट है कि इस प्रन्थमें प्रन्थके बननेका कोई सन्-संवत् नहीं दिया। परन्तु प्रन्थकी संधियोंमें प्रन्थकर्ताका नाम ' भट्टाकळंकदेव ' ज़रूर लिखा है। यथाः—

इत्यार्षे श्रीमद्भाटाकलंकदेवसंगृहीते प्रतिष्ठाकल्पनाम्नि ग्रंथे सूत्रस्थाने प्रतिष्ठादिचतुष्टयनिरूपणीयो नाम प्रथमः परिच्छेदः ॥ १ ॥

संधियोंको छोड़कर पद्योंमें भी प्रन्थकर्ताने अपना नाम 'भद्यकलंकदेव ' प्रकट किया है। जैसा कि आदि अन्तके निम्न लिखित दो पद्योंसे जाहिर है:—

> " प्रतिष्ठाकल्पनामासौ ग्रंथः सारसमुचयः । भट्टाकलंकदेवेन साधुसंगृह्यते स्फुटम् ॥ ५॥" " भट्टाकलंकदेवेन कृतो ग्रंथो यथागमम् । प्रतिष्ठाकल्पनामासौ स्थेयादाचंद्रतारकम् ॥"

'राजवार्तिक ' के कर्ताको छोड़कर, भट्टाकलंकदेव नामके कोई दूसरे विद्वान् आचार्य जैनसमाजमें प्रसिद्ध नहीं हैं। इस लिए माल्यम होता है कि, संधियों और पर्योमें 'भट्टाकलंकदेव ' का नाम लगा होनेसे ही यह प्रन्थ राजवार्तिकके कर्ताका बनाया हुआ समझ लिया गया है। अन्यथा, ऐसा समझ लेने और कथन करनेकी कोई दूसरी वजह नहीं है। भट्टाकलंकदेवके बाद होनेवाले किसी माननीय प्राचीन आचार्यकी कृतिमें भी इस प्रन्थका कोई उल्लेख नहीं मिलता। प्राचीन बिलालेख भी इस विषयमें मौन हैं— उनसे कुछ पता नहीं चलता। ऐसी हालतमें पाठक समझ सकते हैं कि उक्त कथन कहाँ तक विश्वास किये जानेके योग्य हो सकता है। अस्तु। जहाँतक मैंने इस प्रन्थको देखा और इसके साहित्यकी जाँच की है उससे माल्यम होता है कि यह प्रन्थ वास्तवमें राजवार्तिकके कर्ता भट्टाकलंकदेवका बनाया हुआ नहीं है; उनसे बहुत पीछेका बना हुआ है। भट्टाकलंकदेवके साहित्य और उनकी कथनशैलीसे इस प्रन्थके साहित्य और उनकी कथनशैलीसे इस प्रन्थके साहित्य और कथनशैलीका कोई मेल नहीं है। इसका अधिकांश साहित्य-शरीर ऐसे प्रन्थोंके आधार- पर बना हुआ है जिनका निर्माण भट्टाकलंकदेवके अवतारसे बहुत पीछेके समयोंमें हुआ

है। यहाँ पाठकोंके संतोषार्थ कुछ प्रमाण उपस्थित किये जाते हैं, जिनसे पाठकोंको इस बातका भी अनुमव हो जायगा कि यह प्रन्य कब बना है और किसने बनाया है:—

(१) इस प्रतिष्ठापाठके पाँचवें परिच्छेदमें बहुतसे पद्य ऐसे पाए जाते हैं जो मगविज्ञनसेनप्रणीत 'आदिपुराण 'से ज्योंके त्यों या कुछ परिवर्तनके साथ उठाकर रक्खे गये हैं। नमूनेके तौर पर कुछ पद्य इस प्रकार हैं:—

चैत्यचैत्याखयादीनां भक्त्या निर्मापणं च यत् । शासनिष्ठत्य दानं च त्रामादीनां सदार्चनम् ॥ २३ ॥

यह पश्च आदिपुराणके ३८ वें पर्वका २८ वाँ पश्च है और यहाँ ज्योंका त्यों विना किसी परिवर्तनके रक्खा गया है।

> ताः सर्वा अप्यहेदीज्यापूर्विका यत इत्यतः । विधिश्वास्तामुशन्तीज्यां वृत्ति प्राथमकल्पकीम् ॥ २०॥

इस पद्यका उत्तरार्ध और आदिपुराणके उक्त पर्व सम्बन्धी ३४ वें पद्यका उत्तरार्ध दोनों एक हैं। परन्तु पूर्वार्ध दोनों पद्योंके भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। आदिपुराणके उक्त ३४ वें पद्यका पूर्वार्ध है 'एवं विधविधानेन या महेज्या जिनेशिनाम्'। प्रन्यकर्ताने इस पूर्वार्धको अपने इसी परिच्छेदके ३० वें पद्यका पूर्वार्ध बनाया है। और इस तरह पर आदिपुराणके एक पद्यको दो दुकड़ोंमें विभाजित करके उन्हें अलग अलग स्थानों पर रक्सा है।

> बिलक्षपनमन्यस वतमुद्यापनादिकम् । उक्तेष्वेव विकल्पेषु ब्रेयमन्यस तादशम् ॥ २९ ॥

यह पद्य आदिपुराणके ३८ वें पर्वमें नं० ३३ पर इसी प्रकारसे दर्ज है, सिर्फ 'मित्यन्यत् त्रिसंध्यासेवया समम्'की जगह यहां 'मन्यस व्रतमुद्यापना-दिकम्' ऐसा परिवर्तन पाया जाता है। इस परिवर्तनसे प्रन्यकर्ताने 'त्रिसंध्यासेवा' के स्थानमें 'व्रत ' और 'उद्यापनादिक ' को खास तौरसे पंच प्रकारके पूजनमें शामिल किया है। अस्तु; इन उदाहरणोंसे प्रकट है कि यह प्रन्य (प्रतिष्ठापाठ) भगवजिनसेनके आदिमुराणसे पहलेका बना हुआ नहीं है। परन्तु भद्यकलंकदेव भगव-जिनसेनसे पहले हो चुके हैं। भगवजिनसेनने, 'भट्टाकलंक-श्रीपाल-पात्रकेसरिणां गुणाः 'हत्यादि पदके द्वारा, आदिपुराणमें, उनका स्मरण भी किया है। ऐसी हालतमें यह प्रन्य कदामि महाकलंकदेवका बनाया हुआ नहीं हो सकता। और इस लिए कहना होगा कि यह प्रतिष्ठापाठ भगवजिनसेनके आदिपुराणसे पीलेका—अर्थात्, विक्रमकी ९ वीं शताब्दीके बादका—कना हुआ है।

(२) इस प्रन्यके तीसरे परिच्छेदमें एक स्थान पर, प्राणायायका स्वरूप बत-लाते हुए, कुछ पद्य दिये हैं । उनमेंसे एक पद्य इस प्रकार है:— द्वादशान्तात्समाकृष्य यः समीरः प्रपूर्यते । स पूरक इति श्रेयो वायुविश्वानकोनिदैः ॥ ६६ ॥

यह पद्य और इसके बादके दो पद्य और, जो 'निरुणिद्धि ' और 'निःसार्यते' शब्दोंसे प्रारंभ होते हैं, ज्ञानार्णवके २९ वें प्रकरणमें क्रमशः नं॰ ४,५ और ६ पर दर्ज हैं। इससे प्रकट है कि यह प्रन्थ ज्ञानार्णवके बादका बना हुआ है। ज्ञानार्णव प्रन्थके कर्ता श्रीशुभचंद्र आचार्यका समय विक्रमकी ११ वीं शताब्दीके लगभग माना जाता है। उन्होंने अपने इस प्रंथमें, समंतभद्र, देवनन्दि और जिनसेनका स्मरण करते हुए, 'श्रीमन्द्रष्टाकलंकस्य पातु पुण्या स्तरस्वती ' इस पद्यके द्वारा भट्टाकलंकदेवका भी बढ़े गौरवके साथ स्मरण किया है। इस लिए यह प्रतिष्ठापाठ, जिसमें शुभचन्द्रके वचनोंका उल्लेख पाया जाता है, भट्टाकलंकदेवका बनाया हुआ न होकर विक्रमकी ११ वीं शताब्दीके बादका बना हुआ है, यह कहनेमें कोई संकोच नहीं होता।

(३) एकसंधि भद्दारकका बनाया हुआ, 'जिनसंहिता' नामका एक प्रसिद्ध प्रन्य है। इस प्रन्थसे सैंकड़ों पद्य ज्योंके त्यों या कुछ परिवर्तनके साथ उठाकर इस प्रतिष्ठापाठमें रक्खे गये हैं। कई स्थानों पर उक्त संहिताका नामोल्लेख भी किया है और उसके अनुसार किसी खास विषयके कथनकी प्रतिज्ञा या सूचना की गई है। यथाः—

द्वितीये मंडले लोकपालानामष्टकं भवेत्। इति पक्षान्तरं जैनसंहितायां निरूपितम् ॥ ७-१६॥ यदि व्यासात्पृथक्तेषां बलिदानं विवक्षितम्। निरूप्यते तम्ब जैनसंहितामार्गतो यथा॥ १०-६॥

पहले पद्यमें जैनसंहिताके अनुसार कथनकी सूचना और दूसरेमें प्रतिज्ञा की गई है। दूसरे पद्यमें जिस 'बलिदान' के कथनकी प्रतिज्ञा है उसका वर्णन करते हुए जो पद्य दिये हैं उनमेंसे बहुतसे पद्य ऐसे हैं जो उक्त संहितासे ज्योंके त्यों उठाकर रक्खे गये हैं। जैसा कि नं० ४० के उत्तरार्थसे लेकर नं० ६१ के पूर्वार्ध तकके १४ पद्य बिल्कुल बही हैं जो उक्त संहिताके २४ वें परिच्छेदमें नं० ३ से १६ तक दर्ज हैं। इन पद्योंमेंसे एक पद्य नमूनेके तौर पर इस प्रकार है:—

पाशिनो धान्यदुग्धान्नं वायोः संपिष्टशर्वरी । यक्षस्य पायसं भक्तं साज्यं क्षीरान्नमीशिनः ॥ ५ ॥

यहाँ पाठकोंको यह जानकर और भी आश्चर्य होगा कि इस प्रतिष्ठापाठका मंगला-चरण भी उक्त संहितापरसे लिया गया है। वह मंगलाचरण इस प्रकार है:—

विज्ञानं विमलं यस्य विशवं विश्वगोचरं । नमस्तस्मै जिनेन्द्राय सुरेन्द्राभ्यर्चितांघ्रये ॥ १ ॥ वंदित्वा च गणाधीशं श्रुतस्कंधमुपास्य च । ऐदंयुगीनामाचार्यानपि भक्त्या नमाम्यहम् ॥ २ ॥ मंगळाचरणके ये दोनों पद्य उक्त संहिताके शुरूमें क्रमशः नं २ और ३ पर दर्ज हैं। सिर्फ दूसरे पद्यके उत्तराघंमें मेद है। संहितामें वह उत्तराघं इस प्रकारसे दिया है:— संप्रहिच्यामि मंदानां बोधाय जिनसंहिताम्।

पाठक समझ सकते हैं कि जिस प्रन्थमें मंगलाचरण भी प्रन्थकर्ताका अपना बनाया हुआ न हो, वह प्रन्थ क्या भट्टाकलंकदेव जैसे महाकवियोंका बनाया हुआ हो सकता है ? कभी नहीं। वास्तवमें यह प्रन्थ एक संग्रह * प्रन्थ है। इसमें न सिर्फ अथोंका बल्कि शब्दोंका भी संग्रह किया गया है। प्रन्थकर्ताकी उक्तियाँ इसमें बहुत कम हैं। बैसा कि इसके एक निम्न लिखित पदासे भी प्रगट है:—

> स्रोकाः पुरातनाः किञ्चिल्लिस्यंते छस्यबोधकाः । प्रायस्तदनुसारेण मदुकास्य क्वचित् क्वचित् ॥ १० ॥

महारक एकसंधिका समय विक्रमकी १३ वीं शतान्दी पाया जाता है। इसलिए यह प्रतिष्ठापाठ, जिसमें उक्त भहारकजीकी संहिताकी बहुत कुछ नकल की गई है, विक्र-मकी १३ वीं शतान्दीके बादका बना हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है।

(४) इस प्रतिष्ठापाठको १३ वी शताब्दीके बादका बना हुआ कहनेमें एक प्रबल प्रमाण और भी है। और वह यह है कि इसमें पं॰ भाशाधरजीके बनाए हुए 'जिनयह्नकल्प' नामक प्रतिष्ठापाठ और 'सागारधर्मामृत' के बहुतसे पद्य, ज्योंके त्यों या कुछ परिवर्तनके साथ, पाये जाते हैं; जिनका एक एक नमूना इस प्रकार है:---

किमिच्छकेन दानेन जगदाशा प्रपूर्य यः। चिक्रिमिः क्रियते सोऽईयकः कल्पद्धमो मतः॥ ५-२७॥ देशकालानुसारेण व्यासतो वा समासतः। कुर्वन्कृत्स्नां क्रियां शक्रो दातुश्चित्तं न दूषयेत्॥ ५-७३॥

पहला पर्य 'सागरधर्मामृत' के दूसरे अध्यायका २८ वाँ और दूसरा पर्य 'खिनयह्नकल्प ' के पहले अध्यायका १४० वाँ पर्य है। जिनयह्नकल्प को, पंडित आशा-धरजीने, वि॰ सं॰ १२८५ में और सागारधर्मामृतको उसकी टीकासहित वि॰ सं० १२९६ में बनाकर समाप्त किया है। इससे स्पष्ट है कि यह अकलंकप्रतिष्ठापाठ विक्रमकी १३ वीं शतान्दीके बादका बना हुआ है।

(५) इस प्रंथके तीसरे परिच्छेदमें, एक स्थान पर यह दिखलाते हुए कि जिन-मंदिरमें विलासिनीके नाचके लिए एक सुन्दर नाचघर (ऋयमंडप) भी होना चाहिए, एक पद्य इस प्रकारसे दिया है:—

> नुत्यद्विष्ठासिनीरम्यनृत्यमंडपमंडितम् । पुरः पार्श्वद्वये यसयक्षीभवनसंयुतम् ॥ ११७ ॥

प्रत्यकी प्रतिक्वा और संधियोंमें भी इसे ऐसा ही प्रगट किया है।

यह ब्रह्मसूरि-त्रिवर्णाचारके चौथे पर्वका १९७ वाँ पद्य है। उक्त त्रिवर्णाचारके और भी बहुतसे पद्य इस प्रंथमें पाये जाते हैं। इसी तीसरे परिच्छेदमें लगभग २५ पद्य और हैं, जो उक्त त्रिवर्णाचारसे उठाकर रक्खे गये हैं। इससे प्रकट है कि यह प्रंथ (प्रतिष्ठापाठ) ब्रह्मसूरित्रवर्णाचारके बादका बना हुआ है। ब्रह्मसूरिका समय विकमकी प्रायः १५ वीं शताब्दी पाया जाता है। इस छिए यह प्रतिष्ठापाठ विकमकी १५ वीं शताब्दीके बादका बना हुआ है।

(६) इस ग्रंथके ग्रुरूमें मंगलाचरणके बाद ग्रंथ रचनेकी जो प्रतिज्ञा की गई है उसमें 'नेमिचंद्रप्रतिष्ठापाठ 'का भी एक उल्लेख है। यथाः—

अथ श्रीनेमिचन्द्रीयप्रतिष्ठाशास्त्रमार्गतः। प्रतिष्ठायास्तदाद्यत्तरांगानां स्वयमंगिनाम्॥३॥

नेमिचन्द्र-प्रतिष्ठापाठ 'गोम्मटसार' के कर्ता नेमिचन्द्र सिद्धान्त चकवर्तीका बनाया हुआ न होकर उन गृहस्य नेमिचंद्रसूरिका बनाया हुआ है जो देवेन्द्रके पुत्र तथा ब्रह्म-सूरिके भानजे थे और जिनके वंशादिकका विशेष परिचय पानेके लिए पाठकोंको उक्त प्रतिष्ठापाठ पर लिखे हुए उस नोटको देखना चाहिए जो जैनहित्योंके १२ वें भागके अंक नं. ४-५ में प्रकाशित हुआ है। उक्त नोटमें नेमिचंद्र-प्रतिष्ठापाठके बननेका समय विक्रमकी १६ वीं शताब्दीके लगभग बतलाया गया है। ऐसी हालतमें विवादस्य प्रतिष्ठापाठ विकर्मकी १६ वीं शताब्दीका या उससे भी कुछ पीछेका बना हुआ मालुम होता है। परन्तु इसमें तो कोई संदेह नहीं कि वह १६ वीं शाताब्दीसे पहलेका बना हुआ नहीं है। अर्थात्, विक्रमकी १५ वीं शताब्दीके बादका बना हुआ है। परन्तु कितने बादका बना हुआ है, इतना निश्चय करना अभी और बाकी है।

(७) 'सोमसेनित्रवर्णाचार 'के पहले अध्यायमें एक प्रतिज्ञानाक्य इस प्रकारसे दिया है:—

यत्प्रोक्तं जिनसेनयोग्यगणिभिः सामन्तभद्रैस्तथा सिद्धान्ते गुणभद्रनाममुनिभिर्भद्दाक्रछंकैः परैः । श्रीसुरिद्विजनामधेयविबुधैराशाधरैर्वाग्वरै— स्तद्दष्ट्वा रचयामि धर्मरसिकं शास्त्रं त्रिवर्णात्मकम् ॥

इस वाक्यमें जिन आचार्यों के अनुसार कथन करने की प्रतिज्ञाकी गई हैं उनमें 'भट्टाकलंक' का भी एक नाम है। इन भट्टाकलंक से 'अकलंक-प्रतिष्ठापाठ' के कर्ताका ही अभिप्राय जान पडता है, 'राजवार्तिक' के कर्ताका नहीं। क्यों कि सोमसेनित्रवर्णाचार में जिस प्रकार 'जिनसेन' आदि दूसरे आचार्यों के वाक्यों का उल्लेख पाया जाता है उस प्रकार राजवार्तिक कर्ता भट्टाकलंक देव के बनाये हुए किसी भी प्रन्थका प्रायः कोई

उक्षेच नहीं मिन्ता । प्रस्पुत, अकलंक-प्रतिष्ठापाठके बहुतसे पद्यों और कथनोंका समावेच उसमें बरूर पाया जाता है । ऐसी हाल्तमें, सोमसेन त्रिषणांचारमें 'अकलंक-प्रतिष्ठापाठ' का उक्षेच किया गया है, यह कहना समुचित प्रतीत होता है । सोमसेनित्रवणांचार वि॰ सं॰ १६६५ में बनकर समाप्त हुआ है और अकलंकप्रतिष्ठापाठका उसमें उक्षेच है । इस छिए अकलंक-प्रतिष्ठापाठ वि॰ सं॰ १६६५ से पहले बन चुका था, इस कहनेमें भी कोई संकोच नहीं होता ।

नतीजा इस संपूर्ण कथनका यह है कि विवादस्थ प्रतिष्ठापाठ राजवार्तिक के कर्ता महाक छंकदेवका बनाया हुआ नहीं है और न विक्रमकी १६ वीं शताब्दीसे पहलेका ही बना हुआ है। बल्कि उसकी रचना विक्रमकी १६ वीं शताब्दी या १० वीं शताब्दीके प्रायः पूर्वार्घमें हुई है। अचना यों कहिए कि वह वि॰ सं॰ १५०१ और १६६५ के मध्यवर्ती किसी समयका बना हुआ है।

अब रही बह बात कि, जब यह प्रन्थ राजवार्तिकके कर्ता महाकलकदेवका बनाया हुआ नहीं है और न 'महाकलकदेव' नामका कोई दूसरा विद्वान् जैनसमाजमें प्रसिद्ध है, तब इसे किसने बनाया है ? इसका उत्तर इस समय सिर्फ इतना ही हो सकता है कि, या तो यह प्रन्थ 'अकलंक' या 'अकलंकदेव' नामके किसी ऐसे अप्रसिद्ध भहारक या दूसरे विद्वान् महाशयका बनाया हुआ है जो उपर्युक्त समयके भीतर हुए हैं और जिन्होंने अपने नामके साथ स्वयं ही 'मह' की महत्त्वसूचक उपाधिको लगाना पसंद किया है *। अथवा इसका निर्माण किसी ऐसे व्यक्तिने किया है जो इस प्रन्यके द्वारा अपने किसी किशाकांड या मंतव्यके समर्थनादिक्प कोई इष्ट प्रयोजन सिद्ध करना चाइता हो और इस सिए उसने स्वयं ही इस प्रन्यको बनाकर उसे महाकलंकदेवके नामसे प्रसिद्ध किया

^{*} बादको 'हिस्ट्री ऑफ कनडीज़ लिटरेचर ' (कनडी साहित्यका इतिहास) से बाइस हुआ कि इस समयके भीतर ' भहाकलंकदेव ' नामके एक दूसरे विदान हुए हैं को दक्षिणकनाडामें हाडुविक्रमठके अधिपति भहारकके विषय थे और जिन्होंने विक्रमड़ी १० वी शताब्दीमें (ई० स० १६०४ में) कनडीभाषाका एक वहा व्याकरण संस्कृतमें लिखा है, जिसका नाम है ' कर्णाटकशाब्दानुशासनम् ' और जिसपर संस्कृतकी एक विस्तृत टीकामी आपकी ही लिखी हुई है। हो सकता है कि यह प्रतिष्ठापाठ आपकी ही रचना हो। परंतु फिर भी इसमें मंगडावरणका दूसरे प्रन्थसे उठाकर रक्खा जाना कुछ सटकता जरूर है; क्यों कि आप संस्कृतके अच्छे विद्वान कहे जाते है। यदि आपका उक्त शब्दानुशासन मुझे देखनेके लिये मिछ सकता तो इस विश्वका कितना ही संदेह दर हो सकता था।

हो और इस तरह पर यह प्रन्थ भी एक जाली प्रन्थ बना हो। परन्तु कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि, यह प्रन्थ कोई महत्वका प्रन्थ नहीं है। इसमें बहुतसे कथन ऐसे भी पाए जाते हैं जो जैनधर्मके विरुद्ध हैं, अथवा जैनसिद्धान्तोंसे जिनका कोई मेल नहीं है। चूंकि यह लेख सिर्फ प्रन्थकी ऐतिहासिकता—प्रन्थकर्ता और प्रन्थके बननेका समय—निर्णय करनेके लिए ही लिखा गया है इस लिए यहाँ पर विरुद्ध कथनोंके उल्लेखको छोडा जाता है। इस प्रकारके विरुद्ध कथन और भी प्रतिष्ठापाठोंमें पाए जाते हैं; जिन सबकी विस्तृत आलोचना होनेकी ज़रूरत है। अवसर मिलने पर प्रतिष्ठापाठोंके विषय पर एक स्वतंत्र लेख लिखा जायगा और उसमें यह भी दिखलाया जायगा कि उनका वह कथन कहाँ तक जैनधर्मके अनुकुल या प्रतिकृल है।

देवबन्द । ता० २६ मार्च, सन् १९१७

पूज्यपाँद-उपासकाचारकी जाँच।

सन् १९०४ में, 'पूज्यपाद ' आचार्यका बनाया हुआ 'उपासकाचार ' नामका एक संस्कृत प्रन्थ प्रकाशित हुआ था। उसे कोल्हापुरके पंडित श्रीयुत कलापा भरमापाजी निटवेने, मराठी पद्यानुवाद और मराठी अर्थसिहत, अपने 'जैनेंद्र ' छापाखानेमें छापकर प्रकाशित किया था। जिस समय प्रन्थकी यह छपी हुई प्रति मेरे देखनेमें आई तो मुझे इसके कितनेही पर्योपर संदेह हुआ और यह इच्छा पैदा हुई कि इसके पर्योकी जाँच की जाय, और यह माछ्म किया जाय कि यह प्रन्थ कौनसे पूज्यपाद आचार्यका बनाया हुआ है। तभीसे मेरी इस विषयकी खोज जारी है। और उस खोजसे अबतक जो कुछ नतीजा निक्ला है उसे प्रकट करनेके लिये ही यह छेख लिखा जाता है।

सबसे पहुले मुझे देहलीके 'नया मंदिर' के शाख-मंडारमें इस प्रन्थकी हस्तलिखित प्रतिका पता चला । इस प्रतिके साथ छपी हुई प्रतिका जो मिलान किया गया तो उससे माल्पम हुआ कि उसमें छपी हुई प्रतिके निम्नलिखित छह श्लोक नहीं हैं—

पूर्वापरिवरोधादिदूरं हिंसाद्यपासनम् ।
प्रमाणद्वयसंवादि शास्त्रं सर्वन्नमाषितम् ॥ ७ ॥
गोपुच्छिकश्वेतवासा द्राविडो यापनीयकः ।
निष्पिच्छश्चेति पंचैते जैनाभासाः प्रकीर्तिताः ॥ १० ॥
नास्त्यर्हतः परो देवो धर्मो नास्ति दयां विना ।
तपः परश्च नैर्प्रन्थ्यमेतत्सम्यक्त्वछक्षणं ॥ ११ ॥

मांसाशिषु दया नास्ति न सत्यं मद्यपायिषु । धर्मभावो न जीवेषु मधृदुम्बरसेविषु ॥ १५ ॥ चित्ते म्रान्तिर्जायते मद्यपानात् म्रान्तं चित्तं पापचर्यामुपैति । पापं कृत्वा दुर्गतिं यान्ति मूढास्तस्मान्मद्यं नैव देयं न पेयं ॥ १६ ॥ अणुव्रतानि पंचैव त्रिःप्रकारं गुणव्रतम् । शिक्षाव्रतानि चत्वारि इत्येतद् द्वादशात्मकम् ॥ २२ ॥

साय ही, यह भी माछम हुआ कि देहलीवाली प्रतिमें नीचे लिखे हुए दस फोक छपी हुई प्रतिसे अधिक हैं—

> क्षेत्रं वास्तु धनं धान्यं द्विपदञ्ज चतुःपदम् । आसनं शयनं कुप्यं भांडं चेति बहिर्दश ॥ ७ ॥ मृद्वी च द्रवसंपन्ना मातृयोनिसमानिका। सुस्नानां सुस्निनः प्रोक्ता तत्तुण्यप्रेरिता स्फूटम् ॥ ५३ ॥ सजातिः सद्गृहस्थत्वं पारिवाज्यं सुरेन्द्रता । साम्राज्यं परमार्हन्त्यं निर्वाणं चेति सप्तधा ॥ ५६ ॥ सर्जुरं पिडसर्जुरं काद्वल्यं शर्करोपमान्। मृदिस्वादिके भोगांश्च भुंजते नात्र संशयः॥ ६०॥ ततः कुत्सितदेवेषु जायन्ते पापपाकतः। ततः संसारगर्तासु पञ्चधा भ्रमणं सदा ॥ ६१ ॥ प्रतिप्रहोष्गतस्थानं पाद्क्षालनमर्चनम् । नमस्त्रिविधयुक्तेन एषणा नव पुण्ययुक् ॥ ६४ ॥ श्रतिस्मृतिप्रसादेन तत्वश्वानं प्रजायते । ततो ध्यानं ततो शानं बंधमोक्षो भवेत्ततः ॥ ७० ॥ नामादिभिञ्चतुर्भेदैर्जिनसंहितया पुनः । यंत्रमंत्रक्रमेणेव स्थापयित्वा जिनाकृतिम् ॥ ७६ ॥ उपवासो विघातव्यो गुरूणां स्वस्य साक्षिकः । सोपवासो जिनैरुको न च देहस्य दंडनम् ॥ ८१ ॥ दिवसस्याष्टमे भागे मन्दीभूते दिवाकरे। तं नकं प्राद्वराचार्या न नकं रात्रिभोजनम् ॥ ९२ ॥

श्लोकोंकी इस न्यूनाधिकताके अतिरिक्त दोनों प्रतियोंमें कहीं कहीं पर्योका कुछ कममेद भी पाया गया, और यह इस प्रकार है:—

देहलीवाली प्रतिमें, स्पी हुई प्रतिके ५५ वें पण्ये ठीक पहने वसी प्रतिका ५७ वाँ पण, नम्बर ७० के फोक्से ठीक पहले नं॰ ६८ का फोक, नं॰ ७३ वाके पण्डे अनन्तर नं॰ ७१ का पद्य, नं॰ ७८ वाले पद्यसे पहले नं॰ ७९ का पद्य और नं॰ ९२ के श्लोकके अनन्तर उसी प्रतिका अन्तिम श्लोक नं॰ ९६ दिया है। इसी तरह ९० नम्बरके पद्यके अनन्तर उसी प्रतिके ९४ और ९५ नम्बरवाले पद्य क्रमशः दिये हैं।

इस कमभेदके सिवाय, दोनों प्रतियों के किसी किसी श्लोकमें परस्पर कुछ पाठ-भेद भी उपलब्ध हुआ; परन्तु वह कुछ विशेष महत्व नहीं रखता, इसलिये उसे यहाँपर छोडा जाता है।

देहलीकी इस प्रतिसे संदेहकी कोई विशेष निमृत्ति न हो सकी, बल्कि कितने ही अंशों में उसे और भी ज्यादा पुष्टि मिली और इसलिये प्रन्थकी दूसरी हस्तलिखित प्रतियों के देखनेकी इच्छा बनी ही रही। कितने ही भंडारोंको देखनेका अवसर मिला और कितनेही भंडारोंकी सूचियाँ भी नज़रसे गुजरीं, परन्तु उनमें मुझे इस प्रन्थका दर्शन नहीं हुआ। अन्तको पिछले साल जब में 'जैनसिद्धान्तभवन 'का निरीक्षण करनेके लिये आरा गया और वहाँ करीब दो महीनेके ठहरना हुआ, तो उस वक्त भवनसे मुझे इस प्रन्थकी दो पुरानी प्रतियाँ कनडी अक्षरोंमें लिखी हुई उपलब्ध हुई —एक ताडपत्रोंपर और दूसरी कागजपर। इन प्रतियोंके साथ छपी हुई प्रतिका जो मिलान किया गया तो उससे माद्धम हुआ कि इन दोनों प्रतियोंमें छपी हुई प्रतिके वे छह उलोक नहीं हैं जो देहलीवाली प्रतिमें भी नहीं हैं, और न वे दस इलोक ही हैं जो देहली की प्रतिमें छपी हुई प्रतिसे अधिक पाए गये हैं और जिन सबका ऊपर उल्लेख किया जा चुका हैं। इसके सिवाय, इन प्रतियोंमें छपी हुई प्रतिके नीचे लिखे हुए पन्दह उलोक भी नहीं हैं—

श्रुधा तृषा भयं द्वेषो रागो मोहश्च चिन्तनम् ।
जरा रुजा च मृत्युश्च स्वेदः खेदो मदोरतिः ॥ ४ ॥
विस्मयो जननं निद्रा विषादोऽष्टाद्दा ध्रुवः ।
त्रिजगत्सर्वभृतानां दोषाः साधारणा इमे ॥ ५ ॥
एतैदींषैविंनिर्मुकः सोऽयमाप्तो निरंजनः ।
विद्यन्ते येषु ते नित्यं तेऽत्र संसारिणः स्मृताः ॥ ६ ॥
स्वतत्वपरतत्वेषु हेयोपादेयानिश्चयः ।
संद्रायादिविनिर्मुकः स सम्यग्दृष्टिरुच्यते ॥ ९ ॥
रक्तमात्रप्रवाहेण स्त्री निन्द्या जायते स्फुटम् ।
द्विधातुजं पुनर्मासं पवित्रं जायते कथम् ॥ १९ ॥
अक्षरैर्न विना राज्दास्तेऽपि ज्ञानप्रकाराकाः ।
तद्रक्षार्थे च षद् स्थाने मौनं श्रीजिनभाषितम् ॥ ४१ ॥
दिव्यदेहप्रभावर्ताः सप्तधातुविवर्जिताः ।
गर्भोत्पत्तिनं तत्रास्ति दिन्यदेहास्ततोमताः ॥ ५७ ॥

श्चानवान् श्चानदानेन निर्भयोऽमयदानतः। अन्नदानात्मुखी नित्यं निर्व्याधिर्मेषजाद्भवेत् ॥ ६९ ॥ येनाकारेण मुक्तात्मा शुक्कध्यानप्रभावतः । तेनायं श्रीजिनोदेवो विम्बाकारेण पुज्यते ॥ ७२ ॥ आप्तस्यासन्निधानेऽपि पुण्यायाकृतिपूजनम् । तार्क्षमुद्रा न किं कुर्युर्विषसामर्थ्यस्दनम् ॥ ७३ ॥ जन्मजन्म यद्भ्यस्तं दानमध्ययनं तपः । तेनैवाम्यासयोगेन तत्रैवाम्यस्यते पुनः ॥ ७४ ॥ अप्टमी चाप्टकर्माणि सिद्धिलामा चतुर्दशी । पंचमी केवस्रवानं तस्मात्तत्र यमाचरेत् ॥ ७९ ॥ -कारुक्षेपो नकर्तव्य आयुःक्षीणं दिने दिने । यमस्य करुणा नास्ति धर्मस्य त्वरिता गतिः ॥ ९४ ॥ अनित्यानि रारीराणि विभवो नैव शाश्वतः। नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्मसंब्रहः ॥ ९५ ॥ जीवंतं मृतकं मन्ये देहिनं धर्मवर्जितम्। मृतो धर्मेण संयुक्तो दीर्घजीवी भविष्यति ॥ ९६ ॥

छपी हुई प्रतिसे इन प्रतियों में अधिक पद्य कोई नहीं है; कम-भेदका उदाहरण सिर्फ एक ही पाया जाता है और वह यह है कि, छपी हुई प्रतिमें जो पद्य ५० और ५१ नम्बरों पर दिये है वे पद्य इन प्रतियों में कमका ३९ और ३८ नम्बरों पर— अर्थात, आगे पीछे—पाये जाते हैं। रही पाठभेदकी बात, वह कुछ उपलब्ध जरूर होता है और कहीं कहीं इन दोनों प्रतियों में परस्पर भी पाया जाता है। परंतु वह भी कुछ विशेष महत्व नहीं रखता और उसमें ज्यादातर छापे की तथा छेखकों की भूछें धामिछ हैं। तो भी दो एक खास खास पाठभेदों का यहाँ परिचय करा देना मुनासिब माछम होता है; और वह इस प्रकार है—

- (१) तीसरे पर्यमें 'निर्म्रन्थः स्यात्तपस्वी च' (तपस्वी निर्मन्य होता है) के स्यानमें आराकी प्रतियों में 'निर्मन्थेन भवेन्मोक्षः' (निर्मय होनेसे मोक्ष होता है) ऐसा पाठ दिया है। देहलीवाली प्रतिमें भी यही पाठ 'निर्मन्थ न भवेन्मोक्षः' ऐसे अग्रद रूपसे पाया जाता है।
- (२) छपी हुई प्रतिके ३० वें पद्यमें 'न पापं च अमी देयाः' ऐसा जो एक वरन है वह ताडपत्रवाली प्रतिमें भी वैसा ही है। परंतु आराकी दूसरी प्रतिमें उसका रूप 'न परेषाममीदेयाः' ऐसा दिया है और देहलीवाली प्रतिमें वह 'न दातव्या इमे नित्यं ' इस रूपमें उपलब्ध होता है।

(३) छपी हुई प्रतिमें एक पद्य * इस प्रकार दिया हुआ है— वृक्षा दावाग्निनालग्नास्तत्सख्यं कुर्वते वने । आत्मारूढतरोरग्निमागच्छन्तं न वेत्यसौ ॥ ९१॥

इस पद्यका पूर्वार्ध कुछ अशुद्ध जान पडता है और इसी से मराठीमें इस पद्यका जो यह अर्थ किया गया है कि 'वनमें दावामिसे प्रसे हुए गृक्ष उस दावामिसे मित्रता करते हैं, परन्तु जीव स्वयं जिस देहरूपी गृक्षपर चढा हुआ है उसके पास आती हुई अमिको नहीं जानता है' वह ठीक नहीं माछम होता। आराकी प्रतियोंमें उक्त पूर्वार्धका शुद्ध रूप 'वृक्षा दावामिस्त्रमा ये तत्संख्या कुरुते वने' इस प्रकार दिया है और इससे अर्थकी संगति भी ठीक बैठ जाती है—यह आशय निकल आता है कि 'एक मजुष्य वनमें, जहाँ दावामि फैली हुई है, गृक्षपर चढा हुआ, उन दूसरे वृक्षोंकी गिनती कर रहा है जो दावामिसे प्रस्त होते जाते हैं (यह कह रहा है कि अमुक वृक्षको आग लगी, वह जला और वह गिरा!) परन्तु स्वयं जिस गृक्षपर चढा हुआ है उसके पास आती हुई आगको नहीं देखता है। इस अलंकृत आशयका स्पष्टीकरण भी प्रंथमें अगले पद्य द्वारा किया गया है और इससे दोनों पद्योंका सम्बंध भी ठीक बैठ जाता है।

आराकी इन दोनों प्रतियोंमें प्रन्थकी श्लोकसंख्या कुल ०५ दी है; यद्यपि, अंतके पद्यों पर जो नंबर पड़े हुए हैं उनसे वह ०६ माछम होती है। परन्तु 'न वेत्तिमद्य-पानतः' इस एक पद्यपर लेखकोंकी गलतीसे दो नम्बर ८ और ९ पढ़ गये हैं जिससे आगेके संख्यांकोंमें बराबर एक एक नम्बरकी वृद्धि होती चली गई है। देहलीवाली प्रतिमें भी इस पद्यपर भूलसे दो नम्बर १३ और १४ डाले गये हैं और इसी लिये उसकी श्लोकसंख्या १०० होने पर भी वह १०१ माछम होती है। छपी हुई प्रतिकी श्लोकसंख्या ९६ है। इस तरह आराकी प्रतियोंसे छपी हुई प्रतिमें २१ और देहलीवाली प्रतिमें २५ श्लोक बढ़े हुए हैं। ये सब बढ़े हुए श्लोक 'क्ष्रोपक' हैं जो मूल प्रन्थकी मिन्न मिन्न प्रतियोंमें किसी तरह पर शामिल हो गये हैं और मूल प्रन्थके अंगभूत नहीं हैं। इन श्लोकोंको निकालकर प्रन्थको पढ़नेसे उसका सिलसिला ठीक बैठ जाता है और वह बहुत कुछ धुसम्बद्ध माछम होने लगता है। प्रत्युत् इसके, इन श्लोकोंको शामिल करके पढ़नेसे उसमें बहुत कुछ बेढंगापन आ जाता है और वह अनेक प्रकारकी गड़-बढ़ी तथा आपत्तियोंसे पूर्ण जँचने लगता है। इस बातका अनुभव सहदय पाठक स्वयं प्रन्थपरसे कर सकते हैं।

इन सब अनुसंधानोंके साथ ग्रन्थको पढनेसे ऐसा माछम होता है कि छपी हुई प्रति जिस हस्तिलेखित प्रति परसे तय्यार की गई है उसमें तथा देहलीकी प्रतिमें जो

^{*} देहलीकी प्रतिमें भी यह पय प्रायः इसी प्रकारसे है, सिर्फ इतना भेद है कि उसमें पूर्वार्घको उत्तरार्घ और उत्तरार्घको पूर्वार्घ बनाया गया है।

पण बदे हुए हैं उन्हें या तो किसी विद्वान्ने व्याख्या आदिके लिये अपनी प्रतिमें टिप्प-णीके तौरपर लिख रक्खा या या प्रन्यकी किसी कानडी आदि टीकामें वे विषयसमर्था-नादिके लिये 'उक्तंच' आदि रूपसे दिये हुए थे; और ऐसी किसी प्रतिसे नकल करते हुए लेखकोंने उन्हें मूल प्रन्यका ही एक अंग समझकर नकल कर डाला है। ऐसे ही किसी कारणसे ये सब श्लोक अनेक प्रतियोंमें प्रक्षिप्त हुए जान पडते हैं। और इसलिये यह कहनेमें कोई संकोच नहीं हो सकता कि ये बढ़े हुए पद्य दूसरे अनेक प्रन्योंके पद्य है। नम्नेके तौर पर यहाँ चार पर्योंको उद्युत करके बतलाया जाता है कि वे कौन कीनसे प्रन्यके पद्य हैं:—

> गोपुच्छिकभ्वेतवासा द्राविडो यापनीयकः । निष्पिच्छेश्चति पंचैते जैनामासाः प्रकीर्तिताः ॥ १०॥

यह पद्य इन्द्रनिन्दिके 'नीतिसार'' प्रन्थका पद्य है और उसमें भी नं॰ १० पर दिया हुआ है।

सज्जातिः सद्व्रहस्थत्वं पारिव्राज्यं सुरेद्रता । साम्राज्यं परमार्हन्त्यं निर्वाणं चेति सप्तधा ॥ ५६ ॥

यह पदा, जो देहलीवाली प्रतिमें पाया जाता है, श्रीजिनसेनाचार्यके 'आदिपु-राण'का पद्य है और इसका यहाँ पूर्वापरपर्योंके साथ कुछ भी मेल मालूम नहीं होता।

> भाप्तस्यासिक्षधानेऽपि पुण्यायाकृतिपूजनम् । तार्क्षमुद्रा न किं कुर्युर्विषसामर्थ्यस्दनम् ॥ ७३ ॥

यह श्रीसोमदेवस्रिके 'यशस्तिलक' प्रयक्त पद्य है और उसके आठवें आश्वा-सर्मे पाया जाता है।

अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शास्वतः । नित्यं समिहितोमृत्युः कर्तव्यो धर्मसंप्रहः ॥ ९५ ॥

यह ' चाणक्य-नीति 'का श्लोक है।

टीका-टिप्पणियोंके स्रोक किस प्रकारसे मूल प्रन्यमें शामिल हो जाते हैं, इसका विशेष परिचय पाठकोंको 'रत्नकरंडकश्रावकाचारकी जाँच '* नामके छेखद्वारा कराया जायगा।

यहां तकके इस सब कथनसे यह बात विलक्षल साफ हो जाती है कि छपी हुई प्रतिको देखकर उसके पर्योपर जो कुछ संदेह उत्पन्न हुआ था वह अनुचित नहीं था बल्कि यबार्य ही था, और उसका निरसन आराकी प्रतियों परसे बहुत कुछ हो जाता है। साथ ही, यह बात ध्यानमें आ जाती है कि यह प्रन्य जिस रूपसे छपी हुई प्रतिमें तबा देहजीबाली प्रतिमें पाया जाता है उस रूपमें वह पूज्यपादका 'उपासकाचार '

^{*} माणिकचंद्रपंषमाना में प्रकाश्चित ' रत्नकरण्डश्रावकाचार ' पर जो ८४ शृष्टोंकी विस्तुत प्रस्तावना लिखी गई है उसीमें रत्नकरण्डक श्रा॰ की यह सब जाँच शामिन है।

नहीं है; बिल्क छपी हुई प्रतिमेंसे, ऊपर दिये हुए, २१ श्लोक और देहलीवाली प्रतिमेंसे २५ श्लोक कम कर देनेपर वह पूज्यपादका उपासकाचार रहता है, और उसका रूप प्रायः वही है जो धाराकी प्रतियोंमें पाया जाता है। संभव है कि प्रन्थके अन्तमें कुछ पर्योंकी प्रशस्ति और हो और वह किसी जगहकी दूसरी प्रतिमें पाई जाती हो। उसके लिये विद्वानोंको अन्य स्थानोंकी प्रतियाँ भी खोजनी चाहिएँ।

अब देखना यह है कि, यह प्रंथ कौनसे पूज्यपाद आचार्यका बनाया हुआ है। 'पूज्यपाद 'नामके आचार्य एकसे अधिक हो चुके हैं। उनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और बहुमाननीय आचार्य 'जैनेन्द्र 'व्याकरण तथा 'सर्वार्थसिद्धि ' आदि प्रन्थोंके कर्ता हुए हैं। उनका दूसरा नाम 'देवनन्दी' भी था; और देवनन्दी नामके भी कितने ही आचार्योंका पता चलता है ×। इससे, पर्याय नामकी वजहसे यदि उनमेंसे ही किसीका प्रहण किया जाय तो किसका प्रहण किया जाय, यह कुछ समझमें नहीं आता। प्रन्थके अन्तमें अभी तक कोई प्रशस्ति उपलब्ध नही हुई और न प्रंथके शुक्तों किसी आचार्यका स्मरण किया गया है। हाँ आराकी एक प्रतिके अन्तमें समाप्तिसूचक जो वाक्य दिया है वह इस प्रकार है—

" इति श्रीवासुपूज्यपादाचार्यविरचित उपासकाचारः समाप्तः ॥ "

इसमें 'पूज्यपाद' से पहले 'वासु' शब्द और जुडा हुआ है और उससे दो विकल्प उत्पन्न हो सकते हैं। एक तो यह कि यह प्रन्थ 'वासुपूज्य' नामके आचार्यका बनाया हुआ है और लेखकके किसी अभ्यासकी वजहसे—पूज्यपादका नाम वित्तपर ज्यादा चढा हुआ तथा अभ्यासमें अधिक आया हुआ होनेके कारण—'पाद' शब्द उसके साथमें गलतीसे और अधिक लिखा गया है; क्योंकि 'वासुपूज्य' नामके भी आचार्य हुए है—एक 'वासुपूज्य' श्रीधर आचार्यके शिष्य थे, जिनका उल्लेख माधनंदिश्रावकाचारकी प्रशस्तिमें पाया जाता है और 'दानशासन' ग्रंथके कर्ता भी एक 'वासुपूज्य' हुए हैं, जिन्होंने शक संवत् १३४३ में उक्त ग्रंथकी रचना की है। दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि यह प्रन्थ 'पूज्यपाद' आचार्यका ही बनाया हुआ है और उसके साथमें 'वासु' शब्द, लेखकके वैसे ही किसी अभ्यासके कारण, गलतीसे जुड गया है। ज्यादातर खयाल यही होता है कि यह पिछला विकल्प ही ठीक है; क्योंकि आराकी दूसरी प्रतिके अंतमें भी यही वाक्य दिया हुआ है और उसमें 'वासु' शब्द नहीं है। इसके सिवाय, छपी हुई प्रति और देहलीकी प्रतिमें भी यह प्रन्थ पूज्यपादका ही बनाया हुआ लिखा है। साथ ही, 'दिगम्बरजैनग्रन्थकर्ता और उनके प्रन्थ 'नामकी सूचीमें भी पूज्यपादके नामके साथ एक श्रावकाचार प्रन्थका उल्लेख मिलता है।

[×] एक देवनंदी विनयचंद्रके शिष्य और 'द्विसंघान 'कान्य की 'पदकौमुदी ' टीकाके कर्ता नेमिचंद्रके गुरु थे, और एक देवनंदी आचार्य ब्रह्मलाज्यकके गुरु थे जिसके पढनेके लिये संवत् १६२७ में 'जिनयज्ञकल्प' की वह प्रति लिखी गई थी जिसका उल्लेख सेठ माणिकचंद्रके 'प्रशस्तिसंप्रह' रजिष्टरमें पाया जाता है।

इन सब बातोंसे यह तो पाया जाता है कि यह प्रन्थ पूज्यपादाचार्यका बनाया हुआ है; परंतु कोनसे 'पूज्यपाद ' आचार्यका बनाया हुआ है, यह कुछ माछन नहीं होता।

उपर जिस परिस्थितिका उल्लेख किया गया है उसपरसे, यद्यपि, यह कहना आसान नहीं है कि यह प्रत्य अमुक पूज्यपाद आचार्यका बनाया हुआ है, परंतु इस प्रत्यके साहित्यको सर्वार्थिसिद्ध, समाधितन्त्र और इष्टोपदेश नामक प्रत्योंके साहित्यके साथ मिलान करने पर इतना ज़रूर कह सकते है कि यह प्रत्य उक्त प्रत्योंके कर्ता श्रीपूज्यपादाचार्यका बनाया हुआ तो नहीं है। इन प्रत्योंकी लेखनी जिस प्रौढताको लिये हुए हैं, विषय-प्रतिपादनका इनमें जैसा कुछ ढंग हे और जैसा कुछ इनका शब्दविन्यास पाया जाता है, उसका इस प्रत्यके साथ कोई मेल नहीं है। सर्वार्थिसिद्धमें श्रावकधर्मका भी वर्णन है, परंतु वहाँ लक्षणादिरूपसे विषयके प्रतिपादनमें जैसी कुछ विशेषता पाई जाती है वह यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होती। यदि यह प्रत्य सर्वार्थिसिद्धके कर्ताका ही बनाया हुआ होता तो, चूँकि यह श्रावकधर्मका एक स्वतंत्र प्रत्य था इसल्यि, इसमें श्रावकधर्म-सम्बन्धी अन्य विशेषताओंके अतिरिक्त उन सब विशेषताओंका भी उल्लेख जरूर होना चाहिए था जो सर्वार्थिसिद्धमें पाई जाती हैं। परंतु ऐसा नहीं है; बल्कि कितनी ही जगह कुछ कथन परस्पर विभिन्न भी पाया जाता है, जिसका एक नमूना नीचे दिया जाता है:—

सर्वार्यसिद्धिमें 'अनर्थ दंडविरति' नामके तीसरे गुणवतका स्वरूप इस प्रकार दिया है---

" असत्युपकारे पापादानहेतुरनर्थदण्डः । ततो विरितरनर्थदण्ड-विरितः ॥ अनर्थदण्डः पंचविधः । अपध्यानं, पापोपदेशः, प्रमादचरितम्, हिंसाप्रदानम्, अशुभश्रुतिरिति । तत्र परेषां जयपराजयवधवन्धनाङ्ग-च्छेदपरस्वहरणादि कथं स्यादिति मनसा चिन्तनमपध्यानम् । तिर्य-क्क्रेशवाणिज्यप्राणिवधकारंमादिषु पापसंयुक्तं वचनं पापोपदेशः । प्रयोजनमन्तरेण वृक्षादिच्छेदनम् मिकुट्टनस्रिष्ठसंचनाद्यवद्यकार्ये प्रमा-दाचरितं । विषकण्टकशक्ताग्निरज्ञकशादण्डादिहिंसोपकरणप्रदानं हिंसाप्र-दानम् । हिंसारागाद्विष्वचर्यनदुष्टकथाश्रवणशिक्षणव्यापृतिरशुभश्रुतिः ॥ "

इस स्वरूपकयनमें अनर्थदंडिवरितका लक्षण, उसके पांच मेदोंका नामनिर्देश और फिर प्रत्येक मेदका स्वरूप बहुत ही जैंचे तुळे शब्दोंमें बतलाया गया हैं। और यह सब कथन तत्वाचैसूत्रके उस मूल सूत्रमें नहीं है जिसकी व्याख्यामें आचार्यमहोदयने यह सब कुछ लिखा है। इसलिये यह भी नहीं कहा जा सकता कि मूल प्रन्यके अनुरोधि उन्हें बहाँ पर ऐसा लिखना पड़ा है। वास्तवमें, उनके मतानुसार, जैन सिद्धान्तका इस विषयमें ऐसा ही आश्रय जान पड़ता है और उसीको उन्होंने प्रदर्शित किया है। अब उपासकाचारमें दिये हुए इस बतके स्वरूपको देखिये—

पारामण्डलमार्जाराविषरास्त्रकृशानवः । न पापं च अमी देयास्तृतीयं स्याद्गुणव्रतम् ॥ १९॥

इसमें अनर्थदंडिवरितका सर्वार्थिसिद्धिवाला लक्षण नहीं है और न उसके पाँच मेदोंका कोई उल्लेख हैं। बल्कि यहाँ इस व्रतका जो कुछ लक्षण अथवा स्वरूप वतलाया गया है वह अनर्थदंडिक पाँच भेदोंमें से 'हिंसाप्रदान' नामके चौथे भेद की विरितसे ही सम्बन्ध रखता है। इसलिये, सर्वार्थिसिद्धिकी दृष्टिसे, यह लक्षण लक्ष्यके एक देशमें व्यापनेके कारण अव्याप्ति दोषसे दूषित है, और कदापि सर्वार्थिसिद्धिके कर्ताका नहीं हो सकता।

इस प्रकारके विभिन्न कथनोंसे भी यह ग्रन्थ सर्वार्थसिद्धिके कर्ता श्रीपूज्य-पाद स्वामीका बनाया हुआ मालन नहीं होता, तब यह ग्रन्थ दूसरे कौनसे पूज्यपाद आचार्यका बनाया हुआ है और कब बना है, यह बात अवस्य जाननेके योग्य है और इसके लिये विद्वानोंको कुछ विशेष अनुसंधान करना होगा। मेरे खयालमें यह ग्रन्थ पं॰ आशाधरके बादका—१३ वीं शताब्दीसे पीछेका बना हुआ मालूम होता है। परंतु अभी मैं इस बातको पूर्ण निश्चयके साथ कहनेके लिये तय्यार नहीं हूँ। विद्वानोंको चाहिए कि वे स्वयं इस विषयकी खोज करें, और इस बातको मालूम करें कि किन किन प्राचीन ग्रन्थोंमें इस ग्रन्थके पर्योंका उक्लेख पाया जाता है। साथही, उन्हें इस ग्रन्थकी दूसरी प्राचीन प्रतियोंकी भी खोज लगानी चाहिए। संभव है कि उनमेंसे किसी प्रतिमें इस ग्रन्थकी प्रशस्ति उपलब्ध हो जाय।

इस लेखपरसे पाठकोंको यह बतलानेकी जरूरत नहीं है कि मंडारोंमें कितने ही प्रन्थ कैसी संदिग्धावस्थामें मौजूद हैं, उनमें कितने अधिक क्षेपक शामिल हो गये हैं और वे मूल प्रन्थकर्ताकी कृतिको समझनेमें क्या कुछ भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसी हालतमें, प्राचीन प्रतियों परसे प्रन्थोंकी जाँच करके उनका यथार्थ स्वरूप प्रगट करनेकी और उसके लिये एक जुदाही विभाग स्थापित करनेकी कितनी अधिक ज़रूरत है, इसका अनुभव सहृदय पाठक स्वयं कर सकते हैं। प्राचीन प्रतियाँ दिनपर दिन नष्ट होती जाती हैं। उनसे श्रीघ्र स्थायी काम ले लेना चाहिए। नहीं तो उनके नष्ट हो जानेपर यथार्थ वस्तुस्थितिके मालूम करनेमें फिर बडी कठिनता होगी और अनेक प्रकारकी दिकतें पैदा हो जायँगी। कमसे कम उन खास खास प्रन्थोंकी जाँच तो जरूर हो जानी चाहिए जो बडे बडे प्राचीन आचार्योंके बनाये हुए हैं अथवा ऐसे आचार्योंके नामसे नामांकित हैं और इसलिये उनमें उसी नामके प्राचीन आचार्योंके बनाए हुए होनेका भ्रम उत्पन्न होता है। आशा हैं, हमारे दूरदर्शी भाई इस विषयकी उपयोगिताको समझकर उसपर जरूर ध्यान देनेकी कृपा करेंगे।

सरसावा, जि. सहारनपुर । ता॰ २५ नवम्बर सन् १९२१

ज्ञुगछिकशोर मुख्तार

शुद्धि-पत्र।

	1912 SICH		
वृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	गुद
*	94-96	उ ठाधरी	उठाईघरी आदि
19	9	करनेका	करने और धोखेसे ब
*	1	मजबूर	कुछ मजबूर
11	2	वर्णात्रः पाती	वर्णान्तःपाती
98	1	Ť	à.
94	1	35	33
11	13	सदशः	सद्दशः
33	A	विभिन्न	दो विभिन्न
49	1	क	झाँ
44	2.3	बुराचाति	नुरावाति
99	19	उत्सर्ग के	उत्सर्ग
45	10	उधार	उद्धार
63	74	अनने	अने न
66	1×	उनके	उनकी
"	99	भार्यत्वमेव	भार्यात्वमेव
69	38	सद्रव्यपूर्णम्	सद्द्व्यपूर्णम्
,,	25	वो भवीति	बोभवीति
.0.	1 18	द्राधीयं	द्राघीयं
**	1	पुन्मैंगलीयं	पुनर्मगलीय
12	97	परिवेष्टनं	परीवेष्टनं
90	94	गोशार्ष	गोशीर्ष
,,	94	ह्युंपातार्थ	द्युंपातार्घ
,,	43	पावन	पान
"	36	वृत्य	कृत्य
99	4	भसुराज्ये	श्रशुरालये
83	8	वरको	बह उस वरको
35	36	पति	पतिशब्दः
99	33	यह	वह :
94	15	यापापनोदनः	पापापनोदनः
24	25	जनता	जानता

दाहणम्

दारुणम्

